लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit 6-7-92 Fumigated On 9.1.84 Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 11 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol.XI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 29, गुरुवार, 21 दिसम्बर, 1967/30 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 29, Thursday, December 21, 1967/Agrahayana 30, 1889 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
811. सामान्य बीमा राष्ट्रीकरण	Nationalization of General Insurance	3991—3994
811-क. श्री बीजू पटनायक के समवाय	Companies Belonging to Shri Biju Patnaik	3994—3995
812. राज्यों को ऋण	Loans to States	3095—3998
814. सरकारी उपक्रमों की उपभोक्ता सलाहकार परिषद्	Consumer Consultative Council for Public Undertakings	3998—3999
815. राष्ट्रीय आय	National Income	3999—4000
817. ईरान के तट से दूर तेल की खोज	Oil Exploration off Iranian Shore	4000—4002
818. पी० एल० 480 की निधियों का भारत में राजनैतिक उद्देश्यों के लिये दुरुपयोग	Misuse of PL 480 Funds in India for Political Purposes	4002—4003
819. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा मोटरगाड़ियों की बिक्री पर पुनः छूट देने की रियायत	Re-discounting facilities by Reserve Bank of India	4003—4005
820. दिल्ली के अस्पताल	Delhi Hospitals	4005—4006
822. आयकर विभाग के कार्य संचालन की स्थिति	Affairs of Income-tax Department	4006—4007

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अ० सू० प्र० संख्या

S. N. Q. No.

16. ढोल बनाने के लिये इस्पात की चादरों का आयात	Import of Steel Sheets for Production of Barrels ..	4007—4012

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

813. प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये ऊन के बने कपड़े	Woollen Products for Defence Services ..	4012—4013
816. अमरीकी पत्रकारों की भारत यात्रा	Visit by USA Journalists ..	4013
821. स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा कृषकों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance by State Bank of India to Agriculturists ..	4014
823. बट्टे खाते में डाली गई आयकर की राशि	Income-tax written off ..	4014
824. नर्मदा घाटी परियोजना	Narmada Valley Project ..	4014—4015
825. उर्वरकों के उत्पादन के लक्ष्य	Fertilizer Production Targets ..	4015
826. श्रीलंका में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in Ceylon ..	4016
827. पी० एल० 480 अनुदान	PL 480 Grants ..	4016—4017
828. चांदी की तस्करी	Smuggling of Silver	4017
830. दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा कमाया गया मुनाफा	Profit made by DDA ..	4017
831. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के दैनिक भत्ते की दरों में वृद्धि	Increase in Rates of Daily Allowance of Central Government Employees ..	4018
832. देश में तेल की खोज	Exploration of Oil in the country ..	4018—4019
833. गोदावरी नदी के जल को कृष्णा नदी में डालना	Diversion of Godavari Waters to Krishna..	4019
834. नर्वदा सागर परियोजना	Narmada sagar Project ..	4019
835. रुई के स्टाक क विरुद्ध धन की पेशगी पर प्रतिबंध	Restrictions on Advances against Cotton Stocks ..	4019—4020
836. सरकारी उपक्रमों के लिये धनराशि के नियतन को युक्ति-संगत बनाना	Rationalisation in Allotment of Funds to Public Undertakings ..	4020
837. बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण	Social Control of Banks ..	4020—4021

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
838. मद्यसार की कमी	Shortage of Alcohol ..	4021
839. हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइप लाइन	Haldia-Barauni-Kanpur Pipeline ..	4021—4022
840. दिल्ली में पेय जल का संभरण	Supply of Drinking Water in Delhi ..	4022
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
5184. मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा पूंजी का लगाया जाना	Capital Investment by Centre in Madhya Pradesh ..	4022—4023
5185. जीवन बीमा निगम द्वारा कुछ राज्यों में पूंजी विनियोजन	LIC Investment in certain States ..	4023—4024
5186. मध्य प्रदेश में बैंक	Banks in Madhya Pradesh ..	4024—4025
5187. खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज	Exploration of Oil in Gulf of Cambay ..	4025
5188. गुजरात में बड़ी सिंचाई योजनायें	Major Irrigation Schemes in Gujarat ..	4025—4026
5189. गुजरात को सिंचाई और विद्युत् योजनाओं के लिये धन का नियतन	Allocations to Gujarat for Irrigation and Power Schemes ..	4026—4027
5190. गुजरात में आधारभूत तथा बुनियादी अनुसन्धान योजना	Fundamental and Basic Research Scheme in Gujarat ..	4027—4028
5191. गुजरात में तेल के लिए छिद्रण कार्य	Drilling operations for Oil in Gujarat ..	4028
5192. निजाम सागर जलागार (रिजर्वायर) और नहर पद्धति	Nizam sagar Reservoir and Canal System	4029
5193. कृषि कार्यों के लिए बिजली की सप्लाई के हेतु गुजरात को राजसहायता	Subsidy to Gujarat for Supply of Electricity for Agricultural purposes ..	4029
5194. परियोजनाओं के लिए निधियों का उपयोग	Utilisation of Funds for Projects ..	4029—4030
5195. आयुर्वेदिक औषधालय, किदवई नगर, नई दिल्ली	Ayurvedic Dispensary, Kidwai Nagar, New Delhi ..	4030—4031
5196. अनुवादक तथा हिन्दी सहायक	Translators and Hindi Assistants	4031

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5197.	महाराष्ट्र में सांझाया विद्युत ग्रिड	Common Power Grid in Maharashtra ..	4031—4032
5198.	अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए शिक्षा तथा वित्त की सुविधायें	Educational and Financial Facilities for Scheduled Castes ..	4032
5199.	बैंक	Banks ..	4032—4033
5200.	कोरबा उर्वरक परियोजना	Korba Fertilizer project ..	4033
5201.	बड़ी औद्योगिक संस्थाओं के लिए विदेशियों को ठेके दिए जाने पर प्रतिबंध	Ban to award contracts to foreigners for Major Industrial Establishments ..	4034
5202.	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को प्रतिकारात्मक (पर्वत) भत्ता	Compensatory (Hill) Allowance to P and T Staff ..	4034—4035
5203.	आदिम जातीय विकास खंड	Tribal Development Blocks ..	4035
5204.	कलकत्ता योजना	Calcutta Plan ..	4035
5205.	रूमानिया से तेल की खोज करने के उपकरण	Oil Exploration Equipment from Rumania ..	4035
5206.	प्रमोद पिक्चर्ज, बम्बई	Pramode Pictures, Bombay ..	4036
5208.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अधीन चिकित्सा कालेज	Medical College under Aligarh University ..	4036
5209.	साहू जैन फर्म समूह के कारखाने	Factories owned by Sahu Jain Group of firms ..	4036—4037
5210.	बिड़ला सार्थसमूह की मिल	Birla Group of Mills ..	4037
5211.	अफीम कारखाने	Opium Factories ..	4037—4038
5212.	कलकत्ता महानगर आयोजना संगठन	Calcutta Metropolitan Planning Organisation ..	4038—4039
5213.	दैवी प्रकोपों के समय सहायता कार्यों के लिये विशेष निधि	Special Fund to meet Natural Calamities ..	4039
5214.	शानीशौकत पर किये जाने वाले व्यय	Curb on Conspicuous Consumption ..	4039—4040
5215.	नार्थ तथा साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली के सर्वेंट क्वार्टरों में शौचालयों की सफाई	Cleaning of Lavatory of servant quarters in North and South Avenue, New Delhi ..	4040

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5216. दिल्ली वृहद् योजना के अन्तर्गत बादली और अलीपुर खंडों का औद्योगीकरण	Industrialisation of Badli and Alipur Blocks under Delhi Master Plan ..	4040—4041
5217. स्टाफ कार ड्राइवर	Staff Car Drivers ..	4041
5218. ग्वालियर और इन्दौर के भूतपूर्व नरेशों पर सम्पदा शुल्क का निर्धारण	Assessment of Estate Duty of Rulers of Gwalior and Indore ..	4041
5219. दिल्ली पोलिटेक्निक के औषधि निर्माण शास्त्र के डिप्लोमा को मान्यता न दिया जाना	Non recognition of Delhi Polytechnic Diploma in Pharmacy ..	4042
5220. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स	Hindustan Organic Chemicals ..	4042—4043
5221. दिल्ली शाहदरा की नाली योजनायें	Drainage Schemes of Delhi Shahdara ..	4043—4044
5222. निषिद्ध चांदी का पकड़ा जाना	Recovery of Contraband Silver ..	4044
5223. श्रीराम बेयरिंग कम्पनी द्वारा दिया गया आयकर	Income-Tax paid by Shri Ram Bearing Co. ..	4044
5224. विश्व बैंक के अधिकारी की भारत यात्रा	Visit of World Bank Official to India ..	4045
5225. पालम हवाई अड्डे पर साड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of Sarees at Palam Airport	4045
5226. छिपाया हुआ धन	Unaccounted Money ..	4045—4046
5227. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पार्लिमेंट वर्क्स डिवीजन में लगाये गये नैमित्तक श्रमिक	Casual Labour Employed in Parliament Works Division of the C. P. W. D. ..	4046
5228. वातानुकूलन जोन	Air conditioning Zones ..	4046—4047
5229. भूतपूर्व नरेशों द्वारा शराब का आयात	Import of liquor by former Rulers ..	4047
5230. दूतावासों द्वारा मदिरा का आयात	Import of liquor by Embassies ..	4047—4048
5231. सिगरेट पीने से हानियां	Cigarette Smoking ..	4048
5232. किदवई नगर (पूर्व) के लिये भूमिगत नालियां	Underground Drainage for Kidwai Nagar (East) ..	4049

विषय		SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.				
5233.	सरकारी उपक्रमों का परिव्यय	Outlay on Public Undertakings	..	4049
5234.	राजनीतिक दलों के लिये क्वार्टर	Quarters for Political Parties	..	4049—4050
5235.	तेल की खपत	Consumption of Oil	..	4050—4051
5236.	केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की वार्षिक बैठक	Annual Meeting of Central Water and Power Commission	..	4051
5237.	मेसर्स उषा मार्टिन ब्लैक लिमिटेड से आयकर की वसूली	Recovery of Income-tax from M/s Usha Martin Black Ltd.	..	4051
5238.	कलकत्ता की फर्मों से आयकर की बकाया राशि	Income-tax Dues from Calcutta Firms	..	4052
5239.	निषिद्ध सोना	Contraband Gold	..	4052
5240.	दिल्ली के इर्द-गिर्द उपनगरों का विकास	Development of ring towns around Delhi	..	4052—4053
5241.	दिल्ली में नई गृह-निर्माण सहकारी समितियों का गठन	Formation of New House Building Co-operative Societies in Delhi	..	4053
5242.	गंधक का आयात	Import of Sulphur	..	4054—4055
5243.	गुजरात तेल शोधक कारखाना	Gujarat Refinery	..	4055
5244.	दिल्ली में 250 वर्ग गज के प्लाटों की लाटरी डाल कर बिक्री	Sale of Draw of lot of 250 Sq. Yds. Plots in Delhi	..	4055
5246.	खवंड में तेल की सम्भावनायें	Oil Prospects in Khawand	..	4055—4056
5247.	औषधियों के लिए आयातित कच्चा माल	Imported Raw Materials for Drugs	..	4056
5248.	रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के लिये स्थान	Accommodation for Central Hindi Directorate in Ramakrishnapuram New Delhi	..	4056
5249.	ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद	Ishwar Sharan Ashram, Allahabad	..	4056—4057
5250.	उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण योजनायें	Flood Control Schemes in U. P.	..	4057
5251.	बाढ़ नियंत्रण और पानी को जमा होने से रोकने इत्यादि के लिये राज्यों को धनराशि का दिया जाना	Allocations to states for Floods Control and Prevention of Water Logging, etc.	..	4057

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5252. मजदूरों के लिए आवास योजनायें	Housing Schemes for Workers	.. 4057—4058
5253. उड़ीसा में आयकर और धनकर न देने वाले व्यक्ति	Income-tax and Wealth-tax Defaulters in Orissa	.. 4058
5254. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में हड़ताल	O. N. G. C. Strike	.. 4058
5255. सिंचाई के प्रयोजन के लिये बिजली	Power for Irrigation Purposes	.. 4059
5256. पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to West Bengal	.. 4059—4060
5257. देशी चिकित्सा प्रणाली के लिए पश्चिम बंगाल के लिए धन का नियतन	Allocations to West Bengal for Indigenous Systems of Medicine	.. 4060
5258. कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली देने के लिए पश्चिम बंगाल को राज्य सहायता	Subsidy to West Bengal for Electricity for Agricultural Purposes	.. 4060—4061
5259. पश्चिम बंगाल में अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of Scheduled Tribes in West Bengal	.. 4061
5260. बम्बई में पेन्सिलिन का इंजेक्शन लगाये जाने के कारण मृत्यु	Deaths due to Penicillin Injection in Bombay	.. 4061
5261. मूल्य के पश्चात् आयातित पुस्तकों और पत्रिकाओं के मूल्य	Price of imported Books and Magazines after Devaluation	.. 4061—4062
5262. चिकित्सा विज्ञान तथा अनुसन्धान सम्बन्धी स्नातकोत्तर संस्था	Post-Graduate Institute of Medical Sciences and Research	.. 4062
5263. स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान और अनुसन्धान संस्था, चण्डीगढ़ के शिक्षण कर्मचारी	Teaching Staff of Post-Graduate Institute of Medical Sciences and Research, Chandigarh	.. 4062—4063
5264. इण्डियन आयल कारपोरेशन के लिए ड्रम	Barrels for I. O. C.	.. 4063—4064
5265. इण्डियन आयल कारपोरेशन को बैरलों की सप्लाई	Barrels for Indian Oil Corporation	.. 4064—4065

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5266. उर्वरक कारखाने	Fertilizer Plants ..	4065—4066
5267. पूर्वी यूरोप देशों के साथ ऋण सम्बन्धी करार	Credit Agreements with East European countries ..	4066
5268. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स	Hindustan Antibiotics ..	4066—4067
5269. सामान्य बीमा का कार्य करने वाली कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन	Violations of Foreign Exchange Regulations by Companies dealing with General Insurance	4067
5270. राजनैतिक दलों से आयकर की वसूली	Recovery of Income-Tax from Political Parties ..	4067—4068
5271. मंत्रियों को पानी, किराये तथा बिजली शुल्क में छूट	Exemption of Water rent and Electricity Charges to Ministers ..	4068
5272. आयकर की वापसी	Income-tax Refund ..	4068
5273. मेसर्स अमींचन्द प्यारे लाल से जुर्माने की वसूली	Recovery of Penalty from M/s Aminchand Pyarelal ..	4068—4069
5274. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची	List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	4069
5275. पंजाब नैशनल बैंक के अधिकारियों के आचरण के बारे में जांच	Enquiry into conduct of Punjab National Bank Officers ..	4069
5276. पी० एल० 480 निधियां	PL 480 Funds ..	4069—4070
5277. मकान चलाने के लिये राज्यों को धन का दिया जाना	Allotment of funds to states for Housing ..	4070
5278. मुद्रा प्रणाली पर पी० एल० 480 का प्रभाव	Impact of PL 480 on Monetary System ..	4071
5279. गोयनका फर्मों को ऋणों के विरुद्ध गारंटी	Guarantee against loans to Goenka Concerns ..	4071
5280. करेंसी नोट	Currency Notes ..	4071—4072
5281. तेल कम्पनियों द्वारा विनियोजन	Investment by Oil Companies ..	4072
5282. बिहार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar ..	4072—4073
5283. तालचेर तापीय बिजलीघर के लिये उड़ीसा की सहायता	Aid to Orissa for Talchar Thermal Station ..	4073

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5284. सरकारी औद्योगिक बस्तियों के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Co-operative Industrial Estates ..	4073—4074
5285. नगर आयोजन सम्बन्धी समिति	Committee on Town Planning ..	4074
5287. सिन्दरी उर्वरक कारखाना	Sindri Fertilizers Factory ..	4074—4075
5288. खम्भात की खाड़ी के क्षेत्र में तट से दूर तेल की खोज	Off-Shore Exploration in Cambay Region ..	4075
5289. किसानों के लिये अनिवार्य बचत योजना	Compulsory Saving Scheme for Farmers ..	4075—4076
5291. हल्दिया का तेल-शोधक कारखाना	Haldia Refinery ..	4076
5292. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक	Banks in Rural Areas ..	4076
5293. कलकत्ता में हीरों का पकड़ा जाना	Seizure of Jewels at Calcutta ..	4076—4077
5294. अम्बाला मुगल में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Ambala Mugal ..	4077—4078
5295. कोचीन के तेल शोधक कारखाने के आस-पास पेट्रोरसायन उद्योग समूह की स्थापना	Petrol Chemical Complex around Cochin Refinery ..	4078
5296. राजस्थान में बिजली ग्रिड	Power Grid in Rajasthan ..	4078—4079
5297. गोआ में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant at Goa	4079
5298. दिल्ली देहात कल्याण समिति द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Delhi Rural Welfare Society ..	4079—4080
5299. स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा अग्रिम राशियों का दिया जाना	Advances by State Bank of India ..	4080
5300. स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा अग्रिम धन का दिया जाना	Advances by State Bank of India	4080
5301. मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes in Madhya Pradesh ..	4080—4081
5302. बरहानपुर में उत्पादन शुल्क विभाग के कार्यालय की स्थापना	Opening of Excise Department Office at Burhanpur ..	4081
5303. वित्तीय उपक्रमों में नियुक्ति	Appointments in Financial Undertaking ..	4081—4082

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
5304. पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनुदान	PL 480 Grants ..	4082—4083
5305. ज्वालामुखी (हिमाचल प्रदेश) में तेल तथा गैस की खोज	Exploration of Oil and Gas in Jwalamukhi (Himachal Pradesh) ..	4083
5306. नाइलोन के धागे तथा कपड़े की तस्करी	Smuggling of Nylon Yarn and cloth ..	4084
5307. निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी उपक्रम	Autonomous Undertakings under the Ministry of W. H. and S. ..	4084
5308. पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निगम के लेखों की लेखा-परीक्षा	Auditing of A/cs. of Autonomous Corporation under the Petroleum and Chemical Ministry ..	4084—4085
5309. स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम	Public Undertakings under the Ministry of Health	4085
5310. वित्त मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निगम	Autonomous Corporation under the Ministry of Finance ..	4085—4086
5311. मध्य प्रदेश में फर्मों द्वारा देय आयकर	Income-tax arrears due from firms in Madhya Pradesh ..	4086
5312. प्राधिकृत ऋण का उपयोग	Utilization of Authorised Credit ..	4086—4087
5313. आय-व्ययक के प्राक्कलन और वास्ताविक व्यय	Budget Estimates and Actual Expenditure ..	4087—4088
5314. रिजर्व बैंक द्वारा निदेश	Directives by Reserve Bank ..	4088
5315. अनिवार्य बन्धयीकरण	Compulsory Sterlization ..	4088—4089
5316. दिल्ली की बढ़ी हुई जनसंख्या के लिये अनिवार्य सेवाओं की व्यवस्था	Provision of essential services to the increased population of Delhi ..	4089
5317. ड्राफ्ट्समैनों के वेतनक्रम	Pay Scales of Draftsmen ..	4089—4090
5318. ड्राफ्ट्समैनों की नियुक्ति सम्बन्धी नियम	Rules for Recruitment of Draftsmen ..	4090
5319. दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां	Unauthorised Colonies in Delhi ..	4091
5320. वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ स्वायत्तशासी निगमों द्वारा विज्ञापन	Advertising by Autonomous Corporations under the Ministry of Finance ..	4091

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5321.	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीनस्थ सरकारी उपक्रमों द्वारा विज्ञापन	Advertisement by Public Undertakings under the I and P Ministry ..	4091—4092
5322.	स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों द्वारा विज्ञापन	Advertisement of Public Undertakings under the Ministry of Health ..	4092
5323.	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त-शासी निगमों द्वारा विज्ञापन	Advertising by Autonomous Corporations under the petroleum and Chemicals Ministry ..	4092—4093
5324.	निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के सरकारी उपक्रमों या स्वायत्तशासी निगमों का प्रचार कार्य	Publicity work of Public Sector or Autonomous Corporations under the Ministry of W. H. and S. ..	4093
5325.	वाणिज्यिक बैंकों के गुप्त रिजर्व	Secret Reserves of Commercial Banks ..	4094
5326.	गर्भपात	Abortion ..	4094
5327.	भारत में वर्ग ढांचे का अध्ययन	Study on class Structure in India ..	4094—4095
5328.	ग्रंथकारों तथा लेखकों पर करारोपण की दर	Scale of Taxation for Authors and Writers ..	4095
5329.	विदेशों में लगायी गई भारतीय पूंजी	Indian Capital invested abroad ..	4095—4096
5330.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुआ घाटा	Loss suffered by Public Sector Undertakings ..	4096—4097
5331.	धीवरन ताप बिजलीघर (गुजरात)	Dhewaran Thermal Station (Gujarat) ..	4097
5332.	दिल्ली में वायु का दूषित होना	Air Pollution in Delhi ..	4097
5333.	अपर कृष्णा परियोजना	Upper Krishna Project	4098
5334.	मैसूर की परियोजनाएं	Mysore Projects	4098
5335.	कोयना जल-विद्युत परियोजना	Koyna Hydro Electric Project ..	4098—4099
5336.	प्रति व्यक्ति आय	Per capita Income ..	4099—4100
5337.	सरकारी क्षेत्र में भर्ती	Recruitment in Public Sector ..	4100
5338.	इम्फाल स्थित सिविल अस्पताल	Imphal Civil Hospital ..	4100—4101
5339.	भारतीय नौवहन के लिये बीमा	Insurance for Indian Shipping ..	4101

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5340. बैंकों के जनरल मैनेजरों की चेयरमैन के रूप में नियुक्ति	Appointing of General Managers as Chairman of Banks ..	4101—4102
5341. कलकत्ता में पटसन के जहाजी व्यापारियों के कार्यालयों पर छापा	Raid on Office of Jute Shippers in Calcutta ..	4102
5342. फिल्मों की बिक्री की राशि पर आयकर का अपवंचन	Income-tax evasion on sale of Films ..	4102—4103
5343. विदेशों के सहयोग से परि-योजनाएं	Projects in collaboration with foreign countries ..	4103—4104
5344. पूर्ति तथा निपटान महा-निदेशालय की ठेका पद्धति के विरुद्ध आपत्तियां	Objections Against Contract System of D. G. S. and D. ..	4104
5345. निषिद्ध माल का पकड़ाजाना	Seizure of contraband Goods ..	4104
5346. नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा मास्टर प्लान का उल्लंघन	Violation of Delhi Master Plan by New Delhi Municipal Committee ..	4105—4106
5347. नई दिल्ली के गोल मार्किट क्षेत्र के प्लाटों का मूल्य	Value of plots in Gole Market Area, New Delhi ..	4106—4107
5348. पिछड़ी जातियों का आर्थिक विकास	Economic Development of Backward Classes ..	4107
5349. दिल्ली के मुख्य आयुक्त के कार्यालय की सहकारी आवास निर्माण समिति	Delhi Chief Commissioner's Office Co-operative House Building Society ..	4107—4108
5350. मध्य प्रदेश में उठाऊ सिंचाई योजनायें	Lift Irrigation Schemes in Madhya Pradesh ..	4108
5351. आसाम की अनुसूचित आदिम जातियों को कर से छुट	Tax Exemption to Scheduled Tribes of Assam ..	4108—4109
5352. लेख तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को सताया जाना	Victimisation of Workers of O. N. G. C. ..	4109
5353. वाणिज्यिक उपक्रमों के कर्म-चारियों के लिये सेवा निवृत्ति की आयु	Retirement Age for Employees of Commercial Undertakings ..	4109—4110
5354. कोसी नदी पर बांध	Dam on Kosi River ..	4110

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5355. मंगलौर नगरपालिका की जल निष्कासन योजना	Drainage Scheme of Mangalore Municipality ..	4110—4111
5356. दक्षिण कनारा जिले में पम्प सेट	Pump Sets in South Kanara District	4111
5357. स्टेट बैंक द्वारा टाईल कारखानों से लिये जाने वाले ब्याज की दर	Rate of Interest Charged by State Bank from Tile Factories ..	4112
5359. मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता	M/s Bird and Co., Calcutta ..	4112—4113
5360. उड़ीसा की 'भुयान' जाति को आदिम जातियों में शामिल करना	Inclusion of 'Bhuyan' of Orissa in Scheduled Tribes ..	4113
5361. बारबिल (उड़ीसा) में जल संभरण की योजना	Water Supply Scheme at Barbil (Orissa) ..	4113
5362. मनीपुर के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन	Revision of Pay Scales of Manipur Health Department Staff ..	4114
5363. दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में गाडगिल समिति द्वारा दिये गये, आश्वासनों का परिपालन	Implementation of Gadgil Assurances in respect of Displaced Persons in Delhi ..	4114
5364. समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, उड़ीसा	Social Welfare Advisory Board, Orissa ..	4114—4115
5365. माडर्न प्लानर्स/रश्मि एस्टेट्स, नई दिल्ली	Modern Planner/Rashmi Estates, New Delhi ..	4115
5366. जीवन बीमा निगम के दावों का भुगतान	Payment of L. I. C. Claims	4115
5367. नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये नये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of New Quarters for Government Employees in New Delhi	4116
5368. महिला कर्मचारियों को विशेष अवकाश	Special Leave to Women Employees	4116
5369. पेल आयल (पीला तेल)	Pale Oil ..	4116—4117
5370. राजस्व वसूली में कमी	Shortfall in Revenue Collection ..	4117—4118

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5371.	राजस्थान में बिजली की कमी के कारण हानि	Loss due to Power Shortage in Rajasthan ..	4118
5372.	पोलैंड फ्रांस संघ द्वारा उर्वरक संयंत्र को सहायता	Polish French Consortiums Assistance for Fertilizer Plants ..	4118—4119
5373.	दिल्ली के अस्पतालों को दिये गये खाद्य पदार्थों की चोर बाजारी में बिक्री	Sale of Eatables allotted for Hospitals in Delhi in Black Market ..	4119
5374.	पी. एल. 480 अनुदानों के अन्तर्गत योजनायें	Schemes under P. L. 480 Grants ..	4119
5375.	यमुना नदी में पानी की सप्लाई का बढ़ाया जाना	Augmentation of Water Supply in Jamuna ..	4119—4120
5376.	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में परामर्शदाता	Consultants in Irrigation and Power Ministry	4120
5377.	दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Central Government Employees in Delhi ..	4120—4121
5378.	दिल्ली में उपचर्या (नर्सिंग) कर्मचारियों को नगर प्रति-कर भत्ते का भुगतान	Payment of City Compensatory Allowance to Nursing Staff in Delhi ..	4121
5379.	नर्सिंग कर्मचारियों को खाद्य भत्ते का भुगतान	Payment of Food Allowance to Nursing Staff ..	4121—4122
5380.	सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग सिस्टरों को महंगाई भत्ते का भुगतान	Payment of Dearness Allowance to Nursing Sisters of Government Hospitals ..	4122
5381.	केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में विवाहित नर्सों के लिए रिहायशी व्यवस्था	Residential Accommodation for Married Nurses in Central Government Hospital	4123
5382.	अन्दमान लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं का लागत	Cost of Projects of Andaman P. W. D. ..	4123
5383.	अन्दमान लोक निर्माण विभाग के स्टोरों से सामान का उधार दिया जाना	Credit from Andaman P. W. D. Stores ..	4124
5384.	पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका	Port Blair Municipal Board ..	4124—4125

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			

5385. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों में महिला डाक्टर	Female Doctors in Andaman and Nicobar Islands	..	4125
5386. अन्दमान द्वीपसमूह का असैनिक अस्पताल	Andaman Civil Hospital	..	4125
5387. अन्दमान द्वीपसमूह में नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	Nursing Training Course in Andaman Island	..	4125—4126
5388. पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका बोर्ड	Port Blair Municipal Board	..	4126
5389. नमक कर का हटाया जाना	Removal of Salt Tax	..	4126
5390. सरस्वती महल लाइब्रेरी	Saraswati Mahal Library	..	4127
5391. भवन निर्माण के लिए जीवन बीमा निगम से ऋण	L. I. C. Loans for House Building	..	4127
5392. महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में शराब निकालने की भट्टी	Distillery in Co-operative Sector in Maharashtra		4128
5393. बिहार के सन्थाल परगना में आदिम जातीय खण्ड विकास कार्यालय	Tribal Block Development Offices in Santhal Pargana, Bihar	..	4128
5394. मैसर्स खीमजी पूंजा एण्ड कम्पनी, बम्बई	Messrs. Khimji Poonja & Co., Bombay	..	4128—4129
5395. मैसर्स खीमजी पूंजा एण्ड कम्पनी, बम्बई	Messrs. Khimji Poonja & Co., Bombay	..	4129
5396. मध्य प्रदेश में सहकारी तथा औद्योगिक उपक्रमों को ऋण दिया जाना	Advances to co-operative and Industrial Undertakings in Madhya Pradesh	..	4130
5397. कृषि वित्त निगम	Agricultural Finance Corporation	..	4130
5398. केन्द्रीय सरकार के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Temporary Staff of Central Government	..	4130—4131
5399. पुनर्वास विभाग में स्थायी पद	Permanent posts in Department of Rehabilitation	..	4131
5400. जन्मदर पर नियंत्रण करने के लिए औषधि	Drug to Control Birth Rate	..	4131—4132
5401. रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गर्वनर द्वारा गैर-सरकारी नौकरी की स्वीकृति	Acceptance of Private assignment by former Governor of Reserve Bank	..	4132

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5402. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भत्ते	Allowances to Central Government Employees	..	4132—4133
5403. आयकर निर्धारण सम्बन्धी मामले	Income-tax assessment cases	..	4133—4134
5404. उत्तर प्रदेश में विद्युत् परियोजनाओं का सर्वेक्षण	Survey of Power Projects in U. P.	..	4134—4135
5405. इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को पीपों की सप्लाई	Supply of Barrels to the Indian Oil Corporation Ltd.	..	4135—4136
5406. आसाम में अनुसूचित आदिम जातियां	Scheduled Tribes in Assam	..	4136
5407. साबुन के निर्माण के लिए टेलो (चर्बी) का प्रयोग	Use of Tallow for Manufacture of Soap	..	4136—4137
5408. सरकारी क्षेत्र के कारखाने	Factories in Public Sector	..	4137
5409. कच्छ सीमा पर तस्कर व्यापार	Smuggling on Kutch Border	..	4138
5410. उसमानाबाद (महाराष्ट्र) में कलाम परियोजना	Klam Project in Osmanabad (Maharashtra)	..	4138
5411. कोराडी तापीय बिजलीघर, महाराष्ट्र	Koradi Thermal Power Station, Maharashtra	..	4138—4139
5412-क. दिल्ली के रेस्टोरेंटों और होटलों में 'घी' में मिलावट	Adulteration of Ghee in Delhi Restaurants and Hotels	..	4139
5412-ख. पश्चिम बंगाल के लिए धन का नियतन	Allocation for West Bengal	..	4139
5412-ग. पश्चिम क्षेत्र के इंजीनियरी उद्योग से अभ्यावेदन	Representation from Engineering Industry in Western Region		4140
5412-घ. आसाम में आदिम जातियों का विकास	Development of Tribals in Assam	..	4140
5412-ङ. गुजरात फर्टिलाइजर्स द्वारा हरजाना दिया जाना	Payment of Demurrage by Gujarat Fertilizers	..	4141
5412-च. फर्मों के पास जमा की गई राशि का उनके द्वारा न लौटाया जाना	Non-return of Money Deposited with Firms	..	4141—4142

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
U. S. Q. Nos. अता० प्र० संख्या		
5412-छ. दिल्ली में आसफअली रोड स्थित ग्लोब फाइनें-शियर्ज़ और सिक्योरिटी एण्ड फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में जांच	Enquiry into the Globe Financiers and Security and Finance (P) Ltd. Asaf Ali Road, Delhi ..	4142—4143
5412-ज. नई दिल्ली में चित्रगुप्त रोड पर दुकानें	Shops on Chitra Gupta Road, New Delhi ..	4143
5412-झ. बागान उद्योगों में लगाई गई विदेशी पूंजी	Capital invested in Plantation Industries ..	4144
6412-ञ. युनाईटिड प्रविंसिज कमर्शल कारपोरेशन द्वारा इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी खरीदा जाना	Purchase of Indo-Burma Petroleum Company by U. P. C. C. ..	4144—4145
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	4145—4149
सदस्य की गिरफ्तारी और दोष सिद्धि	Arrest and Conviction of Members ..	4149
श्री शिवचरण लाल	Shri Shiv Charan Lal ..	4149
सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	Committee on Absence of Members ..	4150
तीसरी बैठक कार्यवाही सारांश	Minutes—Third Sitting ..	4150
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक संबंधी याचिका के बारे में	Petition Re. Scheduled castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill ..	4150
दिल्ली के स्कूल के अध्यापकों के वेतन-मानों के पुनरीक्षण के संबंध में वक्तव्य	Statement Re. Revision of Scales of Pay of School Teachers in Delhi ..	4150—4151
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad ..	4150—4151
कार्यमंत्रणा समिति	Business Advisory Committee ..	4151
बारहवां प्रतिवेदन	Twelfth Report ..	4151
सभा का कार्य	Business of the House	4151
मि० हेरल्ड होल्ट के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Mr. Harold Holt ..	4158—4159
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi ..	4158—4159

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGE
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1967-68 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1964-65	Demands for Supplementary Grants (General) 1967-68 and Demands for Excess Grants (General) 1964-65	..	4152—4158
श्री सु० कु० तापुड़िया	Shri S. K. Tarpuriah	..	4157—4158
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	..	4158
श्री दंडपाणि	Shri Dandapani	..	4159—4160
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterjee	..	4160
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	..	4160—4161
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	..	4161
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	..	4162
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	..	4162—4163
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	..	4163
श्री प० गो० सेन	Shri P. G. Sen	..	4163—4164
श्री स० कुण्डू	Shri S. Kundu	..	4164
श्री बसवंत	Shri Baswant	..	4165
श्री म० अमरसे	Shri M. Amersey	..	4165—4166
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	..	4166
श्री तेन्नटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	..	4166—4167
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	..	4167
श्री जी० एस० रेड्डी	Shri G. S. Reddi	..	4167—4168
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	..	4168
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sevak Yadav	..	4168
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant	..	4168—4170
विधेयक पुरःस्थापित	BILLS INTRODUCED		
विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1967	Appropriation (No. 3) Bill, 1967	..	4173—4174
विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1967	Appropriation (No. 4) Bill, 1967	..	4174
विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1967 पारित हुआ	Appropriation (No. 3) Bill, 1967 Passed	..	4174—4175

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1967 पारित हुआ	Appropriation (No. 4) Bill, 1967 Passed	.. 4175—4176
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (मनीपुर) 1967-68	Demands for Supplementary Grants (Manipur) 1967-68	.. 4176—4178
श्री मेघचन्द्र	Shri M. Meghachandra	.. 4176—4178
श्री सेक्वीरा	Shri Sequeira	.. 4177
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	.. 4177—4178
मनीपुर विनियोग विधेयक, 1967-68	Manipur Appropriation Bill, 1967-68	.. 4179—4180
पुरःस्थापित और पारित हुआ	Introduced and Passed	.. 4179—4180
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक	Indian Tariff (Amendment) Bill	.. 4180—4183
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	4180
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	4180
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	.. 4180—4182
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1	.. 4182
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	4182
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (हरियाना) 1967-68	Demands for Supplementary Grants (Haryana), 1967-68	.. 4183—4187
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 4183—4184
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	4184
श्री हेमराज	Shri Hem Raj	4185
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan	4185
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	4186
श्री अ० सि० सहगल	Shri A. S. Saigal	4186
श्री कृ० च० पन्त	Shri K. C. Pant	4186
हरियाना विनियोग विधेयक, 1967	Haryana Appropriation Bill, 1967	.. 4187—4188
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	4187
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	.. 4187—4188
श्री महाराजसिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	4188
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	.. 4188
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	.. 4188

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अत्यावश्यक वस्तुओं (दूसरा संशोधन) विधेयक	Essential Commodities (Second Amendment) Bill ..	4189—4194
प्रवर समिति के प्रतिवेदित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as reported by Select Committee	4189
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi ..	4189—4190
श्री कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	4190
श्री एन० शिवप्पा	Shri N. Shivappa ..	4190—4191
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	4191
श्री म० सुदर्शनम	Shri M. Sudarsanam	4191
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	4191
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	4192
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	4192
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	4192
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra ..	4192—4193
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka ..	4193
खंड 2 से 11 और 1	Clauses 2 to 11 and 1	4194
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass as reported by Select Committee ..	4194
समान व्यवहार संहिता के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion Re. Common Civil Code ..	4194—4196
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri ..	4194—4195
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govind Menon ..	4195—4196
पश्चिमी भारत के हाल ही में आये भूकम्पों तथा सरकार द्वारा किये गये सहायता कार्य के बारे में चर्चा	Discussion Re. Earthquakes in Western India and Relief measure taken by Government ..	4196—4199
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	4196
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	4196
श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav	4197
श्री नाथपाई	Shri Nath Pai	4197
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee ..	4197—4198
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goel ..	4198

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri	.. 4198
श्री देवराव पटेल	Shri Deorao Patel	.. 4198
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 4198
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	.. 4198—4199
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	Motion Re. Flood Situation in the Country—adopted	.. 4199—4003
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	.. 4199—4200
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	.. 4200
श्री रामावतार शर्मा	Shri Ramavatar Sharma	.. 4200
श्री स० कुण्डू	Shri S. Kundu	.. 4201
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	.. 4201
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	.. 4201—4202
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	.. 4202
श्री स० चं० सामन्त	Shri S. C. Samanta	.. 4202
श्री रामानन्द शास्त्री	Shri Ramanand Shastri	.. 4202
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Sidheshwar Prasad	.. 4202—4203

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 21 दिसम्बर, 1967/30 अग्रहायण, 1889 (शक)
Thursday, December 21, 1967/Agrahayana 30, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण

+
* 811. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसको कार्यान्वित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग). मामला सरकार के विचाराधीन है। संसद् के चालू सत्र में ही इस विषय पर एक वक्तव्य दिया जायेगा।

Shri George Fernandes : Only two days remain in the termination of this session. The Minister should have come with the answer itself.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यदि यह इतना आसान होता तो उत्तर और भी पहले दे दिया जाता। इस मामले पर मंत्रिमण्डल को विचार करना है और मंत्रि-मंडल को कई एक प्रश्नों पर विचार करना है। यदि मंत्रिमण्डल उस पर आज विचार कर लेता है तो

मैं कल इस पर वक्तव्य दे दूंगा और यदि नहीं तो मुझे क्षमायाचना करनी होगी और कहना होगा कि अगली बार ऐसा किया जायेगा।

Shri Yajna Dutt Sharma: In view of Governments unhappy experience with the nationalisation of life insurance do Government propose to reconsider this matter as the general insurance is not likely to yield any tangible benefits and moreover it will require more personal supervision?

Shri Jaganath Pahadia: As already stated the whole matter under consideration and a statement is going to be made within a day or two on this question.

श्री श्रीचन्द गोयल : यदि मंत्री महोदय अभी उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं तो इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : स्थगित नहीं किया जा सकता।

Shri Yajna Dutt Sharma: At present foreign capital of the order of Rs. 800 crores is employed in the general insurance in our country. Are Government in position to spell its thoughts on the situation that will emerge on the withdrawal of foreign capital consequent upon the nationalisation of general insurance?

Shri Morarji Desai: The Hon. Member is presuming nationalisation of general insurance which is still under the consideration of the Government. The Hon. Member should wait till the statement is made and it is possible this question may not arise at all.

Shri Raghubir Singh Shastri: May I know whether while taking a decision on this question Government will give due thought to the red-baptism and arrogance of bureaucracy which is generally associated with nationalisation?

Shri Morarji Desai: All the aspects will be taken into consideration.

श्री कृष्णमूर्ति : सामान्य बीमा कम्पनियों की वर्तमान कार्यप्रणाली में क्या त्रुटियां हैं? पिछले दो वर्षों में मैंने अपनी कार पर 700 रु० की किस्तें दी हैं और क्षतिपूर्ति के रूप में मैंने 7,000 रु० से भी अधिक वसूल किया है। राष्ट्रीयकरण द्वारा सरकार इससे क्या लाभ अर्जित करना चाहती है? क्या राष्ट्रीयकरण में कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जायेगी?

श्री मोरारजी देसाई : जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें सभी हित सुरक्षित होंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय सामान्य बीमा कम्पनियां लगभग 70 करोड़ रु० पर नियंत्रण रखती हैं? सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न की जांच करने का सरकार ने जब निर्णय किया था तब से अब तक क्या कुछ गतिविधियां हुई हैं जिनसे सरकार उस निर्णय से पीछे हटना चाहती है या सारे प्रश्न पर फिर से विचार करना चाहती है? क्या इस बीच 70-80 करोड़ रु० पर अच्छा नियन्त्रण रखने का सरकार का विचार है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस प्रश्न को वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया जायेगा।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : 70-80 करोड़ रुपयों का बीमा कम्पनियां किस तरह उपयोग करती हैं?

श्री मोरारजी देसाई : इसे उद्योगों और अन्य उपयुक्त मदों में विनियोजित किया जाता है।

Shri S. M. Joshi: To what extent shall we be able to finance our plans from the nationalisation of general insurance?

Shri Morarji Desai: The question of nationalisation is not yet decided.

Shri S. M. Joshi: What amount of capital is available today?

Shri Morarji Desai: All these companies at present control Rs. 119 crores approximately.

Shri S. M. Joshi: What is the amount of profit earned?

Shri Morarji Desai: The annual profit ranges from Rs. 3 to 4 crores.

श्री चेंगलराया नायडू : यदि सरकार सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण कर देती है तो निजी उद्योगों को जो पूंजी इस समय मिलती है नहीं मिलेगी। इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इसका राष्ट्रीयकरण न करने पर विचार करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह एक काल्पनिक प्रश्न है।

श्री स० मो बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को कई एक संसद् सदस्यों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को यह आशंका है कि राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप उनकी पदावनति कर दी जायेगी या उन्हें फालतू घोषित कर दिया जायेगा ? अतः मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहता हूं कि कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और वेतन को संरक्षित रखा जायेगा।

श्री मोरारजी देसाई : जिसे संरक्षण का हक है उसको संरक्षण दिया जायेगा और जिसे संरक्षण का हक नहीं है उसे संरक्षण नहीं दिया जायेगा।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या यह सच है कि भारतीय कम्पनियों की कुल प्रीमियम आय लगभग 4 करोड़ रु० है जिसमें से पर्याप्त राशि व्यय हो जाती है और केवल मामूली सा लाभ ही शेष रहता है और इसलिये, उसको ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं तो ऐसा नहीं कह सकता हूं क्योंकि उसमें कुछ दोष भी हैं। अतः सरकार को यह देखना है कि इन बुराइयों को दूर किया जाये और इसी की सरकार जांच कर रही है।

Shri Shashi Bhushan Bajpai: When the question of nationalisation of general insurance comes, it is said that this type of insurance yields insignificant profit and when that of nationalisation of banks comes it is said that it involves enormous amount of work. What is the policy of the Government in this regard?

Shri Morarji Desai: This is not the fact. Either question has to be looked into in a different perspective. I shall be able to say anything precisely only after the cabinet has taken a decision in the matter.

Shri George Fernandes: Are Government aware that ever since the question of nationalisation of general insurance was broached, the managements of the general insurance companies have started collecting funds to make propaganda against this move?

Shri Morarji Desai: I am not aware of it.

Shri Prakash Vir Shastri: Sometime back a committee of Government officials was constituted under the Chairmanship of Shri Kolat to supervise the working of the general insurance or perhaps to probe into its working. What are the findings of that committee and what is the reaction of the Government thereto?

Shri Morarji Desai: That was not a standing committee. Shri Kolat was entrusted with some work and he made a report on which certain follow up action was taken. The question of bringing general insurance under social control is under active consideration.

श्री दी० चं० शर्मा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी प्रकार का बीमा कार्य वास्तव में एक ही कार्य है, सरकार सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण में विलम्ब क्यों कर रही है? क्या मंत्रिमण्डल में कोई ऐसा तत्व है जो इसके विरुद्ध है ?

श्री मोरारजी देसाई : सामान्य बीमा और जीवन बीमा दोनों अलग-अलग चीजें हैं। एक नहीं हैं। सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण या सामाजिक नियन्त्रण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। मंत्रिमण्डल में दूसरी राय होने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री हेम बरुआ : सामान्य बीमा द्वारा प्रीमियम के रूप में अब तक कुल कितनी राशि इकट्ठी की गई है और अल्प तथा दीर्घकालीन विनियोजन को उसमें से कितनी प्रतिशत पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है ?

श्री मोरारजी देसाई : प्रीमियम की कुल पूंजी लगभग 70 करोड़ रु० थी जिसमें से विनियोजन के लिये लगभग 3-4 करोड़ रु० ही बच रहता है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : यदि सामान्य बीमे में बड़े पैमाने पर कदाचार है, तो क्या इसका यथाशीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जायेगा ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीय सदस्य कल वक्तव्य के आने तक प्रतीक्षा करें।

Shri Balraj Madhok: May I know whether while nationalising the general insurance, Government will ensure that the efficiency is not eroded and that spirit of competition is maintained?

Shri Morarji Desai: We keep that in view.

Companies Belonging to Shri Biju Patnaik

*811-A: **Shri Nihal Singh:**
Shri Y. S. Kushwah:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of the firms belonging to Shri Biju Patnaik in foreign countries;

(b) whether it is a fact that the Central Government had issued him a passport for visits to foreign countries despite the protest by the Orissa Government; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No permission has so far been given to Shri Biju Patnaik for establishing firms abroad;

(b) and (c). On application Shri Patnaik's passport was renewed on the 19th May, 1967, as his case did not fall under the prohibitory clauses of the Passports Act, 1967.

A request that Shri Patnaik's passport should not be renewed was received from the Government of Orissa as they intended to appoint a Commission of Inquiry to investigate certain alleged charges against the former Ministers of that State. The request could not be complied with as the reasons given did not constitute sufficient ground for such refusal.

Shri Nihal Singh: May I know whether he has been issued a passport to evade the payment of arrears due from companies belonging to Biju Patnaik?

Shri Morarji Desai: It is absolutely wrong.

राज्यों को ऋण

*812. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों को दी गई धनराशि उनके द्वारा समय पर, कुशलतापूर्वक, उचित तथा निर्धारित प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाई जाये, यह सुनिश्चित करने के लिये योजना आयोग ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार किया है और जहां मुख्य उद्देश्यों के लिये उन धनराशि का प्रयोग न किया गया हो या तत्सम्बन्धी शर्तों का उल्लंघन किया गया हो, उस स्थिति में क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ख) राज्यों से राज्यवार ऋण की कितनी-कितनी धनराशि वसूल करनी शेष है और उसकी वसूली की क्या सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) योजना आयोग द्वारा निर्धारित तरीकों के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। योजना आयोग समय-समय पर प्राथमिकता के सुनिश्चयन के लिये पुर्नविलोकन करता रहता है। केन्द्रीय सहायता वास्तविक व्यय के आधार पर ही दी जाती है। जहां तक केन्द्रीय मंत्रालयों के व्यय का सम्बन्ध है, सम्बन्धित मंत्रालय निधियों के उचित उपयोग के लिये जिम्मेदार हैं।

(ख) 31 मार्च, 1967 को राज्यों की ओर बकाया राशि बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2122/67] आशा है कि राज्य सरकारें समय पर भुगतान कर देंगी।

श्री स० चं० सामन्त : क्या योजना आयोग की कोई स्थायी या मूल्यांकन समिति है जो राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों के सदुपयोग को सुनिश्चित करती है ?

श्री मोरारजी देसाई : योजना आयोग इसकी जांच करता है और वित्त मंत्रालय भी जांच करता है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकारी विभागों को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज लिया जाता है और क्या ब्याज समय पर वसूल हो जाता है ?

श्री मोरारजी देसाई : सरकार अपने आप से ब्याज कैसे ले सकती है ?

Shri Prem Chand Verma: What are the details of the loans outstanding against the union territories?

श्री मोरारजी देसाई : संघ राज्य क्षेत्रों का ब्योरा मेरे पास नहीं है।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सच नहीं है कि ऋणों के मामले में गैर-कांग्रेसी सरकारों के साथ पक्षपात किया जाता है ? उड़ीसा सरकार ने पारादीप पत्तन के निर्माण के लिये 15.79 करोड़ रुपये दिये थे परन्तु केन्द्र द्वारा पारादीप पत्तन संगठन को अपने हाथ में लिये जाने के बाद भी वह ऋण वापस नहीं किया गया है। दूसरे, बिजली के शुल्क की 2.64 करोड़ रु० की राशि रूरकेला इस्पात संयंत्र की ओर बकाया है और केन्द्रीय सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और इससे गैर-कांग्रेसी सरकारों के लिये काम करना कठिन हो गया है। तीसरे, जब उड़ीसा सरकार लोह अयस्क पर स्वामिस्व की दर एक रुपया बढ़ाना चाहती थी तो केन्द्रीय सरकार उससे सहमत नहीं हुई, जबकि दूसरी ओर उसने उसी लोह अयस्क पर 10 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगा दिया।

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य कई प्रश्नों को मिला रहे हैं। उनका पहला आरोप कि केन्द्रीय सरकार कांग्रेसी सरकारों और गैर-कांग्रेसी सरकारों में भेदभाव कर रही है, बिलकुल निराधार है। मैं माननीय सदस्य को चुनौती देता हूं कि वह आंकड़े देकर इस भेदभाव को सिद्ध करें और यदि यह सिद्ध हो जाता है तो जो भी दण्ड यह सभा दे मैं उसे पाने के लिये तैयार हूं। जहां तक उस ऋण का सम्बन्ध है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, मैं बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने पारादीप पत्तन को इस शर्त पर अपने हाथ में लिया था कि केन्द्रीय सरकार उस धन को वापस नहीं देगी। चूंकि उड़ीसा सरकार उसको पूरा नहीं कर सकती थी इसलिये उसके कहने पर केन्द्रीय सरकार ने उसको अपने हाथ में लिया था। जहां तक बिजली के शुल्क का सम्बन्ध है, यदि उन्होंने बिजली शुल्क नहीं दिया है, तो यह एक बुरी बात है। कुछ दिन पहले ही मुझे इसका पता लगा था और मैंने बता दिया है कि इसकी अदायगी तुरन्त की जाये और यदि कोई विवाद है तो उसको निपटाया जाये।

अतः भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री प्र० के० देव : मेरे अन्तिम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री मोरारजी देसाई : स्वामिस्व के प्रश्न का सम्बन्ध केवल एक राज्य सरकार से नहीं है अपितु सभी राज्य सरकारों पर यह लागू होता है। केवल उड़ीसा राज्य के लिये ऐसा नहीं किया जा सकता है। सभी राज्य सरकारों के साथ इस प्रश्न पर विचार करना होगा।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : The expenditure incurred on Bhakhra Nangal Dam has not been shown as arrears against the respective States. Was this money given to them in the form of a grants-in-aid or in the form of a loan ?

Shri Morarji Desai : I do not quite understand how the Hon. Member thinks like that. Rs. 209 crores have been shown against the Punjab and Rs. 153 crores have been shown against Haryana.

Shri Shiv Chandra Jha : What is amount of Central loans against the Government of Bihar and what is the reaction of the Government to the State Governments for granting moratorium on the central loans in view of the conditions prevailing there ?

Shri Morarji Desai : The amount of loans against Bihar is Rs. 412·59 crores. As regards the granting of moratorium on loans, we already extended all possible facilities beyond which nothing more can be done.

श्री सूपकार : क्या राज्यों को दिये गये ऋण ब्याज से मुक्त होते हैं और यदि नहीं, तो विवरण में दी गई राशियों पर कितना ब्याज इकट्ठा हो गया है ?

श्री मोरारजी देसाई : ब्याज के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

Shri Ramavtar Shastri : Out of the total loan of over Rs. 400 crores granted to Bihar Government how much was advanced to the Congress Government of Bihar and how much to the non-Congress Government and what amount of interest has to be paid by the State Government annually ?

Shri Morarji Desai : I cannot tell it off hand.

श्री रा० बरुआ : क्या केन्द्रीय ऋणों की इस इतनी बड़ी राशि की वसूली के लिये कोई निश्चित कार्यक्रम बनाया गया है और यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें उसके अनुसार पुनर्भुगतान कर रही हैं और यदि नहीं, तो राज्यों के विरुद्ध क्या वित्तीय अनुशासन लागू करने का विचार है ?

श्री मोरारजी देसाई : कुछ राज्य सरकारें निश्चित कार्यक्रम के अनुसार भुगतान नहीं कर रही हैं। उनमें से कुछ का समायोजन किया जा रहा है और समूचे मामले पर विचार किया जा रहा है।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know statewise the amounts of loans granted to states during 1967 ?

Shri Morarji Desai : I do not have the figures of 1967 with me.

श्री प० गोपालन : केन्द्रीय सहायता का तरीका कुछ ऐसा है जिससे राज्यों पर बोझ पड़ता है। उदाहरणार्थ, केरल को समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने जैसी अलाभप्रद योजनाओं के लिये ऐसा ऋण दिया जिस पर ब्याज लिया जाता है। यहां तक कि विद्युत विकास जैसी लाभप्रद योजनाओं के सम्बन्ध में भी परियोजनाओं के चालू होने से पहले ही ऋण का

भुगतान करना पड़ता है । अतः क्या सरकार अलाभप्रद योजनाओं के लिये दिये गये ऋणों को अनुदानों के रूप में बदलने पर विचार करेगी ताकि राज्यों पर बोझ न पड़े ?

श्री मोरारजी देसाई : जहां अनुदान दिये जा सकते हैं वहां अनुदान दिये जाते हैं और जहां ऋण दिये जा सकते हैं वहां ऋण दिये जाते हैं । यदि राज्य इसको बोझ समझते हैं तो वे इसे न लें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केन्द्र द्वारा राज्यों को ऋण किस आधार पर दिये जाते हैं ? किसी विशिष्ट राज्य से केन्द्र को कितना राजस्व प्राप्त होता है, क्या ऋण देते समय इसको भी ध्यान में रखा जाता है ?

श्री मोरारजी देसाई : हमेशा राजस्व को ही ध्यान में नहीं रखा जाता है, अपितु इन बातों को भी ध्यान में रखा जाता है कि किसी राज्य की कितनी आवश्यकता है, वह ऋण लेने की इच्छुक है या नहीं और भविष्य में ऋण चुकाने की उसकी क्या क्षमता है ।

श्री विश्वनाथन : क्या माननीय वित्त मंत्री मद्रास जैसे राज्य को, जो कि खाद्य उत्पादन दुगना कर रहा है, अधिक ऋण देने पर विचार करेंगे और यह आश्वासन देंगे कि ऋण पर ब्याज लेते समय वह एक कंजूस साहूकार की तरह व्यवहार नहीं करेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं तो कंजूस साहूकार की तरह व्यवहार नहीं करूंगा, परन्तु मैं आशा करता हूं कि राज्य एक दीवालिये की तरह व्यवहार नहीं करेगा ।

श्री वीरभद्र सिंह : क्या पंजाब के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप केन्द्र के ऋण का कुछ भाग हिमाचल प्रदेश पर चला गया है और यदि हां, तो उसकी राशि क्या है ?

श्री मोरारजी देसाई : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

Shri Sarjoo Pandey: May I know whether while granting loans to a state, its financial position is also taken into considration and not only its requirement ?

Shri Morarji Desai: That is also takan into consideration.

सरकारी उपक्रमों की उपभोक्ता सलाहकार परिषद्

*814. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी उपक्रमों के उत्पादों के लिये एक उपभोक्ता सलाहकार परिषद् की नियुक्ति की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) इस परिषद् के गठन, कार्य और निर्देश-पद क्या होंगे और इसके सदस्यों के चयन का क्या आधार होगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों' से सम्बद्ध अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि सरकारी उद्योग-धन्धों के प्रत्येक क्षेत्र में उपभोक्ता सलाहकार परिषद् की स्थापना की जानी चाहिए। आयोग के अनुसार इन परिषदों में उद्योग द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तुओं से सम्बद्ध उपभोक्ताओं की संगठित संस्थाओं, नियंत्रक मंत्रालय, क्षेत्र विशेष के सम्बद्ध निगम और उद्योग में रुचि रखने वाले अन्य सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रतिनिधि होने चाहिए। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गयी है कि इन परिषदों में से प्रत्येक के लिए संसद दो सदस्यों का चुनाव कर सकती है। ये परिषदें उपभोक्ताओं के हितों से सम्बद्ध मामलों के बारे में कार्रवाई करेंगी और सरकार या क्षेत्र विशेष के निगमों द्वारा सौंपे जाने वाले मामलों के बारे में भी उन्हें सलाह देंगी।

(ख) सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

Shri Prem Chand Verma : Is it a fact that the manufactures of the Public Sector Undertakings bear no relevance to international market and consumer interest as is evidenced by the fact that the price quoted by Heavy Electricals Bhopal for the capacitors to a Bombay firm was Rs. 1 crore and 14 lakhs while the imported capacitors cost that firm only Rs. 20·18 lakhs? Is it also a fact that Government have placed an embargo on the import of items manufactured by Public Sector undertakings regardless of the fact that the consumers have perforce to pay the price which is four times over? What steps Government propose to take in this regard?

Shri Jagannath Pahadia : The consumer interest is constantly borne in mind. As regards the difference in prices, there may be other contributory factors for that. As regards the ban on imports, that is necessitated to augment the indigenous production.

Shri Prem Chand Verma : Do Government propose to vest the Bureau of Public Enterprises with more powers in order to make it a more effective body which is at present functioning like a post office?

Shri Morarji Desai : As already said it is under consideration.

राष्ट्रीय आय

*815. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर क्या थी;

(ख) क्या यह सच है कि अभी तक यह वृद्धि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूप-रेखा में निर्धारित किये गये लक्ष्यों से बहुत कम है तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि से भी कम है; और

(ग) यदि हां, तो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) केन्द्रीय अंक संकलन संगठन द्वारा तैयार किये गये 'तुरत अनुमान' के अनुसार 1966-67 में, राष्ट्रीय आय में, इससे पिछले वर्ष की तुलना में, 1.7 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि हुई। परन्तु जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण प्रति व्यक्ति आय में 0.7 प्रतिशत कमी होने का अनुमान है।

(ख) और (ग). 1966-67 में राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि की धीमी गति का मुख्य कारण लगातार सूखे की स्थिति था जिसका प्रभाव कृषि और अन्य प्रकार के उत्पादन पर भी पड़ा। वृद्धि की यह दर चौथी पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप में निर्धारित लक्ष्यों और साथ ही तीसरी पंचवर्षीय आयोजना की सफलताओं से भी कम थी। आशा है कि 1967-68 में अच्छी फसल होने के कारण राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में काफी वृद्धि हो जायगी। कृषि और दूसरे उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न किये जायेंगे ताकि प्रति व्यक्ति आय में और भी वृद्धि हो सके।

Shri Sita Ram Kesri : Is it a fact that the fall in the per capita income in our country is attributable to the recession ? Is it also a fact that the presentation of the draft of the Fourth Plan has been delayed due to the non-availability of the foreign aid in the required measure ? Agriculture contributes to the extent of 50 per cent to our national income. Have Government framed any plan to boost our agricultural production ?

Shri K. C. Pant : Every possible effort is being made to boost the production. Recession does not account for the fall in per capita income, rather the recession is attributable to the fall in per capita income. As regards the Fourth Plan, several factors such as the devaluation, droughts, rise in prices necessitated that the Plan be commenced from 1969.

Shri Sita Ram Kesari : Is not your planning faulty and unproductive as it, lays more stress on construction works and less on productive items ?

Is there any scheme under consideration of the Government to increase the agricultural production which would increase our national income in turn ?

Shri K. C. Pant : Constant efforts are being made to that end.

Shri Hukam Chand Kachwai : To what extent is the per capita income expected to increase due to the bumper crop this year ?

Shri K. C. Pant : We worked out some estimates, but I would not like to give them unless the next crop is harvested.

ईरान के तट से दूर तेल की खोज

+
*817. **श्री हिम्मतसिंहका** :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इटली की फर्म ई० एन० आई० और अमरीका

की फर्म फिलिप्स के सहयोग से ईरान के तट से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर तेल का पता लगाने में सफल रहा है;

(ख) सहयोग की शर्तें क्या हैं;

(ग) इस साधन से प्रतिवर्ष कितना तेल प्राप्त होने की सम्भावना है और तेल की इस प्राप्ति में भारत का कितना भाग होगा तथा इस कार्य पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) क्या फारस की खाड़ी में तट से दूर तेल की खोज का कार्य आगे भी चल रहा है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां ।

(ख) करार की शर्तें 24.2.1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 142 के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये एक विवरण में दी गई हैं ।

(ग) अभी यह बताना कठिन है कि इस स्रोत से तेल का कितना उत्पादन होगा । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का भाग वार्षिक उत्पादन का $\frac{1}{6}$ होगा । अक्तूबर, 1967 तक आयोग द्वारा कुल 13.11 करोड़ रु० का व्यय वहन किया गया था ।

(घ) अग्रेतर खोज सम्बन्धी छिद्रण का कार्य करने का विचार है । ब्योरा अभी तय नहीं किया गया है ।

श्री हिम्मतसिंहका : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इरैनियन आयल कम्पनी को कितना भाग देय है ? आपका भाग क्या है ?

श्री रघुरामैया : जहां तक खोज का सम्बन्ध है, केवल दूसरा पक्ष ही भुगतान करता है और हमें केवल एक तिहाई का ही भुगतान करना पड़ता है । जहां तक वाणिज्यिक उत्पादन का सम्बन्ध है, यह आधे-आधे के आधार पर होता है ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : उपलब्ध सप्लाई से अधिक तेल की आन्तरिक मांग कितनी है, इस समय तेल की कितनी मात्रा आयात की जाती है, और इस उपक्रम में सफलता के परिणामस्वरूप तेल के आयात में किस हद तक कमी हो जायेगी ?

श्री रघुरामैया : अभी यह बताना कठिन है कि इस खोज के परिणामस्वरूप कितना तेल उपलब्ध हो सकेगा । इस समय हम लगभग 60-70 लाख टन अशोधित तेल आयात करते हैं ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या भारत सरकार समझती है कि उत्पादन का चरण पहुंचने पर ईरान सरकार की मांगों के कारण भारत को घाटा नहीं रहेगा ? हमें ईरान को कितना भाग देना होगा और व्यय का कितना भाग ईरान सरकार वहन करेगी ?

श्री रघुरामैया : समूचे तौर पर इस करार को भारत के बहुत फायदे में समझा गया है और इसीलिए इस पर हस्ताक्षर किए गये हैं ।

Shri Maharaj Singh Bharati: What will be the per ton cost in foreign exchange of the crude oil produced as a result of this joint venture?

श्री रघुरामैया : यह उपलब्ध मात्रा पर निर्भर करेगा और फिर उसे व्यय की गई राशि से विभक्त किया जायेगा । इस समय कुछ भी कहना कठिन है ।

श्री समर गुह : भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय तट और विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी के बेसिन और गोदावरी के बेसिन में खनिज तेलों के मिलने की बड़ी सम्भावना है । भारतीय तटों पर तेल की खोज करने की बजाय ईरान के तट पर तेल की खोज करने के क्या कारण हैं ?

श्री रघुरामैया : विदेशी आयात पर निर्भर करने की बजाय यह अच्छा है कि हम देश के भीतर, या बाहर या कहीं भी तेल की खोज करें ।

पी० एल० 480 की निधियों का भारत में राजनैतिक उद्देश्यों के लिये दुरुपयोग

*818. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 की निधियों का भारत में राजनैतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किये जाने के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जैसा कि सभा को मालूम है, गुप्तचर्या कार्यालय (इण्टैलिजैंस ब्यूरो) ने पिछले आम चुनावों में और अन्य प्रयोजनों के लिए विदेशी धन उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट दी थी । उसके अलावा और कोई जांच नहीं की गयी है । गुप्तचर्या कार्यालय द्वारा दी गयी रिपोर्ट में पी० एल० 480 निधि के दुरुपयोग के बारे में कोई सूचना नहीं दी गयी है ।

श्री स० मो० बनर्जी : भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री कृष्णमाचारी ने एक निश्चित वक्तव्य दिया था, जिसका उल्लेख इस सभा में श्री चागला द्वारा किया गया था कि 1967 के आम चुनावों के लगभग 3-4 महीने पहले भारत स्थित अमरीकी राजदूतावास द्वारा पी० एल० 480 निधियों में से भारी निधियां निकाली गई थीं । मैं जानना चाहता हूं कि कितनी राशि निकाली गई थी । क्या पी० एल० 480 निधियों के लेखा परीक्षण के बारे में हमें कोई जानकारी मिलती है या उनका उपयोग पूरी तरह उन पर ही छोड़ दिया जाता है ?

श्री मोरारजी देसाई : निधियां केवल उन्हीं प्रयोजनाओं के लिए दी जाती हैं जिनके लिए वे खर्च करने के हकदार हैं और अब तक की जानकारी के अनुसार हम यह नहीं कह सकते हैं

कि उनका कोई दुरुपयोग हुआ है। 1967 के चुनावों से शीघ्र पूर्व निकाली गई निधियों के सम्बन्ध में मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है।

ये निधियां किस तरह खर्च की जाती हैं इसका ब्योरा जानने का हमें अधिकार नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फिर, आपकी जांच किस प्रकार चल रही है ?

श्री मोरारजी देसाई : इसलिए कोई जांच नहीं हो सकती है।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने जांच के पश्चात एक प्रतिवेदन दिया है जो सरकार के विचाराधीन है। क्या उस प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात भारत में राजनीतिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई गई विभिन्न विदेशी निधियों की जांच करने के लिए सरकार एक आयोग नियुक्त करेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : जी नहीं।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा मोटर गाड़ियों की बिक्री पर पुनः छूट देने की रियायत

*819. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा भारत का औद्योगिक विकास बैंक सड़क परिवहन को मोटर गाड़ियों की बिक्री किये जाने पर पुनः छूट देने की रियायत देने की एक योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पहले ही एक ऐसी योजना तैयार कर ली है। इस योजना का स्थूल ब्योरा विवरण में दिया गया है जिसे सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

विलम्बित अदायगी के आधार पर देशी मशीनों की बिक्री से सम्बन्धित हुण्डियों/वचन-पत्रों (प्रामिसरी नोटों) को पुनः भुनाने की योजना, जिसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1 अप्रैल, 1965 से चालू किया था, 15 नवम्बर 1966 से मशीन बनाने वाले सभी उद्योगों पर लागू कर दी गई। लेकिन सड़क परिवहन उद्योग के लिये इस योजना की उपयोगिता सीमित है क्योंकि वाणिज्यिक गाड़ियों की खरीद से सम्बन्धित अधिकांश लेन-देन किराया-खरीद के आधार पर किये जाते हैं। देश की अर्थ-व्यवस्था में परिवहन उद्योग के महत्व को और इस उद्योग में किराया-खरीद के आधार पर वित्त व्यवस्था करने की प्रणाली को देखते हुए भारतीय औद्योगिक

विकास बैंक ने इस क्षेत्र में हुंडियों आदि को पुनः भुनाने की सुविधाएं देने की दृष्टि से निम्न योजना तैयार की है ।

(1) **सुविधा का स्वरूप** : इस योजना के अन्तर्गत हुंडियों आदि को पुनः भुनाने की सुविधा अभी केवल उन वचनपत्रों पर लागू की जायगी जो (i) मोटर गाड़ियों के निर्माताओं या (ii) किराया-खरीद की वित्त व्यवस्था करने वाली कम्पनियों द्वारा सड़क परिवहन संचालकों के हाथ किराया-खरीद के आधार पर मोटर गाड़ियों को बिक्री करने या उनकी सशर्त बिक्री करने और फिर से बिक्री के सम्बन्ध में लिये जाएंगे । परिवहन संचालक, पब्लिक या प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, सहकारी संस्था, साझेदार फर्म या एक मात्र स्वामी हो सकता है ।

(2) **पात्र संस्थाएं** : हुंडियों आदि की पुनः भुनाने की सुविधाएं केवल उन वाणिज्यिक भारत बैंकों और राज्य सहकारी बैंको को प्राप्त होंगी जिन्हें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, विलम्बित अदायगी के आधार पर, देशी मशीनों की बिक्री से सम्बन्धित हुंडियों या वचनपत्रों को पुनः भुनाने की वर्तमान योजना के प्रयोजन के लिए, समय-समय पर मान्यता प्रदान की है (इस सूची में 68 वाणिज्यिक और सहकारी बैंक हैं और इसमें अधिकांश प्रमुख बैंक शामिल किये गये हैं) इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किराया खरीद कम्पनियों की संख्या 9 है ।

(3) **किराया-खरीद के अन्तर्गत विलम्बित अदायगी की अवधि** : किराया-खरीद/सशर्त बिक्री और फिर से बिक्री के अन्तर्गत विलम्बित अदायगी की अवधि 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए और यदि रिजर्व बैंक द्वारा कोई निदेश जारी किये गये हों, तो उनके अधीन 36 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(4) **पात्र गाड़ियां** : वचनपत्रों (प्रामिसरी नोटों) का सम्बन्ध सामान की ढुलाई करने, नयी गाड़ियों (ट्रकों और जीपों चाहे प्रत्येक गाड़ी का टन-भार कुछ भी हो) और किराये पर चलने वाली यात्री-बसों की खरीद से ही होना चाहिए । चूंकि इस योजना का उद्देश्य, गैर-सरकारी क्षेत्र के सड़क-परिवहन-संचालकों को सहायता पहुंचाना है, इसलिए इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएं, उन व्यक्तियों को, जो इस प्रकार के संचालक नहीं हैं, या सरकारी निकायों को अथवा उनके जैसे निकायों को उपलब्ध नहीं की जायेंगी ।

(5) **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की, वचनपत्रों को फिर से भुनाने की दर** : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वचनपत्रों (प्रामिसरी नोटों) को 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से फिर से भुनायेगा और भुनाने वाले बैंक द्वारा लिये जाने वाले रु० बट्टे की दर 9 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होगी । भुनाने वाले बैंक को इस बात की व्यवस्था करने का अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए कि निर्माता किराया-खरीद की वित्त व्यवस्था करने वाले, सड़क-परिवहन-संचालकों से $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक की समान दर से अधिक ब्याज न लें । इस प्रयोजन के लिए, भुनाने वाला बैंक निर्माताओं/किराया-खरीद की वित्त व्यस्वथा करने वालों से उपयुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है ।

(6) **लेनदेन की की राशि :** किसी विलम्बित अदायगी से सम्बन्धित वचनपत्रों के समूह (सेट) से सम्बन्धित लेनदेन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपया होगी। किसी एक ही परिवहन संचालक के सम्बन्ध में, एक वर्ष के दौरान, 10 लाख रुपयों से अधिक के वचनपत्रों (प्रामिसरी नोटों) के फिर से भुनाये जाने के मामले में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पूर्व-अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या यह सच है कि व्यापारिक बैंक दूसरों के मुकाबले में बहुत अधिक ब्याज ले रहे हैं। क्या इस योजना के अन्तर्गत ब्याज कम लेने की व्यवस्था की गई है, ताकि उद्योग को प्रोत्साहन मिले और बिक्री में वृद्धि हो?

श्री मोरारजी देसाई : मेरे विचार में बैंक कम्पनियों से अधिक ब्याज नहीं ले रहे।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : इस प्रकार के व्यापार पर बैंक अधिक ब्याज वसूल कर रहे हैं, दूसरे व्यापार के मुकाबले में यह बहुत अधिक है।

श्री मोरारजी देसाई : मुझे पता नहीं, मैं इस बारे में पड़ताल करूंगा।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या इस योजना के अन्तर्गत जो लोग मोटर गाड़ियां खरीदना चाहेंगे उन्हें सीधे ही ऋण प्राप्त होंगे अथवा इसके लिए कोई मध्यस्थ होगा?

श्री मोरारजी देसाई : यह तो बैंकों के खुद के सोचने की बात है। मुझे उन्हें इस बारे में कोई निर्देश नहीं देना है कि वे ऐसे लोगों को सीधे ही ऋण प्रदान करें।

दिल्ली के अस्पताल

+
*820 **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मयाबन :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अस्पतालों के प्रबन्ध के बारे में केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन के बीच विवाद चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो विवाद किस मुख्य बात पर है ; और

(ग) उनको हल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

श्री चेंगलराया नायडू : कहा जाता है कि विवादों के कारण अस्पतालों में पूरा साज-सामान नहीं है, रोगियों को काफी मात्रा में दवाइयां भी उपलब्ध नहीं होतीं। क्या यह ठीक है कि इन कारणों से लोगों को कष्ट हो रहा है?

श्री ब० सू० मूर्ति : कोई विवाद नहीं है और सभी अस्पतालों में रोगियों के प्रति अपेक्षित ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या सरकार को इस बात का सन्तोष है कि दिल्ली के अस्पतालों में समुचित औषधियां उपलब्ध हैं जिससे कि सभी प्रकार के रोगियों का काम चल सके ?

श्री ब० सू० मूर्ति : माननीय सदस्य को पता ही है कि अस्पतालों की स्थिति के बारे में जांच करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई है, जैसे ही उसका प्रतिवेदन आ जाता है, हम इस दिशा में अपेक्षित सुधार करने में समर्थ हो सकेंगे ।

श्री म० ला० सोंधी : क्या माननीय मंत्री को इस बात का पता है कि हाल ही में अस्पतालों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पता चलता है कि डाक्टर बहुत अयोग्य हैं । बच्चों और प्रसूति के मामलों में तो यह तथ्य विशेष रूप से सामने आया है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : माननीय सदस्य डाक्टरों की योग्यता के बारे में तनिक अत्योक्ति से काम ले रहे हैं । वास्ताव में हमारे डाक्टर तो..............

श्री म० ला० सोंधी : मेरा निवेदन है कि अभी कल ही एक ऐसी घटना हुई है जब कि एक बच्चे का सिर डाक्टर की अयोग्यता के कारण ही फट गया और मर गया । क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच के लिए तैयार हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मुझे तथ्य बताये जायें, मैं पड़ताल करूंगा ।

आयकर विभाग के कार्य-संचालन की स्थिति

*822. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता के आयकर आयुक्त की अपील को स्वीकार करते हुये 28 नवम्बर, 1967 के अपने निर्णय में यह टिप्पणी की है कि आयकर विभाग के कार्य-संचालन की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस विस्मयजनक रहस्योद्घाटन का भी संकेत किया है कि आयकर अधिकारी तथा अपीलीय सहायक आयुक्त दोनों के समक्ष प्रस्तुत करदाताओं के मामलें में अभिलेख गुम पाये गये हैं ; और

(ग) उस विभाग में कार्य-संचालन की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, आयकर आयुक्त पश्चिम बंगाल, कलकत्ता बनाम श्रीमती अनुसूया देवी के मामलें में ऐसी टिप्पणी दी गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस बात के आदेश हैं कि सब फाइलें ताले में रखी जायं । यह भी आदेश है कि आयकर अधिकारी प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में ऐसी सब फाइलों का निरीक्षण करके प्रमाणपत्र दें कि

कोई भी फाइल गुम नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, सभी आयकर आयुक्तों को कहा गया है कि वह रिकार्ड रखने की प्रणाली का पुनरीक्षण करें और 31-12-67 तक सुझाव दें कि रिकार्ड को किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। सुझाव आ जाने पर बोर्ड इस बारे में पुनः अपने निर्देश जारी करेगा। आयुक्तों को यह आदेश भी दिये गये हैं कि जब किसी रिकार्ड के गुम हो जाने का पता चले तो इस बात का तुरन्त निर्णय कर लिया जाना चाहिये कि यह किसकी जिम्मेदारी है और सम्बद्ध व्यक्ति को तुरन्त सजा दी जानी चाहिए।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

ढोल बनाने के लिए इस्पात की चादरों का आयात

अ० सू० प्र० सं० 16. श्री समर गुह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय से सिफारिश की है कि वह तेल कम्पनियों को ढोल और ड्रम बनाने के लिये विदेशों से लगभग $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये के मूल्य की इस्पात की चादरों का सीधा आयात करने के लिये तेल कम्पनियों को लाइसेन्स जारी कर दें ;

(ख) क्या ये तेल कम्पनियां पहले आयात की गई इस्पात की चादरों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकी थीं और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने कुछ चादरें बाजार में बेच दी थीं ;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये रोक-आदेश द्वारा ड्रम तथा ढोल बनाने वाली कम्पनियों की अपेक्षा इन तेल कम्पनियों के लिये इस्पात की चादरों का सीधा नियतन किये जाने पर रोक लगा दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इन तेल कम्पनियों को इस्पात की चादरें भारतीय निर्माताओं से खरीदने की बजाय विदेशों से आयात करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय इस्पात, खान और धातु मंत्रालय से ढोल और ड्रम के लिए चादरें देने की सिफारिश करता है। वही मन्त्रालय इस बात का अनुमान लगाकर विदेशी विनिमय अलाट करता है कि यह चीज देश में किस मात्रा में उपलब्ध है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). शोधनशालाओं और तेल कम्पनियों पर उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी कोई ऐसी रोक नहीं लगती कि वे सीधे इन वस्तुओं का निर्यात न कर सकें। वे लोग तो इससे पूर्व भी ऐसा करते ही रहे हैं। 1966-67 से पहले ढोलों और ड्रमों के लिए चादरें देश में उपलब्ध नहीं थीं, सीधे ही आयात करके इस जरूरत को पूरा किया जाता था। तेल उद्योग लगभग अपनी सारी आवश्यकता को अतीत में सीधे आयात करके ही पूरा करता रहा है।

श्री रघुरामैया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 3000 टन की चादरें जो कि भारतीय तेल कम्पनियों ने प्राप्त की थीं अभी तक प्रयोग में नहीं लाई गईं। उन्हें किस प्रकार नियमों के अनुसार प्रयोग में लाया जाये यह बात विचाराधीन है।

श्री समर गुहः : क्या 1965 में भारतीय तेल कम्पनियों ने चैकोस्लोवाकिया से 18 गेज की 1038 टन चादरों का आयात किया था, और बाद में पता चला कि यह अनावश्यक है, अत: उनका उपयोग न हो सका। इसी तरह 24 गेज की 2000 टन चादरें पोलैंड से पुनः मंगाई गई और उनका उपयोग न हो सका ? क्या यह ठीक है कि इस तरह भारत सरकार को 9 लाख रुपये का एक हिसाब में और 25 लाख रुपये दूसरे हिसाब में घाटा हुआ और वह भी विदेशी विनिमय का ? क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि इस घाटे के क्या कारण थे ?

श्री रघुरामैया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ढोल और ड्रमों और बैरलों में जो इस्पात का उपयोग हुआ, उसमें अन्तर तो करना ही होगा। हमने इस्पात मंत्रालय को जो सलाह दी थी वह ढोल और ड्रमों के लिए अपेक्षित इस्पात के लिए ही की थी। और मैंने कहा है कि जो इस्पात प्राप्त हुआ था, उसमें से केवल 3000 टन का उपयोग ही तेल कम्पनियां नहीं कर सकी थीं। जहां तक मेरी जानकारी का सम्बन्ध है, मेरे विचार में अन्य तेल कम्पनियों ने उनका उपयोग कर लिया था।

बैरलों के लिए जो इस्पात अपेक्षित था, उसके सम्बन्ध में तो इस्पात मंत्रालय ही कुछ कह सकता है।

श्री समर गुह : क्या यह ठीक है कि हाल ही में तेल कम्पनियों ने पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से प्रार्थना की थी कि उन्हें 18 गेज के इस्पात का 22000 टन आयात करने की अनुमति दी जाय ?

श्री रघुरामैया : पहले तो गैर सरकारी निर्माताओं को ही इसकी अलाटमेंट की जाती थी, तेल कम्पनियों को नहीं। परन्तु हमारी सिफारिश पर उस नीति का त्याग कर दिया गया है। अब सारी अलाटमेन्ट तेल कम्पनियों को ही की जाती है। यह ठीक है कि इस बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिये हैं, वह इसी सम्बन्ध में ही हैं।

'**Shri Prem Chand Verma** : It has been stated in (a) part of the question regarding the 2½ crores of rupees' recommendation. The Honourable Minister has not stated that recommendations we made for these 2½ crores rupees worth licence ? The amount for which the steel Ministry has been recommended for the licences ?

श्री रघुरामैया : इस मंत्रालय की जरूरत के लिये तो 31000 टन इस्पात की ही आवश्यकता है। इस्पात मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इस उद्देश्य के लिए 2 करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय देने को कहा है। इससे ढोल, ड्रमों की सारी आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी और यह 1967-68 के आधे भाग के लिए है।

श्री स० कुण्डू : क्या यह सच है कि सरकार ने इन गैर-सरकारी तेल समवायों को ड्रमों का निर्माण करने के लिये बिटूमन किस्म के इस्पात का आयात करने की अनुज्ञा दी है; और इस इस्पात का आयात करने के पश्चात् ये गैर-सरकारी समवाय कुछ कारखानों का पक्ष ले रहे हैं और क्या यह भी सच है कि कई उद्योग बेकार पड़े हुए हैं जब कि इस फालतू स्टाक का उपयोग नहीं किया गया है ?

श्री रघुरामैया : हमें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि वे इस इस्पात का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है तो हम उसकी छानबीन करेंगे।

श्री हेम बरुआ : बर्मा-शैल, एस्सो और भारतीय तेल समवाय ये तीन पक्ष हैं जिन्हें बिटूमन इस्पात की चादरों का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस दिये जाते हैं और यह जून, 1964 में हुए अन्तर्मन्त्रालय सम्मेलन में किये गये निर्णय के प्रतिकूल किया जाता है और ये समवाय यह इस्पात उन निर्माताओं को देते हैं जो उनके पक्षपाती हैं। इस संदर्भ में, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन तेल समवायों पर निर्भर रहने की बजाय निर्माताओं को इन चादरों का सीधे आयात क्यों नहीं करने दिया जाता है और आपने स्वयं जून, 1964 में हुए निर्णय का उल्लंघन क्यों किया है ?

श्री रघुरामैया : मुझे पता नहीं है कि अन्तर्मन्त्रालय सम्मेलन के संकल्प का कोई उल्लंघन हुआ है। तेल समवायों को इस्पात का नियतन कई वर्षों से अपनाई जा रही नीति के अनुसार किया जाता है और हमने उसका उल्लंघन नहीं किया है।

श्री हेम बरुआ : मैं यह जानना चाहता था कि निर्माताओं को इस इस्पात की चादरों का सीधे आयात क्यों नहीं करने दिया जाता है जिसमें उन्हें इन तेल समवाय पर, जो पक्षपाती हैं, निर्भर न रहना पड़े ?

श्री रघुरामैया : मुझे गैर-सरकारी फर्मों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का पता नहीं है। उद्देश्य यह है कि उनको चादरें दी जायें जिसमें तेल समवायों को समय पर अपेक्षित संख्या में ड्रम मिल सकें और यदि वे इस वितरण से संतुष्ट हैं तो हम उनसे क्यों झगड़ा करें।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार इन तेल समवायों को विशेषाधिकार दे रही है और क्या किन्हीं अन्य समवायों को भी यह विशेषाधिकार दिया जायेगा ?

श्री रघुरामैया : किसी विशेषाधिकार की बात नहीं है। जिनको इन चादरों की आवश्यकता होती है उन्हें ये मिल जाती हैं। भारतीय तेल निगम को भी यह मिलती हैं। इसमें किसी को विशेषाधिकार देने का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Ram Charan : There has been a loss of about Rs. 35 lakhs in this transaction. May I know whether any such restriction had been imposed on the indentors that the unutilised sheets would be disposed of through the Government?

श्री रघुरामैया : यदि फालतू स्टाक होता है तो उसका विनियमों के अनुसार अवश्य निपटान करना पड़ता है। जैसाकि मैंने अभी बताया है कि फालतू स्टाक केवल भारतीय तेल निगम के पास ही है और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इसका निपटान इस विषय पर विनियमों के अनुसार कैसे किया जाये।

श्री समर गुह : ऐसे इस्पात का आयात किस लिये किया गया था ? 35 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का अपव्यय किया गया है। (**अन्तर्बाधा**)

श्री रघुरामैया : हमें आशा थी कि बरौनी तेल शोधक कारखाने में बिटूमन का उत्पादन होने लगेगा। परन्तु संयंत्र में कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण ऐसा न हो सका। हम इस गड़बड़ी को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। चूंकि उत्पादन हो नहीं सका इसलिये इस्पात की चादरों का उपयोग नहीं किया जा सका। अब हम विचार कर रहे हैं कि इस स्टाक का किस प्रकार नियमों के अन्तर्गत निपटान किया जाये।

Shri Ram Charan: It is provided in the Rules that the goods, if not utilised for the purpose for which they are imported, can be confiscated and penalty imposed, may I know why action was not taken in accordance with those provisions in this regard ?

श्री रघुरामैया : आयात लाइसेंस चाहे भारतीय तेल समवाय को दिये जायें अथवा किन्हीं अन्य गैर-सरकारी समवायों को दिये जायें, दोनों के लिए एक जैसी शर्तें हैं। इस मामले में लाइसेंस देने वाले प्राधिकार की सलाह से आयात व्यापार विनियमों के अन्तर्गत इनका निपटान करने की बात विचाराधीन है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलती है।

श्री कार्तिक ओराओं : जब कोई लाइसेंस दिया जाता है तो सरकार से एक प्रमाणपत्र लेना पड़ता है कि यह चीज देश में उपलब्ध नहीं है। क्या ऐसा कोई प्रमाणपत्र सरकार से लिया गया था ?

श्री रघुरामैया : जी, हां। आयात केवल तब किया जाता है जब कोई चीज अपने देश में उपलब्ध नहीं होती है। देश में 9,000 टन चादरें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त हमें 31,000 टन चादरों की आवश्यकता होती है।

श्री सु० कु० तापड़िया : यह सही है कि छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को इस्पात नहीं मिलता है जिससे वे बन्द पड़े रहते हैं अथवा उनकी जो क्षमता है उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं होता है। क्या सरकार इन तेल समवायों से सिफारिश करेगी कि वे इस्पात का वितरण समान रूप से करें जिससे कोई भी कारखाना बन्द न रहे और उनमें पूरी क्षमता से काम हो ?

श्री रघुरामैया : यह एक सुझाव है, परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा, चाहे यह भारतीय तेल कम्पनी हो अथवा कोई अन्य कम्पनी, मूल रूप से इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि

समवायों को ड्रम समय पर मिल सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई सुझाव दिया जाता है तो उस पर अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री हिम्मतसिंहका : ड्रमों का निर्माण करने वालों को इस्पात नहीं मिलता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार आयात लाइसेंस तेल समवायों को न देकर इन निर्माताओं को देगी ?

श्री रघुरामैया : श्रीमन् यह कैसे हो सकता है ? इस इस्पात के ड्रम बनते हैं जो तेल समवायों के काम आते हैं। अतः इस्पात का वितरण उन्हीं पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए जिससे उन्हें ड्रम समय पर और पर्याप्त मात्रा में मिल सकें।

श्री रंगा : वह केवल यह जानना चाहते थे कि क्या इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि ड्रमों के निर्माताओं के बीच इस्पात का उचित वितरण हो जिससे छोटे लोगों को हानि न हो ?

श्री रघुरामैया : मैं पहले ही बता चुका हूं कि ड्रम समय पर और अपेक्षित संख्या में प्राप्त हों और वे अच्छी किस्म के हों। इसको ध्यान में रखते हुए यदि कोई सुझाव दिया जायेगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री क० लकप्पा : ऐसा पता चला है कि तेल समवाय इस्पात की इन चादरों को चोर-बाजार में बेचते रहे हैं और मैसूर में ऐसे कई मामलों का पता लगा है। क्या सरकार इस बात का पता लगाने के लिए कि आयात की गई कितनी चादरें चोर-बाजार में बेची गई, एक जांच समिति नियुक्त करेगी ?

श्री रघुरामैया : यदि वह सूचना, जो वह अपने इस आरोप के पक्ष में रखते हैं, मुझे दे देंगे तो मैं उनका बहुत अनुगृहीत हूंगा।

श्री क० लकप्पा : यह पता लगाना तो सरकार का काम है कि क्या ये चादरें चोर-बाजार में बेची गई हैं। तेल समवाय इसके लिये जिम्मेवार हैं। वे काफी लाभ कमा रहे हैं। इस सारे मामले की जांच करने के लिये सरकार एक जांच समिति नियुक्त क्यों नहीं करती ?

श्री रघुरामैया : मुझे इस आरोप का कोई पता नहीं है। यदि ऐसी कोई शिकायत है तो माननीय सदस्य इसकी सूचना मुझे दे दें।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : जब इतने आरोप लगाये जा रहे हैं तो क्या सरकार आयात की जा रही इस्पात की इन चादरों का उचित उपयोग और वितरण के लिए कोई उपाय करने जा रही है ?

श्री रघुरामैया : मेरी समझ में नहीं आता कि आरोप क्या है। अभी माननीय सदस्य ने

कहा कि चादरें चोर-बाजार में बेची जाती हैं। मैंने कहा कि ऐसी कोई सूचना है तो वह मुझे दी जाये। मैं उस पर अवश्य विचार करूंगा।

श्री हेम बरुआ : आरोप विशिष्ट है। हम यह आरोप लगाते हैं कि वितरण के मामले में ये तेल समवाय कुछ निर्माताओं से पक्षपात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई विशिष्ट शिकायत है तो इसकी उन्हें सूचना दी जाये।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, क्या आप इस आरोप से सहमत हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे जानूं ? मैं नहीं जानता हूं।

Shri Maharaj Singh Bharati: Is it a fact that when the targets of production of these sheets were being fixed, the Ministry of Petroleum failed to take stock of the real position about our demand and requirements with the result that the production fell short of our requirements and now we are going in for those sheets from abroad?

श्री रघुरामैया : जब भी कोई सिफारिश की जाती है तो उस समय मांग और आवश्यकता का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है।

श्री श्रीनिवास मिश्र: क्या यह सच है कि 1966-67 में 18 गेज की चादरों की मांग स्थानीय निर्माताओं ने पूरी कर दी थी ? क्या यह भी सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार हो जाने के बाद इसमें इन चादरों का उत्पादन होना आरम्भ हो जाने से स्थिति में सुधार हो जायेगा ? इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्री महोदय तेल समवायों को 18 गेज की चादरों का आयात करने का परमिट देंगे ?

श्री रघुरामैया : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमें ड्रम की चादर और 18 गेज की चादर के बीच भेद करना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्बन्ध 18 गेज की चादर और इसके वितरण से है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये ऊन के बने कपड़े

*813. **श्री मधु लिमये** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध समाप्त होने के बाद प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए ऊन के बने कपड़े के लिए यथारीति टेंडर मांगे गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मूल्य निर्धारित करते समय इन बातों पर विचार किया गया था कि चीन के आक्रमण से पूर्व निर्माताओं ने कच्चा माल स्वयं लगभग 300 प्रतिशत प्रीमियम पर खरीदा था तथा आपातकाल के बाद सरकार ने कच्चा माल उन मूल्यों पर आयात करने की अनुमति दी थी जो मूल्य बातचीत के बाद तय हुए थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). बम्बई की स्पेशल पुलिस एस्टैबलिशमैंट ने तत्सम्बन्धी फाइल जांच करने के लिए अपने अधिकार में ले ली है। जैसे ही यह फाइल पुलिस से लौट आयेगी तैसे ही अपेक्षित जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अमरीकी पत्रकारों की भारत यात्रा

*816. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री जे० एन० गंजू भारत की यात्रा के लिए हाल में कितने अमरीकी पत्रकारों को लाये थे तथा उनके नाम व पदस्थिति क्या थी, उनकी यात्रा एवं आवभगत पर कुल कितना धन व्यय हुआ था और वे भारत में कितनी अवधि तक रहे थे ;

(ख) क्या यह सच है कि इन पत्रकारों को नाथूला तथा अन्य प्रतिबन्धित सीमावर्ती इलाकों में ले जाया गया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या अमरीकी पत्रकारों के इस दल की यात्रा की व्यवस्था भारत सरकार की प्रेरणा पर की गई थी अथवा श्री जे० एन० गंजू ने अपनी ओर से इसकी व्यवस्था की थी ; और

(घ) इन पत्रकारों की भारत की इस मुफ्त यात्रा से हमें क्या लाभ पहुंचने की आशा है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2123/67]

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस यात्रा का प्रबन्ध सरकार द्वारा किया गया था।

(घ) आर्थिक विकास के बारे में, जिसमें कृषि-विकास भी शामिल है, भारत द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों के सम्बन्ध में अमेरिका में अधिक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से और विकास के इन पहलुओं के प्रचार के लिए किए जा रहे हमारे प्रयत्नों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने यह निश्चय किया कि पत्रकारों के एक दल को निमन्त्रित किया जाय और उन्हें भारत में विकास की वर्तमान स्थिति को स्वयं देखने का अवसर प्रदान किया जाय।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा कृषकों को वित्तीय सहायता

*821. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने कृषकों को बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए बैंक कुल कितनी धनराशि नियत करेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राज्य बैंक और उसके सहायक बैंक, कृषि प्रयोजनों के लिए सहकारी समितियों और अन्य अभिकरणों के लिए परोक्ष और अनुपूरक वित्त की व्यवस्था करते रहे हैं। किसानों को बड़े पैमाने पर सीधे वित्तीय सहायता देने के लिए कोई नयी योजना नहीं बनायी गयी है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

बट्टे खाते में डाली गई आयकर की राशि

*823. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर निर्धारण वर्ष 1967-68 में अब तक आयकर की कुल कितनी राशि बट्टे खाते में डाली गई है ;

(ख) ऐसे प्रत्येक पक्ष के नाम और पता क्या हैं, जिनसे एक लाख से अधिक रुपये के आयकर की मांग की गई थी तथा उपर्युक्त अवधि में जिसकी आयकर की राशि बट्टे खाते में डाली गई है और कितनी राशि बट्टे खाते में डाली गई ;

(ग) ऐसा करने के क्या कारण थे ;

(घ) क्या सरकार को उपर्युक्त वर्ष के ऐसे मामलों का पता लगा है, जिनमें आयकर की मांग को गलत तरीके से बट्टे खाते में डाला गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और जैसे ही जानकारी मिलेगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नर्मदा घाटी परियोजना

*824. **श्री सूपकार :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा घाटी परियोजना सम्बन्धी विवाद पर विचार करने के लिये

नवम्बर, 1967 में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री ने नर्मदा जल संसाधनों के विकास पर विचार-विमर्श के लिये 18 दिसम्बर, 1967 को एक बैठक बुलाई थी, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्रियों तथा मध्य प्रदेश के बिजली मंत्री ने भाग लिया था।

सम्बन्धित चार राज्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हुआ। इस बात पर सभी सहमत थे कि अन्तिम निर्णय करने से पहले भागीदार राज्यों की सिंचाई सम्बन्धी जल आवश्यकताओं से सम्बद्ध कुछ और आंकड़े इकट्ठे किये जाएं। यह निर्णय किया गया कि इन राज्यों के सिंचाई, बिजली और कृषि विभागों के तकनीकी विशेषज्ञ केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्रालय, और खाद्य व कृषि मंत्रालय के तकनीकी विशेषज्ञों से सलाह करके एक मास के भीतर इन विवरणों को तैयार करें। इन चारों राज्यों के मुख्य मंत्री तथा केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री इन विशेषज्ञों द्वारा इकट्ठी की गई अतिरिक्त जानकारी पर जनवरी, 1968 के अन्त में विचार करेंगे ताकि समस्या का समाधान हो जाए।

उर्वरकों के उत्पादन के लक्ष्य

*825. **डा० रानेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ उर्वरक एककों ने अपने उत्पादन लक्ष्यों में कमी करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन उर्वरक एककों के क्या नाम हैं जिन्होंने अपने उत्पादन लक्ष्यों में कमी करने का निर्णय किया है और प्रत्येक एकक ने अपने उत्पादन में कितनी कमी करने का प्रस्ताव किया है ;

(ग) लक्ष्यों में कमी करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन उत्पादन लक्ष्यों में कमी किये जाने के परिणामस्वरूप चौथी योजना के उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री लंका में उर्वरक कारखाना

*826. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार श्रीलंका में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये श्रीलंका सरकार को सहायता देने पर सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो श्रीलंका सरकार ने किस प्रकार की सहायता की मांग की थी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं। (ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

पी० एल० 480 अनुदान

*827. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 खाद्यान्नों का मूल्य राजस्व आय-व्ययक में खाद्य विभाग के राजकीय व्यापार में दर्ज किया जाता है और उसका हिसाब तत्समान व्यय के मुकाबले में दिखाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो पी० एल० 480 के अन्तर्गत आये अनाज की लागत को पूरा करने के लिये जारी की गई विशेष प्रत्याभूतियों के प्रत्यक्ष मूल्य के आधार पर ही पी० एल० 480 ऋणों तथा जमा राशि को पूंजीगत आय-व्ययक में स्थान देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) अमरीकी अनाज का उपभोग करने वालों के द्वारा, जिसे लौटाया जाने वाला अमरीकी ऋण माना जाता है और निश्चित परियोजनाओं के सम्बन्ध में न लौटाया जाने वाला अनुदान पाया जाता है, यद्यपि राजस्व आय-व्ययक में उसको स्थान नहीं दिया गया है, मूल्यों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किये गये अनाज के भुगतान को कैपीटल बजट में राज्य व्यापार शीर्ष के अधीन दर्ज किया जाता है।

(ख) उपरोक्त राशि का भुगतान भारत के रिजर्व बैंक में खुले अमरीकी खाते में किया जाता है, जो इसे भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में लगा देता है और तदनुरूप उसे कैपीटल बजट में सम्मिलित कर लिया जाता है। विशेष प्रतिभूतियों को यथासमय ऋण और अनुदानों के रूप में बदल दिया जाता है या अमरीकी अधिकारियों द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। बजट में इन सौदों का ब्योरा भी दिया जाता है।

(ग) खाद्यान्नों की बिक्री से प्राप्त राशि को कैपीटल बजट में राज्य व्यापार शीर्ष के अधीन ऋण के रूप में दिखाया जाता है। पी० एल० 480 ऋणों के यथासमय भुगतान का कैपीटल बजट में हिसाब रखा जाता है।

चांदी की तस्करी

*828. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत से बड़े पैमाने पर चांदी की तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : तस्कर व्यापार, जिसमें चांदी का तस्कर व्यापार भी सम्मिलित है, को रोकने के लिये सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही की है : व्यवस्थित रूप से जानकारी एकत्र करना, विश्वसनीय मुखबिर नियुक्त करना, विभिन्न तस्कर व्यापारियों के गिरोह पर आंख रखना, संदेहास्पद जहाजों तथा विमानों की तलाशी लेना, तटीय जल तथा थल क्षेत्र में गश्त करना तथा कुछ मामलों में मुकद्दमों का चलाया जाना।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा कमाया गया मुनाफा

*830. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लोगों का यह आरोप सही है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने पहले के कालोनाइजरों की तुलना में अधिक मुनाफा कमाया है ;

(ख) क्या भूमि अर्जन, विकास तथा विक्रय सम्बन्धी सरकारी नीति के कारण अधिकांशतः दिल्ली में भूमि के मूल्य बढ़े हैं ; और

(ग) क्या भूमि के अर्जन और उसके विकास के बीच तथा भूमि के विकास और विक्रय के बीच बहुत लम्बी अवधि रखी गई थी जो दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप नहीं थी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। सरकारी नीति के फलस्वरूप अभी हाल ही में भूमि के मूल्य कम हुए हैं।

(ग) भूमि के पूर्ण विकास में सामान्यत: 3 वर्ष लगते हैं। यह नाली आदि (ट्रंक सर्विसेज) पर भी निर्भर करता है जिसकी व्यवस्था दिल्ली नगर निगम के द्वारा की जाती है। भूमि के और आगे विकास करने तथा भूमि के निपटान करने में शीघ्रता करने के हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Increase in Rates of Daily Allowance of Central Government Employees

*831. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Chengalraya Naidu:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that Government propose to increase the rates of Daily Allowance of Central Government employees by 25 per cent;

(b) if so, from which date; and

(c) the ceiling of salaries to be covered by this increase?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia): (a) and (c). A proposal for increasing the rates of Daily Allowance of Central Government employees drawing pay upto Rs. 400/- p. m. by about 25% is under examination by a Committee of the National Council of the Joint Consultation Machinery.

(b) The revised rates when finalised will, as usual, be effective from a prospective date.

देश में तेल की खोज

*832. **श्री शिवचन्द्र झा:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तेल की कोई नई खोज की है;

(ख) यदि हां, तो देश में बिना निकाले गये तेल की अनुमानित मात्रा कितनी है और उसे निकालने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस खोज कार्य में कितने भारतीय तकनीकी कर्मचारी लगे हुए हैं तथा कितने विदेशी ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की विभागीय भूकम्प दलों द्वारा 1967 के दौरान गुजरात, कच्छ, जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, आसाम, आन्ध्र प्रदेश, कावेरी बेसिन और मद्रास राज्य में भूकम्प सर्वेक्षण किये गये हैं और राजस्थान राज्य में सी०जी०जी० ने ठेके पर सर्वेक्षण किया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अंकलेश्वर के ओल्पाड, भड़ौच, धाधार क्षेत्र और जम्बूसर, अहमदाबाद के कालोल, मेहसना, अहमदाबाद, कडी, सनन्द, बकरोल क्षेत्र, केम्बे के नवागाम, धोल्का, कथना क्षेत्र तथा सिबसागर के रुद्रसागर लकवा क्षेत्र में छिद्रण कार्य किया है।

1967 में राजस्थान के मनहेरा तिब्बा क्षेत्र में गैस मिली है और अहमदाबाद के मेहसना क्षेत्र में तेल मिला है। ऊपरी आसाम तथा निंगरू में इंडिया आयल लिमिटेड कार्य कर रही है।

(ख) जब तक सब क्षेत्रों में छिद्रण कार्य की जांच पूरी नहीं कर ली जाती तब तक बिना निकाले गये तेल का अनुमान लगाना कठिन है। अब तक प्राप्त तेल गर्भित क्षेत्रों का अधिक से अधिक विदोहन किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक देशी तेल उपलब्ध हो सके।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड ने इस कार्य के लिये कुछ विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त किये हैं। शेष कार्य भारतीयों द्वारा किया जा रहा है।

गोदावरी नदी के जल को कृष्णा नदी में डालना

*833. **श्री मु० न० नाघनूर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 13 जुलाई, 1967 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 29 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी नदी के जल को कृष्णा नदी में डालने के बारे में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो गई है और कितने जल को इस प्रकार मोड़ा जायेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो गोदावरी नदी के जल को मोड़ने के बारे में की जा रही जांच की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) मूलरूप में अवेक्षित क्षेत्रीय अनुसंधान कार्य पूरे हो गए हैं। विभिन्न संरचनाओं के अभिकल्पों तथा संभाव्यता रिपोर्ट को तैयार करने के सम्बन्ध में अध्ययन प्रगति कर रहे हैं।

नर्मदा सागर परियोजना

*834. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी फर्म मेसर्स वी० ओ० इनर्जेमैचैम्सपोर्ट द्वारा पेश की गई सहायता की शर्तों तथा निबंधनों का जो कि नर्मदा सागर परियोजना का कार्य आरम्भ करने के लिये उपयुक्त हैं ; लाभ न उठाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन में संशोधन करने का केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का विचार है ; और

(ग) इस परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी तथा वित्तीय मंजूरी देने में क्या कठिनाइयां हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). जब कोई परियोजना तकनीकी रूप से पास हो जाती है और उसकी कार्यान्विति के लिये योजना में आवश्यक धन का प्रबन्ध कर लिया जाता है, उसके पश्चात् ही उस परियोजना के लिये विदेशी सहायता के प्रश्न पर विचार किया जाता है। राज्य सरकार ने यह बताया है कि इस परियोजना में कुछ संशोधन किये जाने हैं। राज्य सरकार से पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

रुई के स्टाक के विरुद्ध धन की पेशगी पर प्रतिबन्ध

*835. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिल मालिकों और किसानों ने अनुसूचित बैंकों द्वारा रुई और कपास के स्टाक

की जमानत पर दिये जाने वाले पेशगी धन पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा लगाये गये सब प्रतिबन्धों को शीघ्र वापिस लेने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) रिजर्व बैंक को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) रुई के मूल्य अब भी ऊंचे हैं । चूंकि नई फसल के आने से मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिये ऋण सम्बन्धी विद्यमान प्रतिबन्धों में सुधार का प्रश्न इस समय नहीं उठता । तथापि रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले को उसके गुणों के आधार पर देखा जाता है और जहां आवश्यकता होती वहां प्रतिबन्ध हटा लिये जाते हैं ।

सरकारी उपक्रमों के लिये धनराशि के नियतन को युक्तिसंगत बनाना

*836. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने पुराने और नये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को फिर से धनराशि दिये जाने के आधार को युक्तिसंगत बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). यद्यपि सरकारी उपक्रमों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी संचालन पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को बैंकों से नकद ऋण लेकर पूरा करें, फिर भी पूंजीगत आस्तियों को बनाने के लिये उन्हें धनराशि इक्विटी या ऋण पूंजी के रूप में दी जाती है । पुराने उपक्रमों के मामलों में उनके आन्तरिक संसाधनों को भी ध्यान में रखा जाता है । प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण

*837. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति के अनुसरण में गैर-सरकारी अनुसूचित बैंकों से (i) पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने तथा (ii) उनके निदेशक बोर्ड तथा बड़े उद्योगपतियों के प्रभत्व को समाप्त करने के लिए अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या कुछ बैंकों ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने की अपनी सहमति व्यक्त की है ; और

(ग) बैंकों के निदेशक बोर्डों का विस्तृत आधार पर गठन करने के प्रस्ताव के बारे में बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) वाणिज्यिक बैंकों ने यह बात मान ली है कि वे अपने निदेशक बोर्डों की नियुक्ति सरकार की नीति के आधार पर करेंगे ।

मद्यसार की कमी

*838. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पिछले तीन वर्षों में औद्योगिक मद्यसार का कुल कितना उत्पादन हुआ और इसकी कितनी आवश्यकता थी ;

(ख) क्या यह सच है कि मद्यसार की कमी होने तथा शीरे के निर्यात के लिए अनुमति देने की सरकारी नीति के कारण रसायन उद्योग का विकास रुक गया है ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय उद्योग की औद्योगिक मद्यसार सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

वर्ष	उत्पादन (लाख गैलन)	मांग (लाख गैलन)
1965	415	370
1966	430	400
1967 (अनुमानित)	300	505.5

(ख) 1966-67 के चीनी फ़सल में मद्यसार के अभाव के कारण मद्यसार-आधृत उद्योगों का उत्पादन प्रभावित हुआ है । फालतू शीरे के निर्यात की अनुमति दी जाती है । चालू वर्ष में कमी होने से गत जुलाई में शीरे का निर्यात रोक दिया गया था ।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(एक) शीरे और मद्यसार के निर्यात का रोका जाना ।

(दो) देशी मद्यसार की उपलब्धता को आयातित मद्यसार से बढ़ाना ।

(तीन) मद्यसार के वितरण सम्बन्धी प्राथमिकताओं के बारे में मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाये जा चुके हैं ।

हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइप लाइन

*839. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया-बरौनी-कानपुर और गौहाटी-सिलिगुड़ी पाइप लाइनें बिछाने के लिये

भारतीय तेल निगम ने अमरीका की फर्म मैसर्स बैकटेल कारपोरेशन के साथ एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस निगम का पाइप लाइन प्रभाग पाइप लाइन बिछाने के लिये तेलशोधन तथा विपणन प्रभाग की अपेक्षा बहुत अधिक दर दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय तेल निगम के तेलशोधक कारखाने तथा विपणन प्रभागों ने तेलशोधक कारखानों से मंडियों तक तेल उत्पाद भेजने के लिये कोई लम्बी पाइप लाइन नहीं बिछाई है। उत्पादों के लाने-ले जाने के लिये पाइप लाइनों को बिछाने और उनको संचालित करने का काम पाइप लाइन प्रभाग करता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में पेय जल का संभरण

*840. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजधानी में पेय जल के संभरण की स्थिति सुधारने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) से (ग). दिल्ली में पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिये जो कदम उठाये जा रहे हैं उनके बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2124/67]

Capital Investment by Centre in Madhya Pradesh

5184. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the capital invested **per capita** by the Central Government in industries in the States of Maharashtra, West Bengal, Madras and Madhya Pradesh, respectively during the Third Five Year Plan period;

(b) the reasons for shortfall in the matter of investment in Madhya Pradesh;

(c) whether Government propose to give more assistance during the Fourth Five Year Plan period to make up the deficiency due to lesser investment made there during the preceding Plans ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The per capita value of property (gross block) of Central Government industrial undertakings in the States of Maharashtra, West Bengal, Madras and Madhya Pradesh as at the end of Third Five Year Plan was as follows :—

		(In rupees)
1.	Maharashtra	13
2.	West Bengal	82
3.	Madras	47
4.	Madhya Pradesh	120

Separate figures for the Third Five Year Plan period are not available.

(b) to (d). Do not arise.

L. I. C. Investment in Certain States

5185. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Life Insurance Corporation does not invest capital in Madhya Pradesh in proportion to the amounts collected by it from that State ;

(b) if so, whether it is also a fact that the Corporation discriminates against Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Madras in the matter of capital investment ; and

(c) if not, the amounts collected by the Corporation from Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Madras respectively during the last three years and the state-wise amounts of the capital invested by it in the said States in industries, etc. out of the amounts so collected ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The Life Insurance Corporation of India does not invest money in any State in proportion to its annual receipts in the shape of premium received from the lives insured in that State nor is it feasible.

(b) and (c). No discrimination is being made as between different States in the matter of investment. It may be explained that from out of the total funds available to the Life Insurance Corporation for investment, the actual investment made depends upon various considerations like the demands for assistance received, the viability of the project for which assistance is required etc.

The table below shows the premium income from and the investments made in Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Madras respectively.

(Rs. in crores)

State	Year	Premium income	Investments
Madhya Pradesh	1963-64	3.92	1.67
	1964-65	4.33	4.57
	1965-66	5.35	3.97
	Total	13.60	10.21
Maharashtra	1963-64	23.67	11.47
	1964-65	28.24	15.64
	1965-66	33.36	19.19
	Total	85.27	46.30
Gujarat	1963-64	9.79	3.89
	1964-65	11.27	4.33
	1965-66	12.88	6.33
	Total	33.94	14.55
Madras	1963-64	12.44	8.47
	1964-65	13.94	6.37
	1965-66	17.11	15.57
	Total	43.49	30.41

Banks in Madhya Pradesh

5186. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no scheduled bank of the State level in Madhya Pradesh;

(b) if so, whether it is also a fact that the existing scheduled banks in Madhya Pradesh do not invest capital in the State in the proportion in which money is deposited therein in the State;

(c) if so, whether the Central Government and the Reserve Bank of India propose to give help for the establishment and expansion of regional and District level banks; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The import of the question is not very clear. There are two scheduled commercial banks which are registered in Madhya Pradesh, namely, the State Bank of Indore and the Krishnaram Baldeo Bank Private Ltd.

(b) As at the end of 1966, there were 265 offices of 15 scheduled commercial banks in Madhya Pradesh with deposits of Rs. 87.91 crores and advances of Rs. 58.83 crores. After allowing for the statutory requirements regarding liquidity, the amount advanced in Madhya Pradesh by these banks is not far short of their disposable resources. It would not be possible to insist that deposits collected by a bank from a given area should be utilised within that area alone as funds will be diverted to centres where they can be profitably utilised.

(c) and (d). It is the policy of the Reserve Bank to consolidate the banking system in the country and to ensure the growth of regional, viable units which would be able to cater efficiently to the needs of agriculture, trade and industry in their areas of operation. There would be no objection on the part of the Reserve Bank to the establishment of a new banking company provided it satisfies statutory requirements and shows promise of growth. It may not, however, be practicable to organise commercial banks on a district basis as these may not prove to be viable. The Central co-operative banks are, however, already functioning at the district level.

खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज

5187. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खम्भात की खाड़ी परियोजना में तेल की खोज के कार्य से सम्बन्धित 12 प्रमुख भारतीय अधिकारियों के नाम और पद क्या हैं, तथा उन्हें कितना-कितना वेतन मिलता है और उन्हें क्या-क्या अन्य उपलब्धियां मिलती हैं; और

(ख) 31 अक्तूबर, 1967 तक इस परियोजना के सम्बन्ध में ये अधिकारी कितने देशों में गये तथा किस-किस तारीख को गये और उनकी प्रत्येक विदेश यात्रा पर कितना-कितना धन खर्च हुआ ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात में बड़ी सिंचाई योजनायें

5188. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में बड़ी सिंचाई योजनाओं की प्रगति धीमी है और उनमें अवरोध आ गया है;

(ख) इस समय क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) खाद्य उत्पादन की आवश्यकता को देखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में आरम्भ की जाने वाली और योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(घ) गुजरात को विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन नियतन के बारे में क्या-क्या प्राथमिकताएं दी गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) वित्तीय संसाधनों की तंगी के कारण गुजरात में सिंचाई स्कीमों की प्रगति धीमी पड़ गई है, परन्तु बिलकुल रुक नहीं गई।

(ख) परियोजना का नाम	अनुमित लागत	1967-68 के अन्त तक आशामित व्यय
	(लाख रुपयों में)	
1. उकाई बांध परियोजना	9441	2808
2. नर्मदा परियोजना	4141	576
3. माही (कदना) परियोजना चरण-1	1627	150
4. माही चरण-1	2456	1688
5. कक्रापार परियोजना	1857	1719
6. दन्तिवाड़ा (बनस) परियोजना	1088	1223
7. हथमथी परियोजना	545	528
8. क्षेत्रुन्जी (पलिताना) परियोजना	696	687

(ग) और (घ). 1968-69 की वार्षिक योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

गुजरात को सिंचाई और विद्युत योजनाओं के लिये धन का नियतन

5189. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय सरकार ने गुजरात की सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए पृथक-पृथक कितनी धनराशि की सहायता की;

(ख) क्या यह धन कुछ विशेष परियोजनाओं के लिए दिया गया था; और

(ग) चालू वर्ष में गुजरात को कितना धन नियत किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख). दूसरी और तीसरी योजनाओं के दौरान ग्राम विद्युतन और बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों को छोड़कर अन्य किसी सिंचाई व बिजली स्कीमों के लिये गुजरात को निर्धारित केन्द्रीय सहायता नहीं मिली। ग्राम विद्युतन तथा बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के लिये अभी तक निम्नलिखित ऋण दिये गए हैं :

	ग्राम विद्युतन	बाढ़ नियंत्रण
	(लाख रुपयों में)	
पहली और दूसरी योजना	पहली और दूसरी योजना के पृथक-पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।	
तीसरी योजना	458.74	45.50
1966-67	420.00	10.00

यह निर्णय किया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष से उकाई परियोजना के लिये निर्धारित केन्द्रीय ऋण सहायता दी जाए।

(ग) चालू वर्ष में ग्राम विद्युतन, बाढ़ नियंत्रण तथा उकाई परियोजना के लिये निम्नलिखित राशियां निर्धारित की गई हैं :

ग्राम विद्युतन	266.00 लाख रुपये
बाढ़ नियंत्रण	9.50 लाख रुपये
उकाई	877.00 लाख रुपये

गुजरात में आधारभूत तथा बुनियादी अनुसन्धान योजना

5190. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में आधारभूत तथा बुनियादी अनुसंधान योजना के अन्तर्गत गुजरात के लिए कोई अनुसंधान संबंधी योजना स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और. (ख). स्कीमें वर्षवार अलाट नहीं की जातीं। स्वीकृत अनुसंधान स्कीमों के लिये धनराशियों का प्रबन्ध प्रतिवर्ष किया जाता है। गुजरात को निम्नलिखित समस्याएं अध्ययन के लिये दी गई हैं जो कि 1967-68 के दौरान भी जारी रहेंगी।

1. **सिंचाई** (**अनुसंधान स्कीमें**)

(1) मिट्टी की आभियन्त्रिक विशेषताएं (2) अव-भूमि प्रवाह	गुजरात अभियंत्रण अनुसंधान प्रयोगशाला, बड़ौदा के अधीन

2. **बिजली** (**अनुसंधान स्कीमें**)

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई के तारतम्य को कायम रखना	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड के अधीन

(ग) अभी तक निम्नलिखित प्रगति हुई है :

सिंचाई

(1) **मिट्टी की आभियंत्रिक विशेषताएं**

इस समस्या के अधीन पथरीली मिट्टी के मिश्रणों की संघटनात्मक विशेषताओं के संबंध में अध्ययन किये गए।

(2) **अव-भूमि प्रवाह**

इस समस्या के अधीन मेशना क्षेत्र में भू-गत जल पुनः पूरण के संबंध में अध्ययन किये गए थे। इसका क्षेत्रफल लगभग 250 वर्गमील है और गुजरात राज्य के कठारी (सेलाबी) प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र में लगभग 350 सरकारी और 438 गैर-सरकारी नलकूप लगाए गए हैं जिनसे प्रतिवर्ष 1410 करोड़ गैलन पानी निकलता है। प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में भू-गत जल की पुनः पूर्ति का पता लगाने के लिए अध्ययन किए गए थे। इन अध्ययनों से पता चला है कि एक वर्ष में 1470 करोड़ गैलन की पुनः पूर्ति हो सकती है।

बिजली

(1) **ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई की तारतम्यता को कायम रखना**

इस विषय के अध्ययन में काफी प्रगति हुई है।

गुजरात में तेल के लिये छिद्रण कार्य

5191. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में तेल का पता लगाने के लिये अब तक कितने स्थानों पर छिद्रण कार्य आरम्भ किया गया है;

(ख) इन छिद्रण कार्यों के फलस्वरूप कितने स्थानों पर तेल मिला है;

(ग) वर्ष 1967-68 में कितने स्थानों पर छिद्रण कार्य आरम्भ किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस समूचे राज्य का भू-कम्पीय सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो गुजरात राज्य में तेल मिलने की क्या संभावनाएं हैं और किन-किन स्थानों पर मिलने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) अभी तक गुजरात के 22 क्षेत्रों में छिद्रण-कार्य आरम्भ किया गया है।

(ख) बारह क्षेत्रों में तेल मिला है।

(ग) चौदह क्षेत्रों में।

(घ) उन सब स्थानों का, जहां अधिक तेल मिलने की संभावना है, सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

(ङ) तेल या गैस या दोनों वस्तुएं वाणिज्यिक मात्रा में अंकलेश्वर, कथना धोलका, नवागाम, कालोल और सनन्द में मिल चुकी हैं। कोसम्बा, अहमदाबाद, कडी और महसन में तेल मिला है।

निजामसागर जलागार (रिजर्वायर) और नहर पद्धति

5192. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामसागर जलागार के पुनर्निर्माण तथा नवीकरण के लिए तथा इसके टैंक का जल-स्तर बढ़ाने और निजामाबाद जिले में नहर पद्धति के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इसको अन्तिम रूप देने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि-कार्यों के लिये बिजली की सप्लाई के हेतु गुजरात को राज-सहायता

5193. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में कृषि-कार्यों के लिये बिजली की सप्लाई करने के हेतु गुजरात सरकार को कितनी आर्थिक सहायता दी गई; और

(ख) खेती की उपज बढ़ाने के लिये राज्य में कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). भारत सरकार ने गुजरात सरकार को 1966-67 के दौरान कृषि उद्देश्यों के लिये बिजली सप्लाई करने के लिये कोई उपदान नहीं दिया है। उस वर्ष गुजरात सरकार को ग्राम विद्युतन स्कीमों के लिए, जिनमें कृषि उपज को बढ़ाने के लिये सिंचाई पंपों को ऊर्जित करने पर बल दिया गया है, 4.20 करोड़ रुपयों की निर्धारित केन्द्रीय सहायता दी गई थी। 1966-67 में 11301 नलकूप/पम्प ऊर्जित किये गये। 31 मार्च, 1967 तक कुल 28,455 पम्प/नलकूप ऊर्जित किये गए थे।

परियोजनाओं के लिये निधियों का उपयोग

5194. **श्री चरणजीत राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे सरकारी परियोजनायें कौन-कौन सी हैं जो उनको नियत धनराशि व्यय नहीं कर पाई हैं;

(ख) इसमें से कितनी धनराशि ऐसी हैं जो पर्याप्त प्रारम्भिक कार्य न किए जाने के कारण व्यय नहीं की जा सकी हैं; और

(ग) धनराशि का पूरी तरह उपयोग करने के लिये सरकार ने प्रबन्धकों को क्या अनुदेश दिये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पिछले वित्तीय वर्ष, अर्थात् 1966-67 में, निम्नलिखित प्रतिष्ठानों को जो रकमें दी गयीं वे उस वर्ष उनके लिए की गयी अन्तिम व्यवस्था से कम थीं :

1. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड
2. बोकारो स्टील लिमिटेड
3. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
4. माइनिंग ऐण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
5. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
6. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी
7. भारत हैवी प्लेट ऐण्ड वैसल्स लिमिटेड
8. नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन
9. सीमेण्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
10. प्रागा टूल्स लिमिटेड
11. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
12. फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया
13. सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन
14. मार्डन बैकरीज लिमिटेड
15. सेण्ट्रल फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड
16. नेशनल रिसर्च डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड
17. रिहैबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड

(ख) धनराशि कम दिये जाने का कारण, पर्याप्त प्रारम्भिक कार्य पूरा न होने के अलावा, असैनिक निर्माण-कार्यों की प्रगति, विदेशी/भारतीय संभरणकर्ताओं से संयंत्र और उपकरण प्राप्त होने आदि सम्बन्धी कुछ आशाओं का पूरा न होना था। केवल पर्याप्त प्रारम्भिक कार्य पूरा न होने के कारण ठीक-ठीक कितनी राशि कम दी गयी यह पृथक् रूप से बताना सम्भव नहीं है।

(ग) ये हिदायतें पहले से ही मौजूद हैं कि सरकारी प्रतिष्ठानों को समय-समय पर उनकी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ही धनराशि दी जाय। बजट में जितनी रकम की व्यवस्था की जाती है उसे वास्तविक खर्च की प्रगति को ध्यान में रखे बिना ही दिये जाने की आशा नहीं की जाती।

आयुर्वेदिक औषधालय, किदवईनगर, नई दिल्ली

5195. **श्री बूटा सिंह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच अथवा छः महीनों से किदवई नगर स्थित केन्द्रीय

सरकारी स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेदिक औषधालय से रोगियों को कई स्टैंडर्ड दवाईयां नहीं दी जा रही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि गोल मार्केट आयुर्वेदिक औषधालय से अपना इलाज करने पर रोगियों को 'च्यवनप्राश' तथा 'द्राक्षासव' मुफ्त में मिलता है ये औषधियां आयुर्वेदिक औषधालय, किदवई नगर से इलाज कराने वाले रोगियों को नहीं दी जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किदवई नगर, नई दिल्ली के उक्त आयुर्वेदिक औषधालय से ऐसी दवाइयों की सप्लाई हो सके इसके लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अपेक्षित औषधियों का पर्याप्त भण्डार है तथा वर्ष के आरम्भ में जो अस्थायी कमी हो गई थी उसे बहुत देर पहले पूरा कर दिया गया है ।

(ख) च्यवनप्राश तथा द्राक्षासव टानिक हैं तथा सीमित मात्रा में दी जाने वाली वस्तुएं हैं । ये सक्षम प्राधिकारी की सलाह पर ही दी जाती हैं । तथापि ये औषधियां गोल मार्केट स्थित आयुर्वेदीय डिस्पेन्सरी से सुझायी और दी जाती हैं या किदवई नगर स्थित डिस्पेन्सरी से इसमें कोई भेद नहीं माना जाता ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Translators and Hindi Assistants

5196. **Shri Shiv Charan Lal:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in his Ministry, the posts of Hindi Assistants are those of Grade II while the posts of translators are those of Grade III;

(b) whether the Hindi Assistants are given grade III after promotion; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c). The posts of Hindi Assistants and Hindi Translators in this Ministry were hitherto classified as Class II and III respectively. It has recently been decided to reclassify Hindi Assistants as Class III. This will remove the anomaly pointed out.

महाराष्ट्र में सांझाया विद्युत् ग्रिड

5197. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में और विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में कृषि कार्यों के लिये बिजली की नियमित सप्लाई के लिये महाराष्ट्र में एक सांझा बिजली ग्रिड बनाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : परस से खपेरखेडा तक एक 132 के० वी० डबल सर्किट लाइन पूर्ण होने को है। नासिक से काल्वा तक एक 220 के० वी० डबल सर्किट लाइन का निर्माण हो रहा है और इसके दिसम्बर, 1968 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इन सम्पर्कों के बन जाने से, महाराष्ट्र राज्य में इन संघटक बिजली प्रणालियों को एक सांझे ग्रिड के रूप में चलाना सम्भव हो जायेगा जिससे विदर्भ क्षेत्र में कृषि तथा अन्य उद्योगों के लिए बिजली की सप्लाई स्थिति में सुधार हो जायगा।

अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये शिक्षा तथा वित्त की सुविधायें

5198. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के लोगों को मिलने वाली शिक्षा तथा वित्त की सुविधाएं उन लोगों को भी देने का सरकार का विचार है, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है और जिन्हें नव-बौद्ध कहा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब किये जाने की संभावना है और जो सुविधायें देने का विचार है, उनका ब्योरा क्या है?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). कम आय-वर्गों के अन्तर्गत आने वाले नव-बौद्ध तो 'अन्य पिछड़े वर्गों' को मिलने वाली सुविधाओं के पहले से ही पात्र हैं। यदि नव-बौद्धों को सब प्रकार से अनुसूचित जातियों की समता में लाना है तो कानून में संशोधन करना होगा।

बैंक

5199. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बैंक व्यवसाय करने वाले कुछ प्रमुख परिवार केवल 20 करोड़ रुपये की पूंजी लगाकर अपने बैंकों में जनता की 2000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने में सफल हो सके हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में 60 बड़े अनुसूचित बैंकों में मार्च, 1966 तक लोगों के 3112.3 करोड़ रुपये जमा हो गये थे जबकि 1951 में जमा राशि केवल 906.5 करोड़ रुपये थी; और

(ग) बैंक व्यवसाय करने वाले प्रमुख परिवारों ने बैंकिंग उद्योग में कुल कितनी पूंजी लगाई हुई है और इस समय उन बैंकों में लोगों की कुल कितनी राशि जमा है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ग). प्रश्न का पूरा आशय बहुत स्पष्ट नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि देश में बैंक-व्यवसाय करने वाले प्रमुख परिवार किन्हें कहा गया है। 1966 के अन्त में, गैर-सरकारी क्षेत्र के 52 भारतीय अनुसूचित बैंकों की

चुकता-पूंजी 33.86 करोड़ रुपया थी और उक्त तारीख को, इन बैंकों के पास 2336.78 करोड़ रुपये की रकम जमा थी। नवम्बर, 1967 के अन्त में, सभी अनसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल 3651.85 करोड़ रुपये की रकम जमा थी।

(ख) 1951 के अन्त में 85 अनुसूचित बैंकों के पास कुल 821.6 करोड़ रुपये की रकम जमा थी। मार्च, 1966 के अन्त में, 75 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल 3112.3 करोड़ रुपये की रकम जमा थी।

कोरबा उर्वरक परियोजना

5200. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी अनुमोदन के बाद भारतीय उर्वरक निगम ने 1964 में कोरबा उर्वरक परियोजना के लिए विभिन्न प्रकार के माल के लिये क्रयादेश दिये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जुलाई, 1965 में सरकार ने परियोजना को बन्द करने तथा उस परियोजना पर और कोई खर्च न करने का आदेश दिया था ;

(ग) क्या इस परियोजना पर 70-80 लाख रुपये पहले ही खर्च किये जा चुके थे और इस परियोजना पर 1 - $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी थी ; और

(घ) क्या कोई जांच करवाई गई थी और इस गलत आयोजन के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराया गया था तथा यदि हां तो जांच का क्या परिणाम निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) भारत के उर्वरक निगम ने कोरबा परियोजना पर 31.3.1967 तक 107.68 लाख रुपये खर्च किया था। इस परियोजना के बन्द किये जाने के बाद इसकी चल सम्पत्ति भारत के उर्वरक निगम के विभिन्न एककों में बांट दी गई थी। अन्य सम्पत्तियों के निपटाने पर निगम विचार कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सरकार ने कुछ समय के लिये परियोजना को त्याग दिया है। इसका कारण यह है कि सहायक संस्थाओं से विदेशी मुद्रा की पर्याप्त सहायता मिलने की सम्भावना बहुत कम हो गई थी। साथ ही यह भी वांछनीय था कि चौथी योजना काल में आवश्यक उर्वरक नैफ्था से बनाया जाये।

बड़े औद्योगिक संस्थानों के लिये विदेशियों को ठेके दिये जाने पर प्रतिबन्ध

5201. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री गणेश घोष :
श्री चक्रपाणि :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा निर्माण लागत के सम्बन्ध में आयोजित एक गोष्ठी में मांग की गई थी कि बड़े औद्योगिक संस्थानों के लिए विदेशी ठेकेदारों को "टर्नकी" के आधार पर ठेके दिए जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो विचार-गोष्ठी में इस मांग के पक्ष में क्या दलीलें दी गई थीं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस मांग पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां। इस प्रकार की एक सिफारिश, नई दिल्ली में अगस्त, 1967 में निर्माण की लागत पर हुई एक संगोष्ठी (सिम्पोजियम) में की गई थी।

(ख) संगोष्ठी में यह कहा गया था कि यदि भारतीय सिविल इंजीनियरों तथा टेक्नोलोजिस्टों को लगाया गया होता तो ऐसी परियोजनाओं में रि-एनफोर्स्ड कन्क्रीट, प्रिस्ट्रेस्ड कन्क्रीट, स्ट्रक्चरल स्टील के स्थान पर कन्क्रीट तथा स्टील, सुरक्षा के अत्यधिक उपादानों का परिहार, तथा स्टैंडर्डाइजेशन तथा प्रीफैब्रीकेशन को शुरू करने से धन तथा समय की पर्याप्त बचत होती। यह बताया गया था, कि 'टर्नकी' के आधार पर चली परियोजनाओं में विदेशी सहकारियों के द्वारा रिहायशी ले आउट, तथा स्कूलों, मकानों आदि की सरल डिजाइनों तक का विदेश से आयात किया गया था।

(ग) सिफारिश विचाराधीन है।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक (पर्वत) भत्ता

5202. **श्री हेमराज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक (पर्वत) भत्ता देने का प्रश्न विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय हो जाएगा ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : पर्वत प्रतिकरात्मक भत्ते की विद्यमान योजना सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए है जिसमें डाक तथा तार विभाग

के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। फिलहाल इस योजना में किसी प्रकार का सुधार करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Tribal Development Blocks

5203. **Shri Baswant:** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7876 on the 3rd August, 1967 and state the Tribal Development Blocks since opened or proposed to be opened by Government, State-wise?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha): No new Tribal Development Block has been or is proposed to be opened in the country during 1967-68.

कलकत्ता योजना

5204. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता महानगर आयोजना संगठन ने दो योजनाएं अर्थात् मूल विकास योजना और यातायात परिवहन योजना प्रकाशित की है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता महानगर आयोजना संगठन के कार्यक्रमों को अब तक वार्षिक योजनाओं में बहुत कम स्वीकृति मिली है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। इस संगठन के कार्यक्रमों पर 1966-67 (पुनरीक्षित) के दौरान 335.65 लाख रुपये का खर्चा अनुमानित है तथा 1967-68 के लिये 396.91 लाख रुपये की बजट व्यवस्था है।

रूमानिया से तेल की खोज करने के उपकरण

5205. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया भारत को तीसरे देश में प्रयोग के लिये किराये पर तेल की खोज करने के उपकरण तथा तकनीकी सहायता देने के लिये तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिकिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रमोद पिक्चर्ज, बम्बई

5206. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री श्रीधरन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की फर्म प्रमोद पिक्चर्ज द्वारा आयकर की बहुत बड़ी राशि का अपवंचन किए जाने के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का आयकर अपवंचन किया गया है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). प्रवर्तन निदेशालय ने अपने धावे में प्रमोद फिल्म्स के जो कागजात पकड़े थे, उनकी आयकर विभाग जांच कर रहा है जिसके आधार पर यह निश्चय किया जायेगा कि कितने कर का अपवंचन हुआ है ।

Medical College Under Aligarh University

5208. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Principal of Medical College under the Aligarh Muslim University has requested for the postponement of the proposed inspection by the Indian Medical Council ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) The authorities wanted sufficient time to rectify the defects and make good the deficiences pointed out to them earlier in a report by the President of the Medical Council of India.

Factories Owned by Sahu-Jain Group of Firms

5209. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the factories owned by Sahu-Jain Group of firms ;

(b) the total foreign exchange given during the last five years to the various firms run by this company ;

(c) the total foreign exchange earned by this Group during the last five years ;

(d) whether all the firms of this group have paid income-tax in full ;

(e) if not, the number of firms which are in arrears and also the details of the arrears and

(f) the action taken by Government in regard thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai): (a) to (f). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

बिड़ला सार्थसमूह की मिल

5210. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिड़ला सार्थ समूह की मिलों द्वारा कुछ कदाचार अपनाकर उत्पादन शुल्क के अपवंचन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या निर्धारित लम्बाई और चौड़ाई से कम लम्बी और चौड़ी साड़ियां बनाना उनमें से एक कदाचार है ;

(ग) क्या ये साड़ियां नियंत्रित वस्तु के रूप में पास की गई थीं जिससे उस पर कम उत्पादन शुल्क लगा था ;

(घ) क्या नियंत्रित मूल्य तथा कम लम्बी और चौड़ी साड़ियां बनाने के परिणामस्वरूप कम लागत के बीच अन्तर से प्राप्त राशि ये मिलें हजम कर गई थीं ; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों तथा बम्बई के सतर्कता अधिकारी एवं संयुक्त कपड़ा आयुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ मिल ऐसी साड़ियां बना रहे हैं जो साड़ियों के लिये निर्धारित लम्बाई-चौड़ाई से कम लम्बी चौड़ी हैं और वे इस पर भी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की छूट ले रहे हैं ।

(ग) जहां तक कम लम्बी साड़ियों का प्रश्न है यह सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 की क्रियान्वित से बाहर है । उन पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की छूट उपलब्ध नहीं होगी । मैसर्स भिवानी टेक्सटाइल्स मिल्स तथा भिवानी के सूती वस्त्र के प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसके विरोध में दिल्ली के उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसने यह निर्णय दिया है कि कम लम्बाई की साड़ियां बनाना अपराध नहीं है । कम चौड़ाई की साड़ियां बनाने से केन्द्रीय उत्पादन कानून का उल्लंघन होता है या नहीं, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अफीम कारखाने

5211. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अफीम के कितने कारखाने हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं ;

(ख) देश में अफीम का कितना उत्पादन होता है और उसकी खपत कितनी होती है; और

(ग) क्या भारत से अफीम का निर्यात किया जाता है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में और उससे प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) निम्नलिखित तीन कारखाने हैं :

(एक) गवर्नमेंट ओपियम एण्ड अल्कालोयड वर्क्स, गाजीपुर ।

(दो) गवर्नमेंट ओपियम फैक्टरी, नीमच ।

(तीन) गवर्नमेंट ओपियम फैक्टरी, मन्दसौर ।

इस समय नीमच वाली फैक्टरी में अफीम नहीं बनाई जा रही है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जा रही है :

वर्ष	**वार्षिक उत्पादन** (मीटरी टन)	**देश में दवाइयों तथा अल्कालोयड के बनाने में अफीम की खपत** (मीटरी टन)
1965	486	40
1966	339	40
1967 (नवम्बर तक)	368	35

(ग) अधिकतर अफीम का भारत से निर्यात किया जाता है । गत तीन वर्षों के निर्यात तथा उससे कमाई गई विदेशी मुद्रा के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वर्ष	**निर्यात की गई मात्रा** (मीटरी टन)	**कमाई गई विदेशी मुद्रा** (लाख रुपयों में)
1965	426	323
1966	554	339
1967 (नवम्बर तक)	381	405

कलकत्ता महानगर आयोजना संगठन

5212. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ और फोर्ड प्रतिष्ठान, कलकत्ता महानगर आयोजना संगठन में किस रूप में भाग लेता है ; और

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ और फोर्ड प्रतिष्ठान से अब तक कुल कितनी धनराशि मिली है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) कलकत्ता महानगर आयोजना संगठन को बृहत्तर कलकत्ता को पानी की सप्लाई के लिए स्रोतों के सर्वेक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ परामर्शदात्री सेवा तथा फैलोशिप की सुविधा देने के द्वारा सहायता दे रहा है । फोर्ड फाउन्डेशन (1) बृहतर कलकत्ता के भौतिक पुनर्वास तथा विकास के लिए विस्तृत कार्यक्रम की स्थापना में सहायता, (2) प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के कार्यों में सहायता (3) संगठन के विकास में सहायता, दे रही है ।

(ख) दी गयी सहायता के धन का मूल्य (1) संयुक्त राष्ट्र संघ का 15 सितम्बर 1962 से 30 जून, 1967 तक 6,02,685 डालर है तथा (2) फोर्ड फाउन्डेशन का 12 जून, 1961 से 24 जनवरी, 1967 तक 38,68,000 डालर है । फोर्ड फाउन्डेशन के द्वारा जनवरी, 1967 के आरम्भ में 5,80,000 डालर का एक और अनुपूरक अनुदान दिया गया ।

दैवी प्रकोपों के समय सहायता कार्यों के लिए विशेष निधि

5213. **श्री स० कुण्डू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़, सूखा और अकाल आदि दैवी प्रकोपों के समय सहायता-कार्यों के लिए केन्द्र में एक पृथक विशेष निधि स्थापित रखने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शानौशौकत पर किए जाने वाले व्यय पर रोक लगाना

5214. **श्री अमृत नाहाटा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शानौशौकत, अर्थात् सजावट, भोज, जगमगाहट, श्रृंगार-प्रसाधन सामग्री, आलीशान कारों, महलों, बंगलों आदि पर होने वाले भारी व्यय पर, जो हमारे देश में, विशेषकर नगरों में खूब किया जाता है, रोक लगाने के किन्हीं उपायों का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). कर-सम्बन्धी और अन्य आर्थिक नीतियों का निर्धारण करते समय, प्रदर्शन उपभोग को कम करने के उद्देश्य को आम-तौर पर ध्यान में रखा जाता है । उदाहरण के लिए आय और सम्पति पर बराबर बढ़ते हुए कर, शहरी सम्पतियों पर अतिरिक्त सम्पत्ति कर, व्यापार के सम्बन्ध में किए जाने वाले

मनोरंजन के खर्च पर प्रतिबन्ध और अतिथि नियंत्रण आदेश–ये वे उपाय हैं जो पहले ही किए जा चुके हैं ।

नार्थ तथा साउथ एवेन्यू नई दिल्ली के सर्वेंट क्वार्टरों में शौचालयों की सफाई

5215. **श्री राम सिंह अयरवाल :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 919 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वेंट क्वार्टर के सांझे शौचालयों, स्नान गृहों और आंगनों की सफाई के लिए वहां के मेहतर प्रत्येक निवासी से 1.50 रुपए या 2.00 रुपए प्रतिमास लेते हैं यद्यपि इसी कार्य के लिए संसद सदस्यों के वेतनों से सफाई विषयक विविध व्यय शीर्षक के अधीन कुछ राशि काट ली जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नार्थ एवेन्यू तथा साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली के क्वार्टरों की पानी जमा करने वाली और फ्लश की टंकियां प्रायः खराब रहती हैं जिसके कारण गंदगी फैलती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). संसद् सदस्यों के निवासस्थानों और उनके आवंटित भवनों के आस पास स्नानगृहों, शौचालयों तथा अन्य सांझे के स्थानों की सफाई केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा नियुक्ति मेहतर करते हैं । निवासियों द्वारा नौकरों के क्वार्टरों के आंगनों की सफाई के लिए उन्हें 1.50 रुपए या 2.00 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं ।

(ग) निवासियों द्वारा ठीक प्रकार से न बरतने के कारण सफाई उपकरणों का कार्य करना प्रायः बन्द हो जाता है । नलों को भी बहुधा खुले रखने से पानी की टंकियां खाली हो जाती हैं । स्नान-गृहों और शौचालयों का प्रयोग बहुधा अनधिकृत मनुष्य करते हैं जिसके परिणाम-स्वरूप साज-सामान पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है । किसी समय फिटिंग्स की चोरी भी हो जाती है । इन्हीं कारणों से पानी की टंकियां काम करना बन्द कर देती हैं । फिर भी, जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन पर शीघ्र ध्यान दिया जाता है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Industrialisation of Badli and Alipur Blocks Under Delhi Master Plan

5216. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the acreage of land earmarked in the Delhi Master Plan for industrialisation in Badli and Alipur blocks, eight miles from the Capital ;

(b) the acreage out of this land on which the factories have been set up and for the setting up of the factories separately ;

(c) whether it is a fact that some portion of the said land is being utilized for other purposes ; and

(d) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Forty acres.

(b) (i) Factories have been set up on 4 acre piece of land ;

(ii) Factories have to be set up on 36 acre piece of the land.

(c) No, Sir.

(d) Doos not arise.

Staff Car Drivers

5217 **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Staff Car Drivers working in different Ministries have been given different pay scales ;

(b) the steps taken by Government to remove such discrimination ; and

(c) whether the Drivers of ambulance-vans and staff cars are transferred from one post to another so as to reduce the loss to them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Rules do not contemplate any such interchange.

ग्वालियर और इंदौर के भूतपूर्व नरेशों पर सम्पदा शुल्क का निर्धारण

5218. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री ग्वालियर और इंदौर के भूतपूर्व नरेशों की सम्पत्तियों पर सम्पदा शुल्क कर निर्धारण करने के बारे में 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1592 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ज्येष्ठाधिकार के अन्तर्गत आने का दावा करने वाले नरेश सामान्य मिताक्षर हिन्दू कानून के लाभों का दावा कर सकते हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पास होने से पहले अविभाज्य सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पति मानी जाती थी। तथापि, उक्त नियम के लागू होने के पश्चात उसके उपबन्धों के विपरीत जो भी रीति-रिवाज थे वे समाप्त हो गए। अतः भूतपूर्व नरेशों के सम्बन्ध में सामान्य हिन्दू विधि लागू होगी।

दिल्ली पोलिटेक्निक के औषध निर्माण शास्त्र के डिप्लोमा को मान्यता न दिया जाना

5219. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भेषज परिषद द्वारा दिल्ली पोलिटेक्निक द्वारा औषध निर्माण शास्त्र में प्रदत्त डिप्लोमा को अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) अब तक कितने विद्यार्थियों को उक्त डिप्लोमा दिया गया है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, ऐसे डिप्लोमा-धारियों को कोई मुसीबत न हो, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय फार्मेसी परिषद ने फार्मेसी कोर्स में डिप्लोमा के लिए पाठ्यचर्या निर्धारित कर दी है तथा मान्यता देने से पहले वह उन संस्थाओं का निरीक्षण करती है जहां यह डिप्लोमा कोर्स चलाया जाता है । परिषद ने 1965, 1966 और 1967 में दिल्ली पोलिटेक्निक में चलाए गए फार्मेसी कोर्स के डिप्लोमे का निरीक्षण किया तथा कतिपय कमियों को पूरा करने का सुझाव दिया ।

(ग) हालांकि एक सौ छात्रों ने फार्मेसी कोर्स में डिप्लोमा की परीक्षा पास कर ली है लेकिन अभी तक उनमें से किसी को भी डिप्लोमा प्रदान नहीं किया गया ।

(घ) उन कमियों को पूरा कर दिया गया है तथा वे कैसे पूरी की गई हैं इसकी रिपोर्ट भारतीय फार्मेसी परिषद को भेज दी गयी है । इस पाठ्यक्रम को मान्यता देने के प्रश्न पर भारतीय फार्मेसी परिषद विचार कर रही है ।

Hindustan Organic Chemicals

5220. **Shri Baswant**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) when the construction work of the Hindustan Organic Chemicals was taken in hand;

(b) the reasons for the delay in setting it up;

(c) the amount likely to be invested in the said industry;

(d) the names of chemicals likely to be produced and the quantity thereof and when their production is likely to start;

(e) the number of persons likely to be appointed; and

(f) whether Government propose to give priority in service to those people whose land has been acquired for the said project?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) The construction of the factory proper will be taken up shortly. A few civil works only have been taken up so far.

(b) The difficult foreign exchange position and the protracted negotiations with suppliers of equipment.

(c) The investment excluding working capital is likely to be Rs. 16 crores.

(d) A statement showing the names of chemicals and their capacities is laid on the Table of the House **[Placed in Library. See No. LT-2125/67]**. The plants are expected to commence production in 1969.

(e) About 1400 persons of all categories are likely to be employed, when the factory goes into production.

(f) Every effort will be made to give preference to displaced persons in regard to unskilled workers. In the case of skilled workers, clerks and other non-technical staff on comparatively low scales of pay, also preference will be shown to the extent possible subject to the basic qualifications and experience prescribed for the posts.

दिल्ली-शाहदरा की नाली योजनायें

5221. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली नगर निगम से यमुना नदी पर शाहदरा तथा आस-पास की अन्य बस्तियों के लिए पानी की सप्लाई तथा नाली सम्बन्धी योजनाएं मंजूरी के लिए प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ये योजनाएं मंजूर कर दी हैं ;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) **जल पूर्ति:** केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य इन्जीनियरी संगठन ने वर्तमान शाहदरा नगर में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए जलपूर्ति मुख्य नालियां बिछाने के लिए 7.38 लाख रुपये की लागत की एक योजना का सितम्बर, 1966 में अनुमोदन किया। दिल्ली नगर निगम ने यह कार्य अक्तूबर, 1967 में आरम्भ किया तथा उनके अनुसार इसको पूरा करने में 6 महीने लगेंगे।

मल निष्कासन : शाहदरा के लिए मल निष्कासन योजना तैयार करने के लिए इस क्षेत्र को 4 खण्डों में बांटा गया है। शाहदरा के तीसरे खण्ड के लिये ट्रंक सीवर आदि के प्रस्ताव की एक प्रारम्भिक रूप-रेखा दिल्ली नगर निगम ने अगस्त, 1967 में प्रस्तुत की थी। तबसे इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य इन्जीनियरी संगठन के तकनीकी अधिकारियों ने दिल्ली नगर

निगम के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया है और कुछ प्रश्न जो उठाये गये थे उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुका है। इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य इन्जीनियरी संगठन बड़ी सक्रियता से विचार कर रहा है और उनकी तकनीकी टिप्पणियां/अनुमति शीघ्र ही निगम को भेज दी जायेगी। दिल्ली नगर निगम के अनुसार केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य इन्जीनियरी संगठन द्वारा दी गई तकनीकी अनुमति के बाद इस काम को शुरू करने में लगभग 4 महीने लग जायेंगे।

शेष खण्डों के लिये दिल्ली नगर निगम योजनाएं तैयार कर रहा है।

Recovery of Contraband Silver

5222. **Shri Nihal Singh:**
Shri Mayavan:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that contraband silver worth Rs. 6 lakhs was recovered during the second half of November, 1967 from a vessel belonging to a foreign country in Bombay;

(b) if so, the place from which this silver had been brought; and

(c) the number of persons against whom action has been taken in this connection?

The Deputy Prime Minister, and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) On 24th November, 1967 a vessel registered at Dubai was intercepted on the sea off Khanderi island near Bombay and silver worth about Rs. 5.68 lakhs was recovered from it.

(b) The silver is of Indian origin. **Prima facie**, this is a case of attempted export.

(c) Nine persons were arrested in this connection and subsequently enlarged on bail. The case is under investigation.

श्रीराम बेयरिंग कम्पनी द्वारा दिया गया आयकर

5223. **श्री प्र० कु० घोष :** क्या **वित्त** मंत्री 10 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8766 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीराम बेयरिंग कम्पनी द्वारा प्रति वर्ष दिये जाने वाले आयकर के बारे में सूचना इस बीच इकठ्ठी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या कम्पनी ने अब तक निर्धारित किये गये कर की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) श्रीराम बेयरिंग कम्पनी ने 1964-65 से 1966-67 तक के वित्तीय वर्षों में कोई कर अदा नहीं किया है, क्योंकि 1964-65 से 1966-67 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए उसका कर-निर्धारण पर हानि शून्य आंकड़ों पर किया गया था।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व बैंक के अधिकारी की भारत यात्रा

5224. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के एक अधिकारी मिस्टर गुलौम गिंडे ने भारत की ऋण सम्बन्धी आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या अनुमान लगाया है ; और

(ग) क्या उन्होंने विश्व बैंक को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) फ्रांसीसी वित्त-विशेषज्ञ मिस्टर गुलौम गिंडे, जिनसे विश्व बैंक ने भारत की ऋण-शोधन सम्बन्धी सहायता के प्रश्न का अध्ययन करने और उस सम्बन्ध में बैंक को अपनी रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है, सहायता-संघ के देशों की यात्रा के दौरान जापान जाते हुए भारत आये थे ।

(ख) और (ग). मिस्टर गिंडे अगले वर्ष के शुरू में किसी समय इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट विश्व बैंक को देंगे ।

पालम हवाई अड्डे पर साड़ियों का पकड़ा जाना

5225. **श्री मयाबन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 जुलाई, 1967 को पालम हवाई अड्डे पर 6,000 रुपये के मूल्य की साड़ियां पकड़ी गई थीं ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इन अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सीमा शुल्क अधिकारियों ने 28 जुलाई, 1967 को पालम हवाई अड्डे पर एक महिला यात्री से 179 नायलन की साड़ियां पकड़ी थीं जिनका मूल्य लगभग 5,370 रुपए था। यात्री ने ठीक बयान दिया कि वे साड़ियां वह अपने माता-पिता तथा मित्रों को उपहार स्वरूप देना चाहती थी। सीमा शुल्क अधिकारियों ने 15 साड़ियों को उसे उसके सामान के साथ ले जाने की अनुमति दी और शेष साड़ियों का पुनः निर्यात करने की उसे 250 रुपए जुर्माना लेकर अनुमति दी ।

छिपाया हुआ धन

5226. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितना छिपाया हुआ धन वर्ष 1966 में बरामद किया गया ; और

(ख) देश में ऐसे धन का पता लगाने के लिए और क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) छिपाया हुआ धन बरामद नहीं किया गया है परन्तु उस पर लगा कर वसूल कर लिया गया है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अधीन प्राप्त शक्तियों के आधार पर 1966 के दौरान 47.5 लाख रुपए की ऐसी सम्पत्ति जब्त कर ली, जिसे छिपे हुए धन का रूप समझा जाता था।

(ख) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तलाशी तथा जब्त करने सम्बन्धी सभी उपाय किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पार्लियामेंट वर्क्स डिवीजन में लगाये गये नैमित्तिक श्रमिक

5227. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों के निवास स्थानों की मरम्मत और देखभाल आदि के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पार्लियामेंट वर्क्स डिवीजन द्वारा बहुत बड़ी संख्या में नैमित्तिक श्रमिक दैनिक मजूरी पर नियुक्त किए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए नियमित कर्मचारी नियुक्त करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). संसद् सदस्यों के निवास-स्थानों के अनुरक्षण के लिए पार्लियामेंट वर्क्स डिवीजन में सामान्य माप-दण्ड के अनुसार कार्य प्रभारित स्थापना में नियमित मजदूर रखे जाते हैं। संसद्-अधिवेशन के दौरान बढ़े हुए अनवेक्षित कार्य को पूरा करने के लिए कुछ आकस्मिक मजदूरों (कैजुअल लेबर्स) को रखना अवश्यंभावी हो जाता है।

आकस्मिक कार्यवृद्धि के लिए नियमित मजदूरों को रखना मितव्यय नहीं होगा।

वातानुकूलन जोन

5228. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग का वातानुकूलन डिवीजन नम्बर दो जोन नम्बर दो के क्षेत्राधिकार में आता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यह डिवीजन कुछ ऐसे वातानुकूलन कार्यों की भी देखभाल करता है, जो जोन नम्बर दो के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन कार्यों को दिल्ली में जोन नम्बर एक को और दिल्ली से बाहर सम्बन्धित जोनों को देने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). ऐसे निर्माण कार्य को अपने-अपने जोनों में स्थानान्तरित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

भूतपूर्व नरेशों द्वारा शराब का आयात

5229. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में भूतपूर्व नरेशों ने उत्पादन शुल्क चुकाए बिना प्रतिवर्ष कितनी, कितने मूल्य की तथा कौन-सी शराब का आयात किया ; और

(ख) यदि इन नरेशों को उत्पादन शुल्क चुकाए बिना आयात करने का विशेषाधिकार प्राप्त न होता, तो उपर्युक्त आयातों पर उत्पादन शुल्क के रूप में प्रति वर्ष कितनी राशि वसूल की गई होती ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले गत पांच वित्तीय वर्षों में भूतपूर्व नरेशों ने बिना शुल्क चुकाये किसी भी प्रकार की शराब नहीं मंगाई है । केवल 1966-67 में इन्दौर की महारानी ने 857 रुपये के मूल्य की स्कोच ह्विस्की की 50 बोतलें मंगाई थीं ।

(ख) सीमा शुल्क की राशि केवल 1,980 रुपये है ।

दूतावासों द्वारा मदिरा का आयात

5230. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए पिछले पांच वर्षों में भारत स्थित विभिन्न दूतावासों ने, अलग-अलग प्रतिवर्ष, कितने मूल्य और किस प्रकार की मदिरा का आयात किया ; और

(ख) यदि दूतावास को छुट न मिली होती, तो उपरोक्त आयात से प्रतिवर्ष शुल्क के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होती ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) चार विवरण सभा-पटल पर रख दिए गए हैं जिनमें यह बताया गया गया है कि विभिन्न दूतावासों ने अलग-अलग प्रति वर्ष, कितने मूल्य और किस प्रकार की मदिरा का आयात किया है । **[पुस्तकालय में रखे गये ।**

देखिए संख्या एल० टी०-2126/67] वित्तीय वर्ष 1963-64, 1964-65, 1965-66 और 1966-67 के सम्बन्ध में ब्योरा दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 1962-63 का ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) वित्तीय वर्षवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है। कैलेण्डर वर्षवार आंकड़े उपलब्ध हैं जो नीचे दिए जा रहे हैं :

वर्ष	**शुल्क की राशि (रुपये)**
1962	66,70,000
1963	73,62,000
1964	1,04,24,000
1965	1,05,58,000
1966	1,15,54,000

वित्तीय वर्ष 1962-63 के आंकड़े सुगमता से उपलब्ध नहीं किए जा सकते।

सिगरेट पीने से हानियां

5231. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिगरेट पीने से स्वास्थ्य को होने वाली हानियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी के 'विविध भारती' कार्यक्रम में वाणिज्यिक विज्ञापन के प्रसारण के पहले ही दिन सिगरेट सम्बन्धी वाणिज्यिक विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं, जब कि ब्रिटेन की सरकार ने भी टेलीविजन पर सिगरेट के विज्ञापन देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और विज्ञापन के अन्य माध्यमों से भी सिगरेट संबंधी विज्ञापन दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ग) क्या आकाशवाणी से सिगरेटों संबंधी विज्ञापनों का प्रसारण बन्द करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) आकाशवाणी की व्यापार प्रसारण सेवा के अन्तर्गत सिगरेट के विज्ञापन स्वीकार कर लिए जाते हैं क्योंकि सिगरेट बहुत सी अन्य वस्तुओं की भांति लोकप्रिय वस्तु है। सिगरेटों के विज्ञापन समाचारपत्रों में व्यापक रूप में निकलते रहते हैं और विश्व भर में अनेक व्यापारिक रेडियों उनके विज्ञापनों को स्वीकार कर रहे हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

किदवई नगर (पूर्व) के लिये भूमिगत नालियां

5232. **श्री जगन्नाथराव जोशी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में किदवई नगर (पूर्व) के डी० और ई० ब्लाकों में चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के एच० टाईप और डब्ल्यू० सी० क्वार्टरों के निवासियों ने सरकार से प्रार्थना की है कि उस क्षेत्र में भूमिगत नालियों आदि की सुविधाओं की व्यवस्था की जाये;

(ख) क्या इन सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित प्राक्कलन दीर्घकाल से मंजूरी के लिए पड़े हुए हैं;

(ग) क्या इस कार्य को आरंभ करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). भूमिगत नालियों (अन्डर ग्राउन्ड ड्रेनेज सिस्टम) की व्यवस्था के लिए 1,27,850 रुपये की राशि का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है तथा यह सरकार के विचाराधीन है।

Outlay on Public Undertakings

5233. **Shri Jagannath Rao Joshi:**
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri A. B. Vajpayee :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total outlay on public sector undertakings upto the end of June, 1967; and

(b) the total profit or loss of these undertakings during 1965-66 and 1966-67;

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2127/67].** The profit and loss is shown for 1965-66 only as the final figures for 1966-67 have not yet been received.

राजनीतिक दलों के लिये क्वार्टर

5234. **श्री जगन्नाथराव जोशी :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् में कांग्रेस दल को अपने कर्मचारियों को देने के लिये कुछ रिहायशी मकान दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा उनका किराया कितना है;

(ग) क्या कांग्रेस दल की ओर इन मकानों के किराये की कोई राशि बकाया है, और यदि हां, तो कितनी;

(घ) क्या संसद् में अन्य राजनीतिक दलों को भी ये सुविधायें दी गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां। रामकृष्णपुरम् में पांच सामान्य पूल के निवास स्थानों को अपने कर्मचारियों को आवंटन के लिए संसद् में कांग्रेस पार्टी को सौंप दिये गये हैं। तीन निवास स्थानों को 1966 के मध्य में आवंटित कर दिया गया था तथा एक को सितम्बर, 1967 में तथा एक अक्तूबर, 1967 में आवंटित किया गया। किराया मूल नियमावली 45-ए के अधीन पूर्ण मानक वसूल किया जा रहा है। इस पांचों निवास स्थानों का मासिक किराया 173 रुपये 27 पैसे है।

(ग) 1 दिसम्बर, 1967 को पार्टी पर 821.58 रुपये की राशि देय थी।

(घ) जी हां।

(ङ) विट्ठल भाई पटेल हाउस में विभिन्न पार्टियों/ग्रुपों को निम्नांकित वास आवंटित किया गया है।

क्रम संख्या	**राजनैतिक पार्टी का नाम**	**कमरा नं०**	**दखल की तारीख**
1.	स्वतंत्र पार्टी	521 दो कमरों वाला	27 जून, 1967
2.	निर्दलीय संगठन	309 एक कमरे वाला	18 नवम्बर, 1967
3.	पी० एस० पी०	104 एक कमरे वाला	28 जुलाई, 1967
4.	जनसंघ	23 तथा 24 एक कमरे वाले	अपनी स्वीकृति अभी तक नहीं भेजी।

Consumption of Oil

5235. **Shri Bhogendra Jha:**
Shri Chandra Shekhar Singh:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the total consumption of oil in India during the last five years and the estimated increase in consumption during next five years;

(b) the production of oil in the country during the last five years and the estimated production thereof during the next five years;

(c) the total imports of oil from foreign countries during the last five years and the estimated imports thereof during the next five years, country-wise; and

(d) the time by which country is proposed to be made self-sufficient in oil?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah): (a) The total consumption of crude oil during the period

1962 to 1966 was 46.00 million tonnes; during the next five years, the consumption is likely to be 98 million tonnes.

(b) The total crude oil production during the period 1962 to 1966 was 12.4 million tonnes. The production during 1967 to 1971 is estimated to be 41.7 million tonnes.

(c) The total imports of crude oil during 1962 to 1966 were 33.60 million tonnes. The estimated imports of crude oil during 1966 to 1970 are likely to be 50·58 million tonnes. Estimates of future imports country-wise cannot be given at present.

(d) No forecast on this is practicable.

Annual Meeting of Central Water and Power Commission

5236. **Shri Bhogendra Jha :**
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the annual meeting of the Central Water and Power Commission was held on the 22nd and 23rd November, 1967 ;

(b) if so, the main decisions taken therein ;

(c) whether a review of the river valley projects was also made ; and

(d) if so, the decision taken in regard to early completion of Western Kosi and Gandak Projects ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (d). The annual session of the Central Board of Irrigation and Power and not of the Central Water and Power Commission was held from the 22nd to 25th November, 1967. The Central Board of Irrigation and Power hold such sessions annually and administrative and technical matters of a general nature are discussed at such meetings. Alongwith the annual session, the Central Board of Irrigation and Power also organise symposia on subjects of topical interest. On 23rd November, 1967 symposia were held on two subjects : "Irrigation Water Management" and "Single Wire Earth Return for Rural Electrification". No discussions are held at these annual meetings on the progress of works on individual projects.

Recovery of Income-Tax from M/s. Usha Martin Black Ltd.

5237. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8764 on the 10th August, 1967 and State :

(a) whether information has since been collected in regard to the recovery of Income-tax from M/s Usha Martin Black (Wire Rope) Ltd.;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). The required information was collected and the statement in implementation of the Assurance was laid on the Table of the House on 12.12.1967 (copy annexed). **[Placed in Library. See No. LT-2128/67]**

(c) Does not arise.

Income-Tax Dues From Calcutta Firms

5238. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of firms and concerns in Calcutta againts whom income-tax dues are outstanding and full particulars thereof ;

(b) whether Government propose to take a decision for recovering income-tax along with interest from those persons against whom income-tax dues are outstanding ; and

(c) when the arrears of income-tax are likely to be realised ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The information is not readily available. The number of assessees against whom income-tax dues were outstanding as on 31.3.1967 in the charge of Commissioner of Income-tax (Central) Calcutta alone, was 1050. Collection of required information in respect of all the firms and concerns in Calcutta would involve tremendous amount of time and labour.

(b) Provision already exists under the law to charge interest on delayed payments and recover the interest along with the tax in arrears.

(c) It is not possible to say when the arrears of income-tax are likely to be realised. Every effort is being made to expedite the recovery of these arrears.

निषिद्ध सोना

5239. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में सरकार ने कितनी मात्रा में निषिद्ध सोना पकड़ा तथा सबसे अधिक सोना किस राज्य से पकड़ा गया;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में बम्बई में सोना पकड़े जाने के परिणामस्वरूप एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का पता लगा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने जून से नवम्बर 1967 के बीच लगभग 3796 किलोग्राम सोना पकड़ा। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक सोना पकड़ा गया।

(ख) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य ने बम्बई में पकड़े गये किस सोने का जिक्र किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के इर्दगिर्द उपनगरों का विकास

5240. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 7 दिसम्बर, 1967 को दिल्ली क्षेत्र के विकास के बारे

में विचार-विमर्श करने के लिये हरियाना तथा उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में जो विचार-विमर्श किया गया, उसका विवरण क्या है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास के लिए गृह-मंत्री की अध्यक्षता में 31 जुलाई, 1961 को सरकार के द्वारा एक उच्च अधिकार प्राप्त बोर्ड की स्थापना की गयी है। बोर्ड में अन्य के साथ दिल्ली के संघ क्षेत्र तथा दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा का प्रतिनिधित्व है। बोर्ड की पिछली बैठक 6 दिसम्बर, 1967 को हुई थी।

(ख) (i) दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया गया था तथा बोर्ड ने सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय के द्वारा बनाई गयी योजना को सिद्धान्ततः अनुमोदित कर लिया है।

(ii) यह निर्णय किया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की आयोजना की तैयारी और क्रियान्विति की समस्या को प्रभावात्मक ढंग से सुलझाने के लिए एक वैधानिक निकाय बनाना आवश्यक था।

(iii) अनधिकृत बस्तियों की समस्या का निर्णय योग्यता के आधार पर किया जायेगा, तथा ऐसी अनधिकृत बस्तियों की वृद्धि को रोका जायेगा।

दिल्ली में नई गृह निर्माण सहकारी समितियों का गठन

5241. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्षेत्र में नयी गृह-निर्माण सहकारी समितियां स्थापित की जा सकती हैं, और क्या उन्हें सरकार द्वारा पहिले स्थापित की गई गृह-निर्माण सहकारी समितियों के लिए सरकार द्वारा अर्जित भूमि दी जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो इन समितियों को भूमि का आवंटन करने के बारे में नियमों का ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). ऐसी को-अपरेटिव हाउस बिल्डिग सोसाइटीज को, जो कि दिल्ली में 'वर्ग आवास' (ग्रुप हाउसिंग) के आधार पर भूमि लेने के इच्छुक हैं तथा अपने सदस्यों के लिए सामूहिक रूप से फ्लैट बनाना चाहते हैं, रजिस्टर करने के लिए अनुमति देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Import of Sulphur

5242. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been prepared with a view to discontinue the import of sulphur by manufacturing sulphuric acid on a large-scale by manufacturing sulphuric gases available from pyrites and non-ferrous plants ;

(b) if so, the broad outlines thereof ; and

(c) the progress made so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) and (b). There being no known source of elemental sulphur in the country, the entire requirements are being met by imports. The present requirements of sulphur are of the order of about 600,000 tonnes/year which are expected to rise to over a million tonnes in the next five years. In order to minimise our dependence on imported sulphur, some production of sulphuric acid based on indigenous pyrites, sulphurous gases available from non-ferrous smelter plants, refinery gases and coke oven gases has been planned as detailed below :

		Tonnes acid/year
A.	**Based on smelter gases of non-ferrous metal plants**	
1.	Cominco Binani Zinc Ltd., Alwaye	33,000
2.	Hindustan Zinc Ltd., Udaipur.	28,450
3.	Indian Copper Corporation, Ghatsila.	40,000
B.	**Based on coke oven gases**	
4.	Durgapur Projects Ltd., Durgapur.	2,500
C.	**Based on refinery gases**	
5.	Fertilizer Corporation of India, Trombay.	4,200
D.	**Based on Amjhore pyrites**	
6.	Pyrites and Chemicals Development Company, Sindri	1,32,000
7.	Fertilizer Corporation of India, Sindri.	2,64,000
		5,04,150

It will not be possible to discontinue the import of sulphur even after the above schemes are fully implemented as the production of 504,000 tonnes of sulphuric acid is equivalent to a saving of only above 1,65,000 tonnes of elemental sulphur.

In addition to the schemes mentioned above the following are some of the projects that may materialise in the near future : The Khetri Copper Project has a programme for production of 1,98,000 tonnes of sulphuric acid/year. The Madras Refineries have programmed to recover sulphur to the extent of 16,500 tonnes/year. Action has been initiated to mine additional 1 million tonnes of pyrites ore at Amjhore (Bihar). There are encouraging reports on the availability of pyrites deposits at Saladipura (Rajasthan) capable of commercial exploitation.

(c) The Unit of M/s Cominco Binani Zinc Limited, Alwaye has gone into production. The project of M/s. Hindustan Zinc Limited, Udaipur is expected to go into production early next year. The pyrites-based Sulphuric Acid Plant of the Pyrites and Chemicals Development Company Limited is expected to go into production in the fourth quarter of 1968. Other projects are in various stages of planning/implementation.

Gujarat Refinery

5243. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that persons have been recruited for the first phase of ten lakh ton capacity in number larger than that proposed in the project report of the Gujarat Refinery for the full capacity of twenty lakh tons and also for Catalytic Refinery Unit;

(b) whether it is also a fact that without laying any standard for work some persons have been recruited; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

Sale by Draw of Lot of 250 sq. yds. Plots in Delhi

5244. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether the Delhi Development Authority had taken a decision to the effect that all plots measuring 250 square yards and less would be sold by draw of lots instead of auction at a suitable price which a person of low or medium income group could pay;

(b) whether it is a fact that contrary to the above decision, plots measuring 250 square yards and less have been auctioned in November and December, 1967 in various colonies like Pankha Road colony and Wazirpur colony; and

(c) if so, the reasons therefor and the reaction of Delhi Administration in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Oil Prospects in Khawand

5246. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: **Dr. Surya Prakash Puri**:
Shri Prakash Vir Shastri: **Shri Ram Avtar Sharma**:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the proposal of an American Company's collaboration in regard to the oil prospects in Khawand (Cambay) has finally been considered; and

(b) if so, when a final decision in the matter is likely to be taken?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) and (b). Negotiations are still in progress with certain oil companies with regard to off-shore exploration in the Gulf of Cambay and a final decision is expected to be reached in the near future.

Imported Raw Materials for Drugs

5247. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the imported raw materials used for the preparation of medicines is made of many Indian herbs ; and

(b) if so, the steps taken by Government to produce such raw material in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramiah) : (a) While a number of raw materials for the manufacture of medicines are extracted from plants including Indian herbs, it is not correct to say that all the imported raw materials used in the manufacture of medicines are made from Indian herbs.

(b) Cultivation of medicinal plants and extraction of active principles from them are encouraged and exports of such extracted intermediates are preferred to exports of plants themselves.

Accommodation for Central Hindi Directorate in Ramakrishnapuram, New Delhi

5248. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 475 on the 15th November, 1967 and state :

(a) the time likely to be taken by the Central Public Works Department in handling over possession of the building, which is under construction at Ramakrishnapuram, New Delhi to the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology ; and

(b) the reasons for the delay in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b). The accommodation is ready for occupation. The Commission for Scientific and Technical Terminology and the Central Hindi Directorate have been informed. There has been some delay in carrying out certain internal modifications in the building, as desired by the Central Hindi Directorate.

Ishwar Sharan Ashram, Allahabad

5249. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount of grant received by the Ishwar Sharan Ashram, Allahabad annually from the Central Government ; and

(b) the amount out of that spent annually and the amount surrendered ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha): (a) and (b). A statement is given below:

Statement

Year	Amount given as grant	Amount spent	Amount surrendered
	Rs.	Rs.	Rs.
1962-63	64,845	64,793	52
1963-64	85,730	85,730	—
1964-65	78,433	78,224	209
1965-66	77,220	72,507	4,713
1966-67	66,996	66,996	—

Flood Control Schemes in U. P.

5250. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether there is a scheme to protect 18 lakh acres of cultivable land from floods every year in Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) and (b). No such specific scheme has been received from the State Government. A number of flood protection schemes, such as construction of bunds, drainage channels, river training and town protective works, raising of villages etc. have already been completed by the State Government and some more are under execution. These schemes are estimated to have benefited about 16 lakh acres up to the end of the Third Plan.

Allocations to States for Floods Control and Prevention of Water-Logging etc.

5251. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the funds allocated in the First, Second and Third Five Year Plans to each State for flood control, drainage and prevention of water-logging and sea erosion ; and

(b) the extent to which they have been utilized ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) to (b). A statement showing the requisite information is laid on the Table of the House **[Placed in Library. See No. LT-2129/67]**

मजदूरों के लिये आवास योजनायें

5252. **श्री स० कुण्डू :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूरों के लिये मकान बनाने सम्बन्धी सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय सहायता सम्बन्धित पक्ष को सीधी दी जाती है अथवा राज्य सरकारों की विशिष्ट परियोजनाओं के माध्यम से दी जाती है;

(घ) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से 1967-68 और 1968-69 के लिये इस प्रकार की योजनाएं प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख), (ग), (घ) तथा (ङ). मांगी गयी सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-2130/67]

उड़ीसा में आय-कर और धन-कर न देने वाले व्यक्ति

5253. **श्री स० कुण्डू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में आय-कर तथा सम्पत्ति-कर का भुगतान न करने वाले व्यक्तियों की संख्या काफी है;

(ख) यदि हां, तो उन सार्थों के नाम क्या हैं जिन्होंने आयकर नहीं दिया है और उन पर कितनी राशि बकाया है; और

(ग) उनसे यह राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में हड़ताल

5254. **श्री स० कुण्डू** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कर्मचारियों के साथ किये गये समझौते की बातों को पूरा न किये जाने के सम्बन्ध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी मजदूर सभा की ओर से श्री सनत मेहता, विधान सभा सदस्य ने एक पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त पत्र उपयुक्त कार्यवाही हेतु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को भेज दिया गया है।

सिंचाई के प्रयोजन के लिये बिजली

5255. **श्री स० कुण्डू** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार को कोई अनुदेश दिये हैं कि बिजली का कुछ प्रतिशत सिंचाई के प्रयोजनों के लिये रक्षित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इसे कहां तक लागू किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (**डा० कु० ल० राव**) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

5256. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में विकास-कार्यों के लिये पश्चिम बंगाल को प्रति वर्ष ऋण, अनुदान और राज सहायता के रूप में कितनी-कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय सहायता का पूरी तरह उपयोग कर लिया था;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे; और

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इसके विकास के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को अधिक धनराशि नियत करने का है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (**श्री मोरारजी देसाई**) : (क) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है ।

(ख) राज्य सरकार को दी गयी सहायता, स्वीकृति विकास-कार्यक्रमों पर पूरी तरह से खर्च की गयी थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) केन्द्रीय सहायता की रकम निर्धारित करते समय विकास का स्तर ध्यान में रखा जाता है । इसलिए और अधिक रकम देने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

विवरण

पश्चिम बंगाल राज्य को विकास-कार्यों (राज्य आयोजन और केन्द्र द्वारा आयोजित

प्रायोजनाओं) के लिए दिये गए ऋण और अनुदान :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	ऋण	अनुदान
1962-63	16.08	6.88
1963-64	22.05	11.09
1964-65	28.34	12.60
1965-66	31.65	18.05
1966-67	24.90	14.18

देशी चिकित्सा प्रणाली के लिये पश्चिम बंगाल के लिये धन का नियतन

5257. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पश्चिम बंगाल सरकार को देशी चिकित्सा प्रणाली के लिये कोई धनराशि नियत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितना धन नियत किया गया था और क्या यह पूरी राशि दे दी गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्र चालित योजनाओं के लिये 1,00,000 रु० की एक रकम नियत की गई थी । चूंकि राज्य सरकार ने वस्तुतः 70,000 रु० ही खर्च किये थे । इसलिये केन्द्रीय सरकार ने भी वस्तुत: 70,000 रु० ही दिये ।

कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली देने के लिये पश्चिम बंगाल को राज्य सहायता

5258. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में पश्चिम बंगाल सरकार को कृषि प्रयोजनों हेतु बिजली देने के लिये कितनी राज्य सहायता दी गई है ; और

(ख) पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

सिचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव०) : (क) और (ख). भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को 1966-67 और 1967-68 के दौरान कृषि उद्देश्यों के लिए बिजली

सप्लाई करने के लिए कोई उपदान नहीं दिया है। पश्चिमी बंगाल सरकार को ग्राम विद्युतन स्कीमों की कार्यान्विति के लिए 1966-67 और 1967-68 में क्रमशः 2.5 करोड़ रुपयों और 2 करोड़ रुपयों की निर्धारित केन्द्रीय सहायता दी गई है। इस ग्राम विद्युतन कार्यक्रम में कृषि उपज को बढ़ाने के हेतु सिंचाई पम्पों को ऊर्जित करने पर बल दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

5259. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में पश्चिम बंगाल में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण पर कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ; और

(ख) मैदान तथा एजेंसी क्षेत्रों पर कितना-कितना धन व्यय किया जायेगा ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) 53.57 लाख।

(ख) पश्चिम बंगाल में एजेंसी क्षेत्र नहीं हैं।

Deaths Due to Penicillin Injection in Bombay

5260. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8652 on the 10th August, 1967 and state :

(a) whether any inquiry has since been held into the causes of the deaths in Bombay as a result of penicillin injections ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the names of the factories in which these injections are manufactured and the places where these factories are situated ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) to (c) . 19 cases of death were reported to the Coroner's Court of Bombay during 1965-66 and the report forwarded by him to the Surgeon General with the Government of Bombay revealed that all deaths were not due to Penicillin reaction and other drugs like streptomycin injection, Tetanus injection etc. were stated to have been administered in some of the cases. The Coroner of Bombay had also not stated in the said report that deaths occurred because of sub-standard injections. Out of these 19 cases, one case was investigated by the Director, Drugs Control Administration of Maharashtra State. The injection administered in this case was manufactured by M/s Hindustan Antibiotics Ltd., Pimpri and on investigation it was found that the drug was of standard quality.

अवमूल्यन के पश्चात् आयातित पुस्तकों और पत्रिकाओं के मूल्य

5261. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1966 में जब रुपये का अवमूल्यन किया गया था तो

भारतीय मुद्रा में शिलिंग का मूल्य 1.05 से बढ़कर 1.25 हो गया था और हमारे देश में पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिये बढ़ी दर पर मूल्य लिये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुस्तकों के पुराने स्टाक के मूल्य भी बढ़ी दर पर लिये गये थे जिससे भारतीय व्यापारियों को बहुत हानि हुई ; और

(ग) पुस्तकों, पत्रिकाओं और पुराने पुस्तकों के स्टाक पर लिये जाने वाले मूल्यों को शीघ्र कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है या करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). 6 जून, 1966 को रुपये का अवमूल्यन कर दिये जाने के बाद, शिलिंग की विनिमय दर 0.67 रुपया से बढ़कर 1.05 रुपये हो गयी थी । ब्रिटेन के प्रकाशकों द्वारा भारत के पुस्तक-विक्रेताओं के हाथ बेची जाने वाली पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के मूल्यों का निर्णय सम्बद्ध पार्टियों के बीच सीधी बातचीत द्वारा किया जाता है ।

चिकित्सा विज्ञान तथा अनुसंधान सम्बन्धी स्नातकोत्तर संस्था

5262. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ स्थित चिकित्सा विज्ञान तथा अनुसंधान सम्बन्धी स्नातकोत्तर संस्था में अध्यापन कार्य करने वाले सभी वर्गों के प्राध्यापकों और प्रोफेसरों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) इस संस्था में उच्च डाक्टरी शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) कितने अध्यापकों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है और कितने पदों के लिये विज्ञापन दिये जा चुके हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 82 ।

(ख) 151 ।

(ग) शिक्षकों के 63 स्थानों के लिये विज्ञापन दे दिये गये हैं । इन स्थानों पर नियुक्ति इन विज्ञापनों की प्रतिक्रिया तथा चयन के नतीजों पर निर्भर करती है ।

स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्था चण्डीगढ़ के शिक्षण कर्मचारी

5263. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चण्डीगढ़ स्नातकोत्तर संस्था में अध्यापन कार्य में लगे प्रोफेसरों

से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). चण्डीगढ़ के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के शासी निकाय के प्रधान के नाम स्नातकोत्तर संस्थान शिक्षक एसोसिएशन के अवैतनिक सचिव से एक प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है इसमें निम्नलिखित मांगें की गई हैं :

(1) एसोसिएशन की मान्यता ।

(2) संस्थान के कर्मचारियों की स्थिति, वेतन-स्तर तथा सेवा अवस्थाओं का पुनर्विलोकन ताकि उन्हें देश की दूसरी संस्थाओं में उनका उचित स्थान प्राप्त हो सके ।

(3) शिक्षकों के पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिये भर्ती नियमों को उदार बनाना ।

(4) पदों की श्रेणियों की संख्या में कमी ।

संस्थान के अभी तक स्नातकोत्तर संस्थान शिक्षक एसोसिएशन को मान्यता नहीं दी है और अभी तक उनकी मांगों पर भी विचार नहीं किया है ।

(2) संस्थान के अध्यापक कर्मचारियों के 8 सदस्यों ने अपनी गोपनीय रिपोर्टों में हुई प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध भी प्रत्यावेदन दिये हैं ।

(3) संस्थान के 2 संकाय सदस्यों ने भी विविध विषयों पर प्रत्यावेदन दिये हैं ।

ऊपर क्रम-संख्या 2 और 3 में उल्लिखित प्रत्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है ।

इण्डियन आयल कारपोरेशन के लिये ड्रम

5264. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 23 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 227 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन ने 24 अक्तूबर, 1966 को हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को, प्रत्येक ड्रम के लिये दिये जाने वाले मूल्य के सम्बन्ध में उल्लिखित शर्तों पर 2.5 लाख रुपये के मूल्य के ड्रमों के लिये क्रयादेश दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो मूल्य के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने के क्या कारण हैं ;

(ग) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें 48 रुपये प्रति ड्रम की दर पर तुरन्त क्रयादेश दिये गये थे और प्रत्येक फर्म को कितने-कितने ड्रमों की सप्लाई करने के लिये कहा गया था ; और

(घ) इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा मंगाई गई दरों के प्रत्युत्तर में विभिन्न पक्षों से प्राप्त हुई मूल्य सूचियों का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) विवाद होने का कारण यह था कि मैसर्स हिन्द गैलवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ने यह नीति अपनायी कि ड्रमों का मूल्य उनमें लगे इस्पात की किस्म के आधार पर निश्चित न की जाये।

(ग) एक फर्म (मैसर्स सप्लायर्स कारपोरेशन) को तुरन्त क्रयादेश 18 रुपये प्रति ड्रम के भाव पर ड्रम सप्लाई करने के लिये क्रयादेश दिये गये थे।

(घ) जांच करने पर केवल मैसर्स सप्लायर्स कारपोरेशन ने ही अपने भाव भेजे थे, इसलिये उसे क्रयादेश दिये गये थे।

इण्डियन आयल कारपोरेशन के लिए ड्रम

5265. **श्री समर गुह : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 913 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात का कब पता लगा था कि हिन्द गैलवेनाईजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड ने वे बैरल सप्लाई नहीं किये जिनका इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा उनको आर्डर दिया गया था ;

(ख) हाट रोल्ड इस्पात के बैरलों के मूल्य का मामला मध्यस्थ निर्णय के लिये कब भेजा गया था ;

(ग) किन व्यक्तियों को यह मामला मध्यस्थ निर्णय के लिये दिया गया था ;

(घ) मध्यस्थ निर्णय के फलस्वरूप प्रति बैरल कितना मूल्य निर्धारित किया गया है ; और

(ङ) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा कम्पनी के बिलों का इस बीच भुगतान कर दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जून, 1967 में।

(ख) जुलाई, 1967 में।

(ग) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (मार्केटिंग डिवीजन), बम्बई, के जनरल मैनेजर को।

(घ) मध्यस्थ निर्णय में केवल आधार निश्चित किया गया है जिस पर मूल्य निर्धारित किया जायेगा। मूल्य निर्धारित करते समय इस बात पर भी ध्यान दिया जायेगा कि ड्रम किस इस्पात के बने हैं।

(ङ) अभी नहीं। निर्णय के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

उर्वरक कारखाने

5266. **श्री मधु लिमये : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा घोषित नई रियायतों के अन्तर्गत उर्वरक कारखाने लगाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कितने मामलों में पत्र पेटेंट लाइसेंस-आयात लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ग) स्थान की सफाई और कारखाना लगाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) कितना धन लगाये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) दिसम्बर, 1965 में उर्वरकों के सम्बन्ध में निर्णय घोषित किये जाने के पश्चात् निम्नलिखित उर्वरकों को मान्यता दी गई है :

1. कानपुर
2. मद्रास
3. कोटा
4. गुजरात (में विस्तार)
5. मंगलौर
6. हल्दिया
7. गाजियाबाद
8. मिर्जापुर
9. विशाखापत्तनम (में विस्तार)
10. कांदला

इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम और 'फैक्ट' निम्नलिखित परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं :

11. दुर्गापुर
12. कोचीन
13. बरौनी
14. नामरूप (में विस्तार)
15. ट्राम्बे (में विस्तार)
16. फैक्ट (चौथे स्तर पर विस्तार)

इन कारखानों की वार्षिक क्षमता लगभग 2 करोड़ टन नाइट्रोजन की है।

(ख) (1) इन 8 मामलों में औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं : कानपुर, मद्रास, कोटा, गुजरात (एक्स) मंगलौर, दुर्गापुर, कोचीन और फैक्ट (एक्स)।

(2) इन पांच मामलों में लैटर आफ इन्टेन्ट जारी किये गये : हल्दिया, गाजियाबाद, मिर्जापुर, विशाखापत्तनम (विस्तार) और कान्दला ।

(3) इन सात मामलों में आयात के लाइसेंस जारी किये गये : कानपुर, मद्रास, कोटा, गुजरात, (एक्स) दुर्गापुर, कोचीन और फैक्ट (एक्स)

(ग) इन सात मामलों में कानपुर, मद्रास, कोटा, गुजरात (एक्स) दुर्गापुर, कोचीन और फैक्ट (एक्स) नामक स्थानों को साफ कराया गया है और निर्माण-कार्य में प्रगति है। दूसरे मामलों में भूमि प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) लगभग 683 करोड़ रुपये ।

पूर्वी यूरोप के देशों के साथ ऋण सम्बन्धी करार

5267. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1960 के पश्चात् पूर्वी यूरोप के देशों के साथ किये गये ऋण सम्बन्धी सभी करार सभा-पटल पर रखे हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हें इसी सत्र में सभा-पटल पर रखेगी ; और

(ग) इन करारों की प्रतियां संसद्-सदस्यों तथा जनता को कहां-कहां से उपलब्ध हो सकती हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). यद्यपि पूर्वी यूरोप के देशों के साथ किये गए आर्थिक सहयोग सम्बन्धी ऋण-करारों की प्रतियां सभा की मेज पर नहीं रखी गयी हैं पर वे संसद् के पुस्तकालय को दे दी गयी हैं ताकि संसद् के माननीय सदस्य उन्हें देख सकें। इन ऋण-करारों पर हस्ताक्षर किये जाने के समय, ऋण की रकम, उसकी स्थूल शर्तों और उन प्रयोजनों से सम्बन्धित सूचना, जिनके लिये यह खर्च किया जाना हो, जन-साधारण की जानकारी के लिए प्रेस विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित की जाती है। इस प्रकार के ब्योरे "विदेशी सहायता" नामक पुस्तिका में भी मिलते हैं जो नियतकालिक रूप से प्रकाशित की जाती है ।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स

5268. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स द्वारा शीशे के उत्पादों/शीशियों के लिये टेंडर आदि के सम्बन्ध में की गई कथित अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० पिम्परी से खरीदे गये शीशे के उत्पादों के सम्बन्ध में सरकार ने विस्तार से जांच की है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उनमें कोई अनियमिततायें नहीं हुई हैं ।

सामान्य बीमा का काम करने वाली कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन

5269. **श्री श्रीधरन :**
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री सामान्य बीमा का काम करने वाली कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा संबंधी विनियमों के उल्लंघन के बारे में 13 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5552 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में की जा रही जांच पड़ताल इस बीच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जैसा कि 13 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5552 के उत्तर के सम्बन्ध में पहले ही बताया जा चुका है कि केवल एडवांस इंश्योरेन्स कं० लि०, बम्बई के विरुद्ध विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों के उल्लंघन संशय के बारे में जांच की जानी बाकी है । इस बीमा कम्पनी के सम्बन्ध में प्रवर्तन विभाग द्वारा जांच जारी है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजनैतिक दलों से आयकर की वसूली

5270. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग ने अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की आय पर कर लगाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रदेश जिला तथा मंडल कांग्रेस समिति से, ब्याज, किराये तथा अन्य साधनों से उपलब्ध आय समेत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की आय का कर योग्य आय से अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की आय का अनुमान लगाया गया है तथा क्या उस पर अब तक कर लगाया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). अनुमान अवलम्बित है ।

मंत्रियों को पानी, किराये तथा बिजली शुल्क में छूट

5271. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में भूतपूर्व मंत्रियों के मामले में किराये, पानी, बिजली तथा अन्य शुल्कों की कितनी राशि बट्टे खाते में डाली गई है, अथवा उसमें छूट दी गई है तथा इन मंत्रियों के नाम क्या हैं ; और

(ख) उनसे यह बकाया राशि न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-** 2131/67]

आयकर की वापसी

5272. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1965, 31 मार्च, 1966, 31 मार्च, 1967 तथा आज तक करदाताओं को कितनी राशि वापिस की जानी थी ;

(ख) उक्त तिथियों को ऐसी कितनी राशि थी जिसका भुगतान 6 मास से अधिक अवधि से विलम्बित था और ऐसे मामलों में अधिकतम विलम्ब की अवधि कितनी है ;

(ग) ऐसी वापसी की राशियों पर विभाग द्वारा करदाताओं को कुल कितना ब्याज दिया गया ; और

(घ) कर-निर्धारण वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में करदाताओं से कुल कितना ब्याज लिया गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). इस समय अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है यह जानकारी आयकर के विभिन्न आयुक्तों से मांगी गई है और जैसे ही यह जानकारी उपलब्ध होगी, वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मेसर्स अमींचन्द प्यारे लाल से जुर्माने की वसूली

5273. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री 3 अगस्त, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1558 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात लाइसेंसों की अवधि समाप्त होने के बाद इस्पात का आयात करने तथा

जाली क्रास बोडर प्रमाणपत्र पेश करने के कारण मेसर्स अमींचंद प्यारेलाल पर किये गये जुर्माने की बकाया राशि वसूल करने के मामले में इस बीच कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस सम्बन्ध में आयातकारों द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में अभिलेखा याचिका फाइल की गई थी और उसकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची

5274. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री गु० च० नायक :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में संशोधन करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेण गुह) : (क) और (ख). इस विषय का एक विधेयक पहले ही संसद के सम्मुख है ।

पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के आचरण के बारे में जांच

5275. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में की जा रही जांच-पड़ताल के काम में और कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) जांच-पड़ताल कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में जांच में बहुत प्रगति हुई है और उसके शीघ्र ही पूरी होने की सम्भावना है ।

पी० एल० 480 निधियां

5276. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की बिक्री को बढ़ाने के लिए ग्रामों में वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से पी० एल० 480 के धन का वितरण करने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अमरीकी सहायता अधिकारियों तथा भारत के रिजर्व बैंक ने ब्योरा तैयार किया है जिसका परीक्षण योजना आयोग ने किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). रिजर्व बैंक की सलाह से यह मामला जांचाधीन है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में घोषित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों को उनके द्वारा रासायनिक उर्वरकों के वितरण के लिये दिये गये अग्रिम धन के विरुद्ध बैंक दर पर आसानी से फिर से धन दिया जा सकेगा और 28 अक्टूबर, 1967 के स्तर के मुकाबले अग्रिम धन के स्तर में वृद्धि को बैंकों की समाप्ती दर के अनुसार नहीं लिया जायेगा। यह प्रत्याशा की जाती है कि इन उपायों से उर्वरकों के वितरण के लिए पर्याप्त ऋण सुविधाएं प्राप्त होंगी।

मकान बनाने के लिये राज्यों को धन दिया जाना

5277. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकारें मकान बनाने के लिए आवंटित धन का उपयोग नहीं कर सकी हैं ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य इस धन का उपयोग नहीं कर पाये हैं और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों में किसी राज्य सरकार ने उनको दी गई धनराशि का पूर्णरूप से आवास पर उपयोग नहीं किया। खर्च में कमी का मुख्य कारण है राज्यों द्वारा कृषि, सिंचाई तथा बिजली आदि की अपेक्षा आवास को कम प्राथमिकता देना। गत तीन वर्षों में चीन और पाकिस्तान के साथ हुये संघर्ष ने भी आवास प्रगति को अधिक मात्रा में पिछाड़ दिया।

(ग) नवम्बर, 1967 में आवास, शहरी विकास तथा नगर आयोजना मंत्रियों के मद्रास में हुए सम्मेलन में देश की आवास प्रगति को और तेजी से करने के सम्बन्ध में चर्चा हुई। सम्मेलन ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारों को आवास के लिये उचित प्राथमिकता देनी चाहिए तथा अपने राज्य की वार्षिक योजना को बनाते समय इस प्रयोजन के लिए लगभग 10 प्रतिशत धन निर्धारित रखें। सम्मेलन में यह भी कहा गया कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य योजनाओं में व्यवस्था किये हुये धन का पूरा उपयोग हो तथा किसी भी कारण उस धन को विकास के और शीर्षकों में परिवर्तित न करें। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस सिफारिश को क्रियान्वित करें।

मुद्रा प्रणाली पर पी० एल० 480 का प्रभाव

5278. **श्री न० कु० साल्वे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के पी० एल० 480 के सौदों का देश की मुद्राप्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिये कोई समिति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोयनका फर्मों को ऋणों के विरुद्ध गारंटी

5279. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोयनका फर्मों को भारत के स्टेट बैंक से बड़ी राशि के ऋण प्राप्त कर सकने के बारे में कोई गारंटी दी है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

(ग) अब तक इस प्रकार कितना ऋण प्राप्त किया गया है और सरकार ने किन कारणों से यह गारंटी दी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सरकार ने नेशनल कम्पनी, कलकत्ता को, जो एक जूट मिल की मालिक है, अपने मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार करने के लिये, 50 लाख रुपए का अस्थाई ऋण देने के लिए फरवरी, 1966 में भारतीय राज्य बैंक को गारंटी दी थी । यह हमारे निर्यात के हित में आवश्यक समझा गया था, क्योंकि इस कम्पनी के 90 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात किया जाता है । 50 लाख रुपए के कुल अग्रिम में से 34 लाख रुपया वसूल हो चुका है और बाकी रकम के जल्दी ही वापस किये जाने की सम्भावना है । सरकार द्वारा दी गई गारंटी की जमानत के रूप में, श्री रामनाथ गोयनका ने, भारत के राष्ट्रपति के हक में, 50 लाख रुपए का प्रोनोट लिख दिया है ।

करेंसी नोट

5280. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि दस रुपये तथा एक रुपये के करेंसी नोटों का रंग और आकार एक जैसा होने के कारण जनता और व्यापारियों को इनकी पहचान करने में काफी कठिनाई होती है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन नोटों को अलग-अलग रंगों और आकारों में छापने का है ताकि इनकी पहचान आसानी से की जा सके; और

(ग) यदि हां, तो नये केरेंसी नोटों के कब तक चालू हो जाने की आशा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दस रुपये के नोटों के रंगों में उपयुक्त परिवर्तन करने का विचार किया जा रहा है ताकि अन्य नोटों के बीच वे आसानी से पहचाने जा सकें।

Investment by Oil Companies

5281. **Shri Chandra Shekhar Singh**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the total capital invested in India by Esso, Caltex and Burmah Shell;

(b) the amount of foreign exchange remitted to foreign countries by the three Companies (or by their foreign employees) during the last ten years in the form of profits, cost of crude oil and salaries;

(c) whether Government propose to enact any law to ensure that these Companies do not send their profits to foreign countries but reinvest them in India for the next ten years; and

(d) if so, by when and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah): (a) The total capital invested in the marketing and refineries companies of Esso, Caltex and Burmah Shell in 1965 was 142.92 crores.

(b) The total foreign exchange remitted by the companies during 1960-61 to 1966-67 was Rs. 527.9 crores. The break up of the remittances is under compilation.

(c) and (d). No. Under the existing policy remittance of profits is freely allowed after payment of taxes in India.

बिहार को वित्तीय सहायता

5282. **श्री रबि राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के उप-मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री उनसे पिछले सप्ताह मिले थे और उन्होंने राज्य की गम्भीर वित्तीय स्थिति का उल्लेख किया था और केन्द्र से वित्तीय सहायता की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बिहार के उप-मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिये 24 नवम्बर, 1967 को उप-प्रधान मंत्री से मिले थे। बातचीत के दौरान केन्द्र से और अधिक वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुरोध किया गया था।

(ख) वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने राज्य सरकार के परामर्श से स्थिति की जांच करने के लिए राज्य का दौरा किया है। इस सम्बन्ध में आगे और विचार किया जा रहा है।

तालचेर तापीय बिजलीघर के लिये उड़ीसा की सहायता

5283 **श्री रवि राय** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने तालचेर तापीय बिजलीघर के कार्य को पूरा करने तथा उद्योग समूह के लिये अधिक वित्तीय सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तालचेर ताप बिजली केन्द्र को पूरा करने के लिये उड़ीसा सरकार से अतिरिक्त धन सहायता के लिए कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी औद्योगिक बस्तियों के लिये वित्तीय सहायता

5284. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने एक योजना बनाई जिसके अन्तर्गत सहकारी औद्योगिक बस्तियों के स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना के लिये जीवन बीमा निगम ने कितनी धनराशि अलग रखी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) . आरम्भ में यह योजना 1962 में चालू हुई। इस समय योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(1) **किन औद्योगिक बस्तियों को वित्तीय सहायता दी जायेगी** : केवल उन्हीं औद्योगिक बस्तियों को वित्तीय सहायता दी जायेगी जो सहकारी या संयुक्त स्टाक कम्पनियां गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित की गई हैं। इस सम्बन्ध में उचित स्थान, उधार की व्यवस्था, विपणन और उचित योजना की सुविधाएं, परिवीक्षण और प्रबन्ध की आवश्यकता जैसी कुछ आवश्यक शर्तों के सम्बन्ध में संतुष्ट होना आवश्यक होगा।

(2) **ऋण की राशि** : किसी भी औद्योगिक बस्ती को परियोजना की लागत से 60 प्रतिशत से अधिक उधार नहीं दिया जायेगा। निगम को संतुष्ट कर दिया है कि बकाया 40 प्रतिशत राशि को शेयर पूंजी और/या सम्बद्ध राज्य सरकार से उधार लिया जायेगा।

(3) **ऋण की अवधि** : 15 वर्ष

(4) **ब्याज :** 6 प्रतिशत ब्याज जिसको अर्द्धमासिक अदा करना होगा।

(5) **ऋण की अदायगी :** 13 समान वार्षिक किस्तों में होगी। इसकी पहली किश्त उधार दी गई राशि या इसके बांटे जाने की तिथि से तीन वर्ष बाद से देय होगी।

(6) **जमानत की आवश्यकता :** सम्बन्धित राज्य सरकार की गारन्टी है।

(ग) किसी भी वर्ष में कुल दी जाने वाले ऋण की राशि 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये।

नगर आयोजन संबंधी समिति

5285. **डा० रानेन सेन** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नगर आयोजन की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये राज्यों के नगर आयोजन मंत्रियों के पांचवें सम्मेलन में स्थापित समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) प्रत्येक राज्य में नगर आयोजना कार्मिकों की कमी की समस्या का अध्ययन करने, ऐसी कमी के कारणों की जांच करने तथा इन्हें दूर करने के उपाय सुझाने के लिए सम्मेलन ने मंत्रियों की एक समिति स्थापित करने की सिफारिश की थी।

(ख) समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों का सारांश संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2132/67]

(ग) सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करने, नगर आयोजना के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिये अधिक छात्रवृत्तियां देने तथा विभिन्न राज्यों में नगर आयोजना विभागों में कार्य कर रहे अयोग्यता प्राप्त अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण सुविधायें देने के लिए इन्स्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स को वित्तीय सहायता देने को ध्यान में रखते हुए इन सिफारिशों की परीक्षा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय से भी कहा गया है।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

5287. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1967 में हुई हड़ताल के परिणामस्वरूप सिन्दरी उर्वरक कारखाने में उत्पादन की कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि सिन्दरी उर्वरक कारखाने में हड़ताल के दिनों में इस कारखाने के प्राधिकारियों की हड़ताल में भाग न लेने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये पुलिस की पर्याप्त सहायता नहीं मिली ; और

(ग) क्या भविष्य में कर्मचारियों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए राज्य सरकार के परामर्श से कोई उपयुक्त उपाय किये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 19 से 30 सितम्बर, 1967 तक हुई हड़ताल के परिणामस्वरूप लगभग 67 लाख रुपये की हानि हुई ।

(ख) जी, नहीं । राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सुरक्षा और कानून और व्यवस्था के बनाये रखने के लिये पर्याप्त सहायता दी थी ।

(ग) राज्य सरकार जब कभी भी आवश्यक होता है सब सम्भव सहायता प्रदान करती है ।

खम्भात की खाड़ी के क्षेत्र में तट से दूर तेल की खोज

5288. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खम्भात की खाड़ी के क्षेत्र में तट से दूर तेल की खोज करने के लिये चार विदेशी कम्पनियों से बातचीत की है ;

(ख) क्या कोई समझौता किया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस परियोजना को आरम्भ करने के लिये कुल कितनी राशि खर्च करने की आवश्यकता होगी और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). बातचीत अभी भी जारी है और इस सम्बन्ध में अभी कोई समझौता नहीं हुआ है ।

(ग) इस सम्बन्ध में इतनी जल्दी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

किसानों के लिये अनिवार्य बचत योजना

5289. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों के लिये अनिवार्य बचत योजना आरम्भ करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हल्दिया का तेलशोधक कारखाना

5291. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित हल्दिया तेल शोधक कारखाने का निर्माण-कार्य पूर्ण रूप से भारतीय इंजीनियरों द्वारा कराने का विचार है ; और

(ख) कितनी सीमा तक मशीनरी की आवश्यकताएं देशी संसाधनों से पूरी की जायेंगी ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) तेल शोधक कारखाने का निर्माण-कार्य भारतीय ठेकेदारों द्वारा किया जायेगा । इसके डिजाइन का कार्य भारतीय इंजीनियरों द्वारा किया जायेगा ।

(ख) अधिकतम सीमा तक मशीनरी की आवश्यकताएं देशी प्रसाधनों से पूरी की जायेंगी ।

Banks in Rural Areas

5292. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government propose to open banks in rural areas to enable farmers to deposit their surplus money; and

(b) if so, the steps taken in this regard?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). The State Bank and its subsidiaries have been opening branches under their periodical branch expansion programmes, primarily in rural and semi-urban areas. Other commercial banks are also implementing their branch expansion programmes, under the guidance of the Reserve Bank, in a planned and co-ordinated manner, with emphasis on opening of branches in unbanked centres.

कलकत्ता में हीरों का पकड़ा जाना

5293. **श्री रमानी** : **श्री गणेश घोष** :
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री उमानाथ** :

क्या **वित्त** मंत्री 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 705 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस बात को प्रभावित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं कि ये हीरे चोरी के नहीं थे ;

(ख) क्या सरकार ने जांच पूरी करने की कोई समय सीमा निर्धारित की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उन फर्मों के नाम नीचे दिये गये हैं जिन्होंने इस बात को प्रभावित करने के लिये दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं कि ये हीरे चोरी के नहीं थे :

गिरीन्द्र मोहन मलिक (वैयक्तिक), एम वाल्टर एण्ड कम्पनी, अनिल जगदीश एण्ड कम्पनी, धीरज बहादुर सिंह (वैयक्तिक), रमनिकीलाल बी० शाह, छोटा लाल अमलुख एण्ड मोहनलाल, रतिलाल अमट्ठालाल, कान्तिलाल ए० भन्साली, थाकोरीलाल, हीरालाल एण्ड कम्पनी, कान्तिलाल भूरा भाई एण्ड ब्रदर्स, मधुकर एम० मोदी, सुरेश आर कोठारी, कान्तिलाल मोहनलाल, गोल्ड सिल्वर आर्ट प्राइवेट लि०, उषा मेहता (वैयक्तिक) रंजा बोती राय (वैयक्तिक) गुलाब चन्द भंगुर एण्ड राथेन्द्र मलिक (वैयक्तिक), ये सब कलकत्ते की फर्में हैं।

जे रत्तिलाल एण्ड कम्पनी, इंडियन डायमेंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन, कीर्तिकुमार एण्ड कम्पनी, लि०, खुशाल चन्द एण्ड कम्पनी, रश्किलाल बी० शाह, चिम्मनलाल मानचन्द एण्ड कम्पनी, मोहन चन्द राम चन्द एण्ड सन्स, राजेश ब्रदर्स, एच० ए० अब्राहम, के० पारिख एण्ड कम्पनी, सतीश एण्ड कम्पनी, एम० शशिकान्त एण्ड कम्पनी, दिनेश ब्रदर्स, सुन्दर लाल शान्तिलाल एण्ड कम्पनी, नगिनदास लालू भाई एण्ड कम्पनी एण्ड बी० अरुण कुमार एण्ड कम्पनी—ये सब फर्में बम्बई की हैं।

आर० वाई० दुर्लबजी आफ जयपुर (राजस्थान)

(ख) और (ग). 1962 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत सब पकड़े गये माल की जाँच को पूरा करने के लिये 6 महीने की अवधि निर्धारित की गई है और कलक्टर महोदय ने इस अवधि को 6 महीने के लिये और बढ़ा दिया है। कानूनी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सरकार जांच को पूरा करने के लिये निर्धारित की गई अवधि की सीमा को और नहीं बढ़ाना चाहती।

अम्बाला मुगल में उर्वरक कारखाना

5294. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० गोपालन : **श्री चक्रपाणि**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला मुगल स्थित उर्वरक परियोजना में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इसके कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) इस पर कुल कितना खर्च आने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अक्तूबर, 1969 तक।

(घ) 39.72 करोड़ रुपये।

कोचीन के तेल शोधक कारखाने के आस-पास पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

5295. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री प० गोपालन :** **श्री चक्रपाणि :**

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला मुगल में कोचीन के तेल शोधक कारखाने के आस-पास एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). जी हां। अम्बाला मुगल में नेफ्था-आधृत पर बन रहे उर्वरक परियोजना के अतिरिक्त 1970-71 से पूर्व कोई पेट्रो-रसायन परियोजना की स्थापना का विचार नहीं है क्योंकि कोचीन तेल शोधक द्वारा उर्वरक कारखानों की आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद जो फीड-स्टाक उपलब्ध होता है वह पेट्रो-रसायन उद्योग के लिये पर्याप्त नहीं है।

राजस्थान में बिजली ग्रिड

5296. **श्री अमृत नाहाटा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल जल विद्युत, भाखड़ा जल विद्युत तथा कोटा परमाणु बिजलीघर को मिलाने के लिये राजस्थान में ग्रिड प्रणाली स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान को इस ग्रिड से बिजली नहीं मिल सकेगी ; और

(घ) क्या सरकार को जैसलमेर तथा बाड़मेर में बड़े ताप विद्युत संयंत्र अथवा डीजल बिजलीघर बनाने और उन्हें प्रस्तावित ग्रिड के साथ जोड़ने का विचार है ताकि समूचा राजस्थान उस ग्रिड के अन्तर्गत आ जाये ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान में चम्बल तथा भाखड़ा प्रणालियों को 132 के० वी० द्वारा मिला दिया गया है। हिस्सार से जयपुर तक 220 के० वी० का एक सम्पर्क बनाया जा रहा है और जून, 1968 तक इसके पूरा हो जाने की सम्भावना है। इस संयुक्त प्रणाली को कोटा अणु बिजली प्रणाली से 1970-71 तक मिला देने की संभावना है।

(ग) बीकानेर क्षेत्र पहले से ही भाखड़ा-नंगल प्रणाली से मिला हुआ है। जोधपुर क्षेत्र को इस ग्रिड के साथ मिलाने का प्रस्ताव है। उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के अन्य क्षेत्रों को भी धन की उपलब्धि और बिजली की क्षमता के बढ़ जाने पर आपस में मिला दिया जाएगा।

(घ) जैसलमेर और बारमेर में ताप संयन्त्र अथवा डीजल बिजली केन्द्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Fertilizers Plant at Goa

5297. **Shri Y. S. Kushwah:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a fertilizer plant with foreign collaboration is being established in Goa by Birla Brothers;

(b) if so, the terms and conditions of such a collaboration ; and

(c) the extent to which it will help in increasing the agricultural production?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing the terms and conditions of foreign collaboration is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2133/67].**

(c) The project when completed will have an installed capacity of 160,000 tonnes per year in terms of Nitrogen and this can increase the agricultural production to the tune of about 1.6 million tonnes of food grains per year.

Memorandum by Delhi Rural Welfare Society

5298. **Shri Ram Sewak Yadav:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether the Delhi Rural Welfare Society (Delhi Dehat Kalyan Samiti) has submitted any memorandum to him regarding land acquisition and if so, the main demands made therein;

(b) the reaction of Government thereto ; and

(c) whether it is also a fact that the land acquired 7-8 years back has not been put to any use so far and if so, the reasons therefor and the loss of production suffered on this account?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the reply sent to the Samiti is enclosed.

(c) No, Sir. Out of about 56,000 acres of land notified under Section 4 of the Land Acquisition Act 1894, about 26,000 has already been allotted/earmarked for various public purposes.

स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा अग्रिम राशियों का दिया जाना

5299. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65, 1965-66 और 1966-67 के दौरान स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने कुल कितनी रकम पेशगी दी ;

(ख) (1) एक करोड़ रुपए से कम, (2) एक करोड़ से पांच करोड़ तक, और (3) पांच करोड़ और उससे अधिक पूंजी वाली फर्मों को दी गई पेशगी की राशि का अलग-अलग ब्योरा क्या है ; और

(ग) उक्त अवधि में ऐसी कितनी फर्मों को पेशगी धनराशि दी गई है जिन्हें एकाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एकाधिकारी फर्में घोषित किया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासमय सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा अग्रिम धन का दिया जाना

5300. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने किसी फर्म को दूसरे बन्धक पर 10 लाख रुपये से अधिक उधार दिये हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में जब से अग्रिम धन दिया जाना आरम्भ किया गया है कुल कितनी बार और कितनी रकम दी गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में दूसरे वाणिज्यिक बैंकों में क्या प्रणाली अपनाई जाती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राज्य बैंक अपने अग्रिमों की मुख्य जमानत के रूप में किसी अचल सम्पत्ति का दूसरा बन्धक स्वीकार नहीं करता।

(ख) शून्य।

(ग) अग्रिमों के सम्बन्ध में, प्राय: सभी वाणिज्यिक बैंक एक सी प्रणाली अपनाते हैं।

Irrigation Schemes in Madhya Pradesh

5301. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the irrigation schemes are not being sanctioned and Central assistance is not being allocated by the Central Government for want of detailed survey of the said schemes by the Government of Madhya Pradesh ; and

(b) whether the Government of Madya Pradesh have since submitted its report after conducting the survey ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) No, Sir. The major and medium irrigation schemes are being sanctioned for well investigated schemes and Central assistance allocated therefor in accordance with the normal procedure.

(b) : Does not arise.

Opening of Excise Department Office at Burhanpur

5302. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the number of cases relating to excise Department is larger in Burhanpur city than in Khandwa and Harsood (Madhya Pradesh) ;

(b) Whether it is also a fact that the residents of Burhanpur have to go to Khandwa for settling cases concerning this Department due to lack of those facilities in Burhanpur ;

(c) if so, whether Government propose to open the Office of Excise Department in Burhanpur instead of Khandwa as has been done by the Income-tax Department ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. Since there is already a Central Excise Range Office at Burhanpur, it will not be necessary for the licensees to go to Khandwa for day-to-day routine work. But in respect of offences to be adjudicated by the Superintendent of Central Excise at Khandwa, the licensee has the option either to go to Khandwa to meet the Superintendent and personally explain the case or to send a written representation by post.

(c) No, Sir.

(d) The location of the Headquarters of a Circle Office is decided after taking into account all relevant considerations. While Khandwa, which is a centrally located District town in the circle jurisdiction, generally satisfies the requirements, Burhanpur does not.

वित्तीय उपक्रमों में नियुक्ति

5303. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 2250 रुपये वेतनमान के पदों पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में वित्तीय उपक्रमों में वही सिद्धान्त अपनाती है जो सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में अपनाये जाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वहां किस प्रकार की कसौटी और प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत सरकार को पूछे बिना पद बनाने और उन्हें भरने के सम्बन्ध में निदेशक बोर्डों के अधिकारों के बारे में कृष्ण मेनन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये निर्णयों की ओर है । यह उल्लेखनीय है कि इन निर्णयों में बड़े उद्यमों के

मामलों पर उनके गुण दोषों के आधार पर विचार करने की मनाही नहीं है। बड़ी-बड़ी वित्तीय संस्थाओं पर जिनका कार्यचालन अन्य औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों से भिन्न है, वही अधिनियम लागू होते हैं जिनके अधीन वे निगमित की जाती हैं। जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष सहित निगम के सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। भारतीय औद्योगिक और विकास बैंक के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और उप-गवर्नर क्रमशः बैंक के पदेन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अधीन उप-गवर्नर सरकार को नियुक्त करने होते हैं। इन दो नियुक्तियों (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष)के सिवाय बाकी सारी नियुक्तियां भारतीय औद्योगिक और विकास बैंक का निदेशक बोर्ड करता है। जहां तक भारतीय राज्य बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का सम्बन्ध है, केवल अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकों के पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में ही सरकार की स्वीकृति आवश्यक होती है।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनुदान

5304. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 700 करोड़ रुपये की राशि जो अमरीका द्वारा प्रयोग की जाने के लिए रुपये में उपलब्ध है, उन परियोजनाओं से प्राप्त नहीं की जा सकती, जिन पर अमरीकी खाद्य सहायता की राशि खर्च की गई है ; और

(ख) वर्तमान वर्ष में की गई 50 करोड़ रुपये की मांग, जो पिछले 12 वर्षों की औसत मांग से लगभग 400 प्रतिशत अधिक है, किस प्रकार पूरी करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) रिजर्व बैंक में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के नाम जमा रकम इन दो मदों से सम्बन्धित है :

(i) पी० एल० 480 सहायता के रूप में दी गयी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त रकम में से संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्तेमाल के लिए अलग रखी गयी रकम। (इस प्रकार की बिक्री से प्राप्त रकम का 85 प्रतिशत भाग भारतीय प्रायोजनाओं पर खर्च किया जाता है और शेष भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्तेमाल के लिए अलग कर दिया जाता है।)

(ii) भारत द्वारा प्राप्त ऋणों के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा वापस की गई वे रकमें, जिनकी वापसी रुपयों में की जाती है और जिन पर रियायती दर से ब्याज लगता है।

किसी भी वर्ष-विशेष में संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्तेमाल के लिए जो वार्षिक रकम दी जाती है वह, संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम जमा रकम का थोड़ा सा ही भाग होती है और यह रकम भारत सरकार और संयुक्त राज्य की सरकार के विचार-विमर्श से निर्धारित की जाती है। जिस प्रकार रिजर्व बैंक के विशेष खाते में जमा पी० एल० 480 से सम्बन्धित बिक्री की रकम

को बजट के लिए साधनों की प्राप्ति माना जाता है उसी प्रकार इस रकम की पूर्ति भी भारत सरकार के बजट से ही की जाती है ।

सम्भवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जिन प्रायोजनाओं पर पी० एल० 480 प्रतिरूप निधि की रकम खर्च की गयी है, उनसे होने वाला लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका के उपयोग सम्बन्धी वार्षिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं । यदि बात यही है तो स्थिति यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्तेमाल के लिए किया जाने वाला वार्षिक खर्च (संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दी गयी वस्तुओं की बिक्री की रकम में से) भारत सरकार के वार्षिक बजट से पूरा किया जाता है न कि किसी विशेष प्रायोजना पर होने वाले लाभ से ।

(ख) पिछले वर्षों की तरह चालू वर्ष में भी संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्तेमाल पर खर्च होने वाली रकम से सम्बन्धित अनुमानित देनदारी के लिए बजट में व्यवस्था कर दी पाई है ।

ज्वालामुखी (हिमाचल प्रदेश) में तेल तथा गैस की खोज

5305. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों की टीमें हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी क्षेत्र में तेल निक्षेपों की खोज कर रही हैं और प्रत्येक टीम ने कितनी अवधि तक काम किया ;

(ख) क्या इस इलाके में तेल की प्राप्ति के कोई संकेत मिले हैं और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि ज्वालामुखी क्षेत्र में गैस पाई गई है ;

(घ) यदि हां, तो इन निक्षेपों से बेचने के लिये पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध होगी ; और

(ङ) इस क्षेत्र में खोज सम्बन्धी भावी योजनाएं क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) इस समय कोई भी विदेशी टीमें ज्वालामुखी क्षेत्र में तेल निक्षेपों की खोज नहीं कर रही हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर के तलहटी क्षेत्रों में भू-विज्ञान सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है ।

नाइलोन के धागे तथा कपड़े की तस्करी

5306. **श्री विश्वम्भरन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों से भारत में चोरी छिपे नाइलोन के धागे तथा कपड़े लाये जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : एक विवरण, जिसमें चोरी छिपे नाइलोन के धागे तथा कपड़े लाये जाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्योरा दिया गया है, सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

चोरी छिपे माल को लाने से रोकने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

उचित रूप से जानकारी एकत्रित करना और जानकारी प्राप्त होने पर शंकित जहाजों और वायुयानों की तलाशी लेना, गुप्त विभागों और सीमा के आसपास गश्त लगाना, और उचित मामलों में सीमा अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमे के अतिरिक्त भारी जुर्माना किया जाना और विभागीय अधिनिर्णयन में निषेध माल का जब्त किया जाना। सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत जहां पकड़े गये माल का मूल्य 1 लाख से अधिक रुपये है वहां मुकदमे के परिणामस्वरूप भारी सजा की व्यवस्था है।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी उपक्रम

5307. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के अथवा स्वायत्तशासी कितने निगम स्थापित किये गये हैं ;

(ख) उनकी स्थापना के समय से अब तक उनकी लेखा परीक्षा करने वाली आडिटरों अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की फर्म के नाम क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1966 तक उन्हें पारिश्रमिक के रूप में कितनी धनराशि दी गई थी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) चार ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2135/67]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निगम के लेखों की लेखा परीक्षा

5308. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र में कितने निगम तथा कितने स्वायतशासी

निगम स्थापित किये गये हैं ;

(ख) उनकी स्थापना के समय से लेखा परीक्षकों या चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की कौन-कौन सी फर्में उनकी लेखा परीक्षा कर रही हैं ; और

(ग) वर्ष 1966 तक फीस के रूप में उन्हें कितनी धनराशि दी गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 14

(ख) और (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम

5309. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र में कितने निगम तथा कितने स्वायत्त निगम स्थापित किये गये हैं ;

(ख) उनकी स्थापना के समय से लेखा परीक्षकों अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की कौन सी फर्में उनकी लेखा परीक्षा कर रही हैं ; और

(ग) वर्ष 1966 तक फीस के रूप में उन्हें कितनी धनराशि दी गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० ब० सू० मूर्ति): (क) एक

(ख) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पहले वित्तीय वर्ष के लिये मैसर्स एन०डी० कपूर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को हिन्दुस्तान लेटक्स लिमिटेड का लेखा निरीक्षक नियुक्त किया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वित्त मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निगम

5310. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में कितने उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निगम स्थापित किये गये हैं;

(ख) इनकी स्थापना से लेकर अब तक लेखापरीक्षकों अथवा चार्टर्ड लेखापालों की कौन सी फर्में इन निगमों के लेखों की लेखा परीक्षा करती आ रही हैं; और

(ग) इनको 1966 तक फीस के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकारी क्षेत्र के जिन निगमों या स्वायत्त निगमों से वित्त मंत्रालय का प्रशासनिक सम्बन्ध है, उनकी संख्या 8 है।

(ख) और (ग). सभा की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2136/67**]

Income-Tax Arrears Due from Firms in Madhya Pradesh

5311. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of firms in Madhya Pradesh which are in arrears of Income-tax ;

(b) the action being taken by Government for the recovery of Income-tax from these firms ; and

(c) the total amount of Income-tax arrears and whether Government propose to charge interest thereon while making recovery thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

प्राधिकृत ऋण का उपयोग

5312. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में बकाया प्राधिकृत ऋण की राशि का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उसका उपयोग करने का ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). मंजूर किये गये विदेशी ऋणों की रकम में से तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक सरकार द्वारा 1286.84 करोड़ रुपये की रकम निकालने को बाकी रह गयी थी। 1 अप्रैल, 1966 से 30 सितम्बर, 1967 तक की अवधि में 586.49 करोड़ रुपया निकाला गया था और इस प्रकार उन ऋणों में से केवल 700.35 करोड़ रुपया निकाला जाना बाकी था।

ऊपर बतायी गयी 1286.84 करोड़ रुपये की रकम में से 402.01 करोड़ रुपया गैर-प्रायोजना ऋणों से सम्बद्ध था। 1 अप्रैल, 1966 से 30 सितम्बर, 1967 की अवधि में इन ऋणों में से 321.36 करोड़ रुपया निकाल लिया गया और 80.65 करोड़ रुपया बाकी रह गया। चूंकि गैर-प्रायोजना ऋणों की रकमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों को दी जाती हैं और सरकारी क्षेत्र में यह ऋण-सहायता कई विभागों और संस्थाओं को दी जाती है, इसलिए, इस ऋण-सहायता का मंत्रालयवार ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

प्रायोजना-ऋणों का मंत्रालयवार स्थूल वर्गीकरण इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	मंत्रालय	तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अंत में, शेष रकम	30 सितम्बर, 1967 तक निकाली गयी रकम	1 अक्तूबर, 1967 को शेष रकम
1.	परमाणु शक्ति विभाग (बिजली प्रायोजना)	60.84	34.44	26.40
2.	संचार मंत्रालय	14.36	14.36	...
3.	औद्योगिक विकास और समवाय मंत्रालय	180.37	64.07	116.30
4.	सिंचाई और बिजली मंत्रालय	171.51	57.16	114.35
5.	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	43.04	20.63	22.41
6.	रेल मंत्रालय	12.84	8.85	3.99
7	इस्पात, खान और धातु मंत्रालय	277.22	39.33	237.89
8.	परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय	27.81	15.52	12.29
9.	ऋणों की अनिर्धारित रकम (सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ और पूर्वी यूरोप के देशों से मिले ऋण)	96.84	10.77	86.07
	जोड़	884.83	265.13	619.70

आयव्ययक के प्राक्कलन और वास्तविक व्यय

5313. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयव्ययक के प्राक्कलनों तथा वास्तविक व्यय के बीच का अन्तर कम से कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) ये उपाय अपने उद्देश्यों में कहां तक सफल हुए हैं ?

उप-प्रधान मंत्री वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). आय व्ययक के प्राक्कलनों तथा वास्तविक व्यय के बीच के अन्तर का ठीक-ठीक अनुमान किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में किये गये उपायों में प्रशासन मंत्रालयों में वास्तविक प्राक्कलन में सहायता करने के आशय से बजट और एकाउन्ट्स सेल खोले गये हैं। इस सम्बन्ध में अनुमान लगाते समय वचनों और दायित्वों (जिसके लिये दायित्व रजिस्टरों की व्यवस्था की गई है) और सम्भावित बचत और अधिक खर्च का अनुमान लगाने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन मंत्रालयों द्वारा दिये गये अनुमान की वित्त मंत्रालय में ध्यानपूर्वक जांच की जाती है और ऐसी जांच करते समय खर्च के पिछले अनुभव और उसके अनुसार समय-समय पर किये गये उपायों का बजट बनाते समय और बजट का पुनरीक्षण के समय का ध्यान रखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में आयव्ययक के प्राक्कलनों तथा वास्तविक व्यय के बीच काफी अन्तर रहा है। अनुमान में और सुधार किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

रिजर्व बैंक द्वारा निदेश

5314. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने अपेक्स और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को यह निदेश दिये हैं कि उन्हें ऋण जभी दिये जा सकेंगे जब वे कुछ शर्तों को पूरा करेंगे;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के निदेश दिये गये हैं;

(ग) क्या उक्त निदेशों के सम्बन्ध में रोष प्रकट किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). यह स्पष्ट नहीं है कि किस विशिष्ट निदेश का उल्लेख किया जा रहा है। फिर भी, किसी सहकारी बैंक के लिए ऋण की अधिकतम रकम मंजूर करते समय, रिजर्व बैंक, खासकर उसकी वित्तीय स्थिति, लेखा-परीक्षा-सम्बन्धी उसके वर्गीकरण और उसके द्वारा अग्रिमों की, ठीक समय पर न चुकायी गयी रकम का ध्यान रखता है।

(ग) सरकार को इस बात का पता नहीं है कि रिजर्व बैंक की सलाह के कारण राज्यीय और केन्द्रीय सहकारी बैंकों में रोष है।

अनिवार्य बन्ध्यीकरण

5315. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह अनिवार्य बन्ध्यीकरण योजना छोड़ दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० **श्री० चन्द्रशेखर**) : (क) जी हां ।

(ख) उन सभी नागरिकों के लिए जिनके तीन या अधिक बच्चे हैं, नसबन्दी को अनिवार्य करने का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने रखा था, परन्तु उन्होंने ही इसे वापिस ले लिया क्योंकि जनता ने स्वैच्छिक नसबन्दी कार्यक्रम में जो दिलचस्पी दिखाई वह इतनी उत्साहवर्द्धक थी कि इसे अनिवार्य करना व्यर्थ समझा गया ।

दिल्ली की बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए अनिवार्य सेवाओं की व्यवस्था

5316. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम अनुमानों के अनुसार दिल्ली की वर्तमान जनसंख्या 37 लाख है और दिल्ली की वृहद योजना में इसका अनुमान केवल 30 लाख है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने केवल 32 लाख जनसंख्या के लिए ही पानी बिजली आदि का प्रबन्ध किया था; और

(ग) क्या जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार अनिवार्य सेवाओं की व्यवस्था करने का काम तेज करने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ड्राफ्टमैनों के वेतनक्रम

5317. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे वेतन आयोग ने ग्रेड तीन के उन ड्राफ्टमैनों (इलेक्ट्रिकल और सिविल) का वेतन क्रम बढ़ाने की सिफारिश की थी जो मैट्रिक पास हैं तथा जिनका इस कार्य में दो वर्ष का अनुभव है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दूसरे वेतन आयोग ने उन व्यक्तियों के 150 रुपये से 240 रुपये के वेतनक्रम की सिफारिश की थी जिनके पास ड्राफ्टमैन का डिप्लोमा है और जिन्होंने 6 महीने तक एप्रेन्टिस के रूप में कार्य किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने 9 सितम्बर, 1965 से ग्रेड तीन के ड्राफ्टमैनों की नियुक्ति सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन करके उनके लिए उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित अर्हताएं निर्धारित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो ग्रेड तीन के वर्तमान ड्राफ्टमैनों को 150-240 रुपये का वेतनक्रम न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । उपर्युक्त (ख) की अर्हताओं को रखने के लिए 19 अगस्त, 1965 से तृतीय ग्रेड के ड्राफ्ट्समैन की भरती के नियमों को पुनरीक्षित कर दिया गया है ।

(घ) 150-240 रुपये के वेतनमान में ग्रेड II के ड्राफ्ट्समैनों के पदों का पचास प्रतिशत ग्रेड III के ड्राफ्ट्समैनों की पदोन्नति के लिये सुरक्षित है । इस प्रकार ग्रेड III के योग्यता प्राप्त ड्राफ्ट्समैनों के लिये पदोन्नति का पर्याप्त अवसर है ।

ग्रेड III के ड्राफ्ट्समैनों की ड्यूटी केवल साधारण ड्रांइग बनाना है । इस वेतनमान को अधिक बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

ड्राफ्टमैनों की नियुक्ति सम्बन्धी नियम

5318. **श्री म० ला० सोंधी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री ड्राफ्टमैन (ग्रेड एक इलेक्ट्रिकल और सिविल) की नियुक्ति सम्बन्धी नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ड्राफ्टमैन ग्रेड एक के कितने पद हैं तथा उन पर नियुक्तियां किस प्रकार की जाती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार वर्तमान शत प्रतिशत ग्रेड एक के ड्राफ्टमैन के पदों पर ग्रेड एक से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करने के लिए सहमत थी; और

(ग) यदि हां, तो उनके निदेश को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं;

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : ड्राफ्ट्मैन ग्रेड I (बिजली तथा सिविल) के भर्ती के नियमों की प्रतिलिपि सभा-पटल पर रख दी है । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०**-2137/67]

(क) और (ख). 65 ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I के 100 प्रतिशत पदों के भर्ती के नियमों के अनुसार ड्राफ्ट्समैन ग्रेड II से पदोन्नति के द्वारा भरना होता है ।

(ग) इस समय 65 पदों में से 61 पदों पर ड्राफ्ट्मैन ग्रेड II से पदोन्नत हुए अधिकारी हैं । शेष 4 वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I के पदों को भी ड्राफ्ट्समैन ग्रेड II की पदोन्नति के द्वारा भरने के आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां

5319 **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि दिल्ली में कुछ अनधिकृत बस्तियों ने भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत जिसमें केवल भूमि अर्जित करने की व्यवस्था है, अनुचित लाभ उठाया है तथा कदाचार किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार केवल तभी कार्यवाई कर सकती है जबकि खरीदार यह शिकायत करें कि गलत प्रकार से भूमिका बांध कर उन्हें बिक्री की गयी तथा उनसे कुछ महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गयी। भूमि का ले आउट प्लान सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पास कर दिया गया है, बगैर इसका पता चलाए भूमि न खरीदी जाय, यह परामर्श सरकार ने समाचारपत्रों में विज्ञापन, सिनेमा स्लाइडों तथा प्रचार के अन्य माध्यमों के द्वारा संभावित खरीदारों को दे दिया है।

वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ स्वायत्तशासी निगमों द्वारा विज्ञापन

5320. **श्री काशीनाथ पांडेय : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन स्थापित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी निगमों के लिये प्रचार करने वाली विज्ञापन एजेंसियों की संख्या कितनी है और उनके काम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या यह एजेंसियां पूर्णतया भारतीयों की हैं; और

(ग) इन्हें 1966 तक कितना कमीशन दिया गया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-** 2138/67]

(ग) निगम विज्ञापन-अभिकरणों को कोई कमीशन नहीं देते। ये निगम विज्ञापन अभिकर्ताओं को ऐसे विज्ञापनों के लिए जिनके लिए वे समाचारपत्रों में स्थान सुरक्षित कर लेते हैं, सामान्य शुल्क दरों पर अदायगी करते हैं। विज्ञापन-अभिकरणों को समाचारपत्र-कम्पनियों से कमीशन मिलता है, जो प्रायः 15 प्रतिशत तक होता है।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ सरकारी उपक्रमों द्वारा विज्ञापन

5321. **श्री काशीनाथ पांडेय :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कितने सरकारी क्षेत्र तथा स्वायत्तशासी निगम स्थापित

किये गये हैं;

(ख) उनका प्रचार करने वाली प्रचार एजेन्सी का क्या नाम है;

(ग) क्या उनका स्वामित्व पूर्णतया भारतीय लोगों के हाथ में है; और

(घ) 1966 तक उसको कुल कितना कमीशन दिया गया ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) सिंचाई व बिजली मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में इस प्रकार की ये दो संस्थाएं काम कर रही हैं—कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि० और दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 के अधीन स्थापित दामोदर घाटी निगम ।

(ख) प्रचार के लिये न तो दामोदर घाटी निगम ने और न ही राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम ने किसी विज्ञापन संस्था को नियुक्त किया है । वे केवल 'वर्गीकृत' विज्ञापन ही जारी करते हैं । जबकि दामोदर घाटी निगम अपने विज्ञापन सीधे ही समाचारपत्रों में दे देते हैं, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम अपने विज्ञापन सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन व दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिये प्रकाशित करता है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों के विज्ञापन

5322. **श्री काशीनाथ पांडेय** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन स्थापित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निगमों के प्रचार का कार्य कौन सी विज्ञापन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है;

(ख) क्या ये पूर्णतया भारतीयों की है; और

(ग) वर्ष 1966 तक उनको कमीशन के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) कोई एजेन्सी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निगमों द्वारा विज्ञापन

5323. **श्री काशीनाथ पांडेय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत ही स्थापित सरकारी क्षेत्र या स्वायत्तशासी निगमों का विज्ञापन कार्य करने वाली एजेन्सी का नाम क्या है;

(ख) क्या यह पूर्ण रूप से भारतीय है; और

(ग) उस एजेंसी को 1966 तक कितना कमीशन दिया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के सरकारी उपक्रमों या स्वायत्तशासी निगमों का प्रचार कार्य

5324. **श्री काशीनाथ पांडेय : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के अथवा स्वायत्तशासी निगमों का प्रचार करने वाली विज्ञापन एजेन्सी का नाम क्या है;

(ख) क्या इसका स्वामित्व पूर्णतः भारतीयों के हाथ में है; और

(ग) वर्ष 1966 तक उसे कितना कमीशन दिया गया था ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) इस मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में निम्नांकित व्यावसायिक उपक्रम तथा उनका प्रचार करने वाली एजेंसियां हैं :

(i) दी जनपथ होटल्ज लिमिटेड, नई दिल्ली—मेसर्स एडवर्टाइजिंग एण्ड सेल्स प्रोमोशन कम्पनी, नयी दिल्ली ।

(ii) अशोक होटल्ज लिमिटेड, नयी दिल्ली—मेसर्स न्यू फील्ड्स एडवर्टाइजिंग (प्राईवेट) लिमिटेड तथा मेसर्स क्लेरियन मैककन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली ।

(iii) नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली—कोई नहीं ।

(iv) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लिमिटेड, नई दिल्ली—मेसर्स प्रेस, सिन्डीकेट लिमिटेड, नयी दिल्ली ।

(ख) सिवाय मेसर्स क्लेरियन मैककन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के उपर्युक्त सभी एजेंसियों का स्वामित्व भारतीय है । क्लेरियन मैककन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में भारतीयों का 51 प्रतिशत शेयर कैपीटल है तथा शेष मैककन एरिकसन इन्टरनेशनल इनकारपोरेटेड नाम की विदेशी संगठन के हैं ।

(ग) इन एजेंसियों को उपक्रमों के द्वारा कोई कमीशन देय नहीं है । प्रथा यह है कि एजेंसियों को उनका कमीशन, पत्रिकाओं, समाचारपत्रों आदि से जो कि विज्ञापन प्रकाशित करते हैं, मिलता है ।

वाणिज्यिक बैंकों के गुप्त रिजर्व

5325. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक बैंक गुप्त रिजर्व रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस रिजर्व की क्या सीमा है; और

(ग) उन रिजर्वों को संतुलन पत्र में न दिखाने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). बैंकों में चल रहे व्यवहार और परम्परा के अनुसार, बैंक इस बात का उल्लेख नहीं करते कि वे किस सीमा तक गुप्त रिजर्व रखते हैं ।

Abortion

5326. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Abortion Preventive sub-committee has recommended that abortion is becoming very popular ; and

(b) if so, basis on which this conclusion has been drawn ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (**Dr. S. Chandrasekhar**) : (a) and (b). No committee by the name of Abortion Preventive Sub-Committee was appointed by the Government of India. The Committee appointed to study the question of legalisation of abortion under the Chairmanship of Shri Shantilal Shah has observed that :

"This very strict law has, as any medical or social worker knows, been observed in the breach in a very large number of cases in the rural and urban areas, all over India. Whatever may be the moral and ethical feelings that are professed by society as a whole on the question of induced abortion, it is an incontrovertible fact that large numbers of mothers are prepared to risk their lives in an illegal abortion rather than carry that particular child to them. Furthermore, most of these mothers are married women, and under no particular necessity to conceal their pregnancy.

भारत में वर्ग ढांचे का अध्ययन

5327. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय की दृष्टि से सरकार ने भारत में वर्ग ढांचे का कोई अध्ययन कराया है ;

(ख) यदि हां, कितने-कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या निम्न मध्यम तथा ऊपर के वर्गों की है और उनकी वार्षिक आय क्या है ; और

(ग) पंचवर्षीय योजनाओं में योजनावार इन वर्गों में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). योजना आयोग ने प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता में "आय-वितरण और जीवन-स्तर सम्बन्धी समिति" (दि कमिटी आन डिस्ट्रिब्यूशन आफ इन्कम एण्ड लेवल्स आफ लिविंग) नामक एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट के पहले भाग में भारत में आय के वितरण के प्रश्न पर जांच की है। इस विषय पर उपलब्ध सूचना रिपोर्ट के पहले भाग में दी गई है । रिपोर्ट का यह भाग पहले ही सभा की मेज पर रखा जा चुका है।

ग्रंथकारों तथा लेखकों पर करारोपण की दर

5328. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रंथकारों तथा लेखकों के मामले में कररोपण की कोई विशेष दर है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). ग्रंथकारों तथा लेखकों के लिए कोई करों की कोई विशेष दर नियत नहीं की गई है। फिर भी, आयकर अधिनियम, की धारा 180 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि जब कभी किसी साहित्यिक और कलात्मक कार्य को पूरा करने में 12 महीने से अधिक समय लगता है तो पिछले वर्ष में उस काम से हुई कुल आय और ग्रंथकार को प्राप्त हुआ कापीराइट से प्राप्त ब्याज या रायलटीज और कापीराइट फीस से हुई कुल आय और किसी प्रकार की आय को आयकर नियम के अन्तर्गत आय-कर के अनुमान में शामिल किया जाता है।

आयकर नियम, 1962 के नियम 9 (2) जिसमें वर्ष 1962-63 और उससे आगे के वर्षों के कर निर्धारण और प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उसका परिणाम यह है कि साहित्यिक या कलात्मक कार्य के ग्रंथकार द्वारा इन कार्यों से प्राप्त हुई आय पर दिये जाने वाला आयकर, आयकर की धारा 180 के अनुसार पिछले तीन वर्ष में होने वाली आय की सीमा तक ही लिया जायेगा। इस आधार पर दूसरे और तीसरे वर्ष के लिये अनुमानित कर को प्रथम वर्ष में पहले ही ले लिया जायेगा।

विदेशों में लगाई गयी भारतीय पूंजी

5329. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पूंजी विदेशों में लगाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें भारतीय पूंजी लगाई गई है तथा देश-वार कितनी पूंजी लगाई गई है और पूंजी लगाने वाली पार्टियों के क्या नाम हैं ;

(ग) विदेशों में पूंजी लगाने के फलस्वरूप प्रतिवर्ष भारत को कितना लाभ प्राप्त होता है ; और

(घ) देश में लगाई गई पूंजी की तुलना में विदेशों में भारतीय पूंजी लगाने से औसत लाभ की दर क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण जिसमें देशवार ब्योरा और उन कम्पनियों के नाम दिये गये हैं जिन्हें स्वीकृति प्राप्त हो गई थी, सभा-पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2139/67]

(ग) और (घ). बहुत सी परियोजनाओं को हाल में स्वीकृति प्राप्त हुई है और उनपर विभिन्न स्तरों में कार्य चल रहा है। वे अभी इस स्थिति में नहीं है कि उनसे लाभ प्राप्त हो सके। अतः इसी क्षेत्र में विदेशों में अर्जित किये जाने वाले लाभ का मुकाबला भारत में लगाये उन्हीं क्षेत्र में लगाये गये धन से नहीं किया जा सकता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुआ घाटा

5330. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कुल कितना घाटा हुआ है ;

(ख) इस्पात, कोयला और उर्वरक कारखानों में पृथक-पृथक कितना-कितना घाटा हुआ है;

(ग) किन-किन कारखानों में पिछले तीन वर्षों से घाटा हो रहा है ; और

(घ) इन कारखानों की स्थिति को सुधारने के लिये अब तक क्या-क्या उपाय किये गये हैं ; और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) चालू प्रतिष्ठानों में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 1961-62 में पूरी तरह से चालू नहीं हुआ था। संचालन के पहले दो वर्षों में, अर्थात् 1962-63 और 1963-64 में इस कम्पनी को कुल मिलाकर 28.70 करोड़ रुपये का घाटा हुआ लेकिन 1964-65 और 1965-66 में इसे कुल 3.76 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को छोड़कर, सभी चालू प्रतिष्ठानों को 1961-66 में कुल मिलाकर 66.09 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ।

जहां तक 1966-67 का सम्बन्ध है कुछ प्रतिष्ठानों ने अपने वार्षिक लेखों को बन्द नहीं किया है। इस वर्ष के सम्पन्न कार्य की स्थिति का पता इस काम के बाद ही चलेगा ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थिति के बारे में, जो इस्पात उद्योग का एकमात्र चालू प्रतिष्ठान है, ऊपर बताया गया है। कोयला और रासायनिक खाद के क्षेत्रों में 1961-66 के दौरान कुल मिलाकर क्रमशः 0.29 करोड़ रुपए और 5.53 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ।

(ग) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को 1963-66 के वर्षों में घाटा उठाना पड़ा।

(घ) सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों के काम की लगातार जांच की जाती है और घाटे को रोकने और लाभ बढ़ाने के सभी प्रयत्न किये जाते हैं।

धीवरन ताप बिजलीघर (गुजरात)

5331. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में धीवरन ताप बिजलीघर के स्थान का चयन बिना उचित जांच के किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय माही नदी में रेत जम जाने के कारण इस तापीय बिजलीघर के काम में बाधा पड़ती है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की पूरी तरह जांच कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) मानसून और बाढ़ ऋतुओं के दौरान माही नदी में गाद के अधिक हो जाने से कभी-कभी बिजलीघर को ठण्डा करने वाली जल प्रणाली में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। फिर भी इस कठिनाई को दूर करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) और (घ). चूंकि बिजलीघर द्वारा अनुभूत समस्याओं का पूरी तरह से पता है और प्रतिकारात्मक उपाय किए जा रहे हैं, इसलिये इस मामले की और जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

दिल्ली में वायु का दूषित होना

5332. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में वायु दूषित होती जा रही है और इसका जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस खतरे को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अपर कृष्णा परियोजना

5333. **श्री मु० न० नाघनूर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर कृष्णा परियोजना पर कार्य आरम्भ करने के लिए मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के लिये अनेक बार प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके बारे में कोई निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि इस परियोजना पर व्यय बहुत अधिक होना है और धन की कमी है, इसलिये इस समय इस परियोजना के लिए कोई निर्धारित केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है।

मैसूर की परियोजनायें

5334. **श्री मु० न० नाघनूर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने तकनीकी स्वीकृति के लिए कई सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पास भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हेमवती, हरंगी, घटप्रभा (तृतीय प्रक्रम) और करंजा परियोजनाओं को भी तकनीकी स्वीकृति के लिए भेजा गया था और वे अभी तक विचाराधीन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2140/67]

(ग) जी, हां।

(घ) मैसूर और मद्रास सरकारों के बीच हेमवती और हरंगी परियोजनाओं के अन्तर्राज्यीय पक्षों पर अभी निर्णय होना है। घटप्रभा-चरण-3 और करंजा की परियोजना रिपोर्टें मिल गई हैं जिनकी जांच हो रही है।

कोयना जल विद्युत परियोजना

5335. **श्री मु० न० नाघनूर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार कोयना जल विद्युत परियोजना के तीसरे

चरण का कार्य पहिले ही आरम्भ कर चुकी है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कोयना जलाशय की कुल क्षमता 100 टी० एम० सी० फुट है और उसमें केवल 67.5 टी० एम० सी० फुट पश्चिमी क्षेत्र को देने की स्वीकृति दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि पश्चिम की ओर उतनी ही मात्रा में पानी मोड़ा जाये जिसके लिये सहमति प्राप्त हो चुकी है और उससे अधिक मात्रा न दी जाए ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) कोयना जलाशय की सिंचाई क्षमता 98 अरब घनफुट है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पश्चिम की ओर व्यपर्वातित जल 67.5 अरब घनफुट प्रतिवर्ष है ।

(घ) राज्य सरकार से प्रार्थना की गई है कि वे कोयना परियोजना चरण 1 और 2 में स्वीकृत मात्रा से अधिक पानी का प्रयोग न करें ।

प्रति व्यक्ति आय

5336. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1960-61 के मूल्यों के आधार पर और अधिक से अधिक वर्ष 1966-67 के मूल्यों के आधार पर वर्ष 1960-61 से लेकर अब तक क्रमशः प्रत्येक वर्ष में प्रति व्यक्ति आय क्या रही थी ;

(ख) वर्ष 1960-61 और वर्ष 1966-67 के बीच की अवधि में इन दोनों मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में शुद्ध और सकल वृद्धि कितनी हुई है ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में प्रति व्यक्ति आय में औसतन कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है और यह वृद्धि वर्ष 1950-51 से लेकर वर्ष 1959-60 तक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में हुई औसतन वार्षिक वृद्धि की तुलना में कितनी अधिक या कम है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). केन्द्रीय अंक-संकलन संगठन के "राष्ट्रीय उत्पाद के अनुमान (संशोधित क्रम)" नामक प्रकाशन में मौजूदा कीमतों और 1960-61 की कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय के 1960-61 से 1966-67 तक के जो अनुमान दिये गये हैं वे इस प्रकार हैं :

प्रति व्यक्ति आय (रुपये)

वर्ष	मौजूदा कीमतों के अनुसार	प्रतिशत वृद्धि	1960-61 की कीमतों के अनुसार	प्रतिशत वृद्धि/कमी
1960-61	310.0	—	310.0	—
1961-62	322.3	4.0	316.0	1.9
1962-63	332.9	3.3	314.2	(–)0.6
1963-64	376.1	13.0	323.4	2.9
1964-65*	427.1	13.6	339.2	4.9
1965-66*	430.1	0.7	315.3	(–)7.1
1966-67†	481.5	12.0	313.1	(–)0.7

(ग) प्रति व्यक्ति आय में, 1950-51 से 1959-60 तक की अवधि में हुई 1.4 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि के मुकाबले, 1960-61 से 1966-67 तक की अवधि में, वास्तविक रूप में, 0.2 प्रतिशत औसत की वार्षिक वृद्धि हुई है।

सरकारी क्षेत्र में भर्ती

5337. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 में सरकारी क्षेत्र में कुल कितने व्यक्तियों को भर्ती किया गया ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाऊ कार्यालय के माध्यम से भर्ती किया गया था ; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति सरकारी संस्थापनों से पूर्वाधिकार पर आये थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे जितनी जल्दी हो सकेगा, सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

इम्फाल का सिविल अस्पताल

5338. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के इम्फाल सिविल अस्पताल में स्पेशियलिस्ट ग्रेड के कितने पद हैं तथा इन पदों पर काम करने वाले डाक्टरों के नाम क्या हैं ; और

* प्रारम्भिक अनुमान

† तुरत अनुमान

(ख) क्या सरकार का विचार आंख तथा कान, नाक और गला विभागों में स्पेशियलिस्ट ग्रेड के डाक्टरों का भविष्य उज्ज्वल करने के लिये आंख तथा कान, नाक और गला विभाग के पदों को वर्गोन्नत करके स्पेशियलिस्ट ग्रेड बनाने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सिविल अस्पताल, इम्फाल में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड में निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं। उन पदों पर काम करने वालों के नाम उनके आगे दिये गये हैं :

पद	संख्या	डाक्टर का नाम
1. चिकित्सा अधीक्षक	1	रिक्त
2. शल्य चिकित्सक	1	डा० लैफुंधम नन्दा बाबू राय
3. काया चिकित्सक	1	डा० पुखरम्बम कुमुद सिंह
4. एक्स-रे-विद्	1	रिक्त
5. विसंज्ञक	1	रिक्त
6. स्त्री रोग विद् और प्रसूति रोग विद्	1	डा० (कु०) सोइवाम चाओवी देवी

(ख) वर्तमान आर्थिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इन पदों के वेतन-मान बढ़ाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। प्रतिबन्ध उठाये जाने पर इस सुझाव पर यथाविधि विचार किया जायेगा।

भारतीय नौवहन के लिये बीमा

5339. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने सब प्रकार के भारतीय नौवहन का बीमा करने की व्यवस्था कर रखी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जीवन बीमा निगम द्वारा भारतीय पोतों का बीमा जिसमें मशीन किराने का बांटा जाना आदि शामिल है, किया जाता है। निगम द्वारा जहाज की क्षति पूर्ति और सुरक्षा का बीमा इसमें शामिल नहीं है क्योंकि इनको समुद्री बीमा के सामान्य क्षेत्र से बाहर समझा जाता है।

बैंकों के जनरल मैनेजरों की चेयरमैन के रूप में नियुक्ति

5340. **श्री सुब्रावेलू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ समय पहले उनकी की गई इस घोषणा के पश्चात्

कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बदले उनकी कार्य-प्रणाली में परिवर्तन करने के लिये सरकार का विचार एक विधेयक पुरःस्थापित करने का है कुछ बैंकों ने अपने जनरल मैनेजरों को अपने-अपने बैंक का चेयरमैन बना दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । कुछ बैंकों ने अपने मुख्य कार्यकारी पदाधिकारियों को अपना पूर्णकालिक चेयरमैन नियुक्त किया है ।

(ख) यह सरकार द्वारा चलाई गई बैंकों को नियंत्रित करने की नीति के अनुरूप है ।

कलकत्ता में पटसन के जहाजी व्यापारियों के कार्यालयों पर छापा

5341. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वित्त** मंत्री 30 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 364 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के सीमा शुल्क अधिकारियों ने जिन तीन अन्य फर्मों पर छापा मारा था तथा तलाशी ली थी, क्या उस मामले की जांच इस बीच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले हैं और किन-किन फर्मों के विरुद्ध मुकदमे चलाये जा रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इन तीनों फर्मों के सम्बन्ध में अभी जांच जारी है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिल्मों की बिक्री की राशि पर आयकर का अपवंचन

5342. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री फिल्मों की बिक्री की राशि पर आयकर अपवंचन के सम्बन्ध में 30 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2574 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम तथा अन्य ब्योरे क्या हैं, जिनके बारे में सरकार को यह सूचना मिली है कि उन्होंने फिल्मों की बिक्री के दस्तावेजों में कम मूल्य दिखाये हैं; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)

निर्माता का नाम	फिल्म का नाम	दिखाई न गयी धन की रकम रु०
(i) प्रसाद प्रोडक्शन	इरुवर उल्लम्	1,00,000

(ii)	सत्य मूवीज	दीवा थाई	34,000
(iii)	ए० वी० एम० लिमिटेड	करपगम्	20,000
(iv)	सेम्बी ट्रेडर्स	धर्मम् थलाई कक्कुम	75,000
(v)	राजेन्द्रन् पिक्चर्स	अल्ली	20,000
(vi)	विजयालक्ष्मी पिक्चर्स	नवरात्री	16,000

(ख) सम्बन्धित पार्टियों के कर-निर्धारणों में, उनके द्वारा हिसाब में न दिखाई गई रकमों को भी शामिल करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

विदेशों के सहयोग से परियोजनाएं

5343. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कोरबा और सतपुड़ा तापीय परियोजनाओं जैसी अनेक परियोजनाओं पर योजना आयोग की तकनीकी तथा औपचारिक तौर पर स्वीकृति के बिना ही विदेशी सहयोग से कार्य आरम्भ कर दिया गया था, ऋण के सम्बन्ध में बातचीत आरम्भ हो गई थी और अधिकांश उपकरणों के लिये आर्डर दे दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वदेशी क्षमता का ध्यान रखे बिना ही पथ्राटू, हद्वागंज परियोजनाओं आदि के विस्तार के लिए रूस से आयात करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जिन तापीय अथवा पन-बिजली परियोजनाओं के लिये संयंत्र तथा मशीनरी की सप्लाई के आदेश परियोजना रिपोर्टों को औपचारिक रूप से पास तथा स्वीकार करने से पूर्व दे दिये गए थे, उनसे सम्बन्धित जानकारी सूची 27 जुलाई, 1967 को लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 7090 के उत्तर में प्रस्तुत कर दी गई थी। जहां तक कोर्बा परियोजना चरण-2 का संबंध है, योजना आयोग द्वारा 1961 में परियोजना को स्वीकार करने के पश्चात् ही इस पर काम आरंभ किया गया था, रूस के साथ उपकरण की सप्लाई के सम्बन्ध में समझौता किया गया था और सप्लाई के आदेश दिये गए थे। सतपुड़ा परियोजना पर प्रारंभिक कार्य तब शुरू किये गए जब योजना आयोग ने इसको सितम्बर, 1962 में पास कर दिया। योजना आयोग से अक्तूबर, 1963 में परियोजना को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लेने से पूर्व ही भारत सरकार ने ऋण और मुख्य उपकरण की प्राप्ति के प्रबन्ध कर दिये थे। योजना आयोग की स्वीकृति से पूर्व परियोजना सम्बन्धी किसी मुख्य उपकरण के लिये आदेश नहीं दिये गए थे।

(ख) पथ्राटू (2×100 मै० वाट) और हद्वागंज (2×55 मै० वाट) विस्तार परियोजनाओं के लिये उत्पादन संयंत्र देशी संभरकों से प्राप्त किये जा रहे हैं।

(ग) सतपुड़ा परियोजना के लिये मुख्य उपकरण की प्राप्ति के संबंध में कार्यवाही योजना आयोग की औपचारिक स्वीकृति से पूर्व ही कर दी गई थी ताकि उपलब्ध लाभकारी विदेशी सहायता का फायदा उठाया जा सके।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की ठेका पद्धति के विरुद्ध आपत्तियां

5344. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्ति तथा निपटान, महानिदेशालय में ठेके देने के लिये पहले फर्मों से टेंडर मांगने और फिर उन्हें बातचीत के लिये बुलाने और कार्डों के वितरण की वर्तमान प्रथा के विरुद्ध विभिन्न व्यापार संस्थाओं ने घोर आपत्ति उठाई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कम मूल्य पर ठेके देने के बहाने बाद में टेंडर मांगने की प्रथा के विरुद्ध इन संस्थाओं ने आपत्ति उठाई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) कुछ व्यापार संस्थाओं ने पहले दिये गये टेंडरों के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जहां परवर्ती-टेंडर व्यवस्था से बचा जा सकता है वहां सरकार द्वारा उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। इस सम्बन्ध में उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाता है।

विलम्ब से प्राप्त टेन्डरों को भी सामान्यता नियम के अनुसार स्वीकार नहीं किया जाता है। उन्हें केवल विशेष परिस्थितियों में जिससे देश में उत्पादित वस्तुओं को प्रोत्साहन मिले और/या उसके सम्बन्ध में पर्याप्त प्रतियोगिता में कमी होने पर स्वीकार किया जायेगा।

निषिद्ध माल का पकड़ा जाना

5345. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री 30 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2541 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1966 के अन्तिम सप्ताह में कितना निषिद्ध माल पकड़ा गया और बम्बई तथा कलकत्ते की किन-किन फर्मों को नोटिस दिये गये ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : बम्बई की निम्नलिखित फर्मों को कारण बताओ नोटिस दिये गये हैं।

1. मैसर्स चन्दूलाल खुशाल चन्द, 221, मुम्बादेवी रोड, बम्बई–2 और
2. मैसर्स चुन्नी लाल दामानी, 72, मनोहर दास स्ट्रीट, कलकत्ता–7

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा मास्टर प्लान का उल्लंघन

5346. **श्री राम स्वरूप :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 दिसम्बर, 1967 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नई दिल्ली नगरपालिका, नगर आयोजक और भूमि तथा विकास अधिकारी द्वारा की आपत्तियों के बावजूद दिल्ली की बृहद् योजना के उपबन्धों के विरुद्ध मंजूरी देती रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा भवन निर्माण योजनाओं के अतिरिक्त, दिल्ली की वृहद् योजना के अन्तर्गत विकास योजनाओं की भावनाओं के विरुद्ध दी गई अन्य मंजूरियों की ओर अधिकारियों का ध्यान गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकार, नगर एवं ग्राम आयोजन संगठन तथा भूमि एवं विकास अधिकारी से ऐसे मामलों को बतलाने के लिए जिन पर उन्हें कोई आपत्ति हो, पूछताछ किये जाने पर उन्होंने परिशिष्ट में दिये गये मामलों का उल्लेख किया है। इन मामलों की वस्तुगत स्थिति उनके सामने दी गई है। फिर भी दिल्ली विकास प्राधिकार तथा नगर एवं ग्राम आयोजन संगठन के प्रतिनिधियों के परामर्श से इन सभी मामलों का निपटान कर दिया गया था अथवा उनके लिए लेफ्टि० गवर्नर की विशेष मंजूरी ले ली गई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट

दिल्ली विकास तथा नगर एवं ग्राम आयोजन द्वारा
बतलाये गये मामलों की स्थिति

1. **इर्विन सड़क पर अस्थायी स्टाल**

यह सब हनुमान मन्दिर के पास वाले बहुत से स्टालों को दूसरी ओर के सड़क की पटरी पर बदलने के लिए किया गया है। इनमें एक भी स्टाल नहीं बढ़ाया गया।

2. **फल बेचने के लिए खोखों का निर्माण**

इस कार्यक्रम की सभी वर्ग के लोगों तथा प्रेसों ने सराहना की। एक भी फेरी वाला नहीं बढ़ाया गया। जो व्यक्ति रेड़ी/साइकिल लेकर खड़े रहा करते थे उनसे कहा गया कि वे समुचित रूप से बने हुए खोखों में बैठें। यातायात के पुलिस निरीक्षक तथा नगर एवं ग्राम आयोजन संगठन

के प्रतिनिधि के परामर्श से इन सभी खोखों के लिए स्थान का चयन किया गया। इनमें से बहुत से स्थान लेफ्टि० गवर्नर को भी दिखाये गये।

3. रीगल सिनेमा के सामने जलपान गृह का निर्माण

एक भूमिगत गैरेज के बनने तक यह अस्थायी व्यवस्था कर दी है। यह मामला लेफ्टि० गवर्नर तथा मुख्य नगर आयोजक के पास पहले ही भेज दिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकार की तकनीकी समिति द्वारा इस परियोजना को मंजूर किये जाने पर ही इसमें निर्माण-कार्य शुरू किया गया था।

4. थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग में इण्डियन काफी हाउस द्वारा किये गये निर्माण-कार्य को स्वीकृति

दिल्ली विकास प्राधिकार के अध्यक्ष की विशेष आज्ञा से इसकी अनुमति दे दी गई है।

5. मल्टी स्टोरी गैरेज प्रोजेक्ट (सुपर मार्किट के निकट) पार्किंग की अपर्याप्त व्यवस्था

मुख्य नगर आयोजक ने खुद प्रमाणित कर दिया है कि यह पार्किंग व्यवस्था अपर्याप्त है।

6. फल मार्केट भवन (रिवोली के निकट) पार्किंग की अपर्याप्त व्यवस्था

इस भवन के पास वाले प्लाट में आवश्यक पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है। यहां तक कि इस सड़क पर बनने वाले विक्रालय के हर प्लाट के लिए किसी अलग पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। केवल एक स्थान ही जनरल पार्किंग के लिए निश्चित कर दिया गया है।

7. लोदी गार्डन में विकास कार्य

इस पार्क की वर्तमान रूप-रेखा को बनाये रखने का विचार है तथा जहां तक संभव हो सके इसे एक शान्त स्थल भी बनाने का विचार है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

(क) पार्क में कारों के प्रवेश को रोकना;

(ख) फाटक के बाहर समुचित पार्किंग (कार पार्क, साइकिल स्टैण्ड, स्कूटर पार्क) की व्यवस्था करना।

नई दिल्ली में गोल मार्किट क्षेत्र में प्लाटों का मूल्य

5347. **श्री राम स्वरूप** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि तथा विकास कार्यालय के रिकार्डों के अनुसार नई दिल्ली के गोल मार्केट क्षेत्र में रिहायशी और वाणिज्यिक भूमि का वर्तमान प्रति एकड़ मूल्य क्या है;

(ख) क्या गत 12 वर्षों में यह मूल्य बढ़ गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार तारीखों सहित इन मूल्यों में वृद्धि दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) आजकल रिहायश के प्रयोजन के लिए भूमि का मूल्य 100 रुपये से 150 रुपये प्रति वर्ग गज के बीच है तथा व्यावसायिक प्रयोजन के लिए भूमि का मूल्य 200 रुपये से 400 रुपये प्रति वर्ग गज है।

(ख) और (ग). पिछले 2 वर्षों में गोल मार्केट एरिया में भूमि के मूल्य का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-** 2141/67]

Economic Development of Backward Classes

5348. **Shri Onkar Lal Bohra:** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) the proposals and schemes of the Central Government for the economic development of backward classes which are particularly beneficial for Adivasis and which seek to bring them at par with other citizens; and

(b) the amount sanctioned by Government this year for Adivasis of Rajasthan and the amount paid so far?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha): (a) The main schemes are:

(i) Tribal Development Blocks; and

(ii) Co-operation, including Forest Co-operatives and Marketing-cum-Consumers Co-operative Societies.

(b) Rs. 17.20 lakhs have been sanctioned for the aforementioned schemes; Central financial assistance is released to the States from month to month for the plan as a whole, not sector-wise.

दिल्ली के मुख्य आयुक्त के कार्यालय की सहकारी आवास निर्माण समिति

5349. **श्री रा० बरुआ :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मुख्य आयुक्त कार्यालय की सहकारी आवास निर्माण समिति को लगभग दस वर्ष पहले दिल्ली में सब्जी मंडी तथा गुड़ की मंडी के निकट ग्रांड ट्रंक रोड के निकट भूमि आवंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो यह भूमि दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को किस मूल्य पर दी गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकतर सदस्यों ने, अपने मकान बनाने के बदले, इन प्लाटों को काफी अधिक दामों पर बेच दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें किन नियमों के अन्तर्गत इस भूमि को बेचने की अनुमति दी गई थी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) भूमि दिल्ली प्रशासन के द्वारा सोसाइटी के लिए अर्जित की गई थी ।

(ख) सोसाइटी को लेंड एक्यूजीशन एक्ट 1894 के अन्तर्गत भुगतान की जा सकने वाली अर्जन लागत का भुगतान करना था ।

(ग) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं ।

(घ) लेंड एक्यूजीजन एक्ट, 1894 की धारा 41 के अंतर्गत सोसाइटी से किये गये समझौते के अंतर्गत शर्तों में कोअपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा भूमि बेचने के संबंध में किसी प्रतिबंध की व्यवस्था नहीं है।

Lift Irrigation Schemes in Madhya Pradesh

5350. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government had submitted lift irrigation schemes in respect of Betwa, Dhasan cane, Jamuna, Chambal, Narmada rivers etc. for approval of the Central Government;

(b) if so, whether the schemes have been approved ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes.

(b) No.

(c) Modified proposals to cover all the 43 districts of the State and framed in accordance with the policy of energising pumps in "clusters", is awaited from the State Government.

आसाम की अनुसूचित आदिम जातियों को कर से छूट

5351. **श्री रूपनाथ ब्रह्म** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के पहाड़ी जिलों के अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को अधिक कर तथा बिक्री-कर से छूट दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आसाम के मैदानी जिलों में रहने वाले अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को भी ऐसी सुविधा तथा छूट दी जायेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । संविधान की धारा 366 के खण्ड 25 के अनुसार जो अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति, संविधान की छठी अनुसूची में लगी तूलिका के पैरा 20 के भाग (क) और (ख) के अनुसार आसाम में आदिम

जाति क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के सैक्सन 10 (26) में उल्लेख की गई शर्तों के अनुसार आयकर से छूट होगी।

बिक्री-कर राज्य का विषय है अतः सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या आसाम सरकार ने अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों को बिक्री-कर से मुक्त कर दिया है अथवा नहीं।

(ख) जी, नहीं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को सताया जाना

5352. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबन्धक उन कर्मचारियों को सता रहे हैं जिन्होंने सितम्बर, 1967 में हड़ताल की थी ;

(ख) क्या प्रबन्धकों ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों और द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के उन कर्मचारियों को, जिन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया था, अग्रिम वेतन वृद्धियां दी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर और कर्मचारियों को सताये जाने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). 700-1250 तक के कर्मचारियों और उन कर्मचारियों को जिन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में हुई हड़ताल के समय तेल का भेजा जाना और उत्पादन जारी रखा, दो अग्रिम वृद्धि दी गयी थी। इसी प्रकार उन कर्मचारियों को भी जिन्होंने अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त सहायक सेवा की तथा उन सब कर्मचारियों को भी जो पश्चिमी क्षेत्र और देहरादून में हुई हड़ताल के समय काम पर आते रहे, ये दो अग्रिम वृद्धियां दी गई हैं। चूंकि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला गया अतः इसको रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Retirement Age for Employees of Commercial Undertakings

5353. **Shri J. Sundar Lal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the retirement age limit is applicable in the case of Government and semi-Government Commercial Undertakings also ;

(b) whether these rules are applicable in the case of organisations like Ashoka Hotel and the Khadi and Village Industries Commission ;

(c) whether the retiring emplyees are given gratuity or any other such benefits at the time of their retirement ; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). The retirement age limit prescribed for Central Government employees is not applicable in the case of Public Enterprises; certain enterprises have, however, adopted the same superannuation age as in Central Government. The ratirement age of employees of Ashoka Hotels Limited, is 55, while that in Khadi and Village Industries Commission, a statutory Corporation established under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956, is 58.

(c) and (d). Apart from the normal benefits of the Contributory Provident Fund, public enterprises have also been advised to institute gratuity schemes on certain uniform principles.

Dam on Kosi River

5354. **Shri Gunanand Thakur:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the estimated average value of crops that are destroyed between to embankments of Kosi river on account of flood in Kosi every year;

(b) whether Government propose to construct a dam between the two embankments in order to prevent the destruction of crops; and

(c) if so, the time by which the survey of the dam will be undertaken and the construction thereof would be completed?

The Minister of Irrigation and power (Dr. K. L. Rao): (a) No survey in this regard has so far been made by the State Government.

(b) and (c). It is understood from the State Government that a suggestion has been made to construct another line of embankment within the existing embankments. But this requires careful investigations which are held up primarily on account of paucity of funds.

मंगलौर नगरपालिका की जल निष्कासन योजना

5355. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर जल निष्कासन योजना में कितनी प्रगति हुई है और उस पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है ;

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या इस योजना के पूर्ण होने में विलम्ब के कारणों की जांच कराने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मंगलौर भूमिगत नाली योजना क्रियान्यन के लिये राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम (शहरी) के अन्तर्गत 1 करोड़ 43 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर जुलाई 1962

में मंजूर की गई थी। जून 1967 के अन्त तक राज्य सरकार ने इस पर 119.01 लाख रुपये खर्च किए हैं।

(ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी नहीं। योजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर है।

दक्षिण कनारा जिले में पम्प सेट

5356. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रांसफार्मर्स, तारों तथा अन्य उपकरणों के न मिलने के कारण दक्षिण कनारा जिले में पम्प सेटों के लिये बिजली प्राप्त करने के हेतु कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) क्या सरकार ट्रांसमीटर, तार तथा अन्य उपकरण जिनकी कमी बताई गई है, उपलब्ध करेगी ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उन सभी व्यक्तियों को किराया-खरीद आधार पर पम्प सेट उपलब्ध करायेगी जो आवश्यक प्रतिभूति दे सकते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो अनिर्णीत आवेदन-पत्रों के अनुसार कितने पम्प सेटों की आवश्यकता पड़ेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). मैसूर राज्य बिजली बोर्ड ने सूचना दी है कि दक्षिण कनारा जिले में पम्पों को बिजली देने से सम्बन्धित कार्यों में संवाहकों, ट्रांसफार्मरों, खम्भों आदि के बारे में कोई कठिनाई नहीं आ रही है। 1359 प्रार्थियों के 105 स्वीकृत कार्य प्रगति पर हैं। 833 प्रार्थियों की स्कीमें स्वीकार हो चुकी हैं किन्तु धन की कमी के कारण उन पर कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। पहली अप्रैल, 1967 से नवम्बर, 1967 तक 776 पम्प ऊर्जित किये गए हैं। पहली अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1968 तक 1500 पम्पों को ऊर्जित करने का लक्ष्य पूरा हो जायेगा।

(ग) ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अन्तर्गत केन्द्र सीधे किराया-खरीद प्रणाली पर पम्प उपलब्ध करता हो। किन्तु एक ऐसी स्कीम है जिसके अनुसार मैसूर राज्य सहकारी एपेक्स बैंक मैसूर राज्य बिजली बोर्ड से सम्भाव्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करके किराया-खरीद प्रणाली पर पम्प उपलब्ध करायेगा।

(घ) किराया-खरीद प्रणाली पर पम्प लेने के सम्बन्ध में 200 अर्जियां तहसीलदारों के पास ऋण की स्वीकृति के लिए पड़ी हैं।

स्टेट बैंक द्वारा टाइल कारखानों से लिये जाने वाले ब्याज की दर

5357. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाइल कारखानों से, जिन्हें छोटे पैमाने के उद्योगों के वर्ग में शामिल किया गया है, स्टेट बैंक आफ इंडिया किस दर से ब्याज लेता है ;

(ख) इस बात के क्या कारण हैं कि दक्षिण कनारा जिले में 65 कारखानों में से केवल दो ने स्टेट बैंक से ऋण लिये हैं जबकि अन्य कारखाने कमर्शियल बैंकों से ऋण लेते हैं जिनकी ब्याज की दर बहुत अधिक है ; और

(ग) स्टेट बैंक आफ इण्डिया के टाइल उद्योग को सुविधा न देने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) (i)	ताला बन्द माल के गिरवी रखे जाने पर	$7\frac{3}{4}$ प्रतिशत
(ii)	कारखानों को जैसे अग्रिम दिये जाते हैं वैसे अग्रिम जिनके सम्बन्ध में, मालगोदाम की रखवाली करने वाले (गोडाउन कीपर) पर होने वाला खर्च, ऋण लेने वाला पूरा करता हो	$8\frac{1}{4}$ प्रतिशत
(iii)	कारखानों को जैसे अग्रिम दिये जाते हैं वैसे अग्रिम जिनके सम्बन्ध में, मालगोदाम की रखवाली करने वाले (गोडाउन कीपर) पर होने वाला खर्च बैंक पूरा करता हो	$8\frac{3}{4}$ प्रतिशत
(iv)	सामान्यतः अन्य अग्रिमों पर	$8\frac{3}{4}$ प्रतिशत
(v)	सावधिक ऋण	9 प्रतिशत
(vi)	किस्त-ऋण ...	$9\frac{1}{2}$ प्रतिशत

(ख) और (ग). बहुत-से एककों की, लम्बे अरसे से अन्य स्थानीय बैंकों से ऋण लेने की व्यवस्था है या उनके पास अपने पर्याप्त साधन हैं। फिर भी, जिन एककों ने राज्य बैंक से ऋण मांगा है, उन्हें बैंक ने, छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये उदार शर्तों पर वित्त-व्यवस्था करने की अपनी योजना के अन्तर्गत ऋण दिया है।

M/s. Bird and Co., Calcutta

5359. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the extent of foreign exchange assistance given to M/s. Bird and Company, Calcutta during the last five years and the details of the various subsidiary firms of the said Company;

(b) whether illegal documents were seized from the said Company in 1966-67 and if so, the details thereof; and

(c) the number of persons against whom action was taken in this connection and the nature of the action taken?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai): (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) No documents were seized from M/s. Bird and Co. (P) Ltd., Calcutta, during the year 1966-67 by the agencies under the Ministry of Finance.

(c) Does not arise in view of reply to part (b).

उड़ीसा में भुयान जाति को आदिम जातियों में शामिल करना

5360. **श्री गु० च० नायक** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की भुयान जाति को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल कर लिया गया है परन्तु उन्हें बिहार की आदिम जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन लोगों को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) 'भुयान' उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जाति मानी गई है और बिहार के हिस्सों में एक अनुसूचित जाति।

(ख) और (ग). बिहार में यह जाति अनुसूचित आदिम जाति मान लिये जाने के अभिलक्षण नहीं रखती ; सामाजिक एकीकरण के क्रम में वहां उनकी अवस्था अधिक आगे है।

वारविल (उड़ीसा) में जल सम्भरण की योजना

5361. **श्री गु० च० नायक** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्राधिकारियों द्वारा रेलवे लाइन के नीचे से पानी का पाइप गुजारने पर रोक लगाने के परिणामस्वरूप वारविल (उड़ीसा) नगरपालिका परिषद् की जल-सम्भरण योजना में रुकावट आई है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग या वारविल की नगरपालिका परिषद ने इस सम्बन्ध में रेलवे प्राधिकार से बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन

5362. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले मैट्रन, दर्जी और मेकेनिक के वेतनमानों में संशोधन करने की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि मैट्रन के वेतनमान के संशोधन को 1 जुलाई, 1959 से करके उसे भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है और अन्य दो वर्गों पर संशोधन भावी अवधि के लिए लागू किये गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में गाडगिल समिति द्वारा दिये गये आश्वासनों का पालन

5363. **श्री कृष्णन :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाडगिल समिति के आश्वासनों के अन्तर्गत आने वाले ऐसे मामलों की संख्या क्या है जो भूमि तथा विकास कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं ;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें भूमि पर अवैध कब्जे को नियमित कर दिया गया है ; और

(ग) ऐसे मामले कितने हैं जिनमें भूमि तथा विकास कार्यालय ने वैकल्पिक स्थान दिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) बारह।

(ख) और (ग). दिल्ली के मास्टर प्लान में इन अनधिवासियों के अनधिकृत दखल में भूमि सड़कों, पार्कों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित है, अतएव इन अनधिकृत दखलों को नियमित नहीं किया जा सकता। बारह में से ग्यारह अनधिवासियों को झुग्गी तथा झोपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक वास दिया गया था, किन्तु इन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बारहवें मामले में भी वर्तमान स्थान पर एक छोटा प्लाट दिया गया था किन्तु अनधिवासी के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, उड़ीसा

5364. **श्री जेना :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, उड़ीसा,

भुवनेश्वर के वर्तमान अध्यक्ष 27 मई, 1960 से अध्यक्ष पद पर काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे इस सम्बन्ध में बने नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है ; और

(ग) इस मामले में नियमों का पालन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नियम अभी मसौदे के स्तर पर हैं ; उनको अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

माडर्न प्लानर्स/रश्मि एस्टेट्स, नई दिल्ली

5365. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में कनाट प्लेस स्थित माडर्न प्लानर्स/रश्मि एस्टेट्स की गतिविधियों के बारे में सरकार के पास कोई शिकायत आई है ;

(ख) क्या यह सच है कि वे आवास तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि को गैर-कानूनी तौर पर खरीदने तथा बेचने का व्यवसाय करते हैं ;

(ग) क्या इस शिकायत की कोई जांच करने का आदेश दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). यदि आवश्यक हो तो कालोनाइजरों के विरुद्ध कानून के समुचित उपबन्धों के अन्तर्गत तफतीश करने तथा कार्यवाई करने के लिए शिकायतों को दिल्ली पुलिस के पास भेज दिया जाता है ।

Payment of L. I. C. Claims

5366. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that claimants do not receive money from the Life Insurance Corporation for a long time after the death of the policy-holder ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken for the expeditious payment of claims ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c). Claims are settled as soon as all the formalities required to be complied with by the claimants are fulfilled by them. Some delay, however, occurs in the case of some 'early' claims where investigations may be necessary as to whether there was any suppression of material information on the part of the policy-holder while proposing for insurance.

Construction of New Quarters for Government Employees in New Delhi

5367. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of new quarters proposed to be constructed in New Delhi for Government employees during the current financial year for which sanction has been accorded ;

(b) the estimated cost of their construction ; and

(c) the types of quarters proposed to be constructed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c). Sanction has been accorded this year for the construction of 1024 quarters for Government employees in Delhi/New Delhi as indicated below :

Types	Nos.	Estimated cost Rs. in lakhs
II	723	187·06 excluding departmental charges.
III	96	
IV	205	

Special Leave to Women Employees.

5368. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any facilities other than the grant of special leave for the day of loop insertion and the cash amount is proposed to be given to the women employees as is done in the case of male employees ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrashekhar): (a). No. Even male employees of the Central Government are given only special casual leave of not more than six days and out of pocket expenses for vasectomy operation.

(b) Does not arise.

पेल आयल (पीला तेल)

5369. **श्री गा० शं० मिश्र :**
श्री बाबूनाथ सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम ने विभिन्न गैर-सरकारी पक्षों को प्रति वर्ष औसतन कुल कितना पेल आयल (पीला तेल) बेचा है और उन पक्षों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि उन पक्षों ने इस तेल का क्या उपयोग किया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह देखने के लिए कि उसका प्रयोग मिलावट के लिए नहीं किया जाता है क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) नवम्बर, 1966 से अक्तूबर, 1967 तक भारतीय तेल निगम ने 13,000 टन पेल आयल (पीला तेल) बेचा।

विभिन्न पक्षों के नाम एकत्रित किए जा रहे हैं और उन्हें यथा-समय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) और (ग). यद्यपि तेल प्राप्त करने वालों पर इसके प्रयोग किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं, फिर भी भारतीय तेल निगम तेल का स्टाक केवल उसका काम करने वालों को ही सप्लाई करता है, सामान्य व्यापारियों को नहीं।

राजस्व वसूली में कमी

5370. **श्री जनार्दनन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र को चालू वर्ष में राजस्व की आशा से कम वसूली हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) चालू वर्ष में अब तक कुल कितना राजस्व इकट्ठा हुआ है ; और

(घ) यह वसूली गत वर्ष इसी अवधि में एकत्र किए गए राजस्व की राशि की तुलना में कितनी अधिक अथवा कम है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सीमाशुल्क, संघ उत्पादन शुल्क, आयकर, धनकर, व्ययकर, उपहारकर और सम्पदा शुल्क से होने वाली आय चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित 1659.46 करोड़ से कम रही है।

(ख) **प्रत्यक्ष कर** : सामान्यत: प्रत्यक्षकरों से होने वाली आय वर्ष के प्रथम छः महीनों में बाद के छः महीनों की अपेक्षा कम होती है। ऋणकर, जो कि कुल आय का 50 प्रतिशत से भी अधिक बनता है, की मोटी किस्तें दिसम्बर और मार्च के महीनों में वसूल होती हैं। फिर, इस वर्ष 31 मार्च, 1967 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निर्धारण विवरणी को देने की अवधि 30 जून, 1967 से बढ़ा कर 15 अगस्त, 1967 तक कर दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश मामलों में 1967-68 के लिए निर्धारण को, चालू वर्ष के उत्तरार्द्ध में अन्तिम रूप दिया जायेगा। वास्तविक आय तथा यथानुपात बजट प्राक्कलनों में अन्तर का एक कारण देश में सामान्य मन्दी की प्रवृत्ति है।

अप्रत्यक्ष कर : चालू वर्ष के पहले आठ महीनों में होने वाली वास्तविक आय और यथानुपात बजट प्राक्कलनों में अन्तर आयात शुल्क में कमी के कारण है। आयात शुल्क में कमी

मशीनों, उपकरणों, लोह और इस्पात उत्पादों आदि के आयात में कमी के कारण थी । व्यापार और उद्योग में सामान्य मंदी का रुख भी इसके लिए किसी हद तक जिम्मेदार है ।

चीनी, सिगरेट, पटसन उत्पादों आदि के उत्पादन में कमी के कारण भी उत्पादन शुल्क में कमी हुई है ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत 1346.98 करोड़ रु० की राशि इकट्ठी की गई थी ।

(घ) वित्तीय वर्ष 1966-67 की तदनुरूप अवधि के दौरान 1326.24 करोड़ रु० इकट्ठे किए गए थे ।

राजस्थान में बिजली की कमी के कारण हानि

5371. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के कोटा तथा जयपुर क्षेत्रों में बिजली की कमी के कारण उत्पादन में कमी करने के बारे में कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जहां मशीनरी तथा संयंत्र (पूर्ण अथवा आंशिक रूप से) बिजली की कमी के कारण बेकार पड़े हैं तथा वे कब से बेकार पड़े हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राजस्थान में विद्युत सप्लाई को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गये हैं ।

(1) मध्य प्रदेश में सतपुरा बिजली केन्द्र के 62.5 मैगावाट के पहले उत्पादन यूनिट के चालू होने से राजस्थान को गांधी सागर बिजली केन्द्र से अतिरिक्त बिजली दी जा रही है ।

(2) मध्य प्रदेश में इटारसी से बरवाहा तक पारेषण पथ शीघ्रतापूर्वक बनाए जा रहे हैं ताकि राजस्थान को सतपुरा बिजली केन्द्र से बिजली का अपना भाग मिल सके ।

(ग) इस बारे में कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

पोलैंड-फ्रांस सार्थ संघ द्वारा उर्वरक संयंत्र को सहायता

5372. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड-फ्रांस सार्थ ने भारत सरकार को सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक संयंत्र लगाने के लिए 20 करोड़ रुपए की सहायता का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्योरा क्या है और इस संयंत्र के कहां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) प्रस्तावित संयंत्र में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) से (ग). भारत में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने में मैसर्स एन्सा (फ्रांस) और मैसर्स पोलिमैक्स (पोलैंड) ने रुचि दिखाई है। प्रस्ताव का पूरा ब्योरा सुनिश्चित किया जा रहा है और जानकारी प्राप्त होते ही इस पर यथासमय विचार किया जायेगा।

दिल्ली के अस्पतालों को दिये गये खाद्य पदार्थों की चोर बाजार में बिक्री

5373. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में भर्ती हुए रोगियों की खुराक के लिए दी गई चीनी, भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थ बहुत भारी मात्रा में चोर बाजार में बेचे जा रहे हैं या उनका उपयोग अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा अस्पताल के बाहर किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच करवाने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ; रोगियों तथा निम्न वर्ग के कर्मचारियों द्वारा यदा-कदा की जाने वाली छोटी-मोटी चोरी के मामलों को छोड़कर अन्य कोई ऐसी घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पी० एल० 480 अनुदानों के अन्तर्गत योजनायें

5374. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 अनुदानों तथा ऋणों से वर्ष 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में पृथक-पृथक कितनी तथा कौन-कौन सी योजनायें मंजूर की गई हैं ; और

(ख) इन योजनाओं पर अब तक कुल कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). एक विवरण साथ लगा दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में पी० एल० 480 अनुदान और ऋण निधि की रकमें किन प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों पर खर्च की गयीं और वे रकमें कितनी हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2142/67]

यमुना नदी में पानी की सप्लाई का बढ़ाया जाना

5375. **श्री राम चरण :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी में पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए गंगा नदी से एक नहर निकाल

कर यमुना में मिलाने का कोई प्रस्ताव है।

(ख) क्या इस योजना से दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना को कब कार्यान्वित करने का विचार है ; और

(घ) इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 1972 में उत्तर प्रदेश की राम गंगा परियोजना के पूरा हो जाने के पश्चात्।

(घ) दिल्ली की पानी की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए परियोजना की लागत में दिल्ली प्रशासन को कितना हिस्सा देना पड़ेगा, इस पर अभी निर्णय किया जाना है।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में परामर्शदाता

5376. **श्री राम चरण** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में सिन्धु तथा गंगा बेसिन संगठन में कई परामर्शदाता हैं ;

(ख) क्या सरकार यह मानती है कि इन संगठनों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को रखना उचित है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी संख्या कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). सिंचाई व बिजली मंत्रालय की सिंधु जल संस्था में केवल एक अवैतनिक सलाहकार है। गंगा बेसिन संस्था में दो सलाहकार हैं जो अधीक्षक अभियंता के ग्रेड में हैं जो गंगा बेसिन विकास के विविध पक्षों पर सलाह देते हैं। सलाहकार (नौपरिवहन) के एक पद को अप्रैल, 1966 में खत्म कर दिया गया था। इस सभय कम से कम संख्या में सलाहकार काम कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

5377. **श्री राम चरण** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में दिल्ली में 700 रुपये से 1250 रुपए तक के वेतन-वर्ग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए कोई योजना बनाई थी ;

(ख) क्या इसे त्याग दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) चालू वर्ष के लिए आयोजनायें (प्लान्स) बनाते समय, निम्न आय वर्ग में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने पर जोर दिया गया था क्योंकि इन वर्गों में सरकारी क्वार्टरों के आवंटन का प्रतिशत कम है ।

दिल्ली में उपचर्या (नर्सिंग) कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ते का भुगतान

5378. **श्री अ० क० गोपालन** : **श्री प० गोपालन** :
श्री एस्थोस : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के उपचर्या कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की कर्मचारियों की अपेक्षा 50 प्रतिशत नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में सब सरकारी कर्मचारियों की तरह इन कर्मचारियों को भी नगर प्रतिकर भत्ता मूल वेतन के 8 प्रतिशत की दर से देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) सामान्य नियमों के अन्तर्गत, उन सरकारी कर्मचारियों को, जो कि निःशुल्क भोजन और निवास के हकदार हैं नगर प्रतिकर भत्ता नियमित भत्ते का 50 प्रतिशत मिलता है । चूंकि नर्सिन स्टाफ को भोजन का भत्ता दिया जाता है और निःशुल्क निवास-स्थान भी उपलब्ध किया जाता है अतः उन्हें यह भत्ता सामान्य भत्ते का 50 प्रतिशत दिया जाता है ।

(ग) और (घ). इन कर्मचारियों का नगर प्रतिकर भत्ता बढ़ाने के लिए प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन पर विचार हो रहा है ।

नर्सिंग कर्मचारियों को खाद्य भत्ते का भुगतान

5379. **श्री उमानाथ** : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री चक्रपाणि** :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्सिंग कर्मचारियों को मुदालियर समिति की सिफारिश के अनुसार पूरे खाद्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सिफारिश को पूर्णत: कार्यान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मुदालियर समिति की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं में उपचर्या कर्मचारियों को 30 रुपए प्रतिमास भोजन का भत्ता दिया जाता है। केरल, मैसूर और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में यह भत्ता इन सिफारिशों के अनुसार नहीं दिया जाता है।

(ख) और (ग). स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं नियोजन समिति की रिपोर्ट उसमें निहित सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकारों के पास पहले ही भेज दी गयी है। राज्य सरकारों से अभी तक मिली सूचना से ज्ञात होता है कि वे स्थानीय अनुमोदित दरों का ही पालन कर रहे हैं।

सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग सिस्टरों को मंहगाई भत्ते का भुगतान

5380. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अनिरुद्धन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की नर्सिंग सिस्टरों को केवल 2/3 महंगाई भत्ता दिया जाता है जबकि सभी सरकारी कर्मचारियों और स्टाफ नर्सों को सरकारी नियमों के अनुसार मंहगाई भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नर्सिंग सिस्टरों को भी नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता देने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी, हां। क्योंकि नर्सिंग सिस्टर्स को भोजन का भत्ता तथा नि:शुल्क निवास-स्थान उपलब्ध किया जाता है। इसलिए उन्हें मंहगाई भत्ता सामान्य दरों का दो तिहाई दिया जाता है।

(ख) और (ग). पूरे भत्ते के लिए प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में विवाहित नर्सों के लिए रिहायशी व्यवस्था

5381. **श्री नायनार :** **श्री रमानी :**
श्री अब्राहम : **श्री गणेश घोष :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के किसी भी अस्पताल में विवाहित नर्सों के लिए रिहायशी आवास की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में नर्सों (उपचर्या कर्मचारी) को आवास सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिए एक विशेष पूल बनाने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। किन्तु विवाहित नर्सों के लिए रिहायशी मकानों का कोई विशेष पूल नहीं है। उनको जनरल पूल के अन्तर्गत दिये जाने वाले मकानों में ही अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होती है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण सभी विवाहित नर्सों के लिये मकान की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

(ख) विलिंगडन अस्पताल की 35 विवाहित नर्सों में से सात को तथा सफदरजंग अस्पताल की 157 विवाहित नर्सों में से 22 को सरकारी मकान मिले हुए हैं।

(ग) जी नहीं।

अन्दमान लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की लागत

5382. **श्री गणेश :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई परियोजना की लागत के आंकड़े असाधारण रूप से अधिक हैं ;

(ख) अन्दमान के लागत आंकड़ों तथा देश के अन्य भागों के औसत लागत आंकड़ों में कितना अन्तर है ; और

(ग) इस अन्तर के क्या मुख्य कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अन्दमान लोक निर्माण विभाग के स्टोरों से सामान का उधार दिया जाना

5383. **श्री अमृत नाहाटा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 और 1967 में अन्दमान लोक निर्माण विभाग के स्टोरों से कोई सामान उधार दिया गया था ;

(ख) कितने व्यक्तियों को इस प्रकार सामान उधार दिया गया था ; और

(ग) क्या नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार सामान उधार दिया जा सकता है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1966 में दो व्यक्ति तथा 1967 में एक व्यक्ति।

(ग) जी हां।

पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका

5384. **श्री गणेश** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन यथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के लिये पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका की कुल आय-व्ययक सम्बन्धी आवश्यकताएं क्या हैं ;

(ख) नगरपालिका ने अन्दमान लोक निर्माण विभाग को कच्चे पानी की सप्लाई के लिये कितनी धनराशि दी है ;

(ग) 1958 और 1967 में नगरपालिका की आय कितनी थी ; और

(घ) भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितना सहायता अनुदान दिया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) नगरपालिका द्वारा तैयार किये गये बजट प्राक्कलनों के अनुसार उनकी आवश्यकता 10,25,100 रुपये हैं।

(ख) 1967-68 में अन्दमान लोक निर्माण विभाग को अनुमानतः 3,50,000 रुपए दिए जाने हैं।

(ग) 1958-59 में नगरपालिका की आय कुछ नहीं थी क्योंकि इसने उसी वर्ष अपना कार्य प्रारम्भ किया था। 1967-68 में इसकी अनुमानित आय 4,63,600 रुपये है।

(घ) भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका को अलग-अलग वर्ष में सहाय्यानुदान की अलग-अलग रकम मंजूर की गई है। 1966-67 में इस नगरपालिका को बजट सम्बन्धी घाटे को पूरा करने के लिए 5,17,700 रुपए दिए गए। 1966-67 में विकास कार्यों के लिए

1,00,000 रुपये की एक और राशि भी इसको दी गई। चालू वित्तीय वर्ष (1967-68) में इस नगरपालिका को बजट के घाटे की पूर्ति तथा विकास कार्यों के लिए क्रमशः (दो लाख रुपए की कुल बजट व्यवस्था में से) एक लाख रुपए तथा (1,25,000 रु० की कुल बजट व्यवस्था में से) 62,500 रुपए की रकमें पहले ही दी जा चुकी हैं।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में महिला डाक्टर

5385. **श्री गणेश :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में महिला डाक्टरों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त संख्या में महिला डाक्टरों की नियुक्ति करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). इस समय अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में लेडी डाक्टरों की तीन जगहें खाली हैं। इन स्थानों को भरने के लिए योग्य लेडी डाक्टर नियुक्त करने की दिशा में अपेक्षित कदम उठाए जा रहे हैं।

अन्दमान द्वीपसमूह का असैनिक अस्पताल

5386. **श्री गणेश :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीपसमूह के असैनिक अस्पताल में एक चिकित्सक (फिजिशियन) और एक विसंज्ञक (अनैस्थेसिस्ट) की नियुक्ति करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). सरकार चिकित्सा एवं संज्ञाहरशास्त्र में विशिष्ट अर्हताएं प्राप्त डाक्टरों को नियुक्त करने का प्रयत्न कर रही है।

अन्दमान द्वीपसमूसह में नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

5387. **श्री गणेश :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री 6 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 720 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में प्रस्तावित नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स के लिये तब से कोई पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है और मंजूर हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय नर्सिंग परिषद् ने अंदमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा जूनियर पुरुष नर्सों के लिये तैयार किये गये 18 महीने की अवधि के एक संक्षिप्त जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम पर विचार किया था। क्योंकि पुरुष नर्स कई सालों से स्टाफ नर्सों का काम कर रहे हैं, इसलिये परिषद् ने उनको और प्रशिक्षण देना आवश्यक नहीं समझा ।

पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका बोर्ड

5388. **श्री अमृत नाहाटा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 के लिये पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका बोर्ड के लिये अनुदान मंजूर किया गया है ;

(ख) क्या 1967-68 के लिये विकास अनुदान की भी मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। 1967-68 के लिये की गई भारत सरकार ने 2.00 लाख रुपये की कुल व्यवस्था में से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के मुख्यायुक्त द्वारा पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल बोर्ड को उसका बजट का घाटा पूरा करने के लिये केवल 1.00 लाख रुपये की अनुमति 25-8-67 को दे दी थी।

(ख) जी हां। 1967-68 में विकास कार्यों के लिए की गई 1,25,000 रुपये की कुल व्यवस्था में से भारत सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त द्वारा पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल बोर्ड को केवल 62,500 रुपये देने की अनुमति 25-8-1967 को दी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नमक कर का हटाया जाना

5389. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नमक कर को हटाने का कोई प्रस्ताव है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस समय नमक पर कोई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नहीं है। हां, नमक पर उपकर लगाया हुआ है और इसको हटाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

सरस्वती महल लाइब्रेरी

5390. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सलाह से तन्जौर स्थित सरस्वती महल लायब्रेरी में आयुर्वेद और सिद्ध विद्या में अनुसंधान की योजना बनाई है और सरकार के पास मंजूरी के लिये भेजी है ; और अभी तक सरकार के पास विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). मद्रास सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की सलाह से बनाई गई तन्जौर स्थित सरस्वती महल लायब्रेरी में आयुर्वेद और सिद्ध विद्या सम्बन्धी कोई अनुसंधान योजना भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। किन्तु भारत सरकार द्वारा स्थापित सरस्वती महल लायब्रेरी की साहित्यिक अनुसंधान एकक की शासी समिति ने वर्तमान एकक के विस्तार के लिये एक योजना तैयार की है और वह विचाराधीन है।

भवन निर्माण के लिये जीवन बीमा निगम से ऋण

5391. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन नगरों में जीवन बीमा निगम ने गृह-निर्माण के लिये ऋण देना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या निवास स्थानों की अत्यधिक कमी के कारण उक्त सुविधा देश के अन्य नगरों में भी दी जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) निगम की "सम्पत्ति रहन योजना" में शामिल किये गये 37 नगरों और "अपना मकान बनाइये" योजना में शामिल किये गये 118 नगरों के नाम निगम वार्षिक प्रतिवेदन में पृष्ठ 48,50 और 51 पर दिये गये हैं जो कि 30 नवम्बर, 1967 को सभा-पटल पर रखा गया था।

(ख) और (ग). निगम 'अपना मकान बनाइये' योजना का अन्य नगरों में भी विस्तार करना चाहती है। अभी यह बताना कठिन है कि योजना का विस्तार कब किया जायेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Distillery in Co-operative Sector in Maharashtra

5392. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have granted permission to the Government of Maharashtra to set up a distillery in the co-operative sector ;

(b) if so, the place where the said distillery is likely to be set up and the quantity of wine likely to be distilled per day ; and

(c) the value of shares of the said distillery purchased by the Central and Maharashtra Governments ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Does not airse.

बिहार के सन्थाल परगना में आदिम जातीय खण्ड विकास कार्यालय

5393. **श्री मरण्डी :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के सन्थाल परगना जिले में आदिम जातीय खण्ड विकास कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों को अपनी नियुक्ति से दो वर्ष के अन्दर सन्थाली भाषा सीखनी पड़ती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कार्यालयों में नियुक्त अधिकतर अधिकारियों ने निर्धारित अवधि में सन्थाली भाषा नहीं सीखी है ;

(ग) यदि हां, तो इस समय इन कार्यालयों में ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्होंने सन्थाली भाषा नहीं सीखी है तथा नियमों के अन्तर्गत कितने मामलों में वार्षिक वृद्धि रोकी गई है ;

(घ) सन्थाली भाषा सीखने के लिये सरकार ने इन अधिकारियों को क्या सुविधाएं दी हैं ;

(ङ) क्या सन्थाली भाषा न सीखने वाले अधिकारियों को स्थानान्तरित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (च). राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी मंगाई गई है और प्राप्त होते ही उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

मैसर्स खीमजी पूंजा एण्ड कम्पनी, बम्बई

5394. **श्री एस० एम० जोशी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के आयकर विभाग ने वर्ष 1944 से लेकर वर्ष 1948

तक और वर्ष 1948 से लेकर वर्ष 1967 तक के बारे में बम्बई की फर्म मैसर्स खीमजी पूंजा एण्ड कम्पनी की कर-देयता को पुर्निर्धारित करने के आदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार पुर्ननिर्धारित राशि कितनी है और मूलतः कितनी राशि निर्धारित की गई थी ;

(ग) क्या सम्बन्धित कम्पनी ने पुर्ननिर्धारित आयकर की राशि का भुगतान कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कम्पनी द्वारा देय राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1946-47 से 1955-56 के वर्षों के लिये निर्धारण पुनः किया जा रहा है। 1946-47 से 1949-50 के वर्षों के लिये निर्धारण पुनः किया गया था, परन्तु अपील में उसे रद्द कर दिया गया था। 1950-51 से 1956-57 के वर्षों के लिये पुर्ननिर्धारण लम्बित है।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया पुर्ननिर्धारण लम्बित हैं। आरम्भ में कितनी आय पर कर लगाया गया था, इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

मैसर्स खीमजी पूंजा एण्ड कम्पनी, बम्बई

5395. **श्री एस० एम० जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई का आयकर विभाग बम्बई की फर्म मैसर्स खीमजी पूंजा एण्ड कम्पनी के बेनामी सौदों की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस जांच का स्वरूप क्या है ;

(ग) यह जांच इस समय किस स्थिति में है; और

(घ) सम्बन्धित फर्म जांच पूरी होने के पश्चात् कर की वसूली से सरकार को वंचित रखने के लिये अपनी आस्तियों का तबादला न कर दे अथवा उन्हें बेच न दे, सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जांच मैसर्स खीमजी पूंजा एण्ड कम्पनी द्वारा करापवंचन के आरोपों से सम्बन्धित है और अभी चल रही है।

(घ) वसूली के प्रभारी अधिकारी को निदेश दिया गया है कि वह इस सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 1961 के सुरक्षात्मक उपबन्धों को ध्यान में रखें और सतर्क रहें।

मध्य प्रदेश में सहकारी तथा औद्योगिक उपक्रमों को ऋण दिया जाना

5396. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार तथा इसके द्वारा स्थापित निगमों ने मध्य प्रदेश में सहकारी और गैर-सरकारी औद्योगिक उपक्रमों को ऋण देने के लिये अब तक कितनी राशि दी है;

(ख) क्या ये ऋण अन्य राज्यों को दिये गये ऋणों के अनुपात में हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

कृषि वित्त निगम

5397. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि वित्त निगम ने मध्य प्रदेश को अब तक कितना धन दिया है और वह किन कार्यों के लिये दिया गया है;

(ख) क्या यह राशि अन्य राज्यों को दी गयी राशि के बराबर है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कृषि पुनर्वित्त निगम ने चम्बल प्रायोजना के अन्तर्गत 35,000 एकड़ जमीन को खेती के योग्य बनाने और उसका विकास करने की एक योजना मार्च, 1967 में मंजूर की है । इस योजना पर 112.35 लाख रुपया खर्च होगा जिसमें से निगम ने 84.26 लाख रुपया देने का वचन दिया है । इस योजना को अमली रूप देने की गति धीमी होने के कारण मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक ने, उक्त रकम में से अभी तक कोई रकम नहीं ली है ।

(ख) और (ग). निगम द्वारा दी जाने वाली सहायता की राशि, प्रत्येक राज्य द्वारा बनायी जाने वाली कृषि विकास योजनाओं की संख्या और उनके खर्च पर निर्भर होती है । निगम, सभी राज्यों के प्रस्तावों का स्वागत करता है और प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली कुल सहायता के सम्बन्ध में उसने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है । मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में अन्य 9 प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिन पर कुल 587.10 लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है ।

केन्द्रीय सरकार के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाना

5398. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार ने अस्थायी कार्यालयों/विभागों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को स्थायी बनाने के बारे में 13 सितम्बर, 1966 को आदेश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के समस्त अस्थायी कार्यालयों/विभागों में इन आदेशों को क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का ज्ञापनपत्र संख्या ओ० एम० 23 (46)—ई० जी० आई/67 13 सितम्बर, 1966 को जारी किया गया था जो सामाजिक सुरक्षा पर समिति की सिफारिशों से सम्बन्धित था। इस ज्ञापनपत्र के अनुसार ऐसे गैर-स्थायी विभागों में, जो कि 10 वर्षों से अधिक से विद्यमान हैं और जिन्हें निकट भविष्य में समाप्त करने का विचार नहीं है, 50 प्रतिशत अस्थायी पदों को स्थायी बनाया जा सकता है बशर्ते कि वे पद कम से कम 5 वर्षों से निरन्तर रूप से विद्यमान हों।

(ख) और (ग). इन आदेशों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी स्वयं प्रशासनिक मंत्रालयों की है जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर स्थिति का पुनर्विलोकन करती हैं। आदेशों के न पालन करने के कोई मामले वित्त मंत्रालय की जानकारी में नहीं आये हैं।

पुनर्वास विभाग में स्थायी पद

5399. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास विभाग ने उनके मंत्रालय से प्रार्थना की है कि स्थायी पदों में परिवर्तित किये जाने वाले पदों की प्रतिशतता में वृद्धि की जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि पुनर्वास विभाग एक अस्थायी विभाग है, 50 प्रतिशत अस्थायी पदों को स्थायी आदेशों के अनुसार स्थायी बनाया गया है। इन आदेशों के अनुसार इससे अधिक प्रतिशतता ग्राह्य नहीं है।

जन्मदर पर नियंत्रण करने के लिये औषधि

5400. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार के पशुओं को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से प्रजनन क्षमता के अयोग्य बनाने के लिये किसी औषधि का सफल परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस औषधि का नाम क्या है और क्या इन्सानों को भी इस औषधि से प्रजनन क्षमता के अयोग्य बनाने के लिये परीक्षण किया गया है; और

(ग) जिस अनुसंधानकर्ता अथवा संस्थान ने इस औषधि का आविष्कार किया है उसका नाम क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर): (क) जी हां।

(ख) मानवों में उत्पादन शक्ति कम करने के लिए कई दवाइयों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने भी देश में प्रयोग के लिए कुछ खाने वाले गर्भनिरोधकों की स्वीकृति दी है।

(ग) देश और विदेश में विभिन्न संस्थाओं के अनेक अनुसन्धानकर्ताओं द्वारा खोज की गई है।

रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर द्वारा गैर-सरकारी नौकरी की स्वीकृति

5401. **श्री रवि राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत के रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री पी० सी० भट्टाचार्य ने सेण्डोज नामक एक गैर-सरकारी फर्म में नौकरी करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होकर किसी गैर-सरकारी फर्म में उनकी नियुक्ति सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की नीति के विरुद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो श्री भट्टाचार्य को यह पद स्वीकार करने से रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस आशय की कुछ खबरें समाचारपत्रों में छपी हैं।

(ख) श्री पी० सी० भट्टाचार्य 1 मार्च, 1958 को सरकारी सेवा से रिटायर हो गये। दो वर्षों की अवधि, जिस बीच कोई सरकारी कर्मचारी वाणिज्यिक नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता, उनके मामले में समाप्त हो गई है और इस प्रकार निजी कम्पनी में नौकरी स्वीकार कर लेना सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Allowances to Central Government Employees

5402. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether those employees of the Central Government who reside beyond the limits of

Delhi city and perform their duties within the limits of Delhi city, are paid City Compensatory Allowance and House Rent Allowance hpplicable to Delhi City and if so, the rates of those allowances ; and

(b) the rates at which the City Compensatory Allowance and the House Rent Allowance is paid to such Central Government employees who reside in Delhi and perform their duties at Ghaziabad, Gurgaon and Faridabad ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) Yes, Sir, as the grant of Compensatory (City) and house rent allowances to the Central Government employees is determined with reference to their place of duty. The rates are :

Compensatory (City) Allowance.

Below Rs. 150	10% of pay subject to a minimum of 7·50 and a maximum of 12.50.
Rs. 150 and above.	8% of pay subject to a minimum of 12·50 and maximum of 75.

House Rent Allowance.

Below Rs. 100	Rs. 15.
100-3,000	15% of pay subjcct to a minimum of 20 and a maximum of 300.
Above 3,000	10% of pay.

(b) Gurgaon is an un-classified city and the Central Government employees who reside in Delhi and perform their duties at this station are not entitled to any Compensatory (city) and House Rent Allowances.

Ghaziabad and Faridabad are 'C' Class cities. Central Government employees who reside in Delhi and perform their duties at Ghaziabad and Faridabad are not eligible for any Compensatory (City) Allowance. They are, however, entitled to draw House Rent Allowance at the following rates:

Below Rs. 500	7½% of pay subject to a minimum of 7·50.
500 and above.	Amount by which pay falls short of 536.

As a special case, Central Government employees who were transferred to Faridabad on account of shifting of offices from Delhi on or after 1.1.1966, have been allowed to continue drawing Compensatory (City) allowance at Delhi rates for one year and, thereafter, the rates will be gradually reduced to **nil** over the next 18 months. This concession has also been extended to employees of offices already stationed in Faridabad as on 1.9.66 to avoid discrimination.

आयकर निर्धारण सम्बन्धी मामले

5403. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक लाख रुपये से अधिक आयकर निर्धारण के मामलों में

आयकर अधिकारियों को कर-निर्धारण सम्बन्धी आदेशों का प्रारूप स्वीकृति के लिये निरीक्षक सहायक आयुक्तों को भेजना पड़ता है;

(ख) अप्रैल, 1965 से मार्च, 1966 तक तथा अप्रैल, 1966 से मार्च, 1967 तक की अवधियों में दिल्ली, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में निरीक्षक सहायक आयुक्तों की स्वीकृति के लिये कितने मामले भेजे गये ; और

(ग) आयकर अधिकारियों द्वारा निरीक्षक सहायक आयुक्तों को कर-निर्धारण सम्बन्धी आदेशों के प्रारूप भेजे जाने की तिथि से करदाता को अन्तिम आदेश जारी किये जाने तक तीन महीनों तथा छः महीनों से अधिक विलम्ब कितने मामलों में हुआ ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बोर्ड द्वारा ऐसी कोई हिदायतें जारी नहीं की गई हैं । तथापि, आयकर आयुक्तों से पूछताछ की गई है कि क्या उन्होंने ऐसी कोई हिदायतें जारी की हैं और आवश्यक जानकारी प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में विद्युत् परियोजनाओं का सर्वेक्षण

5404. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कुछ विद्युत् परियोजनाओं के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जिन परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है उनका कार्य कब आरम्भ करने का विचार है ; और

(ग) इन परियोजनाओं को कितनी क्षमता होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) धुकवन पन-बिजली परियोजना, यमुना पन-बिजली परियोजना-चरण 4 और मनेरी-भाली पन-बिजली परियोजना-चरण 1 का सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान कार्य पूरा हो गया है और इनकी परियोजना रिपोर्टें तैयार हो गई हैं । धुकवन परियोजना के कार्यान्विन के लिये अनुमति दे दी गई है । जहां तक यमुना पन-बिजली परियोजना चरण-4 का सम्बन्ध है, राज्य बिजली बोर्ड ने हाल ही में संशोधित प्रस्ताव भेजे हैं जिनकी जांच की जा रही है । मनेरी-भाली परियोजना चरण-1 तकनीकी सलाहकारी समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई है और योजना आयोग की औपचारिक स्वीकृति प्रतीक्षित है ।

(ग) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित उत्पादन क्षमताएं प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव है :

1. धुकवन		22.5	मैगावाट
2. यमुना-4	...	30.0	,,
3. मनेरी-भाली-1	...	105.0	,,
	कुल	157.5	मैगावाट

इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को पीपों की सप्लाई

5405. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने हिन्द गैलवैनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को इन्डियन आयल कारपोरेशन के टेंडर संख्या ओ० पी० टैन/7/65 के अन्तर्गत कारपोरेशन को ड्रमों की सप्लाई के हेतु 18 गेज की पीपों में काम आने वाली चादरों का अतिरिक्त मात्रा में नियतन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें तकनीकी विकास के महानिदेशालय से इण्डियन आयल कारपोरेशन को पीपों की सप्लाई के हेतु इस्पात की चादरें कितनी मात्रा में प्राप्त हुईं ;

(ग) इस्पात की इन अतिरिक्त चादरों से उसने इण्डियन आयल कारपोरेशन को कितने पीपे सप्लाई किये तथा उसने कारपोरेशन को अब तक सप्लाई किये गये पीपों के लिये इस्पात की चादरों की कितनी मात्रा का प्रयोग किया ;

(घ) उनके द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन को अभी कितने ड्रम सप्लाई करना बाकी है ; और

(ङ) भारतीय तेल निगम को ड्रमों की सप्लाई के हेतु हिन्द गैलवैनाइजिंग कम्पनी को दी गई इस्पात की चादरों की अतिरिक्त मात्रा का क्या उपयोग किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक द्वारा मेसर्स हिन्द गैलवैनाइजिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी (पी) लिमिटेड को इस्पात की अतिरिक्त मात्रा इसलिये आवंटित की गई थी कि भारतीय तेल निगम सहित सभी तेल कम्पनियों ने इसकी मांग की थी ।

(ख) भारतीय तेल निगम इस्पात का भाग 4321.66 टन था जो कि 1,64,223 बैरल बनाने के लिये था ।

(ग) आज तक हिन्द गैलवैनाइजिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी (पी) लिमिटेड ने 1,38,162 बैरल दिये हैं जिसमें 3635.84 मीट्रिक टन इस्पात लगना चाहिए ।

(घ) इस इस्पात में से 26,061 बैरल अभी दिये जाने हैं।

(ङ) ज्यों ही प्रति बैरल मूल्य सम्बन्धी विवाद निपटा लिया जाता है, भारतीय तेल निगम आशा करता है कि हिन्द गैलवैनाइजिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी (पी) लिमिटेड निगम को फिर से बैरल देने लग जायेगी और उसको आवंटित इस्पात की पूर्ण मात्रा का उपयोग करने लगेगी।

आसाम में अनुसूचित आदिम जातियां

5406. **श्री रूपनाथ ब्रह्म** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में कितनी अनुसूचित आदिम जातियां हैं तथा जिलावार इन जातियों के कितने-कितने लोग कहां-कहां पर हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गारों और मिकिर लोगों को जो आसाम के मैदानी जिलों में रह रहे हैं अनुसूचित आदिम जातियों में शामिल नहीं किया जाता यद्यपि उन्हें पहाड़ी जिलों में अनुसूचित आदिम जातियों में गिना जाता है और इस प्रकार कचारी और राभा जाति के लोगों को जिन्हें मैदानी जिलों में अनुसूचित आदिम जातियों में गिना जाता है पहाड़ी जिलों में अनुसूचित आदिम जातियों में नहीं गिना जाता; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) यह जानकारी "भारत की जनगणना, 1961 खंड 111—आसाम-भाग 5-क—अनुसूचित आदिम जातियां और अनुसूचित जातियां-पुरानी जनगणना-प्रतिवेदनों से पुनः छापे गए अंश तथा विशेष सारणी", जो संसद् के पुस्तकालय में है, में प्राप्य है।

(ख) और (ग). यह सच है कि आसाम की आदिवासी जातियों को पहाड़ी क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्रों, और नेफा के लिये पृथक-पृथक उल्लिखित किया गया है। इसका कारण यह है कि संविधान के अनुच्छेद 244, 330 और 332 के अन्तर्गत आदिवासी (पहाड़ी) क्षेत्रों के लिये विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं।

Use of Tallow for Manufacture of Soap

5407. **Shri O. P. Tyagi :**
Shri A. B. Vajpayee :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that tallow which contains pig-fat and cow-fat only is being mainly used in the preparation of soap ;

(a) whether it is also a fact that most of the Indians consider it sinful even to touch these fats ;

(c) if so, whether Government propose to direct the soap manufacturers to clearly mention on soap packets prepared from tallow that this soap has been prepared from the fats of animals so that the users may protect their religious feelings ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramiah (a) : Mostly inedible tallow imported from America is being used in this country in the manufacture of soaps. This tallow is believed to be mixed beef tallow which may or may not contain hog tallow. Tallow accounts for about 11% of consumption of oils and fats in the soap manufacture.

(b) to (d). It is generally known that tallow is being used in almost all popular brands of soaps produced and marketed in the country. As such, no further publicity of the fact is considered necessary. No complaints of consumer resistance to such brands of soaps have been received.

सरकारी क्षेत्र के कारखाने

5408. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में कितने उद्योग हैं तथा उनमें कितनी पूंजी लगी हुई है। उनमें क्या-क्या माल बनाया जाता है तथा कुल कितना माल बनता है और उनकी स्थापना से लेकर अब तक उनको कितना शुद्ध मुनाफा हुआ है तथा उनमें लगी हुई पूंजी के अनुपात में मुनाफा कितने प्रतिशत हुआ है ;

(ख) क्या इन सभी उद्योगों का कार्य संतोषजनक है ; और

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्योगों की लाभ दर की तुलना में इन उद्योगों की लाभ दर कम है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग उपक्रमों की सलाना रिपोर्टों और तुलन-पत्रों के अलावा, जिन्हें संसद् में पेश किया जाता है, "केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्य-चालन की सलाना रिपोर्ट" भी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मांगी गयी सूचना भी होती है, 1960-61 से संसद् में पेश की जा रही है। 1965-66 की रिपोर्ट अर्थात् उस अन्तिम वर्ष की रिपोर्ट, जिसके सम्बन्ध में सारे उपक्रमों के लेखे अब उपलब्ध हैं, 24 जुलाई, 1967 को लोक-सभा की मेज पर रखी गयी थी।

(ख) और (ग). इस सवाल के बारे में कोई आम राय देना सम्भव नहीं है ; कुछ प्रतिष्ठानों का काम संतोषजनक रहा है जब कि दूसरों का ऐसा नहीं रहा है।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कार्यों की, केवल लाभ की दर की कमेटी के आधार पर तुलना करना भी उचित नहीं है।

कच्छ सीमा पर तस्कर व्यापार

5409. **श्री द० रा० परमार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ सीमा पर सुनियोजित ढंग से तस्कर व्यापार हो रहा है ; और

(ख) इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जहां तक सरकार को पता है कच्छ सीमा के पार कोई सुयोजित तस्कर व्यापार नहीं है ।

(ख) कच्छ सीमा की रक्षा सीमा सुरक्षा बल द्वारा की जाती है । सीमा शुल्क अधिकारी भी कड़ी सतर्कता रख रहे हैं ।

उसमानाबाद (महाराष्ट्र) में कलाम परियोजना

5410. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र उसमानाबाद जिले में मंजीरी में कलाम परियोजना के निर्माण की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या काम शुरू करने से पहले महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी ले ली थी ; और

(घ) क्या मंजूरी दिये जाने से पहले आन्ध्र प्रदेश सरकार से परामर्श किया गया था ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ). महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि भीर जिले के कैज ताल्लुक में मंजीरा नदी पर एक परियोजना बनाने के लिये सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कार्य हो रहा है । परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है और न ही यह केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के पास जांच के लिये आई है ।

कोराडी तापीय बिजलीघर, महाराष्ट्र

5411. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में कोराडी तापीय बिजलीघर के निर्माण-कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल०राव) : कोराडी ताप बिजली केन्द्र पर कार्य प्रगति निम्नलिखित है :—

ताप बिजलीघर से सम्बन्धित सिविल कार्य प्रगति की प्रौढ़ावस्था में है । बिजलीघर को ठण्डा करने वाले पानी की सप्लाई और संचय का प्रबन्ध करने वाले काम्प्टी केरी वीयर

का निर्माण-कार्य हाथ में ले लिया गया है। 125-125 मैगावाट क्षमता के पहले दो टर्बो जनित्रों के सप्लाई आदेश पोलैंड में दे दिए गये हैं। तत्सम्बन्धी बोयलरों और आनुशंगिक उपस्कर की सप्लाई के आर्डरों को शीघ्र ही अन्तिम रूप देने की सम्भावना है।

Adulteration of Ghee in Delhi Restaurants and Hotels.

5412-A. **Shri O. P. Tyagi**: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that tallow which mainly contains pig and cow fat is being adulterated with ghee in Delhi Restaurants and hotels on a very large scale and there is great resentment among people on this account ;

(b) if so, the preventive measures adopted in this connection ; and

(c) the number of traders against whom action was taken in 1966 for indulging in adulteration of this type ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Samples of ghee lifted from restaurants and hotels in Delhi have not been found to be adulterated with tallow.

(b) Does not arise.

(c) This type of adulteration was not found in any case.

In the samples of ghee lifted from restaurants and hotels during 1966 and 1967, the adulterant was found to be Vanaspati or the sample was sub-standard because of the excess of moisture or deficiency of R-value.

पश्चिम बंगाल के लिये धन का नियतन

5412-ख. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की योजनाओं की क्रियान्विति के हेतु उक्त योजना के पहले वर्ष में पश्चिम बंगाल के लिये कितना धन नियत किया गया था; और

(ख) उक्त अवधि में इस धन में से पश्चिम बंगाल को वास्तव में कितना धन दिया गया था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1966-67 में पश्चिम बंगाल के लिए राज्य की विभिन्न आयोजनाओं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में 38.83 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गई थी।

(ख) 1966-67 में राज्य सरकार को 37.98 करोड़ रुपये की रकम अस्थायी रूप से दी गई थी।

पश्चिमी क्षेत्र के इन्जीनियरी उद्योग से अभ्यावेदन

5412-ग. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी क्षेत्र के इंजीनियरी उद्योग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि सरकार को अधिकांशतः ऐसे उद्योगों को क्रयादेश देने चाहिये जिन्हें पूर्वी क्षेत्र के ऐसे ही उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा होने के कारण हानि उठानी पड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पश्चिमी प्रदेश में इंजीनियरी उद्योग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आसाम में आदिम जातियों का विकास

5412-घ. **श्री रूपनाथ ब्रह्मा** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में आसाम के स्वायत्तशासी पहाड़ी जिलों में आदिम जातियों के लोगों के कल्याणार्थ विकास कार्यों के लिये कितनी धनराशि नियत की गई तथा कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में आसाम के मैदानी जिलों में रहने वाले आदिम जातियों के लोगों के कल्याणार्थ विकास कार्यों के लिये कितनी धनराशि नियत की गई तथा कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में आसाम के स्वायत्तशासी पहाड़ी जिलों और मैदानी जिलों के आदिम जातियों के लोगों के कल्याणार्थ कितनी धनराशि नियत करने का प्रस्ताव है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख).

(रुपये, लाखों में)

	नियत राशि			खर्च की गई राशि		
	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	कुल योग	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	कुल योग
पहाड़ियां	710.00	287.74	1222.74	668.27	165.36	833.63
मैदान	225.00			192.97	39.10	232.07
कुल योग	935.00	287.74	1222.74	861·24	204·46	1065.70

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

गुजरात फरटिलाइजर्ज द्वारा हरजाना दिया जाना

5412-ङ. **श्री रा० की० अमीन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गुजरात फरटिलाइजर्ज द्वारा रेलवे और पत्तन अधिकारियों को हरजाने के रूप में कितनी धनराशि दी गई ; और

(ख) (1) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची और (2) भारत सरकार के उर्वरक बनाने वाले अन्य उपक्रमों द्वारा उनकी स्थापना के पश्चात् प्रथम तीन वर्षों में हरजाने के रूप में कितनी धनराशि दी गई ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

फर्मों के पास जमा की गई राशि का उनके द्वारा न लौटाया जाना

5412-च. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली की कुछ व्यापारी फर्में दलालों के द्वारा लोगों से सम्पर्क स्थापित करके उनको उन फर्मों के पास रुपया जमा करने के लिये प्रेरित करती रहती हैं और अब भी कर रही हैं, परन्तु लोगों द्वारा जब अपनी जमा राशि वापिस मांगी जाती है, तो उनको वह राशि नहीं लौटाई जाती ;

(ख) क्या ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि पुलिस इन मामलों में कोई कार्यवाही नहीं करती ; और

(ग) फर्मों द्वारा इस प्रकार के कुकृत्य को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). जनता से रकमें जमा कराने के लिए दलालों की नियुक्ति करने से कानून की किसी धारा का उल्लंघन नहीं होता । गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जमा की रकमों के वापस न किये जाने के कारण उत्पन्न होने वाले विवाद दीवानी किस्म के होते हैं और वे सामान्यतः दीवानी कार्रवाई के जरिये निपटाये जा सकते हैं । लेकिन जो शिकायतें पुलिस को मिलती हैं, उनकी छानबीन की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दण्ड-विधि के अन्तर्गत उन पर कोई कार्रवाई करना सम्भव है या नहीं । रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग कम्पनियों को (उन कम्पनियों को नहीं जो सांझेदारी अधिनियम के अधीन पंजीकृत हैं) इस आशय की कुछ हिदायतें दी हैं कि वे अपनी पूंजी की रकम के अनुपात से अधिक रकमें जमा करने पर प्रतिबन्ध लगायें । गैर-बैंकिंग कम्पनियों को (किराया-खरीद और आवासन के लिए वित्त व्यवस्था करनेवाली कम्पनियों को छोड़कर) थोड़ी अवधि की जमा की रकमें स्वीकार करने की मनाही है और उन पर यह भी पाबन्दी है कि वे अपनी चुकता पूंजी और अप्रतिबन्धित प्रारक्षित निधियों की रकमों के 25 प्रतिशत तक ही रकमें जमा कर सकती हैं ।

जहां तक किराया-खरीद और आवासन के लिए वित्त व्यवस्था करने वाली कम्पनियों का सम्बन्ध है, उन्हें अपने पास बकाया जमा रकमों के 10 प्रतिशत के बराबर की नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्ति रखना जरूरी है और उनके लिए इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि वे किराया-खरीद सम्बन्धी सौदों के ऋणों की बकाया रकमों का 25 प्रतिशत भाग हर छमाही वसूल करें। आशा है कि ये उपाय अन्त में काफी लाभदायक सिद्ध होंगे।

दिल्ली में आसफअली रोड स्थित ग्लोब फाइनेंशियर्ज और सिक्योरिटी एण्ड फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में जांच

5412-छ. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आसफअली रोड स्थित ग्लोब फाइनेंशियर्ज (प्राइवेट) लिमिटेड और सिक्योरिटी एण्ड फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड ने खातेदारों को ब्याज का भुगतान करने से इंकार कर दिया है और जमा राशियां काफी समय पहले देय हो जाने पर भी उनका भुगतान करने से भी इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच विभाग (सी० बी० आई०) से इस बारे में जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(घ) खातेदारों को उनकी पूरी राशि दिलाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर जमा राशि का बीमा कराने का नियम लागू न किये जाने के क्या कारण हैं जब कि यह नियम बैंकिंग कम्पनियों पर लागू किया जा रहा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) जमा रकमों के वापस न किये जाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

(ग) पुसिल शिकायतों की जांच कर रही है।

(घ) गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा, जमा रकमों के वापस न किये जाने के कारण उत्पन्न होने वाले विवाद दिवानी किस्म के होते हैं और उन्हें सामान्यतः दिवानी कार्रवाई के जरिये निपटाया जा सकता है। लेकिन पुलिस को जो शिकायतें मिलती हैं उनकी भी छान-बीन की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दण्ड विधि के अन्तर्गत उन पर कोई कार्रवाई करना संभव है या नहीं।

रिजर्व बैंक ने, गैर-बैंकिंग कम्पनियों को अपनी पूंजी के अनुपात से अधिक रकमें जमा के रूप में स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कुछ निर्देश दिये हैं। गैर-बैंकिंग कम्पनियों को

(किराया-खरीद कम्पनियों और आवासन के लिये वित्त-व्यवस्था करने वाली कम्पनियों को छोड़कर) थोड़ी अवधि के लिए रकमें जमा करने की मनाही है और उन पर यह पाबन्दी भी कि वे अपनी चुकता पूंजी और अप्रतिबन्धित प्रारक्षित निधियों में जमा रकमों के 25 प्रतिशत तक ही रकमें जमा कर सकती हैं। जहां तक किराया-खरीद कम्पनियों और आवासन के लिए वित्त-व्यवस्था करने वाली कम्पनियों का सम्बन्ध है, उनके लिए अपने पास बकाया जमा रकम रकमों के 10 प्रतिशत के बराबर की नगदी या नगदी जैसी परिसम्पत्ति रखना जरूरी है और उनके लिए इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि किराया खरीद सम्बन्धी सौदों के लिए दिये जाने वाले ऋणों की बकाया रकमों का 25 प्रतिशत वे हर छमाही में वसूल करने की सुनिश्चित व्यवस्था करें। आशा है कि ये उपाय अन्त में लाभ-दायक सिद्ध होंगे।

(ङ) बैंकिंग कम्पनियों में जमा रकमों का बीमा करने की योजना का उद्देश्य यह है कि जहां तक संभव हो, जनता द्वारा सब प्रकार से जमा की जाने वाली रकमें बैंकों में ही जमा हों ताकि वे अर्थ-व्यवस्था के सभी उत्पादन क्षेत्रों में ऋण देने के लिए उपलब्ध हो सकें। दूसरी ओर जहां तक गैर-बैंकिंग कम्पनियों का सम्बन्ध है, उनके पास जमा की जाने वाली रकमों को, ऊपर (घ) में बताये गये तरीकों से सीमित रखने और उनको नियमन करने का विचार है। इसलिए गैर-बैंकिंग कम्पनियों के पास जमा रकमों को बीमा व्यवस्था के अन्तर्गत लाने का प्रश्न न तो प्रासंगिक होगा और न समुचित होगा।

नई दिल्ली में चित्रगुप्त रोड पर दुकानें

5412-ज. **श्री कुचेलर** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेरीवालों तथा अन्य शरणार्थी व्यापारियों के बसाने के लिये नई दिल्ली में चित्रगुप्त रोड पर दुकानें खोलने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि चित्रगुप्त स्क्वयेर, चित्रगुप्त प्लेस और चित्रगुप्त रोड पर स्थित सरकारी कर्मचारियों के रिहायशी मकानों की दीवारों के साथ-साथ अथवा उनको रोककर भी दुकानें बनाई जा रही हैं;

(ग) क्या घनी आबादी वाली रिहायशी बस्ती होने तथा भारी यातायात वाली चित्रगुत रोड पर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वहां पर ऐसी दुकानें बनाने की अवांछनीयता के सम्बन्ध में उपराज्यपाल तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद् को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस क्षेत्र में ऐसी दुकानों के निर्माण को रोकने के उद्देश्य से अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बागान उद्योगों में लगाई गई विदेशी पूंजी

5412-झ. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागान उद्योगों में कुल कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है और वे कौन-कौन सी विदेशी कम्पनियां हैं जिन्होंने यह पूंजी लगाई है;

(ख) बागान उद्योगों में लगी हुई पूंजी का यह कितने प्रतिशत है;

(ग) इन विदेशी कम्पनियों को प्रति वर्ष कितना मुनाफा होता है ये कम्पनियां विदेशों को प्रति वर्ष कितना मुनाफा भेजती हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मार्च 1965 के अंत तक विदेशी कम्पनियों ने बागान उद्योगों में 121 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी लगायी थी। इसमें से 10.1 करोड़ रुपया विदेशियों द्वारा नियंत्रित रुपया-कम्पनियों में और 107.9 करोड़ रुपया विदेशी कम्पनियों की शाखाओं में लगाया गया था और 3 करोड़ रुपया रुपया-कम्पनियों की प्रतिभूतियों के रूप में विदेशियों के पास था। इस तारीख के बाद की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। विदेशी कम्पनियों के नामों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है पर इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(ग)

वर्ष	अर्जित लाभ	बाहर भेजा गया लाभ	टिप्पणी
	(करोड़ रुपयों में)		
1963-64	4.3	6.8	गत वर्षों में जमा की गयी
1964-65	6.2	6.0	प्रारक्षित निधि में से अंशतः दिया गया।

(घ). सरकार ने इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार करना जरूरी नहीं समझा है।

युनाइटिड प्राविंसिज कमर्शल कारपोरेशन द्वारा इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी खरीदा जाना

5412-ञ. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटिड प्राविंसिज कमर्शल कारपोरेशन ने भारत में इन्डो-बर्मा पेट्रोलियम

कम्पनी का समस्त व्यापार और आस्तियां खरीदने के लिये बातचीत की थी;

(ख) क्या यह सौदा एक करोड़ बीस लाख रुपये में तय हो गया था और यह राशि किस्तों में दी जानी थी;

(ग) क्या युनाइटिड प्राविंसिज कमर्शल कारपोरेशन ने भारत स्थित इण्डो-पेट्रोलियम कम्पनी के व्यापार का एक भाग इण्डिया आयल कम्पनी को लगभग नकद एक करोड़ रुपयों में बेचने का प्रयास किया था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सौदे के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) युनाइटिड प्राविंसिज कमर्शल कारपोरेशन ने, इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी में मैसर्स स्टील ब्रादर्स के केवल साम्य अंश खरीदने के लिये बातचीत की थी।

(ख) जी हां, लगभग 1.24 करोड़ रु० के लिये।

(ग) युनाइटिड कमर्शल कम्पनी ने केवल अनौपचारिक रूप से यह बताया कि आई० बी० पी० में मैसर्स स्टील ब्रादर्स के अंश प्राप्त करने के पश्चात, वे आई० बी० पी० की आस्तियों को भारतीय तेल निगम को बेचने के लिये बातचीत करने को तैयार हैं।

(घ) यह समझा जाता है युनाइटिड प्राविंसिज कमर्शल कारपोरेशन की प्रार्थना रिजर्व बैंक द्वारा ठुकरा दी गई है। चूंकि युनाइटिड प्राविंसिज कमर्शल बैंक ने मुकदमा दायर कर दिया है, इसलिये यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पंजाब चलचित्र (विनियमन) हरियाणा संशोधन अध्यादेश

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं श्री के० के० शाह की ओर से हरियाना राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 21 नवम्बर, 1967, की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2) (क) के अन्तर्गत, 7 सितम्बर, 1967, को हरियाना के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित पंजाब चलचित्र (विनियमन) हरियाना संशोधन अध्यादेश, 1967 (1967 का हरियाना अध्यादेश संख्या 8) की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-** 2110/67]

पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह): मैं हरियाना राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 21 नवम्बर, 1967, की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ

पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत, 11 अगस्त, 1967, को हरियाना के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन (हरियाना संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 7) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-2111/67]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष 1965-66 के प्रतिवेदन पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में ज्ञापन

समाज कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुत्याल राव) : मैं, श्रीमती फूलरेणु गुह की ओर से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष 1965-66 के प्रतिवेदन पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में एक ज्ञापन सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-2112/67]

औषधियुक्त तथा शृंगार प्रसाधन (उत्पादन-शुल्क) पहला संशोधन नियम, 1967 **आदि**

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) औषधियुक्त तथा शृंगार प्रसाधन (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, औषधियुक्त तथा शृंगार प्रसाधन (उत्पादन शुल्क) पहला संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति, जो दिनांक 11 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1695 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपरोक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-2113/67]।

(2) (एक) दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में लागू रूप में, बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941, की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, दिनांक 14 नवम्बर, 1967, के दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० 4 (83)/67-फिन (ई) (आई) की एक प्रति, जिसमें दिनांक 19 अक्तूबर, 1967 की अधिसूचना संख्या एफ० 4(83)/67-फिन (ई) (आई) का शुद्धिपत्र है।

(दो) उपरोक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०**-2114/67]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-

अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) दिनांक 9 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस०-आर० 1825।

(दो) दिनांक 9 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1826।

(तीन) दिनांक 9 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1833।

(चार) दिनांक 9 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1834।

(पांच) दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1873।

(छः) दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1874।

(सात) दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1875।

(आठ) दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1876।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-2115/67]।

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944, की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 61वां संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1967, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1828 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 62वां संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1829 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 63वां संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1830 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 64वां संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1831 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 65वां संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1832 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 66वां संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1865 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 67वां संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1866 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 68वां संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1867 में प्रकाशित हुये थे ।

(नौ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 69वां संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1868 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 70वां संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1869 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 71वां संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1870 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 72वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1871 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 74वां संशोधन नियम 1967 जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1872 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2116/67]

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार द्वारा समीक्षा

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-2117/67]

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत फरटिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-2118/67]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं भारतीय लाख उपकर समिति के वर्ष 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-2121/67]

सदस्य की गिरफ्तारी और दोष सिद्धि

ARREST AND CONVICTION OF MEMBER

(श्री शिव चरण लाल)

अध्यक्ष महोदय : मुझे नगर जिलाधीश, आगरा, से प्राप्त दिनांक 20 दिसम्बर, 1967 के दो तारों की सूचना सभा को देनी है जिनमें बताया गया है (एक) कि लोक-सभा के सदस्य श्री शिव चरण लाल को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत आदेशों का उल्लंघन करने के कारण 20 दिसम्बर, 1967 को हिरासत में ले लिया गया और अपनी जमानत पेश न कर सकने पर सदस्य को डिस्ट्रिक्ट जेल, आगरा में निरुद्ध किया गया है और (दो) कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत उक्त सदस्य को दोषी पाया गया है और उन्हें एक सप्ताह का साधारण कारावास का दंड दिया गया है।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

कार्यवाही सारांश — तीसरी बैठक

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-2120/67]

अनूसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक संबंधी याचिका के बारे में

PETITION RE : SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDER (AMENDMENT) BILL

Shri George Fernandes (Bombay South): Sir, I present a petition by Shri V. B. Vorlikar and others on Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 1967.

दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT RE: REVISION OF SCALES OF PAY OF SCHOOL TEACHERS IN DELHI

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : जैसा कि सदन को मालूम है, दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन का प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। दिल्ली प्रशासन ने इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं। देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न वर्गों के अध्यापकों द्वारा अर्जित वेतनों को देखते हुए और इससे सम्बन्धित अन्य पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार ने इसी समय से दिल्ली के अध्यापकों के वेतन-मानों में, संशोधन करने का निर्णय किया है। संशोधित वेतनमानों को कार्यान्वित करने के लिये दिल्ली प्रशासन के परामर्श से तत्काल कदम उठाये जायेंगे। [**अनुबन्ध पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2119/67]

2. दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमान पिछली बार 1959 में, दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपनाये गये सिद्धान्तों के

अनुसार ही संशोधित किये गये थे । मैं यहां यह बता देना चाहता हूं कि सरकार द्वारा दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमानों में वर्तमान संशोधन बहुत ही विशेष मामले के रूप में किया जा रहा है ।

3. मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस समय आर्थिक स्थिति के इतनी जटिल होते हुए भी सरकार जो भी प्रयास कर रही है शिक्षक वर्ग उसका स्वागत करेगा और उसमें पूरा सहयोग देगा ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

बारहवां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से, जो सभा में 20 दिसम्बर, 1967 को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से, जो सभा में 20 दिसम्बर, 1967 को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

डा० राम सुभग सिंह : प्रधान मंत्री कोयना के सम्बन्ध में कल राज्य सभा में एक वक्तव्य देंगी । उस कारण कुछ विलम्ब होने की सम्भावना है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से, जो सभा में 20 दिसम्बर, 1967 को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभा की कार्यवाही
BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा के समक्ष बहुत-सा कार्य है । हम उसे तभी पूरा कर सकते हैं यदि हम निर्धारित समय में काम निपटायें । इसलिये, यदि वाद-विवाद निर्धारित समय से आगे बढ़ेगा तो हमें गिलोटिन लगाना पड़ेगा ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1967-68
अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य) 1964-65

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1967-68
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL) 1964-65

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1967-68 के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	17	श्री सु०कु० तापड़िया	व्यय का पूर्व अनुमान लगाने में सरकार की असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
2	18	श्री सु०कु० तापड़िया	निर्यात के लिये प्रोत्साहन हेतु नकद सहायता देने में असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
2	19	श्री सु०कु० तापड़िया	कम उपलब्धि वाली वस्तुओं, जैसे चीनी के जबरी निर्यात के आन्तरिक मूल्य स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करने में असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
10	20	श्री सु०कु० तापड़िया	नवीन व्यय को स्थगित करने में सरकार की असफलता जब कि करों के बहुत अधिक बढ़ाये जाने के बावजूद भी करों से आय कम हो रही है।	1 रुपया कम कर दिया जाय।
15	21	श्री सु०कु० तापड़िया	पिछले बजट में काफी बढ़ोत्तरियों के बाद मितव्ययिता करने में असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
16	22	श्री सु०कु० तापड़िया	अन्य देशों की राजनैतिक आकांक्षाओं जिनका हमारे निजी हितों पर प्रभाव स्पष्ट नहीं है, पर व्यय को रोकने में असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
55	23	श्री सु०कु० तापड़िया	प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पहले ही प्रस्तुत किये जा चुके प्रतिवेदनों का उपयोग करने में असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
120	24	श्री सु० कु० तापड़िया	परियोजनाओं के कार्य से होने वाली हानि जैसे कारणों जो कि बजट के समय ज्ञात होने चाहिये थे, के परिणामस्वरूप होने वाले व्यय का पूर्वानुमान लगाने में असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
120	25	श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में काम ठीक न होने पर भी उनमें धन लगाना	100 रुपये कम कर दिये जायें।
2	26	श्री रामावतार शास्त्री	विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
2	27	श्री रामावतार शास्त्री	निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
10	28	श्री रामावतार शास्त्री	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, के विद्यार्थियों की कठिनाइयां दूर करने की ओर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
10	29	श्री रामावतार शास्त्री	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के विस्तार की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
15	30	श्री रामावतार शास्त्री	सामान्य प्रशासन पर हो रहे अत्यधिक व्यय को कम करने की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
15	31	श्री रामावतार शास्त्री	अधिक साम्राज्य विरोधी नीति अपनाने की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
15	32	श्री रामावतार शास्त्री	हमारी विदेश नीति में कभी-कभी अपनाई जाने वाली ढुलमुल नीति समाप्त करने की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
16	33	श्री रामावतार शास्त्री	अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को पर्याप्त सहायता देने की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें
55	34	श्री रामावतार शास्त्री	प्रशासन सुधार आयोग प्रतिवेदन प्रकाशित करने में अत्यधिक विलम्ब	100 रुपये कम कर दिये जायें।
55	35	श्री रामावतार शास्त्री	प्रशासन सुधार आयोग पर व्यय को कम करने की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
61	36	श्री रामावतार शास्त्री	कलाकारों को पर्याप्त भत्ते देने की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
125	37	श्री रामावतार शास्त्री	सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों के लिये विशेष सुरक्षात्मक उपाय करने की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
125	38	श्री रामावतार शास्त्री	सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों के लिए आवास की सभी सुविधायें देने की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
125	39	श्री रामावतार शास्त्री	किसानों को उनकी भूमि अर्जित करते समय पर्याप्त मुआवजा देने की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
2	40	श्री कंवर लाल गुप्त	निर्यात के लिए नकद सहायता को अधिक प्रभावी बनाने में असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
10	41	श्री कंवर लाल गुप्त	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद पर अनावश्यक व्यय	100 रुपये कम कर दिये जायें।
15	42	श्री कंवर लाल गुप्त	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों पर हो रहे व्यय को कम करने की आवश्यकता	100 रुपए कम कर दिये जायें।
55	43	श्री कंवर लाल गुप्त	प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्य की धीमी प्रगति	100 रुपये कम कर दिये जायें।
61	44	श्री कंवर लाल गुप्त	आकाशवाणी से वाणिज्यिक प्रसारण करने की वांछनीयता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
86	45	श्री कंवर लाल गुप्त	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम पर हो रहा अनावश्यक व्यय	100 रुपये कम कर दिये जायें।
120	46	श्री कंवर लाल गुप्त	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के आन्तरिक संसाधनों में कमी	100 रुपये कम कर दिये जायें।
125	47	श्री कंवर लाल गुप्त	सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों के लिए आवास पर अधिक धन देने की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
131	48	श्री कंवर लाल गुप्त	इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड का ढांचा	100 रुपये कम कर दिये जायें।
2	49	श्री इन्द्रजीत गुप्त	पटसन के सामान के निर्यात में दुराचार रोकने में असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
2	50	श्री इन्द्रजीत गुप्त	पटसन की खरीद तथा उसके निर्यात में राज्य व्यापार निगम का असंतोषजनक कार्य	100 रुपये कम कर दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
10	52	श्री इन्द्रजीत गुप्त	भारतीय खान विद्यालय में दाखलों और नौकरी के अवसरों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
10	53	श्री इन्द्रजीत गुप्त	खनन तथा दूसरे इंजीनियरों को काम देने में असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
15	55	श्री इन्द्रजीत गुप्त	विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा फिजूलखर्ची	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
15	56	श्री इन्द्रजीत गुप्त	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने से इन्कार	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
55	58	श्री इन्द्रजीत गुप्त	प्रशासनिक सुधार आयोग के काम में विलम्ब	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
61	60	श्री इन्द्रजीत गुप्त	राजनैतिक प्रसारणों के लिए सर्वसम्मत संहिता बनाने में असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
61	61	श्री इन्द्रजीत गुप्त	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की सेवाओं को अधिक सुरक्षित बनाने में असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
86	62	श्री इन्द्रजीत गुप्त	रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के फालतू कर्मचारियों को खपाने में असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
86	63	श्री इन्द्रजीत गुप्त	राजाबागान गोदी के प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों सम्बन्धी उचित कार्य तथा श्रमिक संघों में मतभेद	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
86	64	श्री इन्द्रजीत गुप्त	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड द्वारा छंटनी किए गए कर्मचारियों को दिये गए मुआवजों के अपर्याप्त दर	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
86	65	श्री इन्द्रजीत गुप्त	आसाम में निगम के कार्यों में कुप्रबन्ध	100 रुपये कम कर दिये जायें ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
120	66	श्री इन्द्रजीत गुप्त	हल्दिया तेल शोधक परियोजनाओं के लिए सहयोग सम्बन्धी करार को अंतिम रूप देने में विलम्ब	100 रुपये कम कर दिये जायें।
125	68	श्री इन्द्रजीत गुप्त	कलकत्ता में शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमा सुरक्षा दल का प्रयोग	100 रुपये कम कर दिये जायें।
131	69	श्री इन्द्रजीत गुप्त	उर्वरक उद्योग में विदेशी सहयोगियों को हानिकर रियायतें	100 रुपये कम कर दिये जायें।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) 1964-65 के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
19	1	श्री वेणी शंकर शर्मा	करारोपण की एक सुव्यवस्थित और सुसंगत पद्धति अपनाने में असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
36	2	श्री वेणी शंकर शर्मा	जनता को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करने में सरकार की असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
36	3	श्री वेणी शंकर शर्मा	देश में चीनी का उत्पादन तथा वितरण	100 रुपये कम कर दिये जायें।
37	4	श्री वेणी शंकर शर्मा	खाद्यान्न के उत्पादन में देश को आत्म-निर्भर बनाने में सरकार की अकुशलता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
69	5	श्री वेणी शंकर शर्मा	खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये पर्याप्त सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करने में असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
66	6	श्री वेणी शंकर शर्मा	राजस्थान नहर और गंडक सिंचाई परि-योजनाओं को पूरा करने में मंत्रालय की असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
80	7	श्री वेणी शंकर शर्मा	देश में खनिज भण्डारों का पता लगाने के लिये देश का शीघ्र भूगर्भ सर्वेक्षण करने में सरकार की असफलता	100 रुपये कम कर दिये जायें।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) संख्या 1 से 7

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : निस्सन्देह यह खेद की बात है कि इस वर्ष का आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने के छः मास के अन्दर ही वित्त मंत्री अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत कर रहे हैं और लगभग पांच हजार करोड़ रुपये के आयव्ययक में से वे 31 करोड़ रुपये की बचत भी नहीं कर पाये हैं। जिनके लिये उन्होंने अब यह मांगें प्रस्तुत की हैं।

इस आशय की एक साहसिक घोषणा की गई है कि सरकार घाटे की अर्थ-व्यवस्था का आश्रय नहीं लेगी परन्तु वर्तमान स्थिति में लगभग 350 करोड़ रुपये घाटे की अर्थ-व्यवस्था का आश्रय लेना पड़ सकता है। निस्सन्देह यह अच्छी स्थिति नहीं है।

अनुपूरक मांगें देखने से मालूम होता है कि 31 करोड़ रुपये में से 20 करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये ऋण तथा अग्रिम धनराशियों के रूप में मांगा गया है। सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की स्थिति बहुत बुरी है और यदि हम अब भी उन पर अपव्यय करते चले गये तो हम इससे बड़े संकट में पड़ जायेंगे।

यदि विकास के कामों के लिये घाटे की अर्थ-व्यवस्था का आश्रय लेना पड़े तो इसे सहन किया जा सकता है परन्तु इसका उपयोग सभी खर्चों के लिये नहीं किया जा सकता। इन मांगों से स्पष्ट हो जाता है कि सारे सरकारी ऋणों तथा इस वर्ष की घाटे की अर्थ-व्यवस्था का उपयोग व्यय के लिये ही किया जा रहा है।

जब तक कि हम करों के ढांचे में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक अर्थ-व्यवस्था की स्थिति ऐसी ही रहेगी। इस वर्ष उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क आदि से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी हो रही है और आयकर तथा निगम-कर की स्थिति स्थिर है जबकि व्यय में लेशमात्र कमी नहीं हुई है। वित्त, उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालयों को आपस में इस प्रकार सम्बन्धित कर दिया जाना चाहिये कि वे आयव्ययक के अनुसार ही चलें। दुख की बात है कि उद्योग मंत्रालय ने मंदी दूर करने हेतु कुछ भी नहीं किया है। उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये उचित वातावरण नहीं बनाया गया है। अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने, लोगों का ध्यान हटाने तथा यह दिखाने के लिये कि वे आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय ने निजी थैलियों, बैंक और बीमे के राष्ट्रीयकरण जैसी अनेक बातें उठाई हैं।

एकाधिकार के सम्बन्ध में मैं केवल यही कहूंगा कि हमें बड़े समवायों से नहीं घबराना चाहिये। वास्तविकता यह है कि सबसे बड़ी भारतीय समवाय विश्व के 200 बड़े-बड़े निगमों में कोई स्थान नहीं प्राप्त कर सका है। क्या हमें इसी आकार के बारे में चिन्ता है। जब हम अन्य देशों की वस्तुओं से अपने उत्पादों की प्रतियोगिता करना चाहते हैं तो हम यह क्यों नहीं देखते कि हमारे निगम अथवा निर्माता अन्य देशों के निगमों तथा निर्माताओं के समान हों।

जब तक हम अपने करारोपण के ढांचे में परिवर्तन नहीं करते तब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था की स्थिति ऐसी ही रहेगी। हमारा करारोपण का ढांचा हमारी वर्तमान अर्थ-व्यवस्था के अनुकूल नहीं है और इसमें सहायक सिद्ध नहीं हो पा रहा है। आयकर को कुल लेन देन के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिये। बचत के लिये लोगों को प्रोत्साहित करने के हेतु 7,500 रुपये तक की आय पर से आयकर हटा दिया जाना चाहिये।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि सरकार ने देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार करने के लिये बहुत सी कार्यवाहियां की हैं, तथापि अभी बहुत कुछ करना शेष है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किस्म में सुधार किया जाना चाहिये। विदेशों से यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें जो माल निर्यात किया जाता है, वह घटिया किस्म का है।

सरकार कृषि के क्षेत्र में भी पर्याप्त रुचि नहीं ले रही है। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये आवंटित धनराशि वर्तमान छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये काफी नहीं है, नागार्जुनसागर जैसी कुछ बड़ी वर्तमान योजनायें पूरी होने वाली थीं परन्तु धन की कमी के कारण ऐसा नहीं हो सका है। सरकार को उन्हें पूरा करने का दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये ताकि हम यथाशीघ्र उनसे लाभ प्राप्त कर सकें।

आन्ध्र प्रदेश को सूखे की स्थिति का सामना है तथा कुछ जिलों में अकाल की परिस्थितियां बार-बार पैदा हो रही हैं, सरकार को इन अकाल तथा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की स्थायी सहायता के रूप में विद्युत आदि की व्यवस्था करने हेतु धन देना चाहिये ताकि उन क्षेत्रों में गहरी खुदाई की जा सके।

श्री हैरल्ड होल्ट के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: MR. HAROLD HOLT

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): माननीय सदस्यों को उन दुखद परिस्थितियों के बारे में जानकारी है, जिनमें आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री माननीय श्री हैरल्ड होल्ट समुद्र की लहरों में वह गये थे। मालूम होता है कि उनकी खोज करने के प्रयत्न निष्फल रहे हैं। आस्ट्रेलिया की सरकार तथा वहां की जनता के, विशेष रूप से श्रीमती हैरल्ड होल्ट और उनके परिवार के इस दुख से हम भी दुखी हैं और उनके प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

श्री होल्ट पिछले दो वर्षों से आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, इस थोड़ी सी अवधि में भी वह अपने देश की नीतियों पर अपने व्यक्तित्व तथा अपनी कल्पना की छाप छोड़ गये हैं। हम भारतीय उन्हें एक विशेष कारण से याद करते हैं। वह हमारे सच्चे मित्र तथा हमारी समस्याओं को समझने वाले थे। पिछले वर्ष जब हम एक कठिन संकट से गुजर रहे थे तो उनसे उत्साह पाकर आस्ट्रेलिया के विभिन्न संगठनों तथा सस्थाओं ने हमारी सहायता की। हम उन्हें कृतज्ञता

से याद करेंगे। यह हानि समस्त राष्ट्रमण्डल की हानि है। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री, श्री ब० रा० भगत मेलबोर्न में होने वाली स्मृति प्रार्थना सभा में हमारी ओर से भाग लेंगे।

श्री नाथ पाई (राजापुर): हम प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हैं:

उपाध्यक्ष महोदय: सभा की भावनायें भी ऐसी हैं।

———

अनुदानों की अनुपूरक मांगें—(सामान्य) 1967-68
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें—(सामान्य) 1964-65—जारी

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1967-68
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL) 1964-65—Contd.

श्री दंडपाणि (धारापुरम): सामान्य आयव्यय प्रस्तुत किये जाने के छः मास बाद अब वित्त मंत्री ने 31,07,00,000 रुपयों की अनुपूरक मांग की है। इसमें से 20 करोड़ रुपये का एक बड़ा भाग सरकारी उपक्रमों के लिये ऋणों तथा अग्रिम धनराशियों के रूप में है। हाल के एक अध्ययन में आर्थिक और अनुसन्धान संस्थान को मालूम हुआ है कि सरकारी क्षेत्र की आय सन्तोषजनक नहीं है। अधिक अच्छा होता कि इस धनराशि को कृषि जैसे अन्य कामों पर व्यय किया जाता।

हम सदा "अधिक अन्न उपजाओ" के नारे लगाते हैं। हमने तामिलनाड में 5 लाख मीटरिक टन धान की उपज की है जब कि पिछली सरकार ने केवल 2 लाख मीटरिक टन की उपज ही की होती परन्तु सिंचाई के मामले में वह उत्तरी राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। वहां की सिंचाई योजनाओं के लिये सरकार को धन देकर सहायता करनी चाहिए। यदि हम सभी छोटी सिंचाई योजनाओं के कार्यक्रम को पूरा कर सकें तो हम एक वर्ष में 80 लाख खाद्यान्न की उपज कर सकते हैं।

तामिलनाड सरकार ने राज्य में बन्द पड़ी सूती कपड़ा मिलों को पुनः चालू करने के लिये वित्त मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय से 2 करोड़ रुपये का ऋण मांगा है। इस मांग पर विचार नहीं किया गया है। कोयम्बत्तूर में टेक्सटूल कम्पनी के नाम से मशीन बनाने वाला एक समवाय है। वह भी गत 4 अथवा 5 मास से बन्द पड़ी है। इस सम्बन्ध में भी विचार किया जाना चाहिये और इस उद्योग से प्रभावित कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिकर दिया जाना चाहिये।

जब कभी हम सहायता की मांग करते हैं, वित्त मंत्रालय करेंसी नोट छापना आरम्भ कर देता है। मुद्रास्फीति को बन्द करने के लिये इसे बन्द किया जाना आवश्यक है और इसके साथ ही जाली नोट छापने के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

तामिलनाड सरकार ने राजभाषा (संशोधन) विधेयक का विरोध किया है। केन्द्रीय सरकार भाषा के मामले में तामिलनाड की जनता की भावनाय समझ नहीं पाई है। शान्ति तथा देश की एकता और अखंडता बनाये रखने के लिये समझौते का प्रस्ताव करना चाहिए। मैं आपको तमिल की एक कविता याद कराता हूं जिसमें कहा गया है कि यदि कोई तमिलवासियों का नाश करेगा तो हम उसका उसी प्रकार बदला लेंगे, यदि कोई तमिल राष्ट्र को हानि पहुंचायेगा तो हम रक्त बहाने के लिये तैयार होंगे।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : हमारे पिछले अनुभव से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे जैसे निर्धन देश के विकास के लिये घाटे की अर्थ-व्यवस्था आवश्यक है। घाटे की अर्थ-व्यवस्था सदा खराब नहीं होती। घाटे की अर्थ-व्यवस्था मुद्रास्फीति को सन्तुलित करती है तथा उसे उचित अनुपात तक सीमित रखती है।

हम वित्त मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि धन आवंटित करते समय हमारे राष्ट्रीय जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। हमें कृषकों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करनी होगी। जब तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी सिंचाई परियोजनाओं की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम उपज में वृद्धि करने तथा खाद्यान्न के बारे में आत्म-निर्भर होने के लिये किसानों की सहायता नहीं कर सकेंगे।

विद्युत के सम्भरण के मामले में भी हमारे कृषकों को कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि उन्हें सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई है। हमारे राज्य में कृषकों ने श्रमिक उपज के प्रयत्न किये हैं परन्तु उचित सिंचाई सुविधायें तथा सस्ती बिजली न मिलने के कारण उनके लिये कृषि के आधुनिक तरीके अपनाना सम्भव नहीं हो सका है। छोटे उद्योगों को भी बिजली इतनी ऊंची दरों पर सप्लाई की जाती है कि उनका उत्पादन ठीक तरह से नहीं हो पाता है।

सामुदायिक विकास परियोजनाओं की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। सामुदायिक विकास तथा सहकारिता सम्बन्धी कामों के लिये अधिक धन दिया जाना चाहिये अन्यथा हमारी सामाजिक सेवाओं को आघात पहुंचेगा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रसारण का महत्व बढ़ गया है। यदि हम इसके लिये अधिक धन दें तो हम देश के विकास के अपने प्रयत्नों का प्रसारण न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी कर सकते हैं। हमने विस्थापित व्यक्तियों के प्रश्न की अवहेलना की है। उनको पूरी तरह से बसाया नहीं गया है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पश्चिमी बंगाल में इसका सामान्य प्रबन्ध कार्य चलाने में कठिनाई हो रही है। उनके पुनर्वास के लिये कुछ धन निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): During the Budget, when Shri Morarji Desai was asked why he was not effecting economy, he said that he will see that economy to the tune of Rupees two hundred crores was effected. We would like to know what happened to

that. Similarly, he gave an undertaking that no resort to deficit economy would be had. Can he say now that no deficit financing is being resorted to.

The Government is lifting emergency and releasing Sheikh Abdullah. There are indications that alongwith this the Government is also thinking on the lines of granting the status of Sikkim or Bhutan to Kashmir, It appears that Russian pressure is mounting on the Government for settling the Kashmir issue with Pakistan. If anything untoward was done about Kashmir the people of India will not tolerate it. We would like to know the head under which the expenditure now being incurred on the Sheikh will be shown.

The report of the Monopolies Commission will be discussed during the next session. There is a constant talk of check on monopolies but the Government has given import licenses to 10 firms amounting to Rs. 165 crores dnring the last one year.

I would also like to urge that food zones must be abolished. That will stop smuggling and other unfair practices and impart a sense of oneness in the country. Removal of subsidy on foodgrains is not a correct step. The foodgrains supplied to the poor must be subsidised.

The Central Government has reduced the plan subsidy to Delhi by half. The share of income-tax given to other states should also be given to Delhi. The Government should stop forthwith all talks of the supersession of Delhi Corporation. If the Government takes any such step, an agitation will be launched against it.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को ऋण के रूप में 5.30 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था। अब इसके लिये 3.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है। यह दूरदर्शिता नहीं है। यह स्थिति इस कारण पैदा हो गई है क्योंकि गुजरात सरकार के साथ समझौते में कई त्रुटियां हैं। गुजरात तेल शोधक कारखाने में 3 करोड़ रुपये का घाटा है और उसे अनुपूरक मांगों से पूरा किया जा रहा हैं। इण्डियन आयल कारपोरेशन के उत्पादन में भी कमी हुई है। सरकार को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये तथा सरकारी उपक्रमों का काम दोषरहित बनाया जाना चाहिये।

[**श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए**
Shri C. K. Bhattacharya in the Chair]

हमने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज में 185 करोड़ रुपये लगाये हैं। मंत्री महोदय को आयोग की क्रियान्विति में इस प्रकार 2 सुधार करना चाहिये कि लगाये गये धन के अनुसार आय हो।

भारत सरकार भलीभांति जानती है कि उड़ीसा में गम्भीर सूखे का यह तीसरा वर्ष है। इससे 13 जिलों में से लगभग 9 जिले प्रभावित हुए हैं। परन्तु इन मांगों में सरकार ने उड़ीसा के संकट का कोई उल्लेख नहीं किया है तथा तकावी ऋण देने और राज्य को पर्याप्त ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ताकि उन क्षेत्रों में पीने के जल तथा अन्य न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सबसे पहले मैं प्रतिरक्षा सेवाओं सम्बन्धी मांग संख्या 8 के बारे में कुछ कहूंगा। सरकार को पेंशन सम्बन्धी मामलों में बहुत ध्यान से कार्यवाही करने की आवश्यकता है। प्रतिरक्षा कार्यालयों तथा संस्थानों में बहुत से निरक्षर लोग काम करते हैं। उन्हें पता नहीं कि पेंशन भविष्य निधि की अपेक्षा लाभदायक है। इसलिये उनसे पुनः पूछा जाना चाहिए। सरकार को कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श के लिये स्थायी व्यवस्था पुनः करनी चाहिये। हमारे भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री श्री चह्वाण ने इस बारे में आश्वासन दिया था। परन्तु अब जब से वह गृह-कार्य मंत्री बने हैं वह इसके समर्थन में नहीं हैं। मेरा श्री ल० ना० मिश्र जी से अनुरोध है कि वे इस बारे में कुछ कार्यवाही करें।

चण्डीगढ़ के बारे में मांग के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं, कि वहां के सरकारी कर्मचारियों को चन्डीगढ़ में भत्ता नहीं दिया गया है। उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए।

वाणिज्यिक प्रसारण के बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। इस सम्बन्ध में बहुत से वड़े-बड़े अधिकारियों की नियुक्तियों की व्यवस्था की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के बारे में सरकार क्या कर रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाये और उनकी सेवा सम्बन्धी शर्तों में सुधार किया जाये। उन्हें स्थायी बनाया जाये और उनकी अन्य मांगों को स्वीकार किया जाये।

आर० एस० एन० कम्पनी, जिसे सरकार ने दिसम्बर, 1967 में अपने हाथ में लिया है, के कर्मचारियों की यूनियन की मांगों को परिवहन तथा नौवहन मंत्री के समक्ष रखा गया है, पर भी सहानुभूतिपूर्ण विचार होना चाहिये। कलकत्ता में एक परिवहन ठेकेदार ने सरकार को धोखा देने की कोशिश की है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। इस बारे में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

कानपुर में सरकार एक खाद कारखाना स्थापित करने जा रही है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। मैं इसका स्वागत करता हूं। यह कारखाना कब तक उत्पादन आरंभ कर देगा?

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : हमारा प्रतिरक्षा मंत्रालय सब मंत्रालयों से कार्यकुशल मंत्रालय होना चाहिए। इसे घटनाओं का पूर्वाभास हो जाना चाहिए। यहां कहा गया है कि राशन पर व्यय अधिक हुआ है। मुझे इस पर बहुत हैरानी है कि यह कैसे हो सकता है। सरकार को इस बारे में जांच करनी चाहिए। हमारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय विदेशों में बहुत अधिक संख्या में प्रतिनिधिमंडल भेजता है। इस बारे में कोई प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस मंत्रालय में टेलीफोनों पर बहुत अधिक व्यय होता है। इस बारे में प्रकाश डाला जाना चाहिए।

प्रशासनिक सुधार आयोग एक और सफेद हाथी है। इसने बहुत अध्ययन दल नियुक्त किये हैं और बहुत से विशेषज्ञ दल भी बनाये हैं। इन पर बहुत अधिक धन व्यय किया जा रहा है। इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इस आयोग को समाप्त किया जाना चाहिये।

वाणिज्यिक प्रसारण के मामले में हम अमरीका की नकल कर रहे हैं। इसके लिये दो करोड़ 75 लाख रुपये की मांग रखी गई है। परन्तु इससे देश को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इस बारे में पुनः विचार किया जाना चाहिये। इससे कोई लाभ हो या न हो परन्तु इसके लिये एक बड़ी संख्या में अधिकारियों की नियुक्तयां की जायेंगी। वित्त मंत्रालय को इस परियोजना की उपयोगिता पर विचार करना चाहिए।

हमारी अर्थ-व्यवस्था इस समय एक प्रकार की विकासशील अर्थ-व्यवस्था है। इस पर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। हमें अपना कार्य उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।

Shri S. M. Joshi (Poona): The expenditure of our External Affairs Ministry has increased. The reason given for this is that due to changed international situation, the expenditure of our embassies abroad has gone up. I want to know whether by spending so much whether country's image abroad is any way bright now? Has any improvement been introduced in our embassies. Recently I received a letter from a friend of mine from Aden. He wrote that our mission in Aden did not make use of the financial help offered by people there to our country during Indo-Pakistan conflict. Our embassy in Aden is responsible for this neglect. It is a pity that our foreign service personnel do not take due interest in their job. I would like to know how this discretionary expenditure is to be done.

I do not want to go into the merits of commercial broadcasting. I want to know whether this will not effect the broadcasts of Vividh Bharati and other broadcasts of A. I. R.? The service conditions of staff artists of A. I. R. should be improved. They should be given security of service. This will add to their efficiency. I received a letter from a teacher of Army clerk Training School, Aurangaband. It is written there that an officer of the school is against the use of Indian languages and he insists on use of English language only. This should be inquired into.

Shri P. G. Sen (Purnea): Sir, it is very unfortunate that the sums allocated for the purchase of foodgrains and fertilizers were spent to meet the cost of some other things. This should be avoided in future. Similarly the freight of imported foodgrains has increased due to closure of Suez canal. We import large quantities of fertilizers, even then our farmers do not get adequate quantity of fertilizers. Thus the needs of farmers are not being met. The third grade quality of coal can be used by farmers. It should be made available to them. This will increase the food production. I come from Kosi area. There canal has been constructed but the land of that area is of uneven level. The farmers cannot make use of irrigation water there. Farmers have no money to make their land of even level. I understand that Tractor organisation has been asked to give fifty tractors for each District in Bihar. In this connection recurring expenditure should be met by the State Government and the remaining entire expenditure would be met by the Central Government. In our area minor canals have been dug but they are not serving any purpose because their level is not low. Water does not come in them. The farmers arrange for good quality seeds, and manure, but due to lack of irrigation facilities they do not get the benefit. Arrangements should be made to provide adequate water to the farmers.

The rural electrification should be given top priority. It should be ensured that farmers are given power connections without delay. Good quality seeds should be provided in adequate quantity to the seeds multification farms.

The farmers should be provided remunerative prices for their produce. The co-operative societies should be activised. I support these supplementary demands.

श्री स० कुण्डू : सामान्य आयव्ययक के पारित होने के नौ महीने बाद ही सरकार इन अनुपूरक मांगों को पारित कराना चाहती है सरकार ने मितव्ययिता का आश्वासन दिया था परन्तु ऐसा मालूम होता है कि वह पूरा नहीं किया गया। आज देश की अर्थ-व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। मंदे के कारण बुरा हाल है। मंत्रियों का भी खर्चा अधिक हो गया है। कांग्रेस पार्टी के कारण हमारे देश में वैसे भी स्थिति बहुत खराब है। ऐसी हालत में मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन नहीं कर सकता।

यह कहा गया था कि 1970 तक देश आगे बढ़ जायगा परन्तु अब ऐसे कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ते।

यह ठीक है कि केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है परन्तु कीमतों को स्थिर नहीं किया गया है। इसमें सरकार की असफलता का पता चलता है। इस ओर तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिये, अन्यथा स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जायेगी।

कितनी आश्चर्य की बात है कि भारत जैसे एक प्रगतिशील देश में 60,000 इंजीनियर बिना रोजगार के हैं। उड़ीसा राज्य में 2,000 ओवरसियर पिछले कई वर्षों से बिना काम के पड़े हैं। सरकार मनोरंजन कार्य के लिये अधिक धन की मांग कर रही है। यह कैसे उचित है। मेरा सुझाव है कि हमें दस वर्षों के लिये अनिवार्य मितव्ययिता लागू करनी चाहिये। इन वर्षों में किसी को 1,500 रुपये से अधिक और 200 रुपये से कम वेतन नहीं लेना चाहिये। सभी फजूल खर्चे बन्द कर देने चाहिये। सरकार को भी अपने खर्चे में भारी कमी करनी चाहिये। सरकारी उपक्रमों को और धन देने के लिये भी मांग रखी गई है। इन उपक्रमों को प्रगति करनी चाहिये, परन्तु इनको जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप उतरना चाहिए। इन उपक्रमों के बारे में मुझे कुछ जानकारी है। एक उपक्रम का अतिथि-गृह मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उसपर कितना धन व्यय किया गया था। वहां पर भी मितव्ययता की आवश्यकता है।

हमारे इस्पात कारखानों में देश की बहुत बड़ी धनराशि लगी हुई है परन्तु उनसे लाभ बहुत कम हो रहा है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

यदि हमें देश में लोकतन्त्रीय ढांचे को बनाये रखना है तो जनसाधारण की आवश्यकताओं की ओर सर्वप्रथम ध्यान देना होगा। हमारे देश की निर्धन जनता का बहुत बुरा हाल है। उसकी स्थिति में सुधार करना होगा। हमारे देश में आयोजन सन्तुलित रूप से नहीं किया गया है। यदि देश की एकता को बनाए रखना है तो सभी राज्यों से एकसमान व्यवहार किया जाना चाहिए। उड़ीसा राज्य की लम्बे समय से उपेक्षा की जा रही है। उड़ीसा में बहुत कम धन लगाया गया है। इस बारे में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। मुझे दुख है कि सरकार में दूर-दर्शिता है ही नहीं। इसी कारण देश को नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन नहीं कर सकता।

Shri Baswant (Bhiwandi) : Maharashtra has suffered heavy losses due to Koyna earthquake. Maharashtra Government is rehabilitating seven hundred villages. They are badly in need of central help. The production of salt in Gujarat and Maharastra is quite considerable. It can be used for preparing manure. I request that this salt should be made use of upto maximum quantity, because it would be very cheap.

Fisheries should be developed on modern lines. Necessary foreign exchange should be sanctioned for use in this industry in Maharashtra. Fisheries come under food. It should be paid proper and due attention.

About one and half lakh rufugees have come to Ulhas Nagar from W. Pakistan but no decision has so far been taken about their plots. It is due to a quarrel between the ministries of Finance and Rehabilitation. This problem is hanging in the balance during the last twenty years. This should be settled, so that these people may construct their houses.

श्री म० अमरसे (बनस्कंठा) : कुल 31.7 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों में से 20 करोड़ रुपये सरकारी उपक्रमों के लिये मांगे गये हैं और 8.72 करोड़ रुपये निर्यात संवर्द्धन के लिये हैं। 43,75,000 रुपये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के लिये और 10,28,000 रुपये प्रशासनिक सुधार आयोग के लिये मांगे गये हैं। सरकार ने कुछ आश्वासन दिये थे कि खर्चें में कमी होगी परन्तु वह आश्वासन पूरा नहीं किया गया है। यदि इसी प्रकार व्यय होता रहा तो हमें एक बार फिर रुपये का अवमूल्यन करना पड़ेगा। यह हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये घातक होगा। सरकारी उपक्रमों के काम में भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। आज ऐसे उपक्रमों पर देश की बहुत बड़ी धनराशि लगी हुई है, परन्तु इनसे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। यदि यही स्थिति चलती रही और लोगों पर करों का बोझ बढ़ता रहा और इसी प्रकार बना रहा तो बहुत ही खराब होगा। इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

निर्यात संवर्द्धन के लिये भी अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई हैं। हमारे निर्यात व्यापार की भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। आज विश्व की विभिन्न मुद्राओं की हालत हमारे सामने है। डालर पर दबाव पड़ रहा है। पौण्ड का मूल्य कम होता जा रहा है। रुपया भी एक स्थिति में टिक नहीं सकता। कुछ वस्तुओं का निर्यात देश पर लादा जा रहा है। चीनी के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये देश को साढ़े सात करोड़ रुपये की राजसहायता देनी पड़ी है। हमारे देश में लोगों को चीनी नहीं मिल रही है। वित्त मंत्रालय को निर्यात स्थिति का एक मूल्यांकन करना चाहिये। यह कार्य वाणिज्य मंत्रालय को नहीं देना चाहिये। यदि राजसहायता देकर निर्यात करते रहे तो हमारी मुद्रा का मूल्य और भी कम हो जायेगा।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के लिये भी अनुपूरक मांगों को रखा गया है। मेरा सुझाव है कि हमें दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों जैसे जापान, दक्षिणी कोरिया, फिलीपीन्स, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड आदि के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिये। इससे हमें बहुत लाभ हो सकता है।

प्रशासनिक सुधार आयोग के लिये 10.28 लाख रुपये की मांग रखी गई है। हमें ऐसे आयोगों और समितियों के बिठाये जाने पर अब रोक लगानी चाहिये। महाजन आयोग ने कोई विशेष कार्य नहीं किया है। ऐसे आयोगों पर बहुत अधिक व्यय होता है परन्तु उनकी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। प्रशासनिक आयोग की रिपोर्ट से देश के प्रशासनिक ढांचे में सुधार होगा और खर्चे में बचत होगी। ऐसी हमें आशा करनी चाहिये।

Shri K. N. Tiwary : I urge upon this Government that it should enforce strict economy on its various Departments. The public sector and private sector should be treated on equal footing. Our aim should be boost production irrespective of the consideration whehter it is in private sector or public sector. The technical personnel should made best use of. They should be provided maximum employment facilities.

I want to invite the attention of Government to Gandak project in Bihar. The state Government's financial position is very precarious. They require 19 crores rupees for that project. It will take four or five years to complete that project. When completed, this will make Bihar a self sufficient. I request the Central Government to make available the necessary help. The minor irrigation schemes in Bihar should be implemented more vigorously. Subsidy should be given to farmers for lift irrigation schemes. The farmers should be given remunerative prices for their produce, so that food crops are sown on large scale.

We should make our irrigation system perfect, so that in the event of drought or floods we do not fall short of foodgrains.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखात्तरनम) : हमें राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी चाहिए। सरकार मुद्रा बढ़ाती जा रही है और विदेशों से ऋण भी निरन्तर लिए जा रहे हैं। परन्तु वित्त मंत्री राज्यों की आलोचना करते हैं कि उनका दिवाला निकलता जा रहा है। वास्तव में तो केन्द्रीय सरकार का प्रतिबिम्ब राज्य सरकारों में मिलता है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच किसी प्रकार खींचातानी नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों को मिलकर देश के निर्माण में कार्य करना है।

योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार को देश के पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आंध्र प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से एक बहुत पिछड़ा राज्य है। वहां पर केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम धन लगाया है। इस बारे में कुछ आश्वासन दिए गए थे परन्तु वे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। वहां पर लोगों पर गोली भी चलायी गई थी। पांचवां इस्पात कारखाना भी शायद वहां नहीं लगाया जाएगा।

यदि सरकार चाहती है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो तो परियोजनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक सहायता अविलम्ब दे दी जानी चाहिए।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

नागार्जुनसागर परियोजना के पूरी हो जाने से 20 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की जा सकेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा धन न दिए जाने के कारण यह पूरी नहीं हो सकी है। मेरा

सरकार से अनुरोध है कि इसे उदार बनकर राज्यों को सहायता करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि देश में खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो तो आपको व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): I am not convinced that the family planning measures will solve our food problem and other problems. 75 crore rupees have been spent on this programme. If this amount is spent on measures for increasing food production, our biggest problem would have been practically solved. If our population has increased simultaneously our food has also increased at a higher rate. I think we should not give that much importance to family planning measures. Now the position is that promotions are given, if a Government officer is practising family planning. I cannot understand this. Huge sums of money have been spent for irrigation schemes but unfortunately the result has not been satisfactory.

The Central Government has increased the D. A. of its own employees but nothing has been given to state Government employees. Similar is the case of employees of Public Undertakings. The public is being burdened by taxes of both Central Government and State Governments. In Rajasthan betterment levy has been imposed. The Central Government should give help to the state Governments for grant of increased D. A. to their employees.

It is a matter of shame for the Government that woollen dress has not been provided to policemen. Another serious matter is handling of matters by the Ministry of Rehabilitation. The funds allocated to them are not properly utilized and the problems remain unsolved.

The construction of Mangla Dam by Pakistan will have very adverse repercussions on irrigation system of India and particularly that of Rajasthan. If adequate funds are provided to for Rajasthan Canal and it is completed the production of foodgrains can be increased many fold. It will solve the problem of entire country.

The trainees of technical institution of Rajasthan are not given their scholarship regularly. This should be looked into. The backward classes are not being provided their due share of concessions. The result is that their lot remains as it was. In Kotah district some houses were constructed for these people. You would be surprised to know that those houses have not last for more than a few years. I request that this matter should be inquired into.

Government should not indulge in deficit financing. It will result in rising of prices. With these objections I support these demands.

श्री जी० एस० रेड्डी (मिरियालगुडा) : मैं वित्त मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं यह मांगे इतनी अप्रत्याशित थीं की सरकार के लिए उनका पूर्व अनुमान लगाना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए, आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन सूखे की स्थितियों के कारण सरकार को ऐसी योजननाओं पर जो इन स्थितियों का सामना कर सकती थीं, अधिक खर्च करना पड़ा है। सरकार ने नये कुओं के निर्माण तथा विद्यमान कुओं को गहरा करने के लिये 15 लाख रुपये, कारखाने के क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिये 8 लाख रुपये, छोटी सिंचाई योजनाओं तथा तालाबों की मरम्मत के लिये 125 लाख रुपये, नागार्जुनसागर नहर की

खुदाई के लिए 15 लाख रुपए, कुएं खोदने आदि के लिए ऋण देने के लिए 200 लाख रुपए तथा सहायता कार्यों के लिए 33 लाख रुपए व्यय करने की योजना बनाई है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मेरा मंत्री महोदय से यह सुझाव है कि वित्तीय परामर्शदाताओं की संस्था को पुनर्जीवित किया जावे। बदली हुई परिस्थितियों में यह बहुत आवश्यक हो गया है। वित्तीय परामर्शदाता परिणाम को ठीक तरीके से नहीं देख रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। ऐसा करने से बचत होगी तथा स्वीकृत धनराशि अधिक उपयोगी तरीके से व्यय की जायेगी।

अपने कटौती प्रस्ताव के बारे में मुझे यही कहना है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली धनराशि युक्तिसंगत होनी चाहिये। जिन उद्यमों को कोई हानि हुई है, उन्हें निष्पत्ति आयव्ययक प्रस्तुत करने के लिये कहा जाना चाहिये और उसकी छानबीन करने के पश्चात् उन्हें अधिक राशि दी जानी चाहिये।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : On demand No. 109, I would submit that the purchase of a car worth Rupees 42,000 is very improper in view of the fact that Indian made cars are available at less than half that price. This sort of expenditure indicates the working of the mind of the Government and the way it is effecting economy in administration. The supplementary demand for purchase of the car should be rejected.

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मुझे खेद है कि उपराष्ट्रपति के लिये एक स्टाफ कार खरीदने का मामला यहां उठाया गया है यह सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति की एक विशेष प्रतिष्ठा होती है जिसे दूसरे मंत्रियों के समान नहीं समझा जाना चाहिये। कुछ उत्सवों में राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें विदेशी उच्च पदधारियों के स्वागत के लिये जाना पड़ता है। अतः उनके लिये एक बड़ी कार खरीदना उचित ही है। आश्चर्य की बात है कि राज्य सरकारों को दीवालिया न होने के लिये दिये गये परामर्श पर भी आपत्ति की गई है। हमारा वित्तीय अनुशासन ही इसी नींव पर आधारित है और वित्तीय प्रशासन बनाये रखना केन्द्रीय सरकार का काम है। यदि उसने भी वित्तीय मामलों पर निगरानी करने में कोई ढील कर दी तो यह बड़े दुख की बात है।

गंडक, नागार्जुनसागर तथा अन्य परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है। सभी परियोजनायें राष्ट्रीय परियोजनायें हैं। परन्तु साधन सीमित होने का प्रश्न सामने आता है। प्रत्येक राज्य को हम उतना ही देंगे जितना उसके लिए निर्धारित है। ऋण, अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता देने के मामले में केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की आलोचना करना बड़ा अनुचित है क्योंकि उसने इन वर्षों में बहुत अच्छा कार्य किया है। उसने तेल तथा पेट्रोल के मामले में आत्म-निर्भरता के लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी बहुत सहायता की है।

कहा गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्रों में उपलब्ध निपुण व्यक्तियों का सरकारी उपक्रमों में

भी प्रयोग किया जाना चाहिये। हमने सभी निपुण लोगों से लाभ उठाने का प्रयत्न किया है। हमने सरकारी क्षेत्र के ऊंचे पदों के लिए सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यक्तियों के नामों की एक सूची बना ली है। यह कहना गलत है कि सरकारी क्षेत्र में करोड़ों रुपयों की हानि हुई है। सरकारी क्षेत्र में लम्बी प्रारम्भिक अवधि वाले संयंत्र हैं। यह संयंत्र पूंजी-प्रधान हैं। बहुत से संयंत्रों में विस्तार कार्य भी चल रहा है तथा पूंजी आंशिक रूप में विस्तार के कामों में लगी हुई है और कुछ पूंजी उस मूल संयंत्र में लगाई जा रही है जो आज-कल काम कर रहा है। यदि लगी हुई प्रभावी पूंजी पर हिसाब लगाया जाए तो इस पर 31 मार्च, 1966 तक 3.6 प्रतिशत लाभ हुआ है। उसी तिथि तक 40 चालू संस्थाओं में से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड सहित 31 संस्थाओं ने लाभ अर्जित किया है। यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में सुधार करने के लिए पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तव में सरकारी क्षेत्र के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने हाल ही में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिस पर सरकार विचार कर रही है।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने सन्देह प्रकट किया है कि भविष्य में भी हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकेगा। वर्तमान फसल के कारण स्थिति में निश्चित सुधार हुआ है और निराशा का कोई कारण नहीं है। हम न केवल खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर हो रहे हैं बल्कि सभी मामलों में आत्म-निर्भर हो रहे हैं। इस वर्ष भी राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि गत दो वर्षों की तुलना में बहुत अधिक है। यदि हमारी कुछ फसलें ठीक हुईं तो भविष्य में हम स्थिति का साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं।

श्री तापुड़िया ने निर्यात में वृद्धि के बारे में उल्लेख किया है। निर्यात में वृद्धि के लिए हमने बहुत सी कार्यवाहियां की हैं। उदाहरणार्थ, निर्यातकों को कुछ ऋण की सुविधायें दी गई हैं, कच्चे माल के सम्भरण के मामले में हमने उन्हें प्राथमिकता दी है तथा कुछ उद्योगपतियों को कच्चा माल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर पर भी दिया गया है। हमने जो कार्यवाहियां की हैं, उनसे कुछ लाभ भी हुआ है और हमें आशा है कि आने वाले वर्षों में और भी अधिक लाभ होगा।

श्री तापुड़िया ने आयकर को कुल बिक्री के साथ सम्बद्ध करने का एक सुझाव दिया है। परन्तु ऐसा कैसे किया जा सकता है? आय तथा कुल विक्रय में प्रत्यक्षात्मक अन्तर है। आय तथा कुल बिक्री के बीच अनुपात सभी अवस्थाओं में समान नहीं रहता। यह भी कहा गया है कि हमने इस देश में विस्थापित व्यक्तियों की अवहेलना की है। यह ठीक नहीं है। जिस तरीके से हमने अपने विस्थापित व्यक्तियों तथा शरणार्थियों का पुनर्वास किया है, वह बहुत से उन्नत देशों के लिए एक उदाहरण है।

[श्री एस० एम० जोशी पीठासीन हुए
Shri S. M. Joshi in the Chair]

इस बात पर आपत्ति की गई है कि उप-प्रधान मंत्री ने मितव्ययिता का जो वचन दिया था, उसे लागू नहीं किया है। यह बात भी गलत है। वास्तविकता यह है कि मार्च, 1967 में

अन्तरिम आयव्ययक प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् एक विस्तृत समीक्षा के परिणामस्वरूप 36 करोड़ रुपये की मितव्ययिता की गई थी। इस राशि में प्रतिरक्षा पर खर्च में से 6 करोड़ रुपये तथा चीनी के निर्यात के लिए सहायता में से 7 करोड़ रुपये की की गई बचत भी सम्मिलित है। इसके पश्चात् हमने कई और कार्यवाहियां की हैं जैसे यात्रा भत्ते पर रोक, वेतनमानों में वृद्धि पर रोक, स्टाफ कारों के व्यय में कमी, प्रतिनियुक्ति भत्ते आदि में कमी। चालू वर्ष में प्रशासनिक व्यय बहुत अधिक नहीं बढ़े हैं। यह वृद्धि लगभग आधा करोड़ रुपये जितनी है, वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण जो सामान्य वृद्धि होती है, वह उससे भी कम है।

श्री जोशी ने स्टाफ-कलाकारों को और अधिक सुरक्षा देने के मामले में गत कुछ वर्षों के दौरान जो विभिन्न पग उठाये हैं, उनके सम्बन्ध में सम्भवतः सभा को जानकारी है। वे अब अपने आपको बहुत सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। कानपुर उर्वरक कारखाने में तेजी से काम हो रहा है और यह कारखाना 1970 तक चालू हो जायेगा।

प्रशासनिक सुधार आयोग के सम्बन्ध में कहा गया है कि उसके काम में देर हो रही है। इस आयोग ने एक अद्भुत प्रयत्न किया है। इसने कुल प्रशासनिक क्षेत्र का पूर्णतया सर्वेक्षण किया है और यदि इसमें कुछ विलम्ब हो गया तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिये।

श्री शर्मा ने वाणिज्यिक प्रसारणों के बारे में पुनः विचार करने के लिए कहा है। अभी इसके बारे में प्रयोग किया जा रहा है इसके परिणाम देखने पर इसके बारे में अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

कोयना के पीड़ित लोगों की यथासम्भव सहायता की जायेगी। एक सदस्य ने कहा है कि यदि हम जापान तथा अन्य देशों के साथ समझौता कर लें तो हम अपने प्रतिरक्षा आयव्ययक में कटौती कर सकते हैं। समझ में नहीं आता कि प्रतिरक्षा पर अपने खर्च में बचत करने के लिए हम अन्य देशों के साथ मिलने के लिए क्यों उत्सुक हैं। हम अपनी रक्षा के लिए अन्य लोगों पर निर्भर नहीं रह सकते। हमने यह 1962 तथा 1965 में देख लिया है।

श्री कोठारी ने सुझाव दिया था कि वित्तीय परामर्शदाताओं की संस्था को पुनःजीवित किया जाये। हम इस बारे में सदा ही विचार करते रहे हैं। हम सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति तथा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर पूरा-पूरा ध्यान देंगे। उन्होंने सरकारी उपक्रमों के बारे में निष्पत्ति आयव्ययक का जो सुझाव दिया है, उस पर कुछ और विचार करना होगा कि उसे कहां तक तुरन्त लागू किया जा सकता है।

सभापति महोदय द्वारा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) सम्बन्धी सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

The cut motions were put and negatived

सभापति महोदय द्वारा अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1967-68 सभा में मतदान के लिए रखी गई तथा पूरी की पूरी स्वीकृत हुईं

The following Demands for Supplementary Grants (General) 1967-68 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	(वाणिज्य मंत्रालय)	
2	विदेशी व्यापार	8,72,00,000
	(शिक्षा मंत्रालय)	
10	शिक्षा	1,000
	(विदेश मंत्रालय)	
15	वैदेशिक-कार्य	43,75,000
16	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,000
	(गृह-मंत्रालय)	
50	चंडीगढ़	14,66,000
55	गृह-मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	10,28,000
	(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)	
61	प्रसारण	2,75,000
	(परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय)	
86	परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,000
	(उपराष्ट्रपति का सचिवालय)	
109	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	50,000
	(वित्त मंत्रालय)	
120	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	20,00,00,000
	(गृह-मंत्रालय)	
124	संघीय राज्य-क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	15,97,000
125	गृह-मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	35,00,000
	(पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय)	
131	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	47,50,000
	(परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय)	
137	परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	24,68,000

सभापति महोदय द्वारा अतिरिक्त अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) सम्बन्धी सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखी गईं तथा अस्वीकृत हुईं

The cut motions were put and negatived

सभापति महोदय द्वारा अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें सभा में मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

The following Demands for Excess Grants (General) 1964-65 were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	9,578
5	रक्षा सेवाएं, सक्रिय-नौसेना	79,09,518
6	रक्षा सेवाएं, सक्रिय-वायुसेना	1,44,70,570
10	पुरातत्व	53,615
12	वनस्पति सर्वेक्षण	33,606
19	वित्त मंत्रालय	1,09,447
35	विभाजन-पूर्व की अदायगियां	70,397
36	खाद्य और कृषि मंत्रालय	59,875
37	कृषि	38,86,675
42	स्वास्थ्य मंत्रालय	78,701
45	गृह-मंत्रालय	7,60,798
55	लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	3,98,714
57	उद्योग मंत्रालय	14,371
62	प्रसारण	10,46,890
64	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय	82,564
67	सिंचाई और बिजली मंत्रालय	57,952
69	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	19,05,440
78	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	13,98,387
80	भूगर्भ सर्वेक्षण	1,31,72,511

माग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
85	संचार (राष्ट्रीय राजपथ सहित)	38,26,621
88	उड्डयन	44,23,609
91	लोक-निर्माण कार्य	1,13,41,023
94	निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	89,736
106	तकनीकी विकास विभाग	15,356
112	सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,553
114	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	2,10,033
120	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	1,13,686
122	विकास के लिये राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	55,10,536
124	वनों पर पूंजी परिव्यय	7,543
132	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	6,13,35,461
134	श्रम और नियोजन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	9,96,470
135	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	48,221
137	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	1,15,60,072
138	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	19,16,9C8
145	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से पूरा न किया जाने वाला)	1,03,67,921

विधेयक पुरःस्थापित
BILL INTRODUCED

विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1967
Appropriation (No. 3) Bill, 1967

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्रीमान, मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत का संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत को संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

विनियोग (संख्या 4) विधेयक

Appropriation (No. 4) Bill

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त, व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त, व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

विनियोग (संख्या ३) विधेयक

Appropriation (No. 3) Bill

वित्तमंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3 अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, 2, 3 अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1, 2, 3, Schedule, Enacting Formula and Long Title were added to the Bill

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

विनियोग (संख्या 4) विधेयक

APPROPRIATION (NO. 4) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त, व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त, व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3 अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, 2, 3 अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1, 2, 3, Schedule, Enacting Formula and Long Title were added to the Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों की अनुपूरक मांग (मनीपुर) 1967-68

SUPPLEMENTARY DEMAND FOR GRANT (MANIPUR) 1967-68

श्री मेघचन्द्र (आन्तरिक मनीपुर) : मनीपुर के मामले पर यहां चर्चा बहुत कम की जाती है, अनुदान की इस मांग की राशि 3 लाख रुपये है। मैं मांग का विरोध नहीं करता परन्तु मुझे सन्देह है कि इस धनराशि से बाढ़ नियंत्रण की समस्या, जिसके लिये यह मांग की गई है, हल हो सकेगी। इस मांग पर उचित रूप से चर्चा तो मनीपुर विधान सभा में ही हो सकती है क्योंकि वहां के लोगों को ही इस बात की जानकारी है कि वहां पर इस काम के बारे में क्या कार्यक्रम है और उसके लिये कितनी राशि की आवश्यकता होगी, राष्ट्रपति के 25 अक्तूबर के आदेश से इसकी आवश्यकता पड़ी है क्योंकि मनीपुर विधान सभा निलम्बित कर दी गई है। विधान सभा के निलम्बन से ही प्रजातन्त्र को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता।

विधान सभा को इसलिये निलम्बित किया गया है क्योंकि कांग्रेस दल और संयुक्त मोर्चे के बीच गतिरोध पैदा हो गया था। राष्ट्रपति के आदेश से समस्या का समाधान होने की बजाय वहां पर दल बदलने की घटनाओं को प्रोत्साहन मिला। 25 अक्तूबर का आदेश जारी किये जाने के पश्चात् वहां पर दल बदलने की एक लहर चल पड़ी है और वह अभी तक जारी है। यदि इस प्रकार दल बदलना जारी रहा, तो वहां पर विधान सभा को उत्तरदायी कोई स्थिर लोकतन्त्रात्मक सरकार नहीं बन पायेगी। विधान सभा को निलम्बित करना समस्या का कोई समाधान नहीं है। समस्या का समाधान यह है कि विधान सभा भंग कर दी जाये और उप-चुनाव कराये जायें ताकि वहां पर ऐसा मंत्रिमण्डल स्थापित किया जा सके जो विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हो।

जो अनुपूरक मांगें इस सभा में प्रस्तुत की गई हैं इन पर मनीपुर की विधान सभा में चर्चा की जानी चाहिए थी और वहीं पारित होनी चाहिए थी और उसके लिए अवसर दिया जाना चाहिए था। अब क्योंकि विधान सभा निलम्बित कर दी गई है ये मांगें इस सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। मेरा निवेदन यह है कि राष्ट्रपति का आदेश हटा दिया जाये और विधान सभा का विघटन कर दिया जाये और दोबारा चुनाव करवाये जाएं जिससे यह कार्यवाही मनीपुर की विधान सभा में हो सके। इसलिए मैं इस मांग का विरोध करता हूं।

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमण तथा दीव) : मनीपुर क्षेत्र को इसलिये संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था कि इस क्षेत्र का विकास तीव्रगति से हो सके परन्तु इस प्रयोजन के लिए जो नियम और प्रक्रिया बनाई गई हैं, वे इतनी सहायक सिद्ध नहीं हुईं। किसी भी संघ राज्य-क्षेत्र के बजट पर केन्द्र सरकार के बजट के साथ ब्योरेवार चर्चा की जाती है और उसके स्वीकृत होजाने पर संघ राज्य-क्षेत्र के विधान मंडल में पेश किया जाता है और वह उसे पारित कर देता है। परन्तु इसके बाद भी संघ राज्य-क्षेत्र धन खर्च करने में स्वतंत्र नहीं है। संघ राज्य-क्षेत्र की संचित निधि में से खर्च करने के लिये नियम बनाने हेतु संघ राज्य-क्षेत्र अधिनियम में व्यवस्था है। परन्तु वास्तव में ये नियम नहीं बनाये गये और केन्द्रीय सरकार के नियमों को अपनाया गया है जो संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासन के लिये उपयुक्त नहीं हैं। इस प्रक्रिया का अनुसरण करने से देरी हो जाती है।

मेरे विचार में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर देना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा पहला सुझाव यह है कि केन्द्रीय सरकार संघ राज्य क्षेत्र को दी जाने वाली कुल धनराशि की अनुमति दे दें और फिर सामान्य सिद्धान्तों पर विचार करके उसके खर्च का काम उस राज्य-क्षेत्र के प्रशासन पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि एक बार अनुदान की मंजूरी के बाद, उसके आगे खर्च की अनुमति की शक्ति केन्द्रीय सरकार के बजाय उस क्षेत्र के प्रशासन या उस प्रशासन के अन्य अधिकारियों को दे देनी चाहिए। तीसरे अनुपूरक अनुदान के सम्बन्ध में जितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो, सरकार को उतने धन की मंजूरी देनी चाहिए। यदि एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष के अधीन धनराशि को बदलना हो तो उसके लिए राज्य-क्षेत्र की विधान सभा सक्षम होनी चाहिए।

यदि ये परिवर्तन कर दिये जायें तो जो धन उपलब्ध होगा। उसका अच्छी प्रकार और पूरा प्रयोग किया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : वर्ष 1966 में बाढ़ आने के कारण इम्फाल नगर का एक भाग और आस-पास का कृषि सम्बन्धी क्षेत्र बह गये थे। इस क्षेत्र के संरक्षण के लिये एक योजना बनाई गई है जिससे इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए कुछ धनराशि अलग रखी गई थी। चालू वर्ष में भी इस

प्रयोजन के लिये 14.76 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसलिये जहां तक इस मांग का सम्बन्ध है, इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता। यह कहा गया है कि मनीपुर में ऐसी कौन-सी घटना हुई है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति ने यह उद्‌घोषणा की है। वास्तव में वहां पर दल बदलने की इतनी घटनाएं हुई हैं कि उन परिस्थितियों में लोकतंत्रीय प्रशासन चलना असम्भव हो गया था। राष्ट्रपति को यह कार्यवाही बहुत ही अनिच्छा से करनी पड़ी है।

मनीपुर में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल कार्य कर रहा था परन्तु बाद में कांग्रेस को बहुमत का समर्थन मिलना बन्द हो गया जिसके फलस्वरूप वहां विरोधी पक्ष की सरकार बनी। इस सरकार के विरुद्ध कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव रखा। जिस दिन इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, उस दिन विधान सभा के उपाध्यक्ष ने त्याग-पत्र दे दिया। उसके अगले दिन अध्यक्ष ने भी त्याग-पत्र दे दिया। उसके बाद आयुक्त ने दोनों दलों को अध्यक्ष के नाम का सुझाव देने के लिये कहा परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी असमर्थता व्यक्त की। ऐसी अवस्था में विधान सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती थी। इस स्थिति के बाद ही यह उद्‌घोषणा जारी की गई थी। यदि वहां पर स्थिति सामान्य हो जाये तो यह सरकार वहां पर सामान्य स्थिति कायम करने के लिये तैयार हो जायेगी।

जहां तक संघ राज्य-क्षेत्रों के वर्तमान नियमों का सम्बन्ध है, वस्तुस्थिति यह है कि इसका प्रस्तुत मांग के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी मैं यह बता देना चाहता हूं कि संघ राज्य-क्षेत्रों को अधिक से अधिक शक्तियां दी जा रही हैं। गोआ के उप-राज्यपाल के सुझाव पर संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासकों को और अधिक शक्तियां प्रदत्त करने पर विचार किया गया था। इसके फल-स्वरूप कई मदों पर खर्च करने के लिये संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासकों को अधिक शक्तियां दी गई हैं। अब वे 50 लाख रुपये तक खर्च वाली योजनाओं की अनुमति दे सकते हैं। इससे पहले संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासक अस्थाई पदों को स्थाई नहीं बना सकते थे। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने यह शक्ति भी प्रशासकों को दे दी है। इस प्रकार इस मामले पर निरन्तर विचार किया जाता रहा है और एक अध्ययन दल भी इस सम्बन्ध में विचार कर रहा है। मैं इस सम्बन्ध में इस समय और कुछ नहीं कह सकता।

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1967-68 के लिये मणिपुर के संघ राज्य-क्षेत्र की अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें सभा में मतदान के लिये रखी गईं और वे पूरी की पूरी स्वीकृत हुईं

The following Demands for Supplementary grants in respect of the Union Territory of Manipur for the year 1967-68 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
38	बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय	3,00,000

मणिपुर (विनियोग) विधेयक
MANIPUR (APPROPRIATION) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 की सेवा के लिए और राशि के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 की सेवा के लिये और राशि के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 की सेवा के लिए और राशि के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 की सेवा के लिए और राशि के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक
INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का प्रयोजन भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना है जिससे टैरिफ कमीशन की इस सिफारिश को लागू किया जा सके कि रंग-सामग्री तथा मोटरगाड़ी उद्योगों को 31 दिसम्बर, 1967 के बाद भी अन्तरिम व्यवस्था के रूप में एक वर्ष तक संरक्षण जारी रखा जाये क्योंकि टैरिफ कमीशन इन उद्योगों के सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दे पाया है । टैरिफ कमीशन ने बताया है कि वे वर्ष 1968 के अन्त तक ये प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देंगे । इसीलिये उन्होंने उपरोक्त सिफारिश की है । माननीय सदस्यों को टैरिफ कमीशन के कार्य की समीक्षा से पता चल गया होगा कि इन दोनों उद्योगों की क्षमता में कुछ वृद्धि हुई है जबकि वास्तविक उत्पादन संस्थापित क्षमता से कम था । उत्पादन और बिक्री दोनों में वृद्धि हुई है और कुछ रंग सामग्री का निर्यात भी किया गया था । जब इन दोनों उद्योगों के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेंगे तो सभा इस सम्बन्ध में ब्योरेवार चर्चा कर सकेगी ।

इसमें कोई संदेह नहीं कि रंग सामग्री और मोटरगाड़ी दोनों ही महत्वपूर्ण और विकासशील उद्योग हैं । परन्तु सामान्य मंदी के कारण इनकी अप्रयुक्त क्षमता में और भी वृद्धि हुई है । टैरिफ कमीशन द्वारा जांच किये बिना टैरिफ संरक्षण समाप्त करना उचित नहीं होगा । इसीलिए सरकार ने कमीशन की अन्तरिम सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और सभा में इस विधेयक को प्रस्तुत किया है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : टैरिफ कमीशन के कार्य-क्षेत्र को बढ़ाया जाना

चाहिए और इसके कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन भी किया जाना चाहिए। इसकी कार्य-प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। इस समय कमीशन जांच में बहुत समय लगाता है। इसे शीघ्र जांच पूरी करके सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। बदलती हुई आर्थिक स्थिति के कारण इन सिफारिशों का महत्व कम हो गया है। इस कमीशन के स्तर को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे यह प्रभावशाली ढंग से कार्य करे। राव समिति ने सिफारिश की थी कि बोर्ड का एक सदस्य पूरे समय कार्य करने वाला एक लागत लेखापाल होना चाहिए। परन्तु सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की भी सभी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। राव समिति ने सिफारिश की थी कि यदि कोई असाधारण परिस्थितियां न हों तो टैरिफ कमीशन द्वारा सिफारिश किये गये मूल्य ढांचे को सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। टैरिफ कमीशन की सिफारिशों में विस्तार करने वाले खण्ड और आकस्मिकता भत्ते की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

एक दूसरी बात यह है कि टैरिफ कमीशन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लगाई गई पूंजी पर उपयुक्त लाभ प्राप्त हो सके। कमीशन को इस संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उपभोक्ताओं के हित का ध्यान रखते हुए मूल्यों में पुनर्वास भत्ते की भी यथा सम्भव व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि टैरिफ कमीशन को कुछ नये कार्य भी अपने हाथ में लेने चाहिए। उन्हें आयात प्रतिस्थापन की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए और इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार को सुझाव देने चाहिए। दूसरे कुछ चुने हुए उद्योगों में उद्यमों अथवा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में उत्पादन की लागत की जांच करनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी लाभ अर्जित करना चाहिए। कमीशन को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या निर्यात उद्योगों के लिये आयात किए जाने वाला कच्चा माल बिना आयात शुल्क के आयात किया जा सकता है या नहीं। कमीशन को निर्यात उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करके सरकार को इस सम्बन्ध में सलाह देनी चाहिए कि वे उद्योग में किस ढंग से कार्य करें कि उनके उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति-योगिता कर सकें।

देश में प्रशुल्क ढांचा कुछ विकृत हो गया है क्योंकि राजस्व के विचार से प्रशुल्क लगाये जाते हैं। प्रशुल्क ढांचे को युक्तियुक्त बनाने के लिए उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस कमीशन को अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों की उपादेयता का मूल्यांकन करना चाहिए चाहे वे द्विराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय आधार पर हों।

टैरिफ कमीशन को इस बात पर भी पुनः विचार करना चाहिए कि जिन उद्योगों से संरक्षण हटाया गया है क्या वे संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं। इस सम्बन्ध में प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। कमीशन को उद्योगों के कार्यसंचालन, उनकी अर्थ-व्यवस्था और उत्पादन की जांच करनी चाहिए और सरकार को सलाह देनी चाहिए कि क्या उन उद्योगों को और सहायता देने की आवश्यकता है या नहीं।

टैरिफ कमीशन जैसी विशेषज्ञ निकाय रहते हुए भी केन्द्रीय मंत्रालय उनकी सेवाओं का लाभ

नहीं उठाते और अपनी विभागीय समितियां नियुक्त कर देते हैं जो उनको नियुक्त करने वालों की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य निश्चित करना हो तो सम्बन्धित मंत्रालय को टैरिफ कमीशन की सलाह लेनी चाहिए। सरकार को इस कमीशन की सलाह स्वीकार करनी चाहिए। अन्यथा इस प्रकार की संस्था की कोई आवश्यकता ही नहीं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि टैरिफ कमीशन को बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है और इसके स्तर, शक्तियों और कार्य को युक्तियुक्त बनाना चाहिए। राव समिति के सुझाव को क्रियान्वित करना चाहिए। यदि टैरिफ कमीशन को ये अतिरिक्त कर्तव्य सौंपे जायें तो मेरे विचार में यह खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा और सरकार के लिये काफी सहायक सिद्ध होगा।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, टैरिफ कमीशन जब किसी उद्योग विशेष को संरक्षण देता है तो वह सभी पक्षों पर विचार करता है। कमीशन का यह कर्तव्य है कि जिस उद्योग को संरक्षण दिया जा रहा है उसके कामकाज की छानबीन करे। उसे संरक्षित वस्तु के उत्पादन की लागत की देखभाल करनी चाहिए। इसके साथ-साथ कमीशन को अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए।

इस मामले में दुर्भाग्य से कमीशन का प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध नहीं हो सका। इस प्रतिवेदन को तैयार होने में एक वर्ष और लगेगा। इसलिए उस समय तक रंग-सामग्री और मोटर-गाड़ी उद्योग को संरक्षण देना आवश्यक है। मैं श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी के सुझावों से सहमत हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि किसी विशेष उद्योग को संरक्षण देते समय कमीशन इन सब बातों का ध्यान रखता है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 और 2, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1 और 2, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1 and 2 the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (हरियाना) 1967—68
DEMAND FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (HARIYANA) 1967-68

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (हरियाना) 1967-68 के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
16	2	श्री सूरज भान	मध्यम स्तर तक के विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस में प्रस्तावित वृद्धि	100 रुपये कम कर दिये जायें।
42	4	श्री सूरज भान	शहरी सुरक्षा के लिये पर्याप्त प्रबन्ध करने की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
44	6	श्री सूरज भान	नये लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता	100 रुपये कम कर दिये जायें।
49	10	श्री सूरज भान	नई सड़कों का निर्माण	100 रुपये कम कर दिये जायें।
52	12	श्री सूरज भान	हरिजन कल्याण के लिये नियत धनराशि व्यय करने में असफलता	1 रुपया कम कर दिया जाय।
16	13	श्री महाराज सिंह भारती	शिक्षा सम्बन्धी नीति	100 रुपये कम कर दिये जायें।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : हरियाना की जनता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिये वैसा व्यवहार नहीं किया जाता रहा। उद्योग, कृषि तथा अन्य सभी क्षेत्रों में हरियाना के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है। हरियाना के बहुत ही कम लोग ऊंचे पदों को प्राप्त कर सके हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि अब हरियाना राज्य अलग बन गया है। परन्तु अभी भी केन्द्रीय सरकार हमारे साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, हरियाना में स्कूलों के लिये बड़े-बड़े अच्छे भवन हैं परन्तु ये स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं हैं दुर्भाग्य से हरियाना की राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई

कार्य नहीं किया । मैं चाहता हूं कि हरियाना में राष्ट्रपति के शासन की कालावधि को बढ़ाकर कम से कम दो वर्ष बढ़ा देना चाहिये । इससे हरियाना की जनता की स्थिति में सुधार होगा । इस समय हरियाना में प्राथमिक स्कूल भी नहीं हैं । पंजाब के एक-एक गांव में स्कूल और कालेज हैं । परन्तु हरियाना में प्राथमिक स्कूल भी नहीं हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में हरियाना बहुत पिछड़ा हुआ है । इसलिये सरकार को इस सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिये ।

हरियाना राज्य ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की थी कि सामुदायिक विकास विभाग को समाप्त कर देना चाहिये । ये खण्ड विकास अधिकारी कोई काम नहीं करते और जीपों में इधर-उधर घूमते रहते हैं । यह ग्राम सेवक और ग्राम-सेविकाएं भी कोई काम नहीं करतीं । उनके काम में बहुत धांधली है । हमें सामुदायिक विकास विभाग की आवश्यकता नहीं है ।

अनुसूचित जातियों की मांगों का मैं समर्थन करता हूं । अब जैसे भूमि खरीद योजना है । उसके लिये 5 लाख रुपये की मांग की गई है । इस योजना को प्रोत्साहन देना चाहिये । भूमि खरीदने के लिये प्रत्येक परिवार को 2,000 रुपये देना ठीक समझा है । मैं इस कार्यवाही का समर्थन करता हूं । हरिजनों को व्यापार चलाने के लिये ऋण देने हेतु लगभग 5,70,000 रुपये का अनुदान देने की व्यवस्था की गई है । यह बहुत ही सराहनीय कार्य है । परन्तु ऋण भुगतान के लिये राज्य भूमि बंधक बैंक के लिये केवल 85,000 रुपये की जो व्यवस्था की गई है वह बहुत कम है । केवल हमारी तहसील में 85,000 हरिजन हैं, तो शेष राज्य की आवश्यकताओं के लिये तो यह धनराशि बहुत कम होगी । अतः इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 85 लाख या एक करोड़ कर देना चाहिये ।

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut): As all of us know that Haryana is a small State but they are supplying milk to Delhi. It is strange to see that there is no provision for the development of dairy industry of Haryana in this budget. The Central Government should give money to Haryana out of its special fund for this purpose.

So far the question of irrigation facilities are concerned there is no perennial river in Haryana. It was decided to construct a dam on the river Tons but in this connection only initial work has been done so far. If the construction work of this dam is completed, the water will be available to Haryana and Delhi. The Government have not provided any amount for this purpose. They have also not made any provision for tackling the problem of water logging in Haryana. Some money should have been allocated for widening Goverdhan drain.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

I have come to know that no grant is being given to the colleges in which the students of Delhi are studying. The Government should give special grant to these colleges and provision for the same should be made in these demands.

I am of the opinion that the elections should be held in Haryana as early as possible so that a representative Government can be formed there which should look after the interests of the people of the State.

Shri Hem Raj (Kangra): I want to support these demands. The development of Haryana can be accelerated. A commission had gone into the question of development of this area. This commission had recommend in its Report that the Central Government should give special grant for the development of Haryana. It is, however, not clear from these supplementary demands whether Government of India have taken any steps for this purpose.

I would suggest that proper drainage system should be made to tackle the problem of water logging in Haryana. In case necessary steps are not taken, it would adversely effect the agricultural production. The people of Haryana have served the nation in the battle field and they have made special sacrifices. The Government should, therefore, provide special funds for the development of Haryana.

The supply of milk from Haryana can be augmented if Government can pay more attention to cattle breeding. With these words I support these supplementary demands.

Shri Suraj Bhan (Ambala): One of the reasons of imposing President's rule in Haryana was stated to be the defections in the State Assembly. If that was the case then why the defectors in Punjab and West Bengal are being supported by Cogress party? It is also wrong that there was something wrong in the administrative set up of the State. If that is the criteria of imposing President's rule then first of all President's rule should be imposed on Jammu and Kashmir. In fact it was Congress members of the State Assembly who started pulling legs of the State Government. They have not played role of responsible opposition. This is the real cause of imposing President's rule.

A lot of expenditure is likely to be incurred in connection with the midterm elections in Haryana. But Central Government want to bring back the Congress party in power again. But I may tell them that they will not succeed in their motives.

The people of Haryana do not want that President's rule should continue in their State. They are rather keen for representative Government as early as possible. Moreover Congress party is responsible for the defections taken place there.

Our present Home Minister has not succeeded in curbing the anti-social elements. As Defence Minister he was successful to a great extent. We had hoped that anti-national elements would be curbed, but here arrangements are being finalised to crush democracy.

Haryana is a backward state. Ambala District particularly has throughout been a neglected district. There is no Government college in that district. During the days of united Punjab, Shri Partap Singh Kairon had made education free upto middle standard but this concession was withdrawn during the regime of Rao Birendra Singh. We demanded that this should not have been done. The case of the Director of Languages of Haryana state should be inquired into.

I have learnt that the rate of water levy is being increased in Haryana. I oppose this move and request that this should not be done. There are certain places in Haryana where drinking water is not available in summer. This facility should be provided. No money has been spent on the welfare of Harijans in Haryana. It is very improper. All the schemes in this connection should be implemented. The class four employees should be allowed to be promoted to class three posts. Railways should provide more facilities on Yamuna Nagar Ambala section and Yamuna Nagar should be linked by a direct railway line.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The President's rule in a state should for the shortest possible period. Fresh elections should take place there as soon as possible. The Rao Ministry was a corrupt ministry but prior to that the Congress Ministry was never better in any respect. It was equally bad and corrupt. I feel that President's rule should be imposed in West Bengal also. With these words, I request President's rule in Haryana should be for minimum period.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : I support the supplementary Demands for grants in respect of Haryana state. I feel that more efforts should be made for uplift of Haryana. Haryana has contributed a major part of defence personnel. The soldiers belonging to this state fought very bravely during war with Pakistan and China. We cannot forget that. I hope President's rule will not be for a long period there. Elections will be held shortly. People will have the chance to elect their representative.

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : इन मांगों के बारे में कुछ विशेष नहीं कहना है । लगभग सभी सदस्यों ने इनका समर्थन किया है । हरियाना के विकास की गति को तीव्र करने की सभी ने बात की है । मुझे विश्वास है कि सरकार इस मामले में पूरी-पूरी कोशिश करेगी । हरियाना के लोगों ने देश के स्वतन्त्रता संग्राम में और बाद में देश के विकास कार्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है । भूतपूर्व संयुक्त पंजाब में हरियाना क्षेत्र का विकास ठीक प्रकार से नहीं हुआ था । अब जबकि यह एक पृथक राज्य है तो इस क्षेत्र के विकास के लिये अधिक ध्यान और परिश्रम से कार्य करना होगा । और वहां की सिंचाई, शिक्षा, सामुदायिक विकास आदि समस्याओं का समाधान हो जायेगा । मुझे आशा है कि अन्य सभी समस्याएं भी सुलझ जायेंगी ।

यह सामान्य बजट नहीं है यह तो केवल अनुपूरक मांगें हैं । अतः यह कहना कि अमुक कार्य के लिये धन की व्यवस्था नहीं की गई है, उचित नहीं है । हरिजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये जो मांग रखी गई हैं, सभा के सभी वर्गों ने उनका समर्थन किया है । कुछ विषय ऐसे भी उठाये गये हैं कि जिनका सम्बन्ध अन्य राज्यों से भी है । इसलिये उनका समाधान तो सम्बन्धित राज्य सरकारें मिलकर ढूंढ सकती हैं ।

मुझे हैरानी हुई जब मैंने श्री भारती से यह सुना कि चूंकि दिल्ली से विद्यार्थी हरियाना में पढ़ने के लिए जाते हैं इसलिए उस राज्य को प्रतिकर मिलना चाहिए । हमें सभी बच्चों को भारत के बच्चे समझना चाहिये । बल्कि हमारे राज्यों की सरकारों को निकटवर्ती राज्यों के बच्चों को अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिये । वास्तविक अर्थों में यही राष्ट्रीय एकता होगी ।

हरियाना में चुनावों के बारे में मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में कोई विलम्ब नहीं करेगी । हरियाना में राष्ट्रपति का शासन लागू करने के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा । दल बदल की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, हरियाना के लोग अब ऐसे व्यक्तियों को चुनेंगे कि जो इस कुप्रथा में विश्वास नहीं रखते । मेरे विचार में कांग्रेस पार्टी अब वहां पर एक स्थायी सरकार बना सकेगी ।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1967-68 के लिये हरियाना राज्य सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

The following Demands for supplementry Grants in respect of the state of Haryana for the year 1967-68 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
16	28— शिक्षा	23,60,810
42	78क—राष्ट्रीय संकट से सम्बन्धित व्यय	1,03,800
44	96— औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	52,37,500
47	103—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	10
49	114—सड़क और जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	30,00,000
52	राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	10

हरियाना विनियोग विधेयक, 1967-68

HARYANA APPROPRIATION BILL, 1967-68

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1967-68 की सेवाओं के लिये हरियाना राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1967-68 की सेवाओं के लिये हरियाना राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1967-68 की सेवाओं के लिये हरियाना राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1967-68 की सेवाओं के लिये हरियाना राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Maharaj Singh Bharati : The Central Government should see that all state Governments are treated on equal level. The Central Government should utilise all resources at its disposal.

The students from Delhi go to Haryana and U. P. for studies. Those state Governments have to provide all the facilities to the students. It would be proper if these state Governments duly compensated for this.

Shri K. C. Pant : It is correct that Delhi being the capital of India looks a prosperous city. I do not agree that we should ask for compensation for the states where students study from other states.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वितीय वर्ष 1967-68 की सेवाओं के लिये हरियाना राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, 2, 3 अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 1,2,3 schedule, Enacting Formula and Long Title were added to the Bill

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अत्यावश्यक वस्तुएं (दूसरा संशोधन) विधेयक
ESSENTIAL COMMODITIES (SECOND AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं ।

"कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, में आगे संशोधन करने तथा अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964, को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने सम्बन्धी विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

इस विधेयक पर प्रवर समिति ने किसी प्रकार के संशोधन या परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है । मैं समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस पर बड़े ध्यान से विचार किया है और इतने थोड़े समय में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है । खण्ड 3 के अन्तर्गत खाता पुस्तकें वापिस करने के बारे में समय सीमा नियत करने की बात के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह काम राज्य सरकारों का काम होगा ।

समिति ने कहा है कि इस विधेयक के लागू किये जाते समय निर्दोष लोगों को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिये । मैं इस बारे में यही कह सकता हूं कि सम्बन्धित कर्मचारी तथा राज्य सरकारें इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखेंगी ।

इस वर्ष देश में अच्छी फसल की संभावना है । अब इस विधेयक के पारित हो जाने से वितरण व्यवस्था में जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करने में सहायता मिलेगी । अब जमाखोरी को समाप्त करने में भी सहायता मिलेगी ।

यह देखा गया है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के बारे में अपराधों में वृद्धि हो रही है । अपराधी तत्वों को समाप्त करने के लिये सरकार के पास अधिकार होना बहुत आवश्यक है ताकि जमाखोरी, मुनाफाखोरी को रोका जा सके । अब दण्ड सम्बन्धी अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया जा रहा है । ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिये भी व्यवस्था की जा रही है । पिछले वर्ष जब इस अधिनियम का संशोधन किया गया था तो यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार खाने की वस्तुओं की वसूली के बारे में अधिकार लेना चाहती थी । अब धारा 6क, 6ख और 6ग का संशोधन किया जा रहा है । जब जिलाधिकारियों को अधिकार दिया जायेगा कि वे उल्लंघन करने वालों का माल जब्त कर सकें ।

अब जिला अधिकारी ऐसे माल को जब्त कर सकेंगे परन्तु इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकेगी । और यदि अपील मंजूर हो गई तो सरकार को संबंधित लोगों को उचित प्रतिकर देना होगा ।

16-9-1967 के अध्यादेश जारी होने से पहले कार्यभारी अधिकारी को खाते आदि का निरीक्षण करने का अधिकार था परन्तु अब वह खाता पुस्तकों को अपने कब्जे में ले सकेंगे । यह

मांग लगभग सभी राज्य सरकारों ने की थी। अब इसकी व्यवस्था इस कानून में की जा रही है। अब इस विधेयक में दण्ड सम्बन्धी धारा में भी परिवर्तन कर के दण्डों को अधिक सख्त बनाया जा रहा है।

पहले केवल वास्तविक वस्तु को ही कब्जे में लिया जाने का उपबन्ध था परन्तु उस व्यक्ति की उस वस्तु से सभी सम्बन्धित वस्तुओं को जब्त कर लिया जायेगा। इस बात की सिफारिश भी राज्य सरकारों ने की थी। इस विधेयक को हम सन्थानम समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर लाये हैं। अब भ्रष्टाचार के उन्मूलन में सहायता मिलेगी।

प्रतिरक्षा सेनाओं को नियमित रूप से वस्तुओं की सप्लाई देने के लिये भी इस विधेयक की धारा 3 में एक संशोधन कर दिया गया है। स्थिति अविलम्बनीयता को ध्यान में रखते हुये सरकार को 16 सितम्बर, 1967 और 21 अक्तूबर, 1967 को दो अध्यादेश जारी करने पड़े थे। अब यह विधेयक उनका स्थान लेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, में आगे संशोधन करने तथा अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964, को अग्रेतर अवधि के लिये जारी रखने सम्बन्धी विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री कृष्णमूर्ति : मैं संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं। सरकार को देश में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों की वास्तविक स्थिति की ओर ध्यान देकर निर्णय करना चाहिये। आज चीनी के भाव बहुत मंहगे हैं परन्तु सरकार चीनी की वसूली के समय बहुत कम मूल्य देती है। यह उचित नहीं है। मेरे विचार में सरकार हमारे संविधान में लिखे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है।

सरकार को इस विधेयक को पारित तो करना ही है। मेरा सुझाव है कि अगले सत्र के दौरान इस कानून की क्रियान्विति पर विचार किया जाना चाहिये। इस विधेयक की धारा 3 की उपधारा (3) बहुत आपत्तिजनक है। यह असंवैधानिक भी है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 13 और 31 के विपरीत जाती है। मेरा सुझाव है कि इस विधेयक पर जनमत जानने के लिये इसे राष्ट्रपति को भेजा जाये।

श्री शिवप्पा (हसन): मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इससे हमारे मूल अधिकारों का हनन होने जा रहा है। इस विधेयक में पुलिस को बहुत अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। हमारे देश में पुलिस राज की स्थापना की जा रही है। न्यायपालिका के महत्व को कम किया जा रहा है। अब देश को किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा। इसलिये इस प्रकार का सख्त कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मूल अधिनियम में दोषियों को दण्ड देने के बारे में पर्याप्त उपबन्ध हैं। अब उन्हें और कठोर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे इतना कठोर नहीं बनाया जाना चाहिये। आज

देश में एक दूसरे के प्रति ईर्षा की भावना बहुत अधिक फैली हुई है। कई लोग बिना कारण के पुलिस को सूचना देंगे कि अमुक व्यक्ति यह कर रहा है या वह कर रहा है। इतने पर पुलिस गिरफ्तारियां आरम्भ कर देगी। इस प्रकार पुलिस को बहुत अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। मूल अधिनियम को तो ठीक प्रकार से लागू ही नहीं किया गया है। इसलिये दण्ड को बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है।

इस विधेयक में एक नागरिक को अपने रक्षण के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। एक कथित दोषी को अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं मिलेगा और उसे दण्ड दे दिया जायेगा। न्याय को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष जज के सामने रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिये।

मेरे विचार में धारा 3, 7 और 11 को हटा दिया जाना चाहिये। इस विधेयक को ही यदि वापिस ले लिया जाये तो बहुत अच्छा होगा। इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं सिद्धान्त रूप में इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे यह आशा नहीं है कि सरकार इसे लागू करने में सफल होगी। आप चीनी के मामले को ही लें। अब 40 प्रतिशत मिल मालिक खुले तौर पर बेच सकते हैं। इस विधेयक के द्वारा काले बाजार को कानूनी रूप दिया जा रहा है। काला बाजार, सफेद बाजार तथा वैध बाजार सब एक साथ कैसे कार्य कर सकते हैं। यदि काले बाजार पर कानून की मोहर लगा दी गई है तो फिर चीनी का राशन रखने की या उस पर नियंत्रण रखने की क्या आवश्यकता है? नियंत्रण तो अच्छा होता है परन्तु नियंत्रण का लाभ तभी होता है जबकि लोगों को आवश्यक वस्तुएं आवश्यकतानुसार उपलब्ध होती रहें।

श्री म० सुदर्शनम् (नरसारावपेट) : मेरा यह सुझाव है कि खण्ड 7 में से अन्यथा (अदरवाइज) शब्द हटा दिया जाए। इस खण्ड में यह व्यवस्था है कि जो इस अधिनियम के उपबन्धों का "जानते हुए, इरादे से या अन्यथा" उल्लंघन करेगा तो उसे दंडित किया जाए। इस शब्द से ग्रामीण व्यापारियों के लिये कठिनाई पैदा होगी। दूसरे मेरे विचार से अत्यावश्यक वस्तुओं की संख्या 51 से घटाकर कम कर दी जाए। क्योंकि अब फसल अच्छी हो रही है और किसी प्रकार की कठिनाई सामने न आएगी। इस विधेयक से अधिक लाभ न होगा।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : Government want to have more powers by bringing further amendment to the Essential Commodities Act, 1966. The provisions of the Act are not being implemented. Reasonable prices should not be allowed to go up and down. They should be controlled. The policy of the Government has been wrong. It has not benefited the consumers. It has encouraged the private sector and made the public sector inefficient. Though the question of agricultural production is more important now but Government is not paying due attention towards the protection of the standing crops. Police should be given powers to intervene in matters involving the damage of the standing crops. Moreover, the prices of the essential commodities should be fixed.

Shri B. S. Sharma (Banka) : We hoped a great deal from the Joint Select Committee, but the Bill has been sent back, as it is. Though the Committee has appreciated the object of the Bill but it has cautioned the Government also about the unnecessary harassment of innocent persons in the exercise of the powers assumed under this Bill. Almost all the commodities essential for human life are under control these days. I submit that all the things except a few like wheat and rice should be decontrolled. There should be no control on iron and steel goods and textiles etc. There should be free movement of coarse grains throughout the country. Control badly affects the small traders and it helps the big businessmen. Licences and permits are issued to those who are influencial, who grease the officers. In this system rich is becoming richer and the poor poorer. It is against the socialistic pattern of society. Secondly I want that sub-clause 6,9,10 and 11 should be deleted.

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : गत 20 वर्षों में चोरबाजारी करने वाले बड़े व्यापारी बन गए हैं। मुनाफाखोर अधिक मुनाफा लेते जा रहे हैं और जमाखोर और अधिक जमा करते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि जो शक्तियां सरकार के पास हैं उनका ठीक से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सरकार चोरबाजारी करने वालों, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों को संरक्षण दे रही है। मुझे इसमें तो आपत्ति नहीं है कि सरकार अधिक शक्तियां ले। परन्तु उनके आधार पर जमाखोरों, मुनाफाखोरों या चोरबाजारी करने वालों को नियंत्रित किया जाए, उन्हें दंडित किया जाए। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि मूल्य निर्यंत्रित रहें। केवल अधिक शक्तियां लेने से काम न चलेगा क्योंकि इनसे भ्रष्ट अधिकारी और अधिक भ्रष्ट होंगे। अतः सरकार को लोगों को कानून पास करके धोखा नहीं देना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : इस विधेयक में कुछ गांरटियां दी गई हैं। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अत्यावश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगी। हमारी सेना को खाद्यान्न की सप्लाई में कमी नहीं होगी। चोरबाजारी, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी समाप्त की जायेगी। समाज विरोधी तत्वों का सफाया किया जायेगा। यदि इस विधेयक के पास हो जाने पर सरकार उपरोक्त गारंटियों को पूरा करती है तो विधेयक की उपयोगिता है अन्यथा नहीं। साथ ही मुझे यह निवेदन करना है कि प्रस्तुत विधेयक में समाजविरोधी तत्वों को, जमाखोरों तथा चोरबाजारी करने वालों को दंड देने का विधान है परन्तु जो लोग इन लोगों को माल सप्लाई करते हैं उनके लिये दण्ड का विधान इसमें नहीं है, जिसका विधान इसमें होना चाहिये। विधेयक की उपयोगिता इसी बात में है कि भारत के साधारण से साधारण व्यक्ति को भी, चाहे वह पठानकोट में हो या कुमारी अन्तरीप में, उसकी आवश्यकता की वस्तुएं उचित तथा समान मूल्य पर मिलें।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं अपने दल की ओर से विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करता हूं। यह एक कदम ठीक दिशा में उठाया गया है परन्तु दिल से नहीं उठाया गया। विधेयक का उद्देश्य है चीनी पर पूर्ण निरीक्षण रखना। कुल चीनी का 60 प्रतिशत पर नियंत्रण रहेगा तथा 40 प्रतिशत पर नियंत्रण नहीं रहेगा। नियंत्रित चीनी का भाव 2.50 रुपये प्रति किलो है जबकि अनियंत्रित चीनी 5 रुपये या 6 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही है। इस स्थिति में सरकार चोरबाजारी को कैसे रोक सकती है? इससे तो चोरबाजारी को बढ़ावा मिलेगा।

दूसरे, जो व्यक्ति बिना इरादे के नियमों का उल्लंघन करता उसे अपराधी न माना जाए। साथ ही सरकार जिन पशुओं को जब्त करेगी उसके लिए सरकार को एक बड़ी पशुशाला बनानी होगी।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : विधेयक का उपबन्ध तकनीकी किस्म के अपराधों के लिए भी बढ़ा दिया गया है। जो लोग वास्तव में अधिक मूल्य लेते हैं या वस्तु को छिपाते हैं, उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। परन्तु जो व्यक्ति किसी कारण से मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं कर सका है या माल को रजिस्टर में नहीं चढ़ा पाया है, उसे कठोर दण्ड देने की बात समझ में नहीं आती। जो वस्तुएं अत्यावश्यक नहीं हैं जैसे मोटरकार के पुर्जे आदि—उन्हें इस अधिनियम के अधीन क्यों लाया जा रहा है। इससे तो विधेयक अधिक कठोर बन जाएगा। यदि अधिनियम को ठीक से लागू न किया गया, तो उससे लाभ होने वाला नहीं है। कोई ऐसा उपाय खोजा जाए जिससे वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध हों इससे उनके मूल्य कम हो जायेंगे। अन्यथा अधिनियम का कोई लाभ न होगा।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : विधेयक को कड़ा बताया जा रहा है, परन्तु मेरा निवेदन यह है कि यह उपबन्ध कड़ा नहीं है और इससे जनसाधारण को परेशानी न होगी। किसी भी उत्पादक से उसका अनाज जब्त नहीं किया जाएगा। जिस व्यक्ति से कोई वस्तु छीनी जाएगी, उसको सम्बन्धित अधिकारी लिखित सूचना देगा और माल जब्त करने के कारण बताएगा। वह अपनी सफाई देने के लिए अभ्यावेदन भी देगा जिस पर यथोचित ध्यान दिया जायगा। इसके अतिरिक्त उसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का भी अधिकार है। इस प्रकार यह विधान कठोर नहीं है। जहां तक पशु को जब्त करने की बात है यह अदालत पर छोड़ दी गई है। चीनी के मामले में भी स्थिति सुधर जाएगी। ऐसा प्रयास किया जाएगा जिससे इस अधिनियम से लोगों का हित हो और उन्हें व्यर्थ की परेशानी न हो।

अध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित करने संबंधी प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"आत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में अग्रेतर संशोधन करने तथा अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 को भविष्य में कुछ काल तक जारी रखने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि खण्ड 1 से 11, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1 से 11 तक, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़े गये

Clauses 1 to 11, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि विधेयक प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

**समान व्यवहार संहिता

COMMON CIVIL CODE

Shri Prakash Vir Shastri: In a reply to a question the Law Minister stated that a common civil code for all communities cannot be evolved in India because here people of different castes and creeds hold different views about this matter. But it is not in confirmity with the earlier stand of the Government in this respect. On May 17, 1966 the then Law Minister said that we wanted that a uniform Civil Code should be applied to all citizens of India. On 11th July, 1967 our Law Minister, Shri Govind Menon stated that a Bill to this effect would be introduced in the Lok-Sabha after knowing the views of Muslim women in this matter. But this time he said that such a law cannot be made.

[**श्री एस० एम० जोशी पीठसीन हुए**
Shri S. M. Joshi in the Chair]

It was the intention of our Constitution-makers that such legislation would be passed by the Parliament. Moreover there is a lot of difference between the religion and social customs. Religious principles may not be altered but social customs can be improved for the benefit of community as a whole or for human welfare. Such steps have been taken in Muslim Countries like Iran, Lebanon, Syria, Tunisia and Iraq. Even in Pakistan the Family Laws ordinance was issued in 1961, according to which a man, who wants to have second wife, shall have to appear before a Mediation council consisting of the representatives one each from the first wife, the husband and the second wife. If this council holds that the intending man can have the second wife, only then he will have second wife. In India too, Muslim women demonstrated against the practice of polygamy. They wanted to see it removed. Why do the Government hesitate to change the existing social custom in certain communities in India? I think Congress Government is afraid of Muslims that they will not cast their votes in favour of the Congress in the elections. Probably Pakistan will take it for propaganda purposes against India. If such a trend will

---

**आधे घंटे की चर्चा

Half-an-Hour Discussion

continue, it will create an imbalance in the population. The rate of incrase in non-Hindu population is more than it is in Hindu population. Moreover, there are cases of people changing their religion for purely marriage purposes.

I therefore request the Minister of Law that he should appoint a high powered committee to study this issue and report the matter. Government should also study the laws on this issue made by the countries recently. It should take the views of Muslim women into consideration. On the basis of this study a suitable legislation should be brought in Parliament.

Shri B. S. Sharma (Banka) : We want to check the explosion in population. But if some communities are allowed to have polygamy, how could the increase in population be checked ?

Shri Raghubir Singh Shastri (Baghpat) : The existence of different codes for different communities does not conform to the secularism. We have been trying to evolve a composite culture since independence. So we should have a uniform civil code for all Indians.

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi Sadar). There is a provision under article 44 of our Constitution that "the state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. This is one of the Directive Principles of the State Policy. So it is not the question of the discretion of Government but the Government is bound to do so. May I know the steps the Government have taken during last 20 years in this direction ; whether it is a fact that the Muslim Ministers and big officers are against it ? I would like to know the steps taken by Government to know the views of Muslims in this respect.

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : हमारे संविधान में लिखा है कि "राज्य सम्पूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये समान व्यवहार संहिता निर्धारित करने के प्रयत्न करेगा।" परन्तु संविधान के निर्माता समस्या की जटिलता के प्रति जागरूक थे। इसलिये उन्होंने यह उपबन्ध निदेशक सिद्धान्तों के अधीन रखा था। अल्पसंख्यकों की बात तो अलग रही। अभी तक हिन्दुओं के लिए भी भारत में एक समान संहिता नहीं बन पाई है। भारत के विभिन्न भागों में हिन्दू संहिता अधिनियम के भिन्न-भिन्न रूप हैं। 1939 में एक हिन्दू संहिता अधिनियम बनाने का प्रयास किया गया जिसके विरोध में अनेक अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार भारतीय ईसाइयों के लिये तीसरी लोक-सभा में ईसाई विवाह सम्बन्धी एक विधेयक लाया गया था जिसका विरोध किया गया। तथ्य यह है कि इस प्रकार के विधान बनाते समय प्रभावित लोगों के विचारों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। सामाजिक सुधार तभी सफलतापूर्वक लाया जा सकता है जबकि उसे जनसाधारण का समर्थन प्राप्त हो। यह कहना बिल्कुल गलत है कि सरकार मुसलमानों के भय के कारण ऐसा नहीं कर रही है।

जनसंख्या में वृद्धि का प्रश्न वस्तुतः महत्वपूर्ण है। यह सच है कि मुसलमानों की संख्या में वृद्धि हुई है परन्तु यह उनकी बहु-पत्नी प्रथा के कारण नहीं, बल्कि घुसपैठ जैसे अन्य कारणों की वजह से हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वेक्षण से मालूम हुआ कि प्रत्येक एक हजार मुसलमानों के लिये केवल 935 महिलाएं हैं। अतः इस आधार पर उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती

क्योंकि बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं की संख्या तो उतनी ही रहती है चाहे एक पति के पास एक पत्नी हो अथवा अधिक ।

फिर भी संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार सरकार यह प्रयास करती रहेगी कि भारत में बहु-पत्नि प्रथा बिल्कुल समाप्त हो जाये ।

मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं और इस दिशा में पूरे प्रयत्न किये जायेंगे । जैसे-जैसे समय गुजरेगा और हमारे देश में महिलाएं अधिक स्वतन्त्र होती जायेंगी तो वे किसी ऐसे पुरुष से विवाह नहीं करेंगी जिसकी दूसरी पत्नी भी हो । हमें इस दिशा में अवश्य चलना होगा । शिक्षा तथा सामाजिक जाग्रति के साथ-साथ मुसलमानों में भी बहु-पत्नी प्रथा समाप्त होती जायेगी ।

इस सम्बन्ध में हम धीरे-धीरे आगे बढ़ें और इस सम्बन्ध में हम देश में मनमुटाव पैदा न करें । हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे देश में बहु-विवाह प्रथा समाप्त हो ।

पश्चिमी भारत में हाल ही में आये भूकम्पों तथा सरकार द्वारा किये गये सहायता कार्य के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE. RECENT EARTHQUAKES IN WESTERN INDIA AND RELIEF MEASURES TAKEN BY GOVERNMENT

Shri S. M. Joshi : (Poona) The Earth quakes in Western India was a great shock not only to Maharashtra, but to whole of India. The damage and destruction caused by the recent earthquake at Koyana Nagar was much more terrible than had been reported in the press so far. This calamity might have been even more terrible but for the sense of duty and patriotism shown by the engineers and the Post and Telegraph men. We should have shown great respect for them and these people should be awarded.

The engineers there have shown a great sense of duty and the P and T men kept the channels of communication moving even in the face of death. The people there are still fearful. Therefore I am of the views that some experts should go from here to assure the people that there would be no more tremors.

Now the question arises how can we help the affected people there. One is immediate assistance and the other long term assistance. Immediate assistance is being given to the affected people. But to assist them for longer period is more important. Maharashtra state cannot do it alone. The Central Government should, therefore, give liberal assistance for the rehabilitation. A natural calamity should be treated as the national calamity.

We should learn from the experience of others. We should prepare a scheme for constructing new houses. The Central Government should also give assistance in this matter.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Whenever there have been natural calamity like this, people of our country have always come for help. An appeal should be made to the people of the whole country to give help to the affected people.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Koyana nagar has been particularly effected by the heavy earthquakes. I have not got the authentic information regarding the actual damage, but from the informations received from the newspapers, it appears as if 500 villages have been destructed. Nearly 30 thousand houses have been collapsed and 197 persons have died. 32 centres have been opened to help the affected people. They are not sufficient. Some more centres should be opened for them. We should ask for more help from the centre. The rehabilitation of the people should be completed before March. Money consideration should not be taken in this matter. We request that the maximum help should be given to the people there.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : महाराष्ट्र में घटित इस दुखद घटना से हमें बहुत दुख है। हमारे अच्छे से अच्छे पत्रकार भी इस स्थिति के बारे में जो बता सकते हैं, यह विपत्ति उससे भी कहीं अधिक गम्भीर है। इस संकट की स्थिति में भी लोगों का उत्साह बहुत ऊंचा है। कोई भी व्यक्ति अपना घर या ड्यूटी के स्थान को नहीं छोड़ना चाहता। लोगों में एकता की भावना है। देश के सभी भागों से अनाज, कपड़े और दवाइयों की सहायता प्राप्त हो रही है। भूकम्प का केन्द्र बांध से कुछ ही दूर था, किन्तु बांध पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देश के लिये एक गर्व की बात है।

दैवी प्रकोप के सामने हम बिल्कुल असमर्थ हैं। ऐसे अवसरों पर राज्य सरकार को सहायता कार्य सौंपा जाना चाहिए किन्तु संसाधनों और समान की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार की होनी चाहिए। इसी प्रकार ही देश में प्रगति हो सकती है। इस दैवी प्रकोप के कारण 15,000 मकान ढह गये हैं और 10 से 15 करोड़ रुपये की हानि हुई है। परन्तु सरकार उसको कम करने का प्रयास कर रही है। इस प्रवृति का विरोध किया जाना चाहिए। पुनर्वास मंत्रालय के साधनों तथा प्रतिरक्षा मंत्रालयों को सहायता-कार्य में लगा दिया जाना चाहिए। पुनर्वास का कार्य उचित ढंग से किया जाना चाहिए। हमें इसे प्रकृति की चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार को सहायता के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें दैवी प्रकोप से घबराना नहीं चाहिए और उसका धैर्य से मुकाबला करना चाहिए।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (कलकत्ता उत्तरी) : पहले जब कोयनानगर में आये भूकम्प की खबर आई तो हम प्रभावित क्षेत्र का अनुमान नहीं लगा सके क्योंकि बहुत से क्षतिग्रस्त गांव ऐसे पहाड़ों पर स्थित हैं जहां से सूचना प्राप्त होने की व्यवस्था नहीं है। अतः कोयनानगर को सहायता पहुंचाने के साथ-साथ इन गांवों को भी सहायता पहुंचाई जानी चाहिए। हमें उन लोगों के विश्वास को बनाये रखना है अतः उनको पर्याप्त मात्रा में सहायता दी जानी चाहिए।

जो लोग इस दैवी प्रकोप से प्रभावित हुए हैं उन्हें हमारी सहायता या सहानुभूति की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी दीर्घकालीन सहायता या सहानुभूति की आवश्यकता है। सतारा, रत्ना और गांवों को पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए।

इंजीनियर सैनिकों ने कोयनानगर में जो कार्य किये हैं उनकी मैं अवश्य सराहना करूंगा। मैं यह महसूस करती हूं कि केन्द्र के लिये इतनी सहायता देना सम्भव नहीं होगा। अतः इस सम्बन्ध में जनता को सहायता करनी होगी। मुझे विश्वास है कि भारत के लोग प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को फिर से बसाने में पूर्ण सहायता करेंगे।

Shri Shri Chand Goel : We have not have the earthquake of such a grave intensity during the last 150 years. Before this earthquake there was feeling that that part of the country was free from earthquake, but it proved to be wrong. I am therefore, of the views that a Committee consisting of Indian and foreign experts should be appointed to examine whether a repetition of a similar earthquake was possible in future. It is the duty of every citizen to give the maximum assistance to all these affected people. Delhi Administration and Delhi Municipal Corporation have assured assistance for them.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : It has been the biggest earthquake since our independence. In the present circumstances it is the duty of every Indian to forget all differences and contribute for the relief of the affected people. So far as Government is concerned, it will give the maximum assistance possible, but private institutions must help in this regard. The Members of Parliament should set up an example by contributing one day's pay and allowances to the relief fund. It would inspire others to contribute and inspire confidence in the minds of the affected people.

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : The calamity on Koyana nagar should be treated as national calamity. This calamity should be borne by all the affected people.

Immediate help should be given by the Centre and the State. This trouble has not come to only one area, but to the whole country. Apart from the earthquake, continuous rains for a number of days have caused a great havoc.

It is estimated that 25 per cent of the crops have been destroyed as a result of continuous rains.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : We have full sympathy with the people who have suffered due to earthquake. Some fund should be created for their help. In Sonepat in Haryana, almost every day there is a tremor. It has been going on for the last four years. A team of expert should be appointed to examine that place also.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से मैं पूर्णतया सहमत हूं। इस सम्बन्ध में मैं अवश्य जानकारी दूंगा। कुछ स्थानों से जानकारी विलम्ब से प्राप्त होने के कारण राज्य सरकार अभी भी जानकारी एकत्रित कर रही है।

सतारा जिले में अब तक 159 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। रत्नगिरी में 9 व्यक्ति मरे हैं और सांगली में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। सतारा जिले में 3500 और रत्नगिरि जिले में 210 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। सतारा जिले में 20,000 और रत्नगिरि में 3500 मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुए हैं, ढह गये हैं और 4500 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

इसके अलावा सड़कों, पुलों तथा संस्थाओं को क्षति पहुंची है। भूकम्प से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 2 लाख है।

राज्य सरकार ने लगभग 7 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है। इसके और अधिक होने की सम्भावना है ।

इस समस्या के दो पहलू हैं। पुनर्वास समस्या और दूसरी तकनीकी जांच की समस्या। लोगों का विचार है कि बांध को अभी भी खतरा बना हुआ है। लोगों के दिमाग से भय निकालना बहुत कठिन है। अतः इस सम्बन्ध में सबसे आवश्यक बात यह है कि वहां तकनीकी जांच की जानी चाहिए जिससे यह पता लग सके कि क्या वहां खतरा अभी बना है अथवा नहीं। सिंचाई मंत्री के साथ जो विशेषज्ञों का दल गया था उसकी जांच की रिपोर्ट सम्भवतः हमें कल प्राप्त हो जायेगी।

पुनर्वास की समस्या बहुत ही गम्भीर है इसका कारण यह है कि बहुत बड़ा क्षेत्र इससे प्रभावित है। भारत सरकार इसके सम्बन्ध में कोई भी दायित्व लेने से हिचकेगी नहीं। उसने वहां कार्य करना भी आरम्भ कर दिया है।

2000 टन अनाज वहां पहले ही भेजा जा चुका है। कुछ सदस्यों ने वहां दीर्घकालीन सहायता दिये जाने को कहा है। मैं उनके विचार से सहमत हूं। परन्तु इस सम्बन्ध में अविलम्बनीयता को भी ध्यान में रखना होगा।

कुछ सरकारी कर्मचारियों ने भी वहां बहुत उत्साह से काम किया है। उसकी सराहना की जानी चाहिये । मैं यह आश्वासन देता हूं कि भारत सरकार उनके दुख में पूरी तरह उनके साथ है।

देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE: FLOOD SITUATION IN THE COUNTRY

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Flood has become an annual feature in our country. It causes a havoc to the people. But Government have not prepared a permanent scheme to fight those floods. During the last ten years 13 crores people have been effected by floods. Inspite of it the Government have not made some schemes to avoid floods. The flood problems should be tackled on national level, but nothing has been done according to well thought plan.

During the last three Five Year Plans about 147 crores have been spent on measures to avoid floods, but only 115 lakhs acres land have been benefited as a result of it. Only casual attempts have been made from the side of the Government.

I agree that we cannot control the floods fully and we have to depend upon nature in this respect to some extent, but I want to know whether the Government intends to leave the people on the mercy of the nature? Practically nothing has been done in the country for the control of floods during the last 20 years.

First of all, a survey should be made in the country in order to know the exact problem of floods. After that priorities to complete the projects should be fixed. An expert committee should set up for this. The implementation of the projects are not being done due to lack of efficiency in our Departments.

Observation Posts should be set up to give information in advance regarding floods to the people. Some new and improved measures should be adopted to control floods. All dams should be checked before floods. It is necessary that inter-state co-operation for the control of flood should be ensured.

For the last 20 years, certain villages in Delhi have been suffering from floods almost every year.

A scheme on national level should be prepared to save the country from these floods.

श्री समर गुह (कंटाई) : हाल ही में आई बाढ़ के परिणामस्वरूप मिदनापुर जिले और उड़ीसा में भारी क्षति हुई है। बाढ़ के कारण कोयना में 20,000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2 लाख व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं। 85,000 मकान और 1,000 पशु बह गये हैं। मेरे क्षेत्र में 12 हाई स्कूल और 457 प्राथमिक स्कूल बिलकुल ढह गये हैं। कुछ नमक के कारखाने भी पूर्णरूप से बह गये हैं। लगभग 25 करोड़ रुपये की फसल बरबाद हो गई है।

पश्चिमी बंगाल में सूखा पड़ने के कारण सहायता कार्य के लिये मंजूर की गई रकम पूरी तरह समाप्त हो गई है। इसके परिणामस्वरूप पश्चिमी बंगाल सरकार के पास सहायता के लिये खर्च करने के लिये कोई रकम नहीं है। केन्द्रीय सरकार से सहायता की अपील की गई है। परन्तु अभी तक केन्द्र सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। हमें कम से कम तीन महीनों तक उनकी सहायता करनी होगी।

लगभग 80 प्रतिशत लोगों की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। केवल वह ही उनकी रोजी का साधन था। उनके लिये कोई उपयुक्त सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह मिदनापुर और उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण के लिये कोई स्थायी व्यवस्था करें। यदि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को फिर से कृषि योग्य बनाया जा सके तो बाढ़ की भी रोकथाम हो जायेगी और उपज के उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी हो जायेगी।

Shri Ramavatar Sharma (Patna) : Flood problem is a national problem. It is a yearly routine and even then no permanent arrangements have been made to control these floods. Certain areas of U. P. and Bihar are regularly affected by these floods. The floods in Bihar this year are unprecedent and the city of Patna which has a population of more than 4 lakhs fears to be washed away by floods.

Kosi is considered to be the river of misfortunes. We should try to control it. We should prepare a scheme of flood control. So that the people may be saved from this destruction. The Government have also tried to help. The State Government have asked for a help of 10 crores from the Centre for the purpose of controlling the floods. But the Centre has agreed to pay only 1 crore. At the time of some calamity Government should give the assistance liberally.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : इस विषय पर बहुत पहले चर्चा होनी चाहिये थी, गत सितम्बर में बालासौर और मयूरभंज में अभूतपूर्व बाढ़ आई थी जिससे जान माल की भारी क्षति हुई थी। यह अत्यधिक दुःखदाई घटना थी। इस दुर्घटना का 15,000 वर्ग मील और 15 लाख की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा। वहां पर इतना अधिक पानी था परन्तु हम उसका प्रयोग सिंचाई के लिये नहीं कर सके। यदि इस पानी का सही प्रयोग किया जाना है और बाढ़ पर नियन्त्रण करना है तो बांध आदि बना कर इस पानी का सिंचाई के लिये प्रयोग किया जाना चाहिए। हम सरकार को बार-बार कहते रहे हैं कि सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिए।

इस प्रकार की विपत्तियों के साथ निपटने के लिये राज्य और केन्द्र के परस्पर सम्बन्धों को भूल जाना चाहिए। मैं यह कहता रहा हूं कि सहायता कार्यों के लिये बजट में कुछ करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी चाहिये। सहायता कार्य के लिये एक सैनिक दस्ता तैयार रहना चाहिये जिसके पास सहायता के लिये सब उपकरण होने चाहिए। कठिनाई यह है कि केन्द्र सरकार उतना अनुदान देती है जितने धन की व्यवस्था राज्य सरकार भी करे और राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह अधिक धन उपलब्ध कर सके।

इसलिये मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह बालासौर और मयूरभंज और श्री समर गुह द्वारा उल्लिखित पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में रहने वाली जनता के कष्टों को दूर करने के लिये विशेष ध्यान दें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : बालासौर, पुरी, कटक और मयूरभंज में बाढ़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि प्रत्येक राज्य में बाढ़ की समस्या के साथ स्थायी रूप से निपटने के लिये कोई वृहत् योजना बनायी जानी चाहिये।

उड़ीसा में बाढ़ आने और सूखा पड़ने की निरन्तर घटनाएं होती रहती हैं। पानी की निकासी के लिये कई योजनाएं बनाई गई थीं परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो सिंचाई और विद्युत मंत्री ने उन क्षेत्रों का दौरा किया था। एक विशेषज्ञ, जो उनके साथ गया था, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पानी निकासी के लिये बहुत कम सुविधायें उपलब्ध हैं। बाढ़ के नियंत्रण के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति ने और भी कई सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

उड़ीसा राज्य की 20 वर्ष तक उपेक्षा की गई जिसके फलस्वरूप अब यह राज्य दूसरों की सहायता पर निर्भर करने लगा है। केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा की बाढ़ और सूखा सम्बन्धी समस्याओं के साथ निपटने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

Shri Chandrika Prasad (Ballia): There is constant danger of floods in the areas of Ballia, Ghazipur, Chhapra districts, etc. in the Eastern U. P. The Government had set up a committee to go into the causes of this constant problem but the Report of the same has not so far been received. The Government should take definite steps to deal with this problem permanently.

I support the relief measures proposed to deal with the tragedy took place in Koyana Nagar.

Shri Molahu Prasad (Bansgaon): It is a matter of regret that when Five Year Plans were implemented, the old methods of irrigation were left out and emphasis have been laid on modern methods of irrigation. As a result of this we are facing difficulties. The Government is not paying sufficient attention to small scale irrigation schemes—and instead of that they are paying much attention to big irrigation schemes. Now there are certain areas like Cachar where canals cannot be dug. Moreover wells and tube-wells can also not be provided there. Government should take steps to deal with difficult situation of Cachar. I would like the Government to reconsider the question of introducing small scale irrigation projects. I would also like to know the state-wise figures of distribution of tube-wells and the manner in which the tube-wells have been distributed.

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : वर्ष 1960 में मिदनापुर में बाढ़ आई थी और तब माननीय प्रधान मंत्री, श्री जवाहर लाल नेहरू ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया था । उन्होंने श्री मान सिंह की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी । श्री मान सिंह ने मिदनापुर जिले की ही नहीं, बल्कि समस्त पश्चिम बंगाल के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । परन्तु इन सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

Shri Ramanand Shastri (Bijnor): I have been telling for the last ten years that there has been great loss of life and property due to flood in Ghaghar river. The Government should, therefore, pay necessary attention to this problem while formulating future plans for flood control.

Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswar Prasad): It is not correct to say that no important scheme for flood control has been formulated. We have spent nearly Rs. 170 crores on the flood control measures. In fact, sometime there is no rain in an area and then next time there are floods in the same area due to sudden rains. This thing happened last year also. The areas which were affected with drought last year, had to face drastic floods also. However sufficient work has been done with regard to flood control and lakhs of acres of land has been saved from floods due to these measures.

Our country is a vast-country and the main problem is that of resources. Atleast 1,200 crores rupees are required in case we implement the flood control scheme throughout the country. But I have told that we could spend only Rs. 170 crores, because of financial stringencies.

So far as the question of preliminary survey of Orissa is concerned, same has been completed and the details are being worked out.

It is not correct to say that we have not taken any flood control measures in Delhi. We had constructed Tons dam in 1962 and there has been great relief because of this dam. But the situation has further been complicated by connecting the flow of water of some deep lakes with streams in that area. There are also some more basic difficulties. So far the question of providing relief measures is concerned, the Central Government has been doing its best and it is wrong to say that any particular State has been ignored. I want to give that much assurance

to the Hon'ble Members that we are making all possible efforts to implement the flood control scheme keeping in view our resources.

So far the question of prior information of floods is concerned, we have established an Information Centre in Delhi for this purpose. Similar centres are being established in Patna, Lucknow and Assam also.

Shri Kanwar Lal Gupta: I may state that the amount provided in the Five Year Plans for this purpose has not been fully utilised. We should try to utilise the entire amount but in the proper manner. Besides the problem of floods, Delhi is facing another serious problem of sub-soil water. I would request the Government to take necessary measures to deal with this situation.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा देश में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में 14 नवम्बर, 1967 को सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 1967/1 पौष, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 22, 1967/Pausa 1, 1889 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—20-8-68—600